आज़ादी का अमृत महोत्सव

अगस्त, 2022
I.S.S.N. : 2457-0494

उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका

विधि साहित्य प्रकाशन
विधायी विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार

प्रधान संपादक

श्री कमला कान्त

संपादक

श्री अविनाश शुक्ला
श्री असलम खान

सहायक संपादक

श्री पुण्डरीक शर्मा

उप-संपादक

श्री महीपाल सिंह
श्री जसवन्त सिंह
श्री जाहन्वी शेखर शर्मा
श्री अमर्त्य हेम विप्र पाण्डेय

ISSN-2457-0494

कीमत : डाक-व्यय सहित

एक प्रति : ₹ 195/-

वार्षिक : ₹ 2,100/-

© 2022 भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय

प्रधान संपादक, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित तथा..... द्वारा मुद्रित ।

आई.एस.एस.एन. 2457-0494

उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका

अगस्त, 2022 अंक - 8

प्रधान संपादक
कमला कान्त

संपादक
अविनाश शुक्ला

विधि साहित्य
प्रकाशन

[2022] 3 उम. नि. प.

विधि साहित्य प्रकाशन
विधायी विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार

Online selling of law Patrikas/Books is available on
Website ➡ https://bharatkosh.gov.in/product/product

विक्रय कार्यालय : सहायक प्रबंधक, कारबार अनुभाग, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, आई. एल. आई. बिल्डिंग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001. दूरभाष : 011-23385259, 23387589, फैक्स : 011-23387589, ई-मेल : am.vsp-molj@gov.in

संपादकीय

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका प्रतिमाह आपके अवलोकनार्थ उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित प्रतिवेद्य निर्णय, जो न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं, विधि छात्रों और अकादमीशियनों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, का प्रकाशन करता है । आप लोगों से प्राप्त सुझावों के आधार पर हमको अपनी पत्रिका की गुणवत्ता सुधारने और अपने कार्य को और अधिक निखारने की शक्ति प्राप्त होती है । कृपया अपने अमूल्य सुझावों से हमें अवगत कराते रहें और हमारा मार्गदर्शन करते रहें ।

इस अंक के माध्यम से आपके अवलोकनार्थ उच्चतम न्यायालय द्वारा **संजीत कुमार सिंह** उर्फ **मुन्ना कुमार सिंह** बनाम **छत्तीसगढ़ राज्य** [2022] 3 उम. नि. प. 287 वाले मामले में तारीख 30 अगस्त, 2022 को पारित निर्णय प्रस्तुत किया जा रहा है । इस मामले में अपीलार्थी और उसकी मित्र से कार में तीन थैलों में 47.37 किलोग्राम गांजा (स्वापक पदार्थ) ले जाते हुए पाया गया था । पुलिस ने सूचना के आधार पर कार की तलाशी ली और कानूनी कार्यवाही के पश्चात् इन लोगों के विरुद्ध 1985 के स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 20(ख) के अधीन दंडनीय अपराध के लिए मामला दर्ज किया और आरोप पत्र फाइल किया । विशेष न्यायालय द्वारा इन लोगों को दोषसिद्ध पाया गया और दस वर्ष के कठोर कारावास द्वारा दंडादिष्ट किया गया । विशेष न्यायालय ने दोषसिद्धि के प्रयोजनार्थ उप-पुलिस निरीक्षक के परिसाक्ष्य का अवलंब लिया, जिसने इत्तिलाकर्ता और अन्वेषण अधिकारी दोनों की भूमिका का निर्वाह किया था और जिसका परीक्षण अभि. सा. 7 के रूप में किया गया था । विशेष न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अभि. सा. 7 ने अधिनियम की धारा 43 और 49 में विहित प्रक्रिया का अनुसरण किया था और उसका परिसाक्ष्य विश्वसनीय था । यद्यपि अभि. सा. 7 ने दावा किया था कि उसने स्वतंत्र साक्षियों अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 की मौजूदगी में कार की तलाशी ली थी और स्वापक पदार्थ जब्त किया था, किंतु इन दोनों ही साक्षियों ने संपूर्ण मामले से अनभिज्ञ होने का दावा किया । अत: अभि. सा. 7 के परिसाक्ष्य की पुष्टि स्वतंत्र साक्षियों द्वारा नहीं

की गई । फिर भी विशेष न्यायालय ने अभि. सा. 7 के परिसाक्ष्य से संतुष्ट होते हुए अपीलार्थी को दोषी पाया किंतु उसकी मित्र को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया । राज्य ने अपीलार्थी की मित्र की दोषमुक्ति के विरुद्ध कोई अपील फाइल नहीं की । किंतु अपीलार्थी ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया । उच्च न्यायालय के आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की ।

उच्चतम न्यायालय ने अपील मंजूर करते हुए अभिनिर्धारित किया कि पुलिस अर्थात् अभि. सा. 7 ने मुखबिर की सूचना के आधार पर अभियुक्त और उसकी मित्र के कार से स्वापक पदार्थ बरामद किया था । यह बरामदगी स्वतंत्र साक्षियों की उपस्थिति में की गई थी, स्वतंत्र साक्षियों ने न केवल घटनास्थल पर अपनी मौजूदगी से इनकार किया बल्कि पुलिस पर यह आरोप लगाया कि उससे कोरे कागज पर हस्ताक्षर कराए गए । अतः, उपधारणा यह की जाएगी कि विशेष न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया जाना और उसकी मित्र को संदेह का लाभ देना दोषमुक्त किया जाना उचित नहीं था । उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यह सही है कि अधिनियम की धारा 54 के अधीन यह उपधारणा उद्भूत होती है और यह स्पष्ट करने का भार अभियुक्त पर स्थानांतरित हो जाता है कि स्वापक पदार्थ उसके कब्जे में कैसे आया, किंतु इस धारा के अधीन उपधारणा करने के पहले यह सिद्ध किया जाना चाहिए कि स्वापक पदार्थ की बरामदगी अभियुक्त से स्वतंत्र साक्षियों की उपस्थिति में की गई थी और यदि ऐसा नहीं किया गया, तो अपीलार्थी संदेह के लाभ का हकदार था ।

इस अंक में पशुओं में संक्रामक और सांसर्गिक रोगों का निवारण और नियंत्रण अधिनियम, 2009 को भी ज्ञानार्थ प्रकाशित किया जा रहा है । इस संपूर्ण अंक का परिशीलन करने के पश्चात् आपकी बहुमूल्य प्रतिक्रियाएं ईप्सित हैं ।

अविनाश शुक्ला
संपादक

उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका

अगस्त, 2022

निर्णय-सूची

	पृष्ठ संख्या
खेमा **उर्फ** खेम चंद्र आदि **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य	217
जयप्रकाश तिवारी **बनाम** मध्य प्रदेश राज्य	195
दिबाकर नुनिया और एक अन्य **बनाम** असम राज्य	271
प्रह्लाद **बनाम** मध्य प्रदेश राज्य और एक अन्य	170
भारत संघ और अन्य **बनाम** महेन्द्र सिंह	155
मखन सिंह **बनाम** हरियाणा राज्य	256
राम निवास **बनाम** हरियाणा राज्य	237
संजीत कुमार सिंह **उर्फ** मुन्ना कुमार सिंह **बनाम** छत्तीसगढ़ राज्य	287

संसद् के अधिनियम

पशुओं में संक्रामक और सांसर्गिक रोगों का निवारण और नियंत्रण अधिनियम, 2009 का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ	1 – 31

विषय-सूची

पृष्ठ संख्या

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45)

– धारा 302 और 34 – हत्या – अभियुक्त-अपीलार्थियों द्वारा अभिकथित रूप से मृतक पर घातक आयुध से हमला करके उसकी हत्या कारित किया जाना – मृतक के माता-पिता द्वारा अभिकथित रूप से घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी होने का दावा किया जाना – विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को दोषसिद्ध किया जाना – उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किया जाना – अपील – जहां मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से यह दर्शित होता है कि मृतक के माता-पिता ने अपने पुत्र (मृतक) पर अभिकथित रूप से अभियुक्तों को हमला करते हुए देखा और मृतक का पिता मृतक के शरीर से बहते हुए रक्त को देखकर बेहोश हो गया और फिर दोनों प्रत्यक्षदर्शी साक्षी अपने घर चले गए और भोजन करके सो गए और किसी को घटना के बारे में सूचित नहीं किया तथा घटना की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट अगले दिन मृतक के भाई द्वारा दर्ज की गई, वहां प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों द्वारा अपने पुत्र पर हमला होते हुए देखने के पश्चात् घर चले जाने और भोजन करके सो जाने तथा अपने क्षतिग्रस्त पुत्र के कुशल-क्षेम की कोई परवाह न किए जाने के अस्वाभाविक आचरण से उनके परिसाक्ष्य पर संदेह उत्पन्न होने के कारण इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है और अभियोजन पक्ष द्वारा मामले को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित नहीं करने के कारण अभियुक्तों को संदेह का फायदा देते हुए दोषमुक्त करना उचित होगा ।

दिबाकर नुनिया और एक अन्य बनाम **असम राज्य** 271

पृष्ठ संख्या

– धारा 302, 120ख और 34 [सपठित आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 25 और 27] – हत्या – राजनैतिक दुश्मनी के कारण गोली मारकर मृतक की हत्या करने के लिए अभियुक्त-अपीलार्थियों को आरोपित किया जाना – विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को दोषमुक्त किया जाना – अपील में उच्च न्यायालय द्वारा तीन अभियुक्तों में से दो अभियुक्तों-अपीलार्थियों को दोषसिद्ध किया जाना – दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील – अभियोजन पक्ष द्वारा घटना के संबंध में तीन अलग-अलग वृत्तांत प्रस्तुत किए जाने, मामला असंगतियों से भरा होने, साक्षियों के कथन परस्पर विरोधाभासी पाए जाने, अन्वेषण पूर्णतया अनियमित रीति में किया गया पाए जाने और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और कट्टे की अभिकथित बरामदगी संदेहास्पद पाए जाने तथा उच्च न्यायालय द्वारा जिस साक्षी के साक्ष्य का अवलंब लेकर अभियुक्तों की दोषसिद्धि की गई, उसका साक्ष्य उत्तम गुणवत्ता का न पाए जाने के कारण अभियुक्तों को दोषमुक्त करना उचित होगा ।

प्रह्लाद बनाम **मध्य प्रदेश राज्य और एक अन्य** 170

– धारा 302 और 201 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27] – हत्या और साक्ष्य को छिपाया जाना – पारिस्थितिक साक्ष्य – अभियुक्त द्वारा मृतक के साथ कहा-सुनी होने के पश्चात् अभिकथित रूप से उसकी हत्या किया जाना – दोषसिद्धि – संधार्यता – जहां मृतक का शव जली हुई हालत में धान के भूसे में पाया गया हो, अभियुक्त द्वारा पुलिस थाने के लॉक-अप में किए गए प्रकटन कथन के आधार पर अभिकथित रूप

पृष्ठ संख्या

से शव की राख और प्लास्टिक की केन की बरामदगी की गई हो, स्वतंत्र साक्षी मौजूद होने के बावजूद पुलिस द्वारा उक्त बरामदगी ज्ञापन के पंच के रूप में किसी व्यक्ति को न बुलाया गया हो, मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट में मानववध मृत्यु की बात सिद्ध न हुई हो और शव के चेहरे को शनाख्त योग्य न पाया गया हो, शिकायतकर्ता द्वारा पुलिस थाना निकट होने के बावजूद तुरंत शिकायत दर्ज न की गई हो और अभियोजन पक्ष द्वारा उसके पक्षकथन पर विश्वास किए जाने के लिए आस-पास निवास करने वाले किसी स्वतंत्र साक्षी की परीक्षा न कराई गई हो, वहां अभियोजन पक्ष द्वारा घटनाओं की श्रृंखला को सिद्ध करने में असफल रहने पर यह नहीं कहा जा सकता है कि अनन्य रूप से केवल और केवल अभियुक्त की दोषिता का निष्कर्ष निकलता है अत: अभियुक्त को संदेह का फायदा देते हुए दोषमुक्त करना उचित होगा ।

राम निवास बनाम **हरियाणा राज्य** 237

– धारा 302, 307 और 149 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27] – विधिविरुद्ध जमाव करके हत्या और हत्या का प्रयत्न – अभियुक्तों द्वारा अभिकथित रूप से मृतक और उसके परिवार के सदस्यों पर आयुधों से हमला किया जाना – मृतक की मृत्यु हो जाना और उसका भाई क्षतिग्रस्त हो जाना – दोषसिद्धि – नातेदार और क्षतिग्रस्त प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का साक्ष्य – विश्वसनीयता – जहां मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह दर्शित होता हो कि घटना में क्षतिग्रस्त साक्षी के परिसाक्ष्य

पृष्ठ संख्या

में उसे क्षतियां पहुंचने के समय के बारे में और चिकित्सीय परीक्षण के संबंध में गंभीर विरोधाभास और असंगतियां हों, डाक्टर द्वारा भी अपनी प्रतिपरीक्षा में कई बार अपनी स्थिति को परिवर्तित किया गया हो, अपराध में प्रयुक्त आयुधों के अभिग्रहण का कोई स्वतंत्र साक्षी न हो और उनकी अभिकथित बरामदगियां संदेहास्पद हो, क्षतिग्रस्त साक्षी द्वारा घटना को अन्य स्थानीय लोगों द्वारा देखे जाने का कथन किया गया हो किंतु ऐसे किसी साक्षी की परीक्षा न की गई हो और इत्तिलाकर्ता की परीक्षा तक न की गई हो, वहां अभियोजन पक्ष द्वारा घटना की सही उत्पत्ति को अभिलेख पर न लाने की संभाव्यता से इनकार नहीं किया जा सकता और क्षतिग्रस्त साक्षी के एकमात्र परिसाक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता और अभियुक्तों को संदेह का फायदा देते हुए दोषमुक्त करना उचित होगा ।

खेमा उर्फ **खेम चंद्र आदि** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** 217

– धारा 304ख [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 32] – दहेज मृत्यु – दोषसिद्धि – मृतका द्वारा अपनी मृत्यु से पूर्व दो अलग-अलग मजिस्ट्रेटों के समक्ष दो अलग-अलग मृत्युकालिक कथन किया जाना – प्रथम कथन में अभियुक्त-अपीलार्थी सहित उसके माता-पिता को निर्दोष बताया जाना और दूसरे कथन में उन्हें अपराध में आलिप्त किया जाना – अभियुक्त-पति को दोषसिद्ध किया जाना और उसके माता-पिता को संदेह का फायदा देते हुए दोषमुक्त किया जाना – दो अलग-अलग मृत्युकालिक कथनों की विश्वसनीयता –

पृष्ठ संख्या

जहां मजिस्ट्रेट द्वारा मृतका का प्रथम मृत्युकालिक कथन करने से पूर्व सम्यक् रूप से उसके ठीक मानसिक हालत में होने और स्वेच्छा से कथन करने के लिए अपना समाधान किया गया और डाक्टर द्वारा भी उसके ठीक मानसिक हालत होने का पृष्ठांकन किया गया तथा उस कथन में मृतका द्वारा अभियुक्तों को निर्दोष बताया गया किंतु घटना के तीन दिन पश्चात् अन्य मजिस्ट्रेट द्वारा उसका कथन अभिलिखित करने से पूर्व चिकित्सा अधिकारी से उसके ठीक मानसिक हालत में होने का प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किए बिना उसका दूसरा मृत्युकालिक कथन उस समय अभिलिखित किया जब मृतका का पिता और बहिन भी उस दिन अस्पताल में मौजूद थे और मृतका द्वारा इस कथन में अभियुक्तों को अपराध में आलिप्त किया गया, इसलिए दूसरे कथन को सिखाने-पढ़ाने के पश्चात् किए जाने की संभाव्यता से इनकार नहीं किया जा सकता और इसलिए अभियुक्त को संदेह के फायदा का हकदार होने के कारण दोषमुक्त करना उचित होगा ।

मखन सिंह बनाम **हरियाणा राज्य** 256

– धारा 307 [सपठित आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 25 और 27 तथा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313] – हत्या का प्रयत्न – अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा शिकायतकर्ता को उसके मकान के बाहर बुलाया जाना और उस पर बंदूक से गोली चलाकर मोटरसाइकिल पर भाग जाना – शिकायतकर्ता द्वारा तुरंत अपने मकान के अंदर चले जाने से क्षति कारित न होना – अभियुक्त को दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया जाना

पृष्ठ संख्या

– सबूत – शिकायतकर्ता द्वारा किए गए कथनों की संपुष्टि करने के लिए कोई स्वतंत्र साक्ष्य न होने, अभियुक्त से अभिकथित रूप से बरामद वस्तुओं का अभिकथित घटना से कोई संबंध साबित न होने, अभियुक्त द्वारा अपनी प्रतिरक्षा में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन प्रस्तुत किए गए वृत्तांत पर अभियोजन पक्ष द्वारा समाधानप्रद उत्तर न दिए जाने, अभियोजन का पक्षकथन अटकलबाजी और अनुमान पर आधारित होने के कारण अभियुक्त के विरुद्ध मामला युक्तियुक्त संदेह के परे साबित न होने पर उसको दोषमुक्त करना न्यायोचित होगा ।

जयप्रकाश तिवारी बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** 195

स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61)

– धारा 20(ख)(ii)(ग) और धारा 54 – पुलिस द्वारा मुखबिर सूचना के आधार पर अभियुक्त और सह-अभियुक्त की कार से अभिकथित रूप से विनिषिद्ध पदार्थ 'गांजा' बरामद किया जाना – पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी और अभिग्रहण की कार्यवाहियां स्वतंत्र साक्षियों की मौजूदगी में किए जाने का दावा किया जाना – स्वतंत्र साक्षियों द्वारा न केवल घटनास्थल पर अपनी मौजूदगी की बात से इनकार किया जाना अपितु कोरे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर पुलिस थाने में कराए जाने के बारे में भी स्पष्टीकरण दिया जाना – उपधारणा – विशेष न्यायालय द्वारा अन्वेषण अधिकारी के परिसाक्ष्य के आधार पर अभियुक्त-अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया जाना और सह-अभियुक्त को संदेह का फायदा देते हुए

पृष्ठ संख्या

दोषमुक्त किया जाना – उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि की पुष्टि किया जाना – अपील – यह सही है कि अधिनियम की धारा 54 के अधीन एक उपधारणा उद्भूत होती है और यह स्पष्ट करने का भार अभियुक्त पर स्थानांतरित हो जाता है कि विनिषद्ध पदार्थ कैसे उसके कब्जे में आया किंतु इस धारा के अधीन उपधारणा करने के लिए पहले यह सिद्ध किया जाना चाहिए कि विनिषिद्ध पदार्थ की बरामदगी अभियुक्त से की गई थी और जहां तलाशी और अभिग्रहण के सबसे महत्वपूर्ण पहलू के बारे में संदेह उत्पन्न होता हो और स्वतंत्र साक्षियों द्वारा अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन न किया गया हो, वहां अभियुक्त को संदेह का फायदा देते हुए दोषमुक्त करना उचित होगा ।

संजीत कुमार सिंह उर्फ **मुन्ना कुमार सिंह** बनाम **छत्तीसगढ़ राज्य** 287

सेवा-विधि

– रेलवे सुरक्षा बल में कांस्टेबलों के रिक्त पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी किया जाना – विज्ञापन में आवेदन पत्रों को अंग्रेजी या हिंदी भाषा में भरने और उसी भाषा में एक पैराग्राफ लिखने की शर्त अधिरोपित किया जाना – प्रत्यर्थी द्वारा अपना आवेदन पत्र अंग्रेजी भाषा में भरा जाना और पैराग्राफ भी अंग्रेजी में लिखा जाना – परीक्षा में ओएमआर पत्रक पर पैराग्राफ हिंदी में लिखा जाना और हस्ताक्षर भी हिंदी में किया जाना – प्रत्यर्थी की अभ्यर्थिता को रद्द किया जाना – प्रत्यर्थी द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका फाइल किया जाना – उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी की – अभ्यर्थिता

पृष्ठ संख्या

पर पुनर्विचार और इसे स्वीकार किए जाने का निदेश दिया जाना – अपीलार्थियों द्वारा उसकी अभ्यर्थिता को नामंजूर किया जाना – प्रत्यर्थी द्वारा पुन: उच्च न्यायालय में रिट याचिका फाइल किया जाना – रिट याचिका को मंजूर करते हुए सक्षम प्राधिकारी के विनिश्चय को अभिखंडित किया जाना और अपीलार्थियों द्वारा फाइल की अपील को खारिज किया जाना – उच्चतम न्यायालय में अपील – जहां आवेदन पत्र भरने के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया विहित की गई है, तो आवेदन पत्र केवल उसी प्रक्रिया का पालन करते हुए भरा जाना चाहिए और आवेदन पत्र तथा उत्तर पुस्तिका में एक ही भाषा का प्रयोग करने का प्रयोजन यह है कि अभ्यर्थी की शनाख्त के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होने पर दोनों दस्तावेजों से उसके हस्तलेख का मिलान किया जा सके और चूंकि अभ्यर्थी-प्रत्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र भरने और उत्तर पुस्तिका में उत्तर हल करने के लिए भिन्न भाषा का प्रयोग किया गया, इससे विज्ञापन में स्पष्ट रूप से वर्णित अनुदेशों का अतिक्रमण होने के कारण विभाग द्वारा उसकी अभ्यर्थिता को नामंजूर करना उचित कहा जा सकता है ।

भारत संघ और अन्य बनाम **महेन्द्र सिंह** 155

[2022] 3 उम. नि. प. 155

भारत संघ और अन्य

बनाम

महेन्द्र सिंह

[2022 की सिविल अपील सं. 4807]

25 जुलाई, 2022

न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ

सेवा-विधि – रेलवे सुरक्षा बल में कांस्टेबलों के रिक्त पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी किया जाना – विज्ञापन में आवेदन पत्रों को अंग्रेजी या हिंदी भाषा में भरने और उसी भाषा में एक पैराग्राफ लिखने की शर्त अधिरोपित किया जाना – प्रत्यर्थी द्वारा अपना आवेदन पत्र अंग्रेजी भाषा में भरा जाना और पैराग्राफ भी अंग्रेजी में लिखा जाना – परीक्षा में ओएमआर पत्रक पर पैराग्राफ हिंदी में लिखा जाना और हस्ताक्षर भी हिंदी में किया जाना – प्रत्यर्थी की अभ्यर्थिता को रद्द किया जाना – प्रत्यर्थी द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका फाइल किया जाना – उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी की अभ्यर्थिता पर पुनर्विचार और इसे स्वीकार किए जाने का निदेश दिया जाना – अपीलार्थियों द्वारा उसकी अभ्यर्थिता को नामंजूर किया जाना – प्रत्यर्थी द्वारा पुन: उच्च न्यायालय में रिट याचिका फाइल किया जाना – रिट याचिका को मंजूर करते हुए सक्षम प्राधिकारी के विनिश्चय को अभिखंडित किया जाना और अपीलार्थियों द्वारा फाइल की अपील को खारिज किया जाना – उच्चतम न्यायालय में अपील – जहां आवेदन पत्र भरने के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया विहित की गई है, तो आवेदन पत्र केवल उसी प्रक्रिया का पालन करते हुए भरा जाना चाहिए और आवेदन पत्र तथा उत्तर पुस्तिका में एक ही भाषा का प्रयोग करने का

प्रयोजन यह है कि अभ्यर्थी की शनाख्त के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होने पर दोनों दस्तावेजों से उसके हस्तलेख का मिलान किया जा सके और चूंकि अभ्यर्थी-प्रत्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र भरने और उत्तर पुस्तिका में उत्तर हल करने के लिए भिन्न भाषा का प्रयोग किया गया, इससे विज्ञापन में स्पष्ट रूप से वर्णित अनुदेशों का अतिक्रमण होने के कारण विभाग द्वारा उसकी अभ्यर्थिता को नामंजूर करना उचित कहा जा सकता है ।

इस अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि रेलवे सुरक्षा बल में कांस्टेबलों के 11952 पदों को भरने के लिए रोजगार सूचना प्रकाशित की गई थी । इस विज्ञापन के पैरा 8 के खंड ख में कहा गया था कि अभ्यर्थी को एक आवेदन पत्र भरना होगा जिसको वह अपने हस्तलेख में हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा में भरेगा । आवेदन पत्रों के साथ शैक्षिक अर्हता और आयु के सबूत के लिए स्व-अनुप्रमाणित मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र संलग्न करना आवश्यक था । रिट याची अन्य पिछड़े वर्ग श्रेणी से संबंधित है और उसने अपना आवेदन पत्र अंग्रेजी में भरा है । उसके हस्ताक्षर अंग्रेजी में हैं, जिसमें दो अक्षर "एम" और "एस" हैं । इस आवेदन पत्र के साथ उच्च विद्यालय परीक्षा की स्व-अनुप्रमाणित अंक तालिका और अन्य प्रमाणपत्र संलग्न हैं । रिट याची लिखित परीक्षा में सम्मिलित हुआ, जिसमें उसने ओएमआर पत्रक पर हिंदी में एक पैराग्राफ लिखा, यद्यपि आवेदन पत्र में उसने इसे अंग्रेजी में लिखा था । इसके पश्चात् उसने हिंदी में हस्ताक्षर किए । इसके बाद, जब रिट याची शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित हुआ, तो उसने फिर से "एम एस" लिखकर हस्ताक्षर किए । अपीलार्थियों ने दस्तावेजों के राजकीय परीक्षक की राय अभिप्राप्त की । विशेषज्ञ की राय यह थी कि ओएमआर पत्रक और प्रमाणपत्रों की छाया प्रतियों पर एक ही व्यक्ति के हस्ताक्षर हैं । यह भी राय व्यक्त की गई कि ओएमआर पत्रक में हिंदी में और आवेदन पत्र में अंग्रेजी में लिखे गए पैराग्राफ के संबंध में कोई राय व्यक्त करना संभव नहीं है । चूंकि रिट याची को नियुक्त नहीं किया गया था, यद्यपि उसने अन्य पिछड़े वर्ग श्रेणी में 58.5 अंकों के कट-ऑफ के मुकाबले 73.32 अंक अभिप्राप्त किए थे, उसने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका

फाइल की । उच्च न्यायालय द्वारा एक आदेश पारित किया गया, जिसमें परीक्षा के विभिन्न प्रक्रमों पर ली गई अंगूठे की छाप और अंगुली की छाप सहित संपूर्ण विवाद्यक पर पुनर्विचार करने के लिए मामले को अपीलार्थियों को विप्रेषित किया गया । रिट याची को नए सिरे से आवेदन करने का अवसर दिया जाए, जिस पर मुख्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा सुनवाई की जाएगी । रिट याची की अभ्यर्थिता को सक्षम प्राधिकारी द्वारा नामंजूर कर दिया गया । रिट याची ने पुन: सक्षम प्राधिकारी के विनिश्चय को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका फाइल की । उक्त विनिश्चय को उच्च न्यायालय की विद्वान् एकल न्यायपीठ द्वारा अपास्त कर दिया गया । अपीलार्थियों द्वारा फाइल की गई अपील को उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा खारिज कर दिया गया और उक्त आदेश की पुष्टि की गई । उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर भारत संघ द्वारा उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की गई । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – यह शर्त कि आवेदन पत्र में प्रयुक्त भाषा ओएमआर परीक्षा के प्रयोजनार्थ प्रयुक्त की जाएगी, इसका कारण यह है कि यदि अभ्यर्थी की पहचान के संबंध में कोई विवाद उद्भूत होता है, तो उसे दोनों हस्तलेखों से सत्यापित किया जा सके । इसके अतिरिक्त, प्रश्न पत्रों को हिंदी और अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं में भी सेट किया जाना आवश्यक है । विभिन्न भाषाओं में आवेदनों को गोरखपुर, कोलकाता, भुवनेश्वर और चेन्नई में विभिन्न नोडल अधिकारियों को भेजा जाना था । इसके अतिरिक्त, ओएमआर पत्रक दो भाषाओं हिंदी और अंग्रेजी में है, किंतु यदि किसी अभ्यर्थी ने अंग्रेजी या हिंदी की बजाय किसी अन्य भाषा को चुना है तो ओएमआर पत्रक अन्य भाषा में हो सकता है । उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा आवेदन पत्र भरने और परीक्षा के बीच समय का अंतराल होने और इसलिए रिट याची द्वारा ओएमआर पत्रक को अनवधानता से हिंदी में भरने के संबंध में दिया गया एकमात्र तर्काधार अनुमान और अटकलबाजी पर आधारित है । जब एक बार रिट याची ने आवेदन पत्र अंग्रेजी में भरा है और हस्ताक्षर भी अंग्रेजी में किए हैं, तो इसे अनवधानता से की गई गलती नहीं कहा जा सकता है जबकि

उसने पैराग्राफ हिंदी में लिखा है । भिन्न भाषा में किए गए ऐसे लेखन से विज्ञापन में स्पष्ट रूप से वर्णित अनुदेश का अतिक्रमण होता है । श्री भूषण का यह तर्क कि भिन्न भाषा का प्रयोग करने से कोई फर्क नहीं पड़ा है और इसलिए इसे आज्ञापक नहीं कहा जा सकता है, मान्य नहीं है । भाषा का चयन यह सुनिश्चित करने के लिए सुसंगत है कि जिस अभ्यर्थी ने आवेदन पत्र भरा है, केवल वही लिखित परीक्षा में सम्मिलित हो जिससे सत्यनिष्ठा बनी रहे । उत्तर पुस्तिकाएं आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा चुनी गई भाषा में होनी चाहिएं । यह भली-भांति स्थिर है कि आवेदन पत्र भरने के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया विहित की गई है, तो आवेदन पत्र केवल उस प्रक्रिया का पालन करते हुए भरा जाना चाहिए । चूंकि विज्ञापन में आवेदन पत्र भरने और उत्तर पुस्तिकाओं में उत्तर लिखने की रीति अनुध्यात की गई थी, इसलिए इसे इस प्रकार विहित रीति में किया जाना चाहिए था । अत: उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा दिया गया यह तर्काधार कि हो सकता है समय बीतने के कारण रिट याची ने उत्तर पुस्तिका को भिन्न भाषा में हल करने का प्रयास किया होगा, न्यायसंगत नहीं है क्योंकि भिन्न भाषा का प्रयोग करना ही रिट याची को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग करने से वंचित कर देता है । चूंकि रिट याची ने आवेदन पत्र और ओएमआर उत्तर पुस्तिका को भरने के लिए अलग-अलग भाषा का प्रयोग किया है इसलिए अपीलार्थियों द्वारा उसकी अभ्यर्थिता को ठीक ही नामंजूर किया गया था । (पैरा 12, 13, 14, 17 और 18)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2021]	(2021) 6 एस. सी. सी. 707 : **ओपीटीओ सर्किट इंडिया लि.** बनाम **एक्सिस बैंक और अन्य** ;	17
[2020]	(2020) 13 एस. सी. सी. 234 : **बृहत मुंबई नगर निगम (एमसीजीएम)** बनाम **अभिलास लाल और अन्य** ;	17

[2020] (2020) 19 एस. सी. सी. 430 :
तमिलनाडु राज्य और अन्य बनाम
जी. हेमलता और अन्य ; 10, 11

[2016] 2016 एस. सी. सी. ऑन लाइन
दिल्ली 6553 :
अजय कुमार मिश्रा बनाम **भारत संघ**
और अन्य ; 10, 11

[2016] (2016) 4 एस. सी. सी. 754 :
राम कुमार गिजरोया बनाम **दिल्ली अधीनस्थ**
सेवा चयन बोर्ड और अन्य ; 10, 11

[2016] (2016) 8 एस. सी. सी. 471 :
अवतार सिंह बनाम **भारत संघ और अन्य** ; 10, 11

[2015] (2015) 13 एस. सी. सी. 722 :
चेरुकुरी मणि बनाम **मुख्य सचिव,**
आंध्र प्रदेश सरकार और अन्य ; 16

[1999] (1999) 8 एस. सी. सी. 266 :
चंद्र किशोर झा बनाम **महावीर प्रसाद**
और अन्य ; 15

[1936] 1936 एस. सी. सी. ऑन लाइन पीसी 41 :
नज़ीर अहमद बनाम **किंग एम्परर** । 14

अपीली (सिविल) अधिकारिता : 2022 की सिविल अपील सं. 4807.

2019 की विशेष अपील सं. 303 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के तारीख 4 अप्रैल, 2019 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थियों की ओर से सुश्री माधवी दिवान, अपर महा सालिसिटर, श्री अमरीश कुमार, सुश्री प्रियंका दास, निधि खन्ना, विमला सिन्हा, मानसी कुमारी और श्री राज बहादुर यादव

प्रत्यर्थी की ओर से सर्वश्री प्रशांत भूषण, और राहुल गुप्ता

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने दिया ।

न्या. गुप्ता– वर्तमान अपील में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा पारित किए गए उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा अपीलार्थियों द्वारा फाइल की गई अपील को खारिज कर दिया गया था । वह अपील उच्च न्यायालय की विद्वान् एकल न्यायपीठ द्वारा पारित किए गए उस आदेश के विरुद्ध की गई थी, जिसमें अपीलार्थियों द्वारा तारीख 27 जनवरी, 2017 को पारित किए गए आदेश को रद्द कर दिया गया था और परिणामस्वरूप अपीलार्थियों द्वारा प्रत्यर्थी की अभ्यर्थिता पर विचार और इसे स्वीकार किया जाना था ।

2. रेलवे सुरक्षा बल में कांस्टेबलों के 11952 पदों को भरने के लिए रोजगार सूचना सं. 1/2011 प्रकाशित की गई थी । इस चयन की प्रक्रिया में 120 बहु-विकल्पीय प्रश्नों वाली परीक्षा सम्मिलित थी, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक और कुल समयावधि 90 मिनट निर्धारित की गई थी । अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा जैसी अन्य परीक्षा के लिए विचार किए जाने हेतु कम से कम 35 प्रतिशत अंक (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 30 प्रतिशत अंक) अभिप्राप्त करने थे । इस विज्ञापन के पैरा 8 के खंड ख में कहा गया था कि अभ्यर्थी को एक आवेदन पत्र भरना होगा जिसको वह अपने हस्तलेख में हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा में भरेगा । आवेदन पत्रों के साथ शैक्षिक अर्हता और आयु के सबूत के लिए स्व-अनुप्रमाणित मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र संलग्न करना आवश्यक था । सुसंगत शर्तें इस प्रकार हैं :–

"8. * * *

ख. आवेदन (प्रपत्र – क) : आवेदन पत्र का प्रारूप उपाबंध 'क' में दिया गया है । आवेदन पत्र भारतीय रेल की शासकीय वेबसाइट (www.indianrailways.gov.in) से डाउनलोड किए जा सकते हैं या रोजगार समाचार या इस विज्ञापन से लिए जा सकते हैं और ए-4 आकार के बांड पेपर पर केवल एक तरफ का उपयोग करके प्रस्तुत किए जाएं और प्रश्न पत्र के लिए चुनी गई भाषा के अनुरूप नोडल

मुख्य सुरक्षा आयुक्त को भेजे जाएं । केवल एक आवेदन पत्र भेजने की आवश्यकता है । नोडल मुख्य सुरक्षा आयुक्तों के पते, उस व्यक्ति का विवरण जिसके पक्ष में ड्राफ्ट/भारतीय डाक आदेश तैयार किया जाएगा और वह स्थान जहां देय होगा, नीचे दिया गया है । आवेदकों की सुविधा के लिए प्रत्येक नोडल मुख्य सुरक्षा आयुक्त के सामने प्रश्न पत्र की भाषा भी दर्शायी गई है ।

समूह सं.	नोडल मुख्य सुरक्षा आयुक्त का पता	के पक्ष में बनाया गया ड्राफ्ट/भा.डा. आ.	स्थान, जहां संदेय है	प्रश्न पत्र की भाषा
1.	मुख्य सुरक्षा आयुक्त, उत्तर-पूर्वी रेलवे, पोस्ट बॉक्स सं. 2, प्रधान डाकघर कार्यालय, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश	वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखाधिकारी उत्तर-पूर्वी रेलवे	गोरखपुर, उत्तर प्रदेश	हिंदी, उर्दू, पंजाबी, गुजराती

* * *

(ङ) आवेदन अभ्यर्थियों द्वारा अपने स्वयं के हस्तलेख में केवल हिंदी या अंग्रेजी में भरा जाना चाहिए । पुरुष आवेदकों के मामले में बांए हाथ के अंगूठे की छाप और महिला आवेदकों के मामले में दांए हाथ के अंगूठे की छाप आवेदन के नीचे दिए गए बॉक्स में लगाई जाएगी । बड़े अक्षरों/स्पेस-आउट अक्षरों में हस्ताक्षरित आवेदनों को अविधिमान्य माना जाएगा । संशोधित अथवा लिप्तलेखन अथवा अंगूठे की धुंधली छाप वाले आवेदन पत्रों को नामंजूर किया जा सकता है ।

* * *

9(ङ) भर्ती प्रक्रिया के किसी भी प्रक्रम पर यदि किसी प्रकार

के प्रतिरूपण का पता चलता है, तो आवेदक और प्रतिरूपण करने वाले के विरुद्ध आपराधिक मामले आरंभ किए जा सकते हैं और साथ ही उसकी अभ्यर्थिता को रद्द किया जा सकता है ।"

3. रिट याची अन्य पिछड़े वर्ग श्रेणी से संबंधित है और उसने तारीख 5 मार्च, 2011 के भारतीय डाक आदेश के साथ अपना आवेदन पत्र अंग्रेजी में भरा है । उसके हस्ताक्षर अंग्रेजी में हैं, जिसमें दो अक्षर "एम" और "एस" हैं । इस आवेदन पत्र के साथ उच्च विद्यालय परीक्षा की स्व-अनुप्रमाणित अंक तालिका और अन्य प्रमाणपत्र संलग्न हैं । ऐसे सभी दस्तावेज स्व-अनुप्रमाणित और हिंदी में हस्ताक्षरित हैं ।

4. रिट याची तारीख 23 जून, 2013 को लिखित परीक्षा में सम्मिलित हुआ, जिसमें उसने ओएमआर पत्रक पर हिंदी में एक पैराग्राफ लिखा, यद्यपि आवेदन पत्र में उसने इसे अंग्रेजी में लिखा था । इसके पश्चात् उसने हिंदी में हस्ताक्षर किए । इसके बाद, जब रिट याची तारीख 7 मार्च, 2014 को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित हुआ, तो उसने फिर से "एम एस" लिखकर हस्ताक्षर किए ।

5. अपीलार्थियों ने तारीख 2 सितंबर, 2014 को क्यूगत दस्तावेजों के राजकीय परीक्षक की राय अभिप्राप्त की । विशेषज्ञ की राय यह थी कि ओएमआर पत्रक और प्रमाणपत्रों की छाया प्रतियों पर एक ही व्यक्ति के हस्ताक्षर हैं । यह भी राय व्यक्त की गई कि ओएमआर पत्रक में हिंदी में और आवेदन पत्र में अंग्रेजी में लिखे गए पैराग्राफ के संबंध में कोई राय व्यक्त करना संभव नहीं है ।

6. चूंकि रिट याची को नियुक्त नहीं किया गया था, यद्यपि उसने अन्य पिछड़े वर्ग श्रेणी में 58.5 अंकों के कट-ऑफ के मुकाबले 73.32 अंक अभिप्राप्त किए थे, उसने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका फाइल की । उच्च न्यायालय द्वारा तारीख 19 अक्तूबर, 2016 को एक आदेश पारित किया गया, जिसमें परीक्षा के विभिन्न प्रक्रमों पर ली गई अंगूठे की छाप और अंगुली की छाप सहित संपूर्ण विवाद्यक पर पुनर्विचार करने के लिए मामले को अपीलार्थियों को विप्रेषित किया गया । रिट याची को नए सिरे से आवेदन करने का

अवसर दिया जाए, जिस पर मुख्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा सुनवाई की जाएगी । रिट याची की अभ्यर्थिता को तारीख 27 जनवरी, 2017 को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित आधारों पर नामंजूर कर दिया गया :–

"माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, याची से संबंधित समस्त प्रमाणपत्रों का स्कैन किया गया और इसे याची को भी दिखाया गया । प्रश्नगत दस्तावेजों के राजकीय परीक्षक द्वारा निम्नलिखित दस्तावेजों पर याची के अभिलेख पर हस्ताक्षर और हस्तलेख की जांच की गई है :–

1.	क्यू-1 और क्यू-1/1	=	ओएमआर पर किए गए हस्ताक्षर और हस्तलेख
2.	क्यू-2	=	शारीरिक दक्षता परीक्षण प्रोफार्मा पर किए गए हस्ताक्षर
3.	क्यू-3 और क्यू-3/1	=	आवेदन पत्र पर किए गए हस्ताक्षर और हस्तलेख
4.	एस-1 से एस-7	=	मौखिक परीक्षा के दौरान किए गए हस्ताक्षर

विशेषज्ञ की राय के अनुसार क्यू-1 और एस-1 से एस-7 के रूप में चिह्नित दस्तावेजों पर किए गए हस्ताक्षर/हस्तलेख एक-जैसे हैं, क्यू-2 और क्यू-3 के रूप में चिह्नित दस्तावेजों पर किए गए हस्ताक्षर/हस्तलेख क्यू-1 और एस-1 से एस-7 के रूप में चिह्नित दस्तावेजों पर किए गए हस्ताक्षर और हस्तलेख से भिन्न हैं । जहां तक क्यू-1/1 और क्यू-3/1 के रूप में चिह्नित अभिलेख पर किए गए हस्ताक्षर/हस्तलेख का संबंध है, इन दस्तावेजों पर किए गए हस्ताक्षर/हस्तलेख की गहन जांच की गई और अभिलेखों पर किए गए हस्ताक्षर/हस्तलेख के साथ उपरोक्त चिह्न की तुलना करने पर यह पाया गया कि याची ने अपने आवेदन को अंग्रेजी में भरा है

और ओएमआर पत्रक पर उसने अपना लेखन करने के लिए हिंदी संस्करण का उपयोग किया है, जो ओएमआर पत्रक के पैरा 3 में दिए गए अनुदेशों के अतिक्रमण में है । ओएमआर पत्रक के पैरा 3 में यह अनुदेश दिया गया था कि ओएमआर पत्रक पर अपने लेख में लिखने के लिए उसी भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए जो भाषा आवेदन पत्र में भरने के लिए अपनाई गई थी । स्वयं याची की गलती के कारण याची के लेखन का मिलान विफल हो गया था चूंकि उसने दो भाषाओं का प्रयोग किया था । इसी प्रकार, हस्ताक्षरों का मिलान भी विफल हो गया था, चूंकि याची ने आवेदन पत्र पर अपने हस्ताक्षर अंग्रेजी में किए थे जबकि ओएमआर पत्रक पर हिंदी में हस्ताक्षर किए थे, जो याची की गलती है । यह अंतर दिखाकर याची को स्पष्ट किया गया था । इस प्रकार, याची विशेषज्ञ की राय से असहमत होने के लिए कोई ठोस आधार पेश नहीं कर सका ।"

7. रिट याची ने पुन: सक्षम प्राधिकारी के विनिश्चय को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका फाइल की । उक्त विनिश्चय को उच्च न्यायालय की विद्वान् एकल न्यायपीठ द्वारा तारीख 20 फरवरी, 2019 को अपास्त कर दिया गया । उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा वर्तमान अपील में आक्षेपित आदेश द्वारा उक्त आदेश की पुष्टि की गई ।

8. आवेदन पत्र में एक पैराग्राफ लिखने की आवश्यकता इसलिए थी कि अभ्यर्थी की पहचान से संबंधित कोई ऐसा विवाद उत्पन्न होने की दशा में कि क्या वही व्यक्ति लिखित परीक्षा में सम्मिलित हुआ है जिसने आवेदन पत्र को भरा था, उस स्थिति में अभ्यर्थी के हस्तलेख की तुलना की जा सके । उच्च न्यायालय ने मूल रूप से इस तथ्य का अवलंब लिया कि हस्तलेख विशेषज्ञ की राय से प्रतिरूपण के आरोप का कोई सबूत नहीं है । तथापि, यह अभिनिर्धारित किया गया कि आवेदन पत्र वर्ष 2011 में भरा गया था जबकि परीक्षा वर्ष 2013 में हुई थी, इसलिए रिट याची ने आवेदन पत्र भरने और परीक्षा के बीच समय के अंतराल के कारण ओएमआर पत्रक का कालम सं. 3 अनवधानता से

हिंदी में भर दिया था ।

9. यहां जिस प्रश्न की जांच की जानी है, वह विज्ञापन में दी गई इस शर्त के अतिक्रमण के प्रभाव से संबंधित है कि आवेदन उस भाषा में किया जाना चाहिए जिसमें अभ्यर्थी प्रश्न पत्र हल करना चाहते हैं, और ओएमआर पत्रक की बजाय आवेदन पत्र में भिन्न भाषा का प्रयोग करने का क्या प्रभाव है ।

10. विद्वान् अपर महा सालिसिटर, सुश्री माधवी दिवान ने यह तर्क दिया कि ओएमआर पत्रक में जो भाषा प्रयुक्त की गई है, आवेदन पत्र में उसकी बजाय भिन्न भाषा का प्रयोग करने से ही अभ्यर्थिता नामंजूर हो जाती है । सुश्री दिवान ने **तमिलनाडु राज्य और अन्य** बनाम **जी. हेमलता और अन्य**[1] वाले मामले में संप्रकाशित निर्णय को निर्दिष्ट किया । दूसरी ओर, रिट याची की ओर से विद्वान् काउंसेल श्री प्रशांत भूषण ने तर्क दिया कि किसी भिन्न भाषा का प्रयोग केवल एक अनियमितता है, यद्यपि यह स्वीकार किया गया कि एक-जैसी भाषा का प्रयोग करने का प्रयोजन प्रतिरूपण से बचना और अभ्यर्थी की असलियत को सुनिश्चित करना है । श्री भूषण ने **अजय कुमार मिश्रा** बनाम **भारत संघ और अन्य**[2]**, राम कुमार गिजरोया** बनाम **दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड और अन्य**[3] और **अवतार सिंह** बनाम **भारत संघ और अन्य**[4] वाले मामलों में पारित निर्णयों को निर्दिष्ट किया ।

11. हमने पक्षकारों की ओर से विद्वान् काउंसेलों को सुना और पाया कि सुश्री दिवान और श्री भूषण द्वारा निर्दिष्ट किए गए निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होते हैं । **जी. हेमलता** (उपर्युक्त) वाले मामले में, यह शर्त थी कि व्हाइटनर, स्केच पेन, पेंसिल, रंगीन पेंसिल, बहु-रंगीन पेन का प्रयोग करने से उत्तर पुस्तिका अविधिमान्य हो जाएगी । इन परिस्थितियों में, यह अभिनिर्धारित किया गया कि

---

[1] (2020) 19 एस. सी. सी. 430.

[2] 2016 एस. सी. सी. ऑन लाइन दिल्ली 6553.

[3] (2016) 4 एस. सी. सी. 754.

[4] (2016) 8 एस. सी. सी. 471.

अभ्यर्थी द्वारा ऐसी आज्ञापक शर्तों का अतिक्रमण करने से वह सिविल न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति के लिए उसके परिणाम की घोषणा करने के लिए वंचित हो जाती है । दिल्ली उच्च न्यायालय का **अजय कुमार मिश्रा** (उपर्युक्त) वाले मामले में का निर्णय याची की वास्तविक जन्म की तारीख के बारे में गलत जानकारी देने के कारण अभ्यर्थिता रद्द करने के तथ्य से उद्भूत हुआ था । **राम कुमार गिजरोया** (उपर्युक्त) वाले मामले में अभ्यर्थी ने अपना अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित होने का प्रमाणपत्र आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख के पश्चात् प्रस्तुत किया था । **अवतार सिंह** (उपर्युक्त) वाला एक ऐसा मामला है जहां उन आपराधिक मामलों के संबंध में तात्विक जानकारी छिपाई गई थी जिनमें अभ्यर्थी अंतर्ग्रस्त हो सकता है । इस प्रकार, ये सभी मामले अपने स्वयं के तथ्यों पर आधारित हैं, जिनमें वैसा विवाद्यक अंतर्वलित नहीं है, जैसा वर्तमान अपील में उद्भूत हुआ है ।

12. वर्तमान मामले में, रेलवे सुरक्षा बल में कांस्टेबलों के 11000 से अधिक पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी किया गया था । यद्यपि इस विज्ञापन पर परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या उपलब्ध नहीं है, किंतु आम तौर पर यह सामान्य अनुभव की बात है कि ऐसे पदों के लिए विज्ञापित पदों की तुलना में बहुत अधिक अभ्यर्थी इच्छुक होते हैं । यह शर्त कि आवेदन पत्र में प्रयुक्त भाषा ओएमआर परीक्षा के प्रयोजनार्थ प्रयुक्त की जाएगी, इसका कारण यह है कि यदि अभ्यर्थी की पहचान के संबंध में कोई विवाद उद्भूत होता है, तो उसे दोनों हस्तलेखों से सत्यापित किया जा सके । इसके अतिरिक्त, प्रश्न पत्रों को हिंदी और अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं में भी सेट किया जाना आवश्यक है । विभिन्न भाषाओं में आवेदनों को गोरखपुर, कोलकाता, भुवनेश्वर और चेन्नई में विभिन्न नोडल अधिकारियों को भेजा जाना था । इसके अतिरिक्त, ओएमआर पत्रक दो भाषाओं हिंदी और अंग्रेजी में है, किंतु यदि किसी अभ्यर्थी ने अंग्रेजी या हिंदी की बजाय किसी अन्य भाषा को चुना है तो ओएमआर पत्रक अन्य भाषा में हो सकता है ।

13. उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा आवेदन पत्र भरने और परीक्षा के बीच समय का अंतराल होने और इसलिए रिट याची द्वारा ओएमआर पत्रक को अनवधानता से हिंदी में भरने के संबंध में दिया गया एकमात्र तर्काधार अनुमान और अटकलबाजी पर आधारित है । जब एक बार रिट याची ने आवेदन पत्र अंग्रेजी में भरा है और हस्ताक्षर भी अंग्रेजी में किए हैं, तो इसे अनवधानता से की गई गलती नहीं कहा जा सकता है जबकि उसने पैराग्राफ हिंदी में लिखा है । भिन्न भाषा में किए गए ऐसे लेखन से विज्ञापन में स्पष्ट रूप से वर्णित अनुदेश का अतिक्रमण होता है ।

14. श्री भूषण का यह तर्क कि भिन्न भाषा का प्रयोग करने से कोई फर्क नहीं पड़ा है और इसलिए इसे आज्ञापक नहीं कहा जा सकता है, मान्य नहीं है । भाषा का चयन यह सुनिश्चित करने के लिए सुसंगत है कि जिस अभ्यर्थी ने आवेदन पत्र भरा है, केवल वही लिखित परीक्षा में सम्मिलित हो जिससे सत्यनिष्ठा बनी रहे । उत्तर पुस्तिकाएं आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा चुनी गई भाषा में होनी चाहिएं । यह भली-भांति स्थिर है कि आवेदन पत्र भरने के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया विहित की गई है, तो आवेदन पत्र केवल उस प्रक्रिया का पालन करते हुए भरा जाना चाहिए । यह नज़ीर प्रिवी कौंसिल द्वारा **नज़ीर अहमद** बनाम **किंग एम्परर**[1] वाले मामले में प्रतिपादित की गई थी, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि "जहां किसी अमुक चीज को एक निश्चित तरीके से करने की शक्ति दी जाती है, तो उस चीज को उस तरह से किया जाना चाहिए अथवा नहीं । कार्य करने के अन्य तरीके आवश्यक रूप से निषिद्ध हो जाते हैं ।"

15. **चंद्र किशोर झा** बनाम **महावीर प्रसाद और अन्य**[2] वाले मामले में संप्रकाशित निर्णय में इस न्यायालय की एक तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया :–

"17. ..... यह एक सुस्थिर कल्याणकारी सिद्धांत है कि यदि

[1] 1936 एस. सी. सी. ऑन लाइन पीसी 41.

[2] (1999) 8 एस. सी. सी. 266.

किसी कानून में किसी चीज को एक विशिष्ट रीति में करने का उपबंध किया गया है, तो इसे उसी रीति में किया जाना चाहिए और किसी अन्य रीति में नहीं । [नज़ीर अहमद **बनाम** किंग एम्परर (1935-36) 63 आईए 372 = ए. आई. आर. 1936 पीसी 253 (II), राव शिव बहादुर सिंह **बनाम** स्टेट ऑफ वी. पी., ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 322 = 1954 एस. सी. आर. 1098, उत्तर प्रदेश राज्य **बनाम** सिंघाड़ा सिंह, ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 358 = (1964) 1 एस. सी. डब्ल्यू. आर. 57 वाले मामले देखें] । नियमों के अधीन निर्वाचन याचिका खुले न्यायालय में केवल 16-5-1995 तक 4.15 बजे अपराह्न (न्यायालय के कार्य समय) तक नियम 6 (उपर्युक्त) द्वारा विहित रीति में, यथास्थिति, न्यायाधीश या न्यायपीठ के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती थी, जिससे परिसीमा की अवधि से बचा जा सके । तथापि, ऐसा नहीं किया गया था .....।"

16. **चेरुकुरी मणि** बनाम **मुख्य सचिव, आंध्र प्रदेश सरकार और अन्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा उक्त सिद्धांत का अनुसरण किया गया था, जिसमें इस न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया :–

"जहां विधि कोई कार्य एक विशिष्ट प्रक्रिया का पालन करते हुए एक विशिष्ट रीति में किया जाना विहित करती है, तो उसे विहित प्रक्रिया से विचलन किए बिना विधि के उपबंधों का पालन करते हुए उसी रीति में किया जाएगा .....।"

17. इसी प्रकार, **बृहत मुंबई नगर निगम (एमसीजीएम)** बनाम **अभिलास लाल और अन्य**[2] और **ओपीटीओ सर्किट इंडिया लि.** बनाम **एक्सिस बैंक और अन्य**[3] वाले मामलों में इस न्यायालय द्वारा उक्त सिद्धांत का पालन किया गया है । चूंकि विज्ञापन में आवेदन पत्र भरने

---

[1] (2015) 13 एस. सी. सी. 722.

[2] (2020) 13 एस. सी. सी. 234.

[3] (2021) 6 एस. सी. सी. 707.

और उत्तर पुस्तिकाओं में उत्तर लिखने की रीति अनुध्यात की गई थी, इसलिए इसे इस प्रकार विहित रीति में किया जाना चाहिए था । अत: उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा दिया गया यह तर्काधार कि हो सकता है समय बीतने के कारण रिट याची ने उत्तर पुस्तिका को भिन्न भाषा में हल करने का प्रयास किया होगा, न्यायसंगत नहीं है क्योंकि भिन्न भाषा का प्रयोग करना ही रिट याची को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग करने से वंचित कर देता है ।

18. चूंकि रिट याची ने आवेदन पत्र और ओएमआर उत्तर पुस्तिका को भरने के लिए अलग-अलग भाषा का प्रयोग किया है इसलिए अपीलार्थियों द्वारा उसकी अभ्यर्थिता को ठीक ही नामंजूर किया गया था ।

19. अत: उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए आदेश को विधि में संधार्य नहीं रखा जा सकता है और उसे अपास्त किया जाता है । यह रिट याचिका खारिज की जाती है । परिणामत:, यह अपील मंजूर की जाती है ।

अपील मंजूर की गई ।

जस.

[2022] 3 उम. नि. प. 170

प्रह्लाद

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य और एक अन्य

[2009 की दांडिक अपील सं. 2043 और 2010 की दांडिक अपील सं. 983]

27 जुलाई, 2022

न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302, 120ख और 34 [सपठित आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 25 और 27] – हत्या – राजनैतिक दुश्मनी के कारण गोली मारकर मृतक की हत्या करने के लिए अभियुक्त-अपीलार्थियों को आरोपित किया जाना – विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को दोषमुक्त किया जाना – अपील में उच्च न्यायालय द्वारा तीन अभियुक्तों में से दो अभियुक्तों-अपीलार्थियों को दोषसिद्ध किया जाना – दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील – अभियोजन पक्ष द्वारा घटना के संबंध में तीन अलग-अलग वृत्तांत प्रस्तुत किए जाने, मामला असंगतियों से भरा होने, साक्षियों के कथन परस्पर विरोधाभासी पाए जाने, अन्वेषण पूर्णतया अनियमित रीति में किया गया पाए जाने और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और कट्टे की अभिकथित बरामदगी संदेहास्पद पाए जाने तथा उच्च न्यायालय द्वारा जिस साक्षी के साक्ष्य का अवलंब लेकर अभियुक्तों की दोषसिद्धि की गई, उसका साक्ष्य उत्तम गुणवत्ता का न पाए जाने के कारण अभियुक्तों को दोषमुक्त करना उचित होगा ।

इन अपीलों के तथ्य इस प्रकार हैं कि तारीख 22 जून, 1991 को 4.25 बजे अपराह्न में पुलिस थाना, हरदा को डा. कैलाश नारायण सिंघल (अभि. सा. 10) से इस आशय की एक लिखित इत्तिला प्राप्त हुई कि रमेश पुत्र रामगोपाल जाट, आयु लगभग 38 वर्ष, निवासी छोटी हरदा को गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया है । उक्त लिखित इत्तिला में यह उल्लेख किया गया था कि रमेश पर कट्टे से गोली मारकर हमला

किया गया था । पुलिस थाना, हरदा ने भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए एक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के रजिस्ट्रीकरण के उपरांत श्री एम. के. श्रीवास्तव, नगर निरीक्षक, पुलिस थाना भारसाधक अधिकारी ने घटनास्थल का दौरा किया । डा. कैलाश नारायण सिंघल और डा. राजेन्द्र कुमार पटेल ने क्षतिग्रस्त रमेश को प्राथमिक उपचार दिया और आगे उपचार के लिए उसे इंदौर आयुर्विज्ञान महाविद्यालय रेफर कर दिया । तथापि, इंदौर के रास्ते में रमेश की मृत्यु हो गई और उसके शव को वापस हरदा लाया गया, जहां तारीख 23 जून, 1991 को मामला रजिस्ट्रीकृत किया गया और मृतक की मरणोत्तर परीक्षा की गई । अभियोजन के पक्षकथन के अनुसार मृतक रमेश की तीन अभियुक्तों अर्थात् मोहन (अभियुक्त सं. 1), प्रह्लाद (अभियुक्त सं. 2) और जगदीश (अभियुक्त सं. 3) के साथ राजनैतिक दुश्मनी थी । अभियोजन का यह भी पक्षकथन था कि सभी तीनों अभियुक्तों ने मृतक को समाप्त करने के लिए एक षड्यंत्र रचा था । मोहन (अभियुक्त सं. 1) और प्रह्लाद (अभियुक्त सं. 2) ने जगदीश (अभियुक्त सं. 3) की मोटरसाइकिल का हांडिया बस अड्डे के निकट पहुंचने के लिए प्रयोग किया था, जहां मृतक पर कम दूरी से एक गोली चलाई गई थी । अन्वेषण समाप्त होने पर विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, हरदा के न्यायालय में एक आरोप पत्र फाइल किया गया । चूंकि मामला अनन्य रूप से सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय था, इसलिए उसे विद्वान् सेशन न्यायालय के सुपुर्द कर दिया गया । विद्वान् सेशन न्यायाधीश द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 120ख और 302 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए और अनुकल्पत: भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 और आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 25 और 27 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए आरोप विरचित किए गए । अभियुक्तों की प्रतिरक्षा यह थी कि उन्हें गांव में दलगत राजनीति के कारण मिथ्या रूप से फंसाया गया है । विचारण की समाप्ति पर, विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने पाया कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तों के विरुद्ध मामले को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने में असफल रहा है और इसलिए सभी तीनों अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया । इससे व्यथित होकर,

प्रत्यर्थी-मध्य प्रदेश राज्य ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की । उच्च न्यायालय ने यद्यपि जगदीश (अभियुक्त सं. 3) की दोषमुक्ति के आदेश की अभिपुष्टि की, तथापि, जहां तक वर्तमान अपीलार्थियों अर्थात् मोहन (अभियुक्त सं. 1) और प्रह्लाद (अभियुक्त सं. 2) का संबंध है, उनकी दोषमुक्ति के आदेश को उलट दिया । उच्च न्यायालय ने उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया और उन्हें आजीवन कारावास भुगतने का दंडादेश दिया । जहां तक वर्तमान अपीलार्थियों की आयुध अधिनियम, 1959 के अधीन अन्य आरोपों के लिए दोषमुक्ति का संबंध है, उसकी पुष्टि की गई । अभियुक्तों द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में अपीलें फाइल की गईं । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपीलें मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – यह न्यायालय इस बात से अभिज्ञ है कि दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील में हस्तक्षेप की गुंजाइश बहुत सीमित है । जब तक अपील न्यायालय इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता है कि सेशन न्यायाधीश द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण या तो अनुचित है या असंभव है, तब तक दोषमुक्ति के निष्कर्ष में हस्तक्षेप करना अनुज्ञेय नहीं होगा । समान रूप से, यदि दो मत संभव हैं और अपील न्यायालय दूसरे मत को अधिक अधिसंभाव्य पाता है, तो वह दोषमुक्ति के आदेश में तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, जब तक कि वह यह नहीं पाता है कि विद्वान् सेशन न्यायाधीश द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण एक असंभाव्य दृष्टिकोण है । उच्च न्यायालय ने मुख्य रूप से अभि. सा. 2-महेश के परिसाक्ष्य का अवलंब लिया है । अभि. सा. 2-महेश ने यह कथन किया था कि घटना की तारीख को वह, हर नारायण (अभि. सा. 1), रमेश और नारायण खाद खरीदने के लिए हरदा गए थे । उसने यह कथन किया कि इसके पश्चात् सीताबाई (अभि. सा. 3) भी उनमें सम्मिलित हो गई और नया बाजार से वे सभी हांडिया बस अड्डे की ओर जाने लगे । उसने यह कथन किया कि इसके पश्चात् वह और मृतक रमेश चाय पीने के लिए मामा होटल पर गए । शेष लोगों ने उक्त होटल के पार सड़क के दूसरी ओर प्रतीक्षा

की । चाय पीने के पश्चात् जब वे होटल से बाहर आ रहे थे, तो उसने अभियुक्त सं. 2-प्रह्लाद को मोटरसाइकिल पर हांडिया की तरफ से आते हुए देखा । अभियुक्त सं. 1-मोहन पीछे बैठा हुआ था । अभियुक्त सं. 1-मोहन ने लगभग एक फुट की दूरी से मृतक रमेश के पेट में गोली मार दी । इसके पश्चात्, अभियुक्त सं. 2-प्रह्लाद और अभियुक्त सं. 1-मोहन उक्त मोटरसाइकिल पर हांडिया की ओर भाग गए । उसने यह कथन किया कि उसके पश्चात् क्षतिग्रस्त रमेश को हाथ से धकेलने वाले एक ठेले पर डाला गया और राजकीय अस्पताल ले जाया गया । क्षतिग्रस्त रमेश को शल्यक्रिया कक्ष में ले जाया गया । आधे घंटे के पश्चात् क्षतिग्रस्त रमेश को शल्यक्रिया कक्ष से बाहर लाया गया । उसके पश्चात् डाक्टरों के परामर्श पर रमेश को इंदौर स्थित अस्पताल ले जाया गया और वह भी उसके साथ था । उसके साक्ष्य में तात्विक विरोधाभास और सुधार किए गए हैं । इस पृष्ठभूमि में, पुलिस थाना हरदा के सहायक उप निरीक्षक अभि. सा. 16-पी. एन. भारती के साक्ष्य को निर्दिष्ट करना सुसंगत होगा । उसने अपने अभिसाक्ष्य में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उसने साक्षियों के कथन तारीख 23 जून, 1991 को अभिलिखित किए थे । तथापि, इन्हें चालान के साथ पेश नहीं किया गया था । उसने यह भी कथन किया कि उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वे कथन कहां रखे हैं । इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष तीन विभिन्न वृत्तांतों के साथ आया है । मरणोत्तर परीक्षा के लिए अध्यपेक्षा के अनुसार, वह अभियुक्त सं. 3-जगदीश था जिसने मृतक रमेश पर गोली चलाई थी । अभि. सा. 2-महेश के प्रत्यक्षदर्शी परिसाक्ष्य, जिसका उच्च न्यायालय द्वारा अवलंब लिया गया है, के अनुसार वह अभियुक्त सं. 1-मोहन था जो अभियुक्त सं. 2-प्रह्लाद के साथ मोटरसाइकिल पर पीछे बैठा हुआ था, जिसने मृतक पर गोली चलाई थी ; और रोजनामचे के अनुसार तीसरा वृत्तांत यह है कि 11 व्यक्तियों ने मृतक रमेश को पकड़ लिया था और अभियुक्त सं. 1-मोहन ने कट्टे से उसे गोली मार दी थी । यह मामला रहस्यों से भरा पड़ा है । अभि. सा. 2-महेश के अनुसार, उसका कथन केवल तारीख 23 जून, 1991 को अभिलिखित किया गया था, जिसकी संपुष्टि अभि. सा.

16-पी. एन. भारती, सहायक उप निरीक्षक, हरदा द्वारा की गई है । जबकि अभि. सा. 17-एम. के. श्रीवास्तव (अन्वेषण अधिकारी) के अनुसार, कथन केवल 26 और 27 जून, 1991 को अभिलिखित किए गए थे । मरणोत्तर परीक्षा के लिए अध्यपेक्षा में कहा गया है कि वह अभियुक्त सं. 3-जगदीश था, जिसने कट्टे से मृतक रमेश पर हमला किया था । अभि. सा. 16-पी. एन. भारती ने यह कथन किया है कि उसे जानकारी नहीं है कि तारीख 23 जून, 1991 को उसके द्वारा अभिलिखित किए गए कथन कहां रखे हैं । अभि. सा. 17-एम. के. श्रीवास्तव (अन्वेषण अधिकारी) ने यह स्वीकार किया है कि देहाती नालिश थानेदार भारती द्वारा तैयार की गई थी । तथापि, इसे मामले के साथ पेश नहीं किया गया था । उसने यह भी स्वीकार किया कि कुछ साक्षियों के कथन अभियोजन के पक्षकथन के विरुद्ध थे और इसलिए उन्हें न्यायालय में पेश नहीं किया गया है । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष घटना की सही उत्पत्ति को सामने लाने में असफल रहा है । अभियोजन पक्ष ईमानदारी से न्यायालय में नहीं आया है । इसलिए उच्च न्यायालय ने ठीक ही यह अभिनिर्धारित किया था कि अभि. सा. 17-एम. के. श्रीवास्तव (अन्वेषण अधिकारी) द्वारा किया गया अन्वेषण ऋजु और निष्पक्ष रीति में नहीं किया गया था । तथापि, इसके बावजूद यद्यपि उच्च न्यायालय ने पंच साक्षियों के परिसाक्ष्य का अवलंब लेने से इनकार कर दिया था, तो भी उच्च न्यायालय ने उसी अभि. सा. 17-एम. के. श्रीवास्तव (अन्वेषण अधिकारी) के परिसाक्ष्य के आधार पर ही अभिकथित रूप से अभियुक्त सं. 1-मोहन के बताने पर मोटरसाइकिल और कट्टे की बरामदगी का अवलंब लिया था । यह मामला भी असंगतियों से भरा पड़ा है । साक्षियों का साक्ष्य एक-दूसरे से विरोधाभासी है । अन्वेषण पूर्णत: एक अनियमित रीति में किया गया है । जैसा कि इसमें ऊपर पहले ही चर्चा की गई है, अभि. सा. 2-महेश के परिसाक्ष्य को स्वयमेव उत्तम गुणवत्ता का नहीं कहा जा सकता है । तथाकथित बरामदगियां भी पूर्णत: अमान्य हैं । मामले को इस प्रकार दृष्टिगत करते हुए, अभि. सा. 2-महेश के एकमात्र परिसाक्ष्य के आधार पर अपीलार्थियों की दोषसिद्धि मान्य नहीं होगी । उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने

मोटरसाइकिल और कट्टे की बरामदगी का अवलंब लिया है, जो अभिकथित रूप से अभियुक्त सं. 1-मोहन द्वारा किए गए प्रकटन कथन के आधार पर की गई थी । जहां तक मोटरसाइकिल की बरामदगी का संबंध है, उक्त मोटरसाइकिल महेश पुत्र जगदीश जाट अर्थात् अभियुक्त सं. 3 के पुत्र की प्रेरणा पर और वह भी तारीख 25 जून, 1991 को बरामद की गई थी । इसलिए उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि इसे अभियुक्त सं. 1-मोहन की प्रेरणा पर बरामद किया गया है, अभिलेख के असंगत है । जहां तक अभियुक्त सं. 1-मोहन की प्रेरणा पर कट्टे की बरामदगी का संबंध है, इससे प्रकट होता है कि गिरफ्तारी तथा बरामदगी दोनों तारीख 26 जून, 1991 को लगभग एक ही समय की गई दर्शित की गई हैं । पुलिस थाने और जहां से अभिकथित बरामदगी की गई है, के बीच की दूरी लगभग 5 किलो मीटर है । इसके अलावा, कट्टे की बरामदगी सभी की पहुंच वाले एक खुले स्थान से हुई है । इसके अतिरिक्त, अभिलेख पर यह दर्शित करने के लिए कोई पंचनामा नहीं है कि उक्त बरामदगी किस रीति में की गई थी । इसलिए उक्त बरामदगी भी संदेह से मुक्त नहीं है और उच्च न्यायालय द्वारा इसका अवलंब नहीं लिया जा सकता था । अत: हमारा यह सुविचारित मत है कि उच्च न्यायालय ने विद्वान् सेशन न्यायाधीश द्वारा अभियुक्तों को दोषमुक्त करते हुए पारित किए गए अति सकारण आदेश को उलटकर पूरी तरह से गलती की है । (पैरा 12, 23, 31, 33, 34, 39, 40 और 41)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2021]	(2021) 6 एस. सी. सी. 116 : **गुरु दत्त पाठक** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** ;	12
[2013]	(2013) 4 एस. सी. सी. 422 : **सुनील कुंडू और एक अन्य** बनाम **झारखंड राज्य** ;	37
[2005]	(2005) 10 एस. सी. सी. 498 : **रामाशीष राय** बनाम **जगदीश सिंह** ;	36

[2004] (2004) 3 एस. सी. सी. 654 :
धनज सिंह उर्फ **शेरा और अन्य** बनाम
पंजाब राज्य ; 16

[1993] (1993) 3 एस. सी. सी. 282 :
अनिल फुकन बनाम **असम राज्य** । 35

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2009 की दांडिक अपील सं. 2043 (इसके साथ 2010 की दांडिक अपील सं. 983).

1993 की दांडिक अपील सं. 247 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा तारीख 11 मई, 2009 को पारित किए गए निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपीलें ।

अपीलार्थियों की ओर से सर्वश्री विवेक के. तनखा, ज्येष्ठ अधिवक्ता, बी. के. सतीजा, आर. के. यादव, विपुल तिवारी, इंद्र देव सिंह और सुश्री अनिशा, वैभव कालरा और (सुश्री) शर्मिला उपाध्याय

प्रत्यर्थियों की ओर से सर्वश्री अभिनव श्रीवास्तव और सन्नी चौधरी

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति बी. आर. गवई ने दिया ।

न्या. गवई – इन दोनों अपीलों में 1993 की दांडिक अपील सं. 247 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की खंड न्यायपीठ द्वारा प्रत्यर्थी-मध्य प्रदेश राज्य द्वारा फाइल की गई अपील को भागत: मंजूर करते हुए और 1991 के सेशन मामला सं. 207 में विद्वान् अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, हरदा (जिसे इसमें इसके पश्चात् "विद्वान् सेशन न्यायाधीश" कहा गया है) द्वारा इस अपील में अपीलार्थियों के संबंध में तारीख 9 नवंबर, 1992 को यथा अभिलिखित दोषमुक्ति के आदेश को उलटते हुए तारीख 11 मई, 2009 को पारित किए गए निर्णय और आदेश को चुनौती दी गई है ।

2. अनावश्यक ब्यौरों को छोड़कर, वे तथ्य जिनके आधार पर वर्तमान अपीलें उद्भूत हुई हैं, इस प्रकार हैं –

2.1 तारीख 22 जून, 1991 को 4.25 बजे अपराह्न में पुलिस थाना, हरदा को डा. कैलाश नारायण सिंघल (अभि. सा. 10) से इस आशय की एक लिखित इत्तिला प्राप्त हुई कि रमेश पुत्र रामगोपाल जाट, आयु लगभग 38 वर्ष, निवासी छोटी हरदा को गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया । उक्त लिखित इत्तिला (प्रदर्श पी-10) में यह उल्लेख किया गया था कि रमेश पर कट्टे से गोली मारकर हमला किया गया था । पुलिस थाना, हरदा ने 1991 के अपराध सं. 153 द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "भारतीय दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 307 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए एक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के रजिस्ट्रीकरण के उपरांत श्री एम. के. श्रीवास्तव, नगर निरीक्षक, पुलिस थाना भारसाधक अधिकारी (अभि. सा. 17) ने घटनास्थल का दौरा किया । डा. कैलाश नारायण सिंघल (अभि. सा. 10) और डा. राजेन्द्र कुमार पटेल (अभि. सा. 14) ने क्षतिग्रस्त रमेश को प्राथमिक उपचार दिया और आगे उपचार के लिए उसे इंदौर आयुर्विज्ञान महाविद्यालय रेफर कर दिया । तथापि, इंदौर के रास्ते में रमेश की मृत्यु हो गई और उसके शव को वापस हरदा लाया गया, जहां तारीख 23 जून, 1991 को 1991 का मर्ग सं. 18 रजिस्ट्रीकृत किया गया और मृतक की मरणोत्तर परीक्षा की गई । मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार, मृतक रमेश की मृत्यु का कारण अग्न्यायुध द्वारा कारित क्षति के कारण हुआ अत्यधिक रक्तस्राव था ।

2.2 अभियोजन का पक्षकथन, संक्षेप में यह है कि मृतक रमेश की तीन अभियुक्तों अर्थात् मोहन (अभियुक्त सं. 1), प्रह्लाद (अभियुक्त सं. 2) और जगदीश (अभियुक्त सं. 3) के साथ राजनैतिक दुश्मनी थी । अभियोजन का यह भी पक्षकथन था कि सभी तीनों अभियुक्तों ने मृतक को समाप्त करने के लिए एक षड्यंत्र रचा था । मोहन (अभियुक्त सं. 1) और प्रह्लाद (अभियुक्त सं. 2) ने जगदीश (अभियुक्त सं. 3) की मोटरसाइकिल का हांडिया बस अड्डे के निकट पहुंचने के लिए प्रयोग किया था, जहां मृतक पर कम दूरी से एक गोली चलाई गई थी ।

2.3 अन्वेषण समाप्त होने पर विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, हरदा के न्यायालय में एक आरोप पत्र फाइल किया गया । चूंकि मामला अनन्य रूप से सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय था, इसलिए उसे विद्वान् सेशन न्यायालय के सुपुर्द कर दिया गया ।

2.4 विद्वान् सेशन न्यायाधीश द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 120ख और 302 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए और अनुकल्पत: भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 और आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 25 और 27 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए आरोप विरचित किए गए ।

2.5 अभियुक्तों ने दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया । अभियोजन पक्ष ने अभियुक्तों की दोषिता को सिद्ध करने के लिए 17 साक्षियों की परीक्षा की । अभियुक्तों की प्रतिरक्षा यह थी कि उन्हें गांव में दलगत राजनीति के कारण मिथ्या रूप से फंसाया गया है । विचारण की समाप्ति पर, विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने पाया कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तों के विरुद्ध मामले को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने में असफल रहा है और इसलिए सभी तीनों अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया ।

2.6 इससे व्यथित होकर, प्रत्यर्थी-मध्य प्रदेश राज्य ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की । उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश द्वारा यद्यपि जगदीश (अभियुक्त सं. 3) की दोषमुक्ति के आदेश की अभिपुष्टि की, तथापि, जहां तक वर्तमान अपीलार्थियों अर्थात् मोहन (अभियुक्त सं. 1) और प्रह्लाद (अभियुक्त सं. 2) का संबंध है, उनकी दोषमुक्ति के आदेश को उलट दिया । उच्च न्यायालय ने उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया और उन्हें आजीवन कारावास भुगतने का दंडादेश दिया । जहां तक वर्तमान अपीलार्थियों की आयुध अधिनियम, 1959 के अधीन अन्य आरोपों के लिए दोषमुक्ति का संबंध है, उसकी पुष्टि की गई ।

3. इससे व्यथित होकर वर्तमान अपीलें फाइल की गई हैं ।

4. हमने 2009 की दांडिक अपील सं. 2043 में अपीलार्थी-प्रह्लाद की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल श्री विवेक के. तनखा को, 2010 की दांडिक अपील सं. 983 में अपीलार्थी-मोहन की ओर से हाजिर होने वाली विद्वान् काउंसेल सुश्री अनिशा उपाध्याय और प्रत्यर्थी-मध्य प्रदेश राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री अभिनव श्रीवास्तव को सुना ।

5. विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल श्री विवेक के. तनखा ने यह दलील दी कि उच्च न्यायालय ने विद्वान् सेशन न्यायाधीश द्वारा पारित दोषमुक्ति के एक अति-सकारण आदेश को उलटकर गंभीर गलती की है । उन्होंने दलील दी कि अभियोजन के पक्षकथन में अत्यंत स्पष्ट विरोधाभास और खामियां हैं । यह दलील दी गई कि यहां तक कि उच्च न्यायालय ने भी यह पाया था कि अभियोजन एक बहुत ही घटिया रीति में किया गया था । तथापि, कोई साक्ष्य न होने के बावजूद उच्च न्यायालय ने दोषमुक्ति के अति-सकारण आदेश को दोषसिद्धि में परिवर्तित कर दिया ।

6. श्री तनखा ने दलील दी कि उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि का आदेश अभिलिखित करने के लिए एक अभिकथित प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, अभि. सा. 2-महेश के साक्ष्य का अवलंब लिया था । यह दलील दी गई कि उच्च न्यायालय ने गलत रूप से यह अभिनिर्धारित किया कि अभि. सा. 2-महेश के परिसाक्ष्य की संपुष्टि अभियुक्त व्यक्तियों से बरामद मोटरसाइकिल और कट्टे से हुई थी । यह भी दलील दी गई कि मोटरसाइकिल तथा कट्टे, दोनों के अभिग्रहण/बरामदगियां विधि में संधार्य नहीं हैं ।

7. श्री तनखा ने दलील दी कि अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य का परिशीलन करने से स्वयमेव यह प्रकट होता है कि यद्यपि साक्षियों के कथन तारीख 23 जून, 1991 को अभिलिखित किए गए थे, तो भी अभियोजन पक्ष द्वारा उन्हें विधारित कर लिया गया था । उन्होंने दलील दी कि मामला डायरी के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा इस कहानी के तीन विभिन्न वृत्तांत प्रस्तुत किए गए थे । उन्होंने यह भी दलील दी कि मृतक रमेश की मरणोत्तर परीक्षा के लिए अध्यपेक्षा से दर्शित होता है कि अध्यपेक्षा में यह उल्लेख किया गया है

कि जगदीश (अभियुक्त सं. 3) ने मृतक रमेश पर एक कट्टे से हमला किया था ।

8. विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल श्री तनखा ने दलील दी कि इन सभी विसंगतियों को देखते हुए विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने सभी अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया था । उच्च न्यायालय ने दोषमुक्ति के अति-सकारण आदेश को और वह भी कोई कारण अभिलिखित किए बिना उलटकर पूरी तरह से गलती की है ।

9. विद्वान् काउंसेल सुश्री अनिशा उपाध्याय ने विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल श्री विवेक के. तनखा द्वारा दी गई दलीलों को अपनाया और यह दलील दी कि दोनों अपीलों को मंजूर किया जाना चाहिए ।

10. प्रत्यर्थी-मध्य प्रदेश राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री अभिनव श्रीवास्तव ने यह दलील दी कि उच्च न्यायालय ने यह पाया था कि विद्वान् सेशन न्यायाधीश विभिन्न प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य पर विचार करने में असफल रहे थे । उन्होंने दलील दी कि विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने विभिन्न प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के परिसाक्ष्य को केवल इस आधार पर त्यक्त कर दिया था कि वे मृतक के नातेदार हैं और यह कि उनके अभियुक्तों से तनातनी के संबंध हैं । उन्होंने दलील दी कि केवल इस कारण कि साक्षी मृतक के नातेदार होने के कारण हितबद्ध साक्षी हैं, यह उनके परिसाक्ष्य, जो अन्यथा विश्वसनीय है, को त्यक्त करने का आधार नहीं हो सकता है । उन्होंने आगे यह दलील दी कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के प्रत्यक्षदर्शी परिसाक्ष्यों की अभियुक्त व्यक्तियों के बताने पर की गई बरामदगियों से सम्यक् रूप से संपुष्टि की गई है ।

11. विद्वान् काउंसेल श्री अभिनव श्रीवास्तव ने यह भी दलील दी कि जब अभिलेख पर के साक्ष्य से अभियुक्तों की दोषिता इंगित होती है, तो केवल इस कारण कि अन्वेषण में खामियां हैं, यह बात अभियुक्तों को दोषमुक्त करने का आधार नहीं हो सकती है । अत: विद्वान् काउंसेल ने यह निवेदन किया कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के निर्णय और आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं

है और ये अपीलें खारिज की जानी चाहिएं ।

12. हम इस बात से अभिज्ञ हैं कि दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील में हस्तक्षेप की गुंजाइश बहुत सीमित है । जब तक अपील न्यायालय इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता है कि सेशन न्यायाधीश द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण या तो अनुचित है या असंभव है, तब तक दोषमुक्ति के निष्कर्ष में हस्तक्षेप करना अनुज्ञेय नहीं होगा । समान रूप से, यदि दो मत संभव हैं और अपील न्यायालय दूसरे मत को अधिक अधिसंभाव्य पाता है, तो वह दोषमुक्ति के आदेश में तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, जब तक कि वह यह नहीं पाता है कि विद्वान् सेशन न्यायाधीश द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण एक असंभाव्य दृष्टिकोण है । इस संबंध में **गुरु दत्त पाठक** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय के हाल ही के निर्णय के प्रति निर्देश किया जा सकता है, जिसमें इस न्यायालय ने इस विवाद्यक पर इस न्यायालय के विभिन्न पूर्ववर्ती निर्णयों पर विचार किया था ।

13. इस विधिक स्थिति की पृष्ठभूमि में हमें उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण की शुद्धता की परीक्षा करनी होगी ।

14. प्रारंभ में, यह उल्लेखनीय है कि अभियुक्त मृतक की मानव वध मृत्यु के तथ्य को विवादग्रस्त नहीं कर रहे हैं । तथापि, अभियुक्तों की दलील यह है कि उन्हें राजनैतिक दुश्मनी के कारण मिथ्या रूप से फंसाया गया है ।

15. अभियुक्तों को दोषमुक्त करने के लिए विद्वान् सेशन न्यायाधीश जिन बातों से प्रभावित हुए थे, उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें अपने निर्णय में उद्धृत किया गया है । वे इस प्रकार हैं :–

> "(i) प्रत्यक्षदर्शी साक्षी न केवल नातेदार साक्षी थे अपितु संयोगी साक्षी भी थे । अभिकथित प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के कथनों में तात्विक लोप और विरोधाभास थे । यहां तक कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों ने मामला डायरी में यह प्रकथन करने के पश्चात् कि

[1] (2021) 6 एस. सी. सी. 116.

रमेश पर चार से पांच कदम की दूरी से गोली चलाई गई थी, उन्होंने प्राक्षेपिकी रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए अपने शपथ पर परिसाक्ष्य में यह अभिसाक्ष्य देते हुए स्पष्ट रूप से अपने वृत्तांत को परिवर्तित कर दिया कि गोली लगभग 18 इंच की दूरी से चलाई गई थी । प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों द्वारा इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था कि उनमें से किसी के द्वारा तत्समान जानकारी पुलिस को या डा. कैलाश नारायण (अभि. सा. 10) को क्यों नहीं दी गई थी ।

(ii) यद्यपि, सीताबाई (अभि. सा. 3) ने यह कथन किया था कि उसने अस्पताल में एक पुलिस अधिकारी को घटना का वर्णन किया था, फिर भी मरणोत्तर परीक्षा के लिए तत्संबंधी पत्र में बंदूक की गोली से क्षति पहुंचाने वाले व्यक्ति के रूप में जगदीश का नाम लिखा गया था ।

(iii) सहायक उप निरीक्षक पी. एन. भारती (अभि. सा. 16) द्वारा मर्ग जांच-पड़ताल के दौरान अभिलिखित किए गए साक्षियों के कथनों को अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया था ।

(iv) बस अड्डे पर स्थित होटल और दुकानों के अधिभोगी घटना के स्वाभाविक और अधिसंभाव्य साक्षी हो सकते थे किंतु उन्हें साक्ष्य में पेश नहीं किया गया था और ठेला चलाने वाले की परीक्षा नहीं की गई थी ।

(v) नारायण (अभि. सा. 4) और छीतर (अभि. सा. 7) को अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य का खंडन करने पर यद्यपि पक्षद्रोही घोषित किया गया था, तो भी अभियोजन के वृत्तांत को त्यक्त करने के लिए उनके साक्ष्य पर विचार किया जा सकता था ।

(vi) राम अवतार (अभि. सा. 13), जो मृतक का एक निकट संबंधी है, उसके द्वारा उस षड्यंत्र में, जिसके परिणामस्वरूप रमेश की हत्या हुई थी, अभियुक्त 3 की अंतर्ग्रस्तता के बारे में दिए गए साक्ष्य से विश्वास प्रेरित नहीं होता है । यह साबित नहीं

किया गया था कि मोटरसाइकिल जगदीश की थी ।

(vii) अन्वेषण अधिकारी की अन्यमनस्कता और उदासीन रवैये के कारण अन्वेषण दूषित हो गया था । यद्यपि, उसने दावा किया था कि वह अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अधीन मामला रजिस्ट्रीकृत करने के पश्चात् तुरंत घटनास्थल पर गया था किंतु घटनास्थल से रक्त और अन्य वस्तुओं को अभिगृहीत न करने के साथ-साथ स्थल नक्शा तैयार न करने की बात से उसका कथन पूरी तरह से अविश्वसनीय हो जाता है । रोजनामचे में की गई तत्संबंधी प्रविष्टियों में तात्विक जोड़-तोड़ थे । इन प्रविष्टियों तथा अन्वेषण अधिकारी एम. के. श्रीवास्तव (अभि. सा. 17) द्वारा की गई स्वीकारोक्तियों से यह प्रतिबिंबित होता है कि कुछ अन्य व्यक्ति भी घटना में अंतर्ग्रस्त थे ।"

16. उच्च न्यायालय पूर्वोक्त मताभिव्यक्तियां करने के पश्चात् साक्षियों के साक्ष्य पर चर्चा करने के लिए अग्रसर हुआ । उच्च न्यायालय ने पैरा 31 में यह मत व्यक्त किया कि त्रुटिपूर्ण अन्वेषण स्वयमेव दोषमुक्ति के लिए आधार नहीं हो सकता है, यदि अन्य तर्कपूर्ण साक्ष्य द्वारा अभियोजन के पक्षकथन को सिद्ध किया जाता है । **धनज सिंह** उर्फ **शेरा और अन्य** बनाम **पंजाब राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय के निर्णय का अवलंब लेते हुए उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि ऐसे मामले में एकमात्र अपेक्षा यह की जाती है कि न्यायालय को साक्ष्य का मूल्यांकन करने में सतर्क रहना चाहिए ।

17. इसके पश्चात् उच्च न्यायालय ने पैरा 34 में यह मत व्यक्त किया :–

"34. अभियुक्त सं. 1 द्वारा किए गए प्रकटन कथन के अनुसार कट्टा और मोटरसाइकिल की बरामदगी को साबित करने के लिए चयनित किए गए पंचसाक्षी भी सही अर्थों में स्वतंत्र साक्षी नहीं थे । रामदीन (अभि. सा. 8) अभियुक्त सं. 1 के मामा,

[1] (2004) 3 एस. सी. सी. 654.

अभियुक्त सं. 3 का चचेरा भाई है, जो अभियुक्त सं. 2 का सगा चाचा है । हरी राम (अभि. सा. 9) का भी रमेश के प्रति विद्वेष था क्योंकि स्वीकृत रूप से उसे रमेश के भाई रामदीन को घोर उपहति कारित करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 326 के अधीन दोषसिद्ध किया गया था । इन परिस्थितियों में, कट्टे और मोटरसाइकिल की बरामदगी के बारे में एम. के. श्रीवास्तव (अभि. सा. 17) के परिसाक्ष्य को नामंजूर करना संभव नहीं था । उसके अनुसार, उसने अभियुक्त सं. 1 द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ज्ञापन (प्रदर्श पी-4) तैयार किया था और अभियुक्त सं. 1 के बताने पर ही एक देसी कट्टा और एक मोटरसाइकिल बरामद की थी । इस प्रकार अभिगृहीत किए गए कट्टे को गोलियों और शव-परीक्षा करने वाले शल्य-चिकित्सक डा. राजेन्द्र कुमार पटेल (अभि. सा. 14) द्वारा परिरक्षित रखे गए मृतक के वस्त्रों के साथ न्यायालयिक परीक्षण के लिए भेजा गया था । प्राक्षेपिकी विशेषज्ञ डा. जे. के. अग्रवाल ने निश्चितता के साथ यह राय व्यक्त की थी कि मृतक की कमीज और बंडी में छिद्र करते हुए बंदूक की गोली की क्षति कट्टे से गोली चलाकर कारित की जा सकती थी । यह भी मत व्यक्त किया गया था कि छर्रे 12 बोर के खोल के अनुरूप थे और कट्टे से दागे जा सकते थे ।

35. सारांशत:, विद्वान् विचारण न्यायाधीश द्वारा अभियुक्त सं. 1 और अभियुक्त सं. 2 के विरुद्ध रमेश की हत्या कारित करने में उनके अपने-अपने स्पष्ट कृत्यों के संबंध में अपराध में आलिप्त करने वाले जबरदस्त साक्ष्य को त्यक्त करने के लिए दिया गया कोई भी कारण स्वीकार करने योग्य नहीं है ।"

18. इसके पश्चात्, उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय और आदेश के पैरा 36 से 40 में अभियुक्त सं. 3 जगदीश की सहापराधिता के विरुद्ध प्रत्यर्थी-राज्य के पक्षकथन पर विचार किया और पैरा 41 में यह मत व्यक्त किया :–

"41. इस प्रकार, यद्यपि रमेश की हत्या में अभियुक्त सं. 3

की सहापराधिता युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध नहीं की जा सकी थी, तो भी अभियुक्त सं. 1 और अभियुक्त सं. 2 की अपराध के लिए दोषमुक्ति न्यायोचित नहीं थी । इसका स्पष्ट कारण यह है – भले ही यह निष्कर्ष निकाला गया है कि हितबद्ध साक्षी पर्याप्त दूरी पर खड़े होने के कारण घटना को देख नहीं सकते थे, तो भी महेश के प्रत्यक्षदर्शी परिसाक्ष्य के साथ-साथ अभियुक्त सं. 1 से अभिगृहीत अग्न्यायुध से संबंधित चिकित्सीय और न्यायालयिक साक्ष्य तथा उसके कब्जे से मोटरसाइकिल की बरामदगी अभियुक्त सं. 1 और अभियुक्त सं. 2 की सहापराधिता को साबित करने के लिए पर्याप्त थे और अन्वेषण अधिकारी की स्पष्ट ढिलाई के कारण अभियोजन के पक्षकथन में कतिपय विसंगतियों का फायदा उन्हें नहीं दिया जा सकता । तो भी, आयुध अधिनियम के अधीन अपराधों के संबंध में उनकी दोषमुक्ति में इस तथ्य को देखते हुए किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अभियोजन चलाने के लिए दी गई स्वीकृति को साबित नहीं किया गया था ।"

19. इस प्रकार, स्पष्ट रूप से यह देखा जा सकता है कि उच्च न्यायालय ने इस अपील में अपीलार्थियों-अभियुक्तों के विरुद्ध दोषमुक्ति के आदेश को अभि. सा. 2 महेश के परिसाक्ष्य के आधार पर, जिसकी संपुष्टि कट्टे और मोटरसाइकिल के अभिग्रहण द्वारा हुई थी, दोषसिद्धि के आदेश में परिवर्तित कर दिया । उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि इन्हें अभियुक्त सं. 1 मोहन द्वारा किए गए प्रकटन कथन के आधार पर अभिगृहीत/बरामद किया गया था । उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि पंच साक्षी स्वतंत्र नहीं थे, और फिर भी उसने अभि. सा. 17 एम. के. श्रीवास्तव (अन्वेषण अधिकारी) के परिसाक्ष्य के आधार पर उन बरामदगियों पर विश्वास किया था ।

20. उच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 35 में विनिर्दिष्ट रूप से यह मत व्यक्त किया कि रमेश की हत्या कारित करने में अभियुक्त सं. 1 मोहन और अभियुक्त सं. 2 प्रह्लाद के अपने-अपने स्पष्ट कृत्यों के संबंध में उन्हें अपराध में आलिप्त करने वाले जबरदस्त साक्ष्य को त्यक्त करने

के लिए विद्वान् सेशन न्यायाधीश द्वारा दिया गया कोई भी कारण स्वीकार करने योग्य नहीं है ।

21. उच्च न्यायालय के निष्कर्षों की शुद्धता की परीक्षा करने के लिए अभिलेख पर के साक्ष्य की संवीक्षा करना उपयुक्त होगा ।

22. जहां तक अभि. सा. 1 हर नारायण, अभि. सा. 3 सीताबाई, क्रमश: मृतक रमेश के भाई और भाभी तथा अभि. सा. 5 हरी प्रसाद, सीताबाई (अभि. सा. 3) के भाई का संबंध है, उच्च न्यायालय ने स्वयमेव यह मत व्यक्त किया है कि यह अधिसंभाव्य नहीं है कि वे उस स्थान से घटना देख सकते थे जहां अभिकथित रूप से वे खड़े थे । इसलिए उनके प्रत्यक्षदर्शी परिसाक्ष्य की चर्चा करना आवश्यक नहीं है ।

23. उच्च न्यायालय ने मुख्य रूप से अभि. सा. 2 महेश के परिसाक्ष्य का अवलंब लिया है । अभि. सा. 2 महेश ने यह कथन किया था कि घटना की तारीख को वह, हर नारायण (अभि. सा. 1), रमेश और नारायण खाद खरीदने के लिए हरदा गए थे । उसने यह कथन किया कि इसके पश्चात् सीताबाई (अभि. सा. 3) भी उनमें सम्मिलित हो गई और नया बाजार से वे सभी हांडिया बस अड्डे की ओर जाने लगे । उसने यह कथन किया कि इसके पश्चात् वह और मृतक रमेश चाय पीने के लिए मामा होटल पर गए । शेष लोगों ने उक्त होटल के पार सड़क के दूसरी ओर प्रतीक्षा की । चाय पीने के पश्चात् जब वे होटल से बाहर आ रहे थे, तो उसने अभियुक्त सं. 2 प्रह्लाद को मोटरसाइकिल पर हांडिया की तरफ से आते हुए देखा । अभियुक्त सं. 1 मोहन पीछे बैठा हुआ था । अभियुक्त सं. 1 मोहन ने लगभग एक फुट की दूरी से मृतक रमेश के पेट में गोली मार दी । इसके पश्चात्, अभियुक्त सं. 2 प्रह्लाद और अभियुक्त सं. 1 मोहन उक्त मोटरसाइकिल पर हांडिया की ओर भाग गए । उसने यह कथन किया कि उसके पश्चात् क्षतिग्रस्त रमेश को हाथ से धकेलने वाले एक ठेले पर डाला गया और राजकीय अस्पताल ले जाया गया । क्षतिग्रस्त रमेश को शल्यक्रिया कक्ष में ले जाया गया । आधे घंटे के पश्चात् क्षतिग्रस्त रमेश को शल्यक्रिया कक्ष से बाहर लाया

गया । उसके पश्चात् डाक्टरों के परामर्श पर रमेश को इंदौर स्थित अस्पताल ले जाया गया और वह भी उसके साथ था । उसके साक्ष्य में तात्विक विरोधाभास और सुधार किए गए हैं ।

24. यह उल्लेख करना सुसंगत होगा कि वह अभि. सा. 2 महेश था जो मृतक रमेश को अस्पताल लाया था और जब उसे इंदौर ले जाया जा रहा था तथा रास्ते में मृतक रमेश की मृत्यु हो जाने के पश्चात् हरदा से वापस आ रहे थे, तब वह उसके साथ था ।

25. इस प्रक्रम पर, प्रदर्श पी-15 जो मरणोत्तर परीक्षा करने के लिए अध्यपेक्षा है, को निर्दिष्ट करना सुसंगत होगा । उक्त अध्यपेक्षा में निम्नलिखित पृष्ठांकन किया गया है :–

> "श्रीमान जी, श्री जगदीश पुत्र शिव राम जाट, निवासी छोटी हरदा द्वारा कट्टे से गोली चलाने के कारण रमेश पुत्र राम गोपाल जाट, निवासी छोटी हरदा की मृत्यु हो गई है ।"

26. इस पृष्ठभूमि में, अभि. सा. 2 महेश द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में दिए गए निम्नलिखित अभिसाक्ष्य को निर्दिष्ट करना सुसंगत होगा :–

> "14. जिस दिन मेरा कथन अभिलिखित किया गया था, उस दिन केवल मैं ही था । यह कहना गलत है कि मेरा कथन 26 तारीख को अभिलिखित किया गया था । उसने स्वयं कहा कि यह कथन 23 तारीख को सवेरे अभिलिखित किया गया था । मेरा कथन पुलिस थाने में 7.00 बजे अभिलिखित किया गया था ।"

27. इस प्रकार, स्पष्ट रूप से यह देखा जा सकता है कि उसने इस बात से इनकार किया है कि उसका कथन 26 तारीख को अभिलिखित किया गया था । उसने यह भी स्वीकार किया है कि उसका कथन 23 तारीख को सवेरे 7.00 बजे पुलिस थाने में अभिलिखित किया गया था ।

28. अभि. सा. 17 एम. के. श्रीवास्तव (अन्वेषण अधिकारी) ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है :–

> "47. तारीख 23 जून, 1991 के रोजनामचे में अन्वेषण के

दौरान नारायण, महेश, हरि नारायण, सीताबाई और कैलाश द्वारा किए गए कथनों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है । तारीख 23 जून, 1991 को इस मामले के संबंध में कोई अन्वेषण रिपोर्ट नहीं है । तारीख 24 जून, 1991 को रोजनामचे में साक्षी छितर, रामअवतार और बाबू लाल के कथन अभिलिखित करने की प्रविष्टि के बारे में कोई उल्लेख नहीं है । इस संबंध में कोई कारण नहीं बताया गया है । रोजनामचा प्रविष्टि सवेरे 6.00 बजे आरंभ हुई थी और दूसरे दिन 6.00 बजे तक जारी रही थी । और 24 घंटे में जो कुछ कार्यवाहियां की जा रही थीं, उनका उसमें वर्णन किया जा रहा है । अन्वेषण के दौरान मैंने केवल एक बार साक्षियों के कथन अभिलिखित किए थे । मैं रोजनामचा प्रविष्टि सं. 1490 तारीख 26 जून, 1991 अपने साथ लाया हूं । इस रोजनामचा प्रविष्टि में इस मामले की रिपोर्ट के बारे में कोई उल्लेख नहीं है जो प्रदर्श डी-8 है । इसकी प्रतिलिपि प्रदर्श डी-8(सी) है ।"

29. इस प्रकार, उसके साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि तारीख 23 जून, 1991 के रोजनामचे में अन्वेषण के दौरान लिए गए साक्षियों के कथनों का कोई उल्लेख नहीं है । यह भी स्वीकार किया गया है कि उक्त तारीख को इस मामले के संबंध में कोई अन्वेषण रिपोर्ट नहीं है । उसने आगे यह भी स्वीकार किया कि तारीख 24 जून, 1991 को रोजनामचे में साक्षियों के कथन अभिलिखित करने की प्रविष्टि के बारे में कोई उल्लेख नहीं है । उसने यह कथन किया कि रोजनामचा प्रविष्टि तारीख 26 जून, 1991 को 6.00 बजे सेवेरे आरंभ हुई थी और दूसरे दिन अर्थात् 27 जून, 1991 को 6.00 बजे तक जारी रही थी ।

30. रोजनामचा प्रविष्टियों का पठन करना रुचिकर होगा । रोजनामचा प्रविष्टि सं. 1480 (अपराध सं. 153/1991), तारीख 26/27 जून, 1991 का सुसंगत भाग इस प्रकार है :–

"कथन में यह भी कहा गया है कि हांडिया बस अड्डे पर बदरी जाट की दुकान के सामने वे वहां खड़े अपने गांव के राम

नारायण, उसके पुत्र कैलाश, जगदीश सरपंच, प्रेम नारायण पुत्र जगदीश, मोहन, रेवा राम, बदरी, राम भरोसे, लक्ष्मी नारायण, प्रेम नारायण और प्रह्लाद से मिले । इन सभी लोगों ने रमेश को पकड़ लिया । कथन में यह भी कहा गया है कि मोहन ने कट्टे से रमेश पर गोली चला दी । इन साक्षियों को पहले भी कथन करने के लिए बुलाया गया था ।"

31. इस पृष्ठभूमि में, पुलिस थाना हरदा के सहायक उप निरीक्षक अभि. सा. 16 पी. एन. भारती के साक्ष्य को निर्दिष्ट करना सुसंगत होगा । उसने अपने अभिसाक्ष्य में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उसने साक्षियों के कथन तारीख 23 जून, 1991 को अभिलिखित किए थे । तथापि, इन्हें चालान के साथ पेश नहीं किया गया था । उसने यह भी कथन किया कि उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वे कथन कहां रखे हैं ।

32. अभि. सा. 17 एम. के. श्रीवास्तव (अन्वेषण अधिकारी) के साक्ष्य को भी पुन: एक बार निर्दिष्ट करना सुसंगत होगा, जो इस प्रकार है :–

"61. तारीख 22 जून, 1991 को वर्तमान मामले के संबंध में थानेदार रेथिया द्वारा अस्पताल में एक देहाती नालिश तैयार की गई थी । थानेदार रेथिया मेरे अनुदेशों पर वर्तमान मामले के अन्वेषण में भाग ले रहा था । थानेदार बराथिया स्वतंत्र अन्वेषण नहीं कर रहा था । देहाती नालिश उसी दिन थानेदार बराथिया द्वारा हरि प्रसाद से जांच-पड़ताल करने के पश्चात् हरदा अस्पताल में तैयार की गई थी । यह मैं रोजनामचा में प्रविष्टि सं. 1290, तारीख 22 जून, 1991 के आधार पर कह रहा हूं । उक्त देहाती नालिश को मामले के साथ पेश नहीं किया गया है ।

62. मर्ग के संबंध में सहायक उप निरीक्षक भारती ने साक्षियों के कथन अभिलिखित किए थे किंतु उन्हें चालान के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है और मामला डायरी के साथ भी संलग्न नहीं

किया गया है । ये कथन आज कहां पर हैं, मैं नहीं बता सकता । यह सही है कि मर्ग अन्वेषण/जांच में साक्षियों के कथन अभिलिखित किए गए थे, वे कथन और तारीख 26 जून, 1991 को अभिलिखित किए गए साक्षी हरनारायण तथा महेश के कथन और तारीख 27 जून, 1991 को अभिलिखित किए गए साक्षी सीताबाई और कैलाश के कथन अभियोजन के पक्षकथन के विरुद्ध हैं, इसलिए उन्हें न्यायालय में पेश नहीं किया गया है ।"

33. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष तीन विभिन्न वृत्तांतों के साथ आया है । मरणोत्तर परीक्षा के लिए अध्यपेक्षा के अनुसार, वह अभियुक्त सं. 3 जगदीश था जिसने मृतक रमेश पर गोली चलाई थी । अभि. सा. 2 महेश के प्रत्यक्षदर्शी परिसाक्ष्य, जिसका उच्च न्यायालय द्वारा अवलंब लिया गया है, के अनुसार वह अभियुक्त सं. 1 मोहन था जो अभियुक्त सं. 2 प्रहलाद के साथ मोटरसाइकिल पर पीछे बैठा हुआ था, जिसने मृतक पर गोली चलाई थी ; और रोजनामचे के अनुसार तीसरा वृत्तांत यह है कि 11 व्यक्तियों ने मृतक रमेश को पकड़ लिया था और अभियुक्त सं. 1 मोहन ने कट्टे से उसे गोली मार दी थी । यह मामला रहस्यों से भरा पड़ा है । अभि. सा. 2 महेश के अनुसार, उसका कथन केवल तारीख 23 जून, 1991 को अभिलिखित किया गया था, जिसकी संपुष्टि अभि. सा. 16 पी. एन. भारती, सहायक उप निरीक्षक, हरदा द्वारा की गई है । जबकि अभि. सा. 17 एम. के. श्रीवास्तव (अन्वेषण अधिकारी) के अनुसार, कथन केवल 26 और 27 जून, 1991 को अभिलिखित किए गए थे । मरणोत्तर परीक्षा के लिए अध्यपेक्षा में कहा गया है कि वह अभियुक्त सं. 3 जगदीश था, जिसने कट्टे से मृतक रमेश पर हमला किया था । अभि. सा. 16 पी. एन. भारती ने यह कथन किया है कि उसे जानकारी नहीं है कि तारीख 23 जून, 1991 को उसके द्वारा अभिलिखित किए गए कथन कहां रखे हैं । अभि. सा. 17 एम. के. श्रीवास्तव (अन्वेषण अधिकारी) ने यह स्वीकार किया है कि देहाती नालिश थानेदार भारती द्वारा तैयार की गई थी । तथापि, इसे मामले के साथ पेश नहीं किया गया था । उसने यह भी

स्वीकार किया कि कुछ साक्षियों के कथन अभियोजन के पक्षकथन के विरुद्ध थे और इसलिए उन्हें न्यायालय में पेश नहीं किया गया है ।

34. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष घटना की सही उत्पत्ति को सामने लाने में असफल रहा है । अभियोजन पक्ष ईमानदारी से न्यायालय में नहीं आया है । इसलिए उच्च न्यायालय ने ठीक ही यह अभिनिर्धारित किया था कि अभि. सा. 17 एम. के. श्रीवास्तव (अन्वेषण अधिकारी) द्वारा किया गया अन्वेषण ऋजु और निष्पक्ष रीति में नहीं किया गया था । तथापि, इसके बावजूद यद्यपि उच्च न्यायालय ने पंच साक्षियों के परिसाक्ष्य का अवलंब लेने से इनकार कर दिया था, तो भी उच्च न्यायालय ने उसी अभि. सा. 17 एम. के. श्रीवास्तव (अन्वेषण अधिकारी) के परिसाक्ष्य के आधार पर ही अभिकथित रूप से अभियुक्त सं. 1 मोहन के बताने पर मोटरसाइकिल और कट्टे की बरामदगी का अवलंब लिया था ।

35. प्रत्यर्थी-मध्य प्रदेश राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल, श्री अभिनव श्रीवास्तव की यह दलील सही है कि एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के परिसाक्ष्य के आधार पर ही दोषसिद्धि की जा सकती है और इसलिए उच्च न्यायालय ने अभि. सा. 2 महेश के परिसाक्ष्य के आधार पर अभियुक्तों को दोषसिद्ध करके न्यायोचित किया था । इस संबंध में, **अनिल फुकन** बनाम **असम राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय के निर्णय को निर्दिष्ट करना सुसंगत होगा, जिसमें इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है :–

> "3. ..... वास्तव में, किसी एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के परिसाक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है और विधि का ऐसा कोई नियम या साक्ष्य नहीं है, जिसमें इसके प्रतिकूल कहा गया हो, बशर्ते ऐसा एकमात्र साक्षी विश्वसनीयता की कसौटी पर खरा उतरता हो । जब तक कि एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी पूरी तरह विश्वसनीय साक्षी पाया जाता है, न्यायालयों को केवल उसके

[1] (1993) 3 एस. सी. सी. 282.

परिसाक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि करने में कोई कठिनाई नहीं है । तथापि, जहां एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी को पूरी तरह विश्वसनीय साक्षी नहीं पाया जाता है, इसका अर्थ यह है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, जिनसे यह दर्शित हो सकता है कि उसका अभियोजन पक्ष में कोई हित हो, तब न्यायालय साधारणतया दोषसिद्धि अभिलिखित करने से पूर्व तात्विक विशिष्टियों के संबंध में उसके परिसाक्ष्य की कुछ स्वतंत्र संपुष्टि पर जोर देंगे । केवल तभी जब न्यायालय यह पाते हैं कि एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी पूरी तरह से एक इतना अविश्वसनीय साक्षी है कि उसके परिसाक्ष्य को पूर्णतया त्यक्त किया जाता है और कितनी भी संपुष्टि उस त्रुटि को ठीक नहीं कर सकती है .....।"

36. यह भी समान रूप से सुस्थिर है कि पूर्ववर्ती दुश्मनी एक दुधारी तलवार की तरह होती है । यद्यपि इससे अपराध का हेतु मिल सकता है, तो भी यह मिथ्या रूप से फंसाने का आधार हो सकती है । इस संबंध में **रामाशीष राय** बनाम **जगदीश सिंह**[1] वाले मामले में इस न्यायालय के निर्णय का अवलंब लिया जा सकता है, जिसमें इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है :–

"7. ..... अब तब यह विधि का सुस्थिर सिद्धांत है कि दुश्मनी एक दुधारी तलवार होती है । यह मिथ्या रूप से फंसाने का आधार हो सकती है । यह हमला करने का भी आधार हो सकती है । इसलिए न्यायालय पर यह कर्तव्य अधिरोपित है कि वह विद्वेषी साक्षियों के परिसाक्ष्य की सम्यक् सतर्कता और सावधानी से परीक्षा करे । .....।"

37. विद्वान् काउंसेल श्री श्रीवास्तव द्वारा यह भी दलील दी गई कि केवल इस कारण कि अन्वेषण में खामियां हैं, यह बात अभियुक्त को दोषमुक्त करने का आधार नहीं हो सकती है यदि अभिलेख पर अन्य साक्ष्य उपलब्ध है । इस संबंध में, हम **सुनील कुंडू और एक अन्य** बनाम

[1] (2005) 10 एस. सी. सी. 498.

झारखंड राज्य[1] वाले मामले में इस न्यायालय की मताभिव्यक्तियों को उपयोगी रूप से निर्दिष्ट कर सकते हैं :–

> "29. हमने अन्वेषक अभिकरण के अशोभनीय आचरण पर टीका-टिप्पणी करते हुए शुरुआत की थी । हम अपने मत की पुन: अभिपुष्टि करते हुए समापन करते हैं । हम उस तरीके से व्यथित हैं, जिस तरीके से इस मामले का अन्वेषण किया गया था । यह सही है कि अभियुक्त को किसी मामले के अन्वेषण में मात्र चूक या अनियमितताओं के आधार पर दोषमुक्त करना अक्षम अन्वेषक अभिकरण के निंदनीय आचरण को विपदग्रस्तों की कीमत पर महत्व देने की कोटि में आएगा, जिसके परिणामस्वरूप अपराधों के अपराधियों का दुस्साहस बढ़ेगा । इस न्यायालय ने यह अधिकथित किया है कि अन्वेषण में चूक या अनियमितताओं को एक शर्त के अध्यधीन रहते हुए अनदेखा किया जा सकता है । उन्हें केवल तब अनदेखा किया जा सकता है यदि उनके विद्यमान होने के बावजूद अभिलेख पर के साक्ष्य से अभियोजन का पक्षकथन सिद्ध होता है और साक्ष्य उत्तम गुणवत्ता का है । यदि चूक या अनियमितताएं मामले की तह तक नहीं जाती हैं, यदि वे अभियोजन के पक्षकथन के आधार को समाप्त नहीं करते हैं, तब उनको अनदेखा किया जा सकता है । इस मामले में चूक बहुत ही गंभीर हैं .....।"

38. यह मामला भी असंगतियों से भरा पड़ा है । साक्षियों का साक्ष्य एक-दूसरे से विरोधाभासी है । अन्वेषण पूर्णत: एक अनियमित रीति में किया गया है । जैसा कि इसमें ऊपर पहले ही चर्चा की गई है, अभि. सा. 2 महेश के परिसाक्ष्य को स्वयमेव उत्तम गुणवत्ता का नहीं कहा जा सकता है । तथाकथित बरामदगियां भी पूर्णत: अमान्य हैं ।

39. मामले को इस प्रकार दृष्टिगत करते हुए, अभि. सा. 2 महेश के एकमात्र परिसाक्ष्य के आधार पर अपीलार्थियों की दोषसिद्धि मान्य नहीं होगी । उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने मोटरसाइकिल और

---

[1] (2013) 4 एस. सी. सी. 422.

कट्टे की बरामदगी का अवलंब लिया है, जो अभिकथित रूप से अभियुक्त सं. 1 मोहन द्वारा किए गए प्रकटन कथन के आधार पर की गई थी । जहां तक मोटरसाइकिल की बरामदगी का संबंध है, उक्त मोटरसाइकिल महेश पुत्र जगदीश जाट अर्थात् अभियुक्त सं. 3 के पुत्र की प्रेरणा पर और वह भी तारीख 25 जून, 1991 को बरामद की गई थी । इसलिए उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि इसे अभियुक्त सं. 1 मोहन की प्रेरणा पर बरामद किया गया है, अभिलेख के असंगत है ।

40. जहां तक अभियुक्त सं. 1 मोहन की प्रेरणा पर कट्टे की बरामदगी का संबंध है, इससे प्रकट होता है कि गिरफ्तारी तथा बरामदगी दोनों तारीख 26 जून, 1991 को लगभग एक ही समय की गई दर्शित की गई हैं । पुलिस थाने और जहां से अभिकथित बरामदगी की गई है, के बीच की दूरी लगभग 5 किलोमीटर है । इसके अलावा, कट्टे की बरामदगी सभी की पहुंच वाले एक खुले स्थान से हुई है । इसके अतिरिक्त, अभिलेख पर यह दर्शित करने के लिए कोई पंचनामा नहीं है कि उक्त बरामदगी किस रीति में की गई थी । इसलिए उक्त बरामदगी भी संदेह से मुक्त नहीं है और उच्च न्यायालय द्वारा इसका अवलंब नहीं लिया जा सकता था ।

41. अत: हमारा यह सुविचारित मत है कि उच्च न्यायालय ने विद्वान् सेशन न्यायाधीश द्वारा अभियुक्तों को दोषमुक्त करते हुए पारित किए गए अति सकारण आदेश को उलटकर पूरी तरह से गलती की है । उच्च न्यायालय ने दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील में हस्तक्षेप की परिधि से बाहर जाकर कार्य किया है । अत: वर्तमान अपीलें मंजूर किए जाने योग्य हैं । तद्नुसार, ऐसा आदेश किया जाता है ।

अपीलें मंजूर की गईं ।

जस.

[2022] 3 उम. नि. प. 195

जयप्रकाश तिवारी

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य

[2018 की दांडिक अपील सं. 704]

4 अगस्त, 2022

मुख्य न्यायमूर्ति एन. वी. रमना, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 307 [सपठित आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 25 और 27 तथा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313] – हत्या का प्रयत्न – अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा शिकायतकर्ता को उसके मकान के बाहर बुलाया जाना और उस पर बंदूक से गोली चलाकर मोटरसाइकिल पर भाग जाना – शिकायतकर्ता द्वारा तुरंत अपने मकान के अंदर चले जाने से क्षति कारित न होना – अभियुक्त को दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया जाना – सबूत – शिकायतकर्ता द्वारा किए गए कथनों की संपुष्टि करने के लिए कोई स्वतंत्र साक्ष्य न होने, अभियुक्त से अभिकथित रूप से बरामद वस्तुओं का अभिकथित घटना से कोई संबंध साबित न होने, अभियुक्त द्वारा अपनी प्रतिरक्षा में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन प्रस्तुत किए गए वृत्तांत पर अभियोजन पक्ष द्वारा समाधानप्रद उत्तर न दिए जाने, अभियोजन का पक्षकथन अटकलबाजी और अनुमान पर आधारित होने के कारण अभियुक्त के विरुद्ध मामला युक्तियुक्त संदेह के परे साबित न होने पर उसको दोषमुक्त करना न्यायोचित होगा ।

इस अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी और सह-अभियुक्त शिकायतकर्ता के मकान पर गए और उसे बाहर बुलाया । जब शिकायतकर्ता बाहर आया तो अपीलार्थी ने उस पर एक देसी पिस्तौल से गोली चला दी । शिकायतकर्ता (अभि. सा. 2) कथित रूप से मकान के अंदर भाग गया और क्षति पहुंचने से बच गया, जबकि अपीलार्थी और

सह-अभियुक्त अपनी मोटरसाइकिल पर घटनास्थल से भाग गए । शिकायतकर्ता की माता (अभि. सा. 3) अभिकथित रूप से घटना के समय मकान में मौजूद थी और शिकायतकर्ता के पड़ोसी (अभि. सा. 1, अभि. सा. 10 और अभि. सा. 11) बंदूक की गोली चलने की आवाज सुनकर वहां पहुंचे थे । अभिकथित घटना में प्रयुक्त अग्न्यायुध को, एक खाली कारतूस सहित, कथित रूप से अपीलार्थी से बरामद किया गया था । अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी और सह-अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 307/34 और आयुध अधिनियम की धारा 25(1ख) (क) और धारा 27(1) के अधीन आरोपित किया । विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर के साक्ष्य का परिशीलन और साक्षियों की परीक्षा करने के पश्चात् अपीलार्थी को ऊपर विनिर्दिष्ट अनुसार दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया जबकि सह-अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया गया क्योंकि अभियोजन पक्ष उसके विरुद्ध आरोपों को साबित करने में असफल रहा था । मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने तारीख 26 मई, 2017 के आक्षेपित आदेश द्वारा अपीलार्थी की दोषसिद्धि और दंडादेश की पुष्टि की । अभियुक्त द्वारा व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की गई । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभिलेख पर के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता और उसकी माता को छोड़कर अन्य स्वतंत्र साक्षियों अर्थात् रजत शुक्ला (अभि. सा. 1), अमित भसीन (अभि. सा. 10) और विकास शुक्ला (अभि. सा. 11) ने घटना देखे जाने की बात से इनकार किया । यहां तक कि उप निरीक्षक राहुल शर्मा (अभि. सा. 9) ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया कि ऊपर वर्णित साक्षियों ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन पुलिस को कथन करने के दौरान यह उपदर्शित किया था कि उन्होंने अभियुक्त-अपीलार्थी को गोली चलाते हुए नहीं देखा था । उपरोक्त परिस्थितियों में, घटनास्थल पर अभियुक्त की मौजूदगी को साबित करने के लिए स्वयं शिकायतकर्ता के परिसाक्ष्य के अलावा एकमात्र उपलब्ध साक्ष्य उसकी माता, अभि. सा. 3 का साक्ष्य है । यद्यपि, अभियुक्त की ओर से विद्वान् काउंसेल ने यह तर्क दिया कि पूर्वोक्त साक्षी के परिसाक्ष्य पर विचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि

वह एक "हितबद्ध" साक्षी है, तो भी विधि का यह एक स्थिर सिद्धांत है कि किसी घनिष्ट नातेदार को स्वयमेव एक "हितबद्ध" साक्षी नहीं कहा जा सकता है । तथापि, यह अति सामान्य बात है कि यहां तक कि नातेदार साक्षियों के कथनों की भी अधिक सावधानीपूर्वक संवीक्षा किए जाने की आवश्यकता होती है । यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि शिकायतकर्ता ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि उसकी माता घटना के पश्चात् घटनास्थल पर आई थी । दूसरी ओर, प्रतिपरीक्षा में उसकी माता ने यह कथन किया है कि वह शिकायतकर्ता के पीछे-पीछे गई थी जब वह बाहर गया था और इसलिए उसने घटना देखी थी । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कहा कि जब उसने गोली चलने की आवाज सुनी थी तो वह बाहर आई थी । तथापि, उसने बरामदे से घटना देखी थी । विरोधाभासों के अतिरिक्त, यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि घटना रात्रि में लगभग 10.30 बजे घटी थी । यह कहीं भी उल्लिखित नहीं है कि अभियुक्त और अभि. सा. 3 इस सीमा तक परिचित थे कि वह उसे उस समय क्षणभर में पहचान सकती थी जब वह अपने दुपहिये पर तीव्र गति से भाग रहा था । वह अभियुक्त-अपीलार्थी का कोई इंद्रियगोचर नाक-नक्श बताने में भी असफल रही थी । वास्तव में वह अभियुक्तों से परिचित नहीं थी । यह अत्यंत अनधिसंभाव्य प्रतीत होता है कि शिकायतकर्ता की माता, अभि. सा. 3 ने रात्रि में अपीलार्थी-अभियुक्त को तत्काल पहचान लिया था । अभियुक्त-अपीलार्थी को अभिकथित घटना से संबद्ध करने के लिए शनाख्त परीक्षण करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था । शिकायतकर्ता की माता, अभि. सा. 3 के कथन की सूक्ष्मता से संवीक्षा करने के पश्चात् इस न्यायालय को यह कहना होगा कि इससे विश्वास प्रेरित नहीं होता है । (पैरा 9, 10, 12 और 13)

उच्च न्यायालय और विचारण न्यायालय ने अभियुक्त-अपीलार्थी के कब्जे से एक मोटरसाइकिल और एक देसी पिस्तौल की बरामदगी की बात पर अत्यधिक जोर दिया है । निरीक्षक-राहुल शर्मा (अभि. सा. 9) ने अपने साक्ष्य में यह कहा था कि अभिकथित मोटरसाइकिल और देसी पिस्तौल अभियुक्त-अपीलार्थी के प्रकटन कथन के आधार पर

शिकायतकर्ता के मकान से अभिगृहीत किए गए थे । तथापि, अभिग्रहण के साक्षियों (अभि. सा. 5 और अभि. सा. 8) ने इस संबंध में भिन्न-भिन्न कथन किए हैं । वास्तव में, अभि. सा. 5 ने स्पष्ट रूप से यह कहा था कि दुपहिये की कोई बरामदगी नहीं की गई थी और इसलिए इस साक्षी को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया था । इसके अतिरिक्त, यद्यपि अभि. सा. 8 ने यह कथन किया था कि पिस्तौल को छोड़कर कोई अन्य वस्तु अभिगृहीत नहीं की गई थी, तो भी उसने यह कहते हुए स्वयं अपनी बात का खंडन किया कि वास्तव में एक काले रंग की स्पलेंडर मोटरसाइकिल अभिगृहीत की गई थी । अभि. सा. 8 के कथन में पूर्वोक्त विरोधाभास को छुटपुट विरोधाभास नहीं कहा जा सकता है । इसलिए इससे विश्वास प्रेरित नहीं होता है । यह भी उल्लेख किए जाने की आवश्यकता है कि घटनास्थल से किसी छर्रे, खाली कारतूस, या बारूद के किसी अवशेष की बरामदगी नहीं की गई थी । प्राक्षेपिकी रिपोर्ट के अभाव में, अभिगृहीत आयुध और अभिकथित घटना के बीच कोई स्पष्ट संबंध नहीं है । इसके अतिरिक्त, यहां तक कि शिकायतकर्ता ने भी मोटरसाइकिल का एक अस्पष्ट विवरण दिया था । शिकायतकर्ता द्वारा न तो अनुज्ञप्ति संख्यांक, न ही रंग और न ही कोई अन्य सुभेदक विशेषता उपदर्शित की गई थी । इसमें भी, अभिगृहीत यान और अभिकथित घटना के बीच संबंध जोड़ने वाली कोई बात नहीं है । (पैरा 14, 16 और 17)

एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा जो वर्तमान अपील में विचार किए जाने योग्य है, यह है कि अभियुक्त-अपीलार्थी ने धारा 313 के अधीन अपने कथन में कहा था कि वह और शिकायतकर्ता विरोधी छात्र दलों से संबंध रखते हैं । अभियुक्त-अपीलार्थी ने दावा किया कि निर्वाचनों से संबंधित विद्वेष के कारण उसे (अभियुक्त-अपीलार्थी को) मामले में मिथ्या रूप से फंसाया गया था । उसने अपने अन्यत्र होने के अभिवाक् को साबित करने के लिए दो साक्षी भी पेश किए थे । प्रति. सा. 1 और प्रति. सा. 2 ने कथन किया था कि अभियुक्त-अपीलार्थी अपने गांव में था क्योंकि उसकी माता अस्वस्थ थी । इसके अतिरिक्त, अभियुक्त-अपीलार्थी ने न्यायालय को यह भी बताया था कि शिकायतकर्ता का पिता, बहिन और

भाई सभी पुलिस विभाग में हैं । अभियुक्त-अपीलार्थी ने न्यायालय के ध्यान में यह तथ्य भी लाया था कि शिकायतकर्ता ने अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध एक अन्य आपराधिक मामला भी रजिस्ट्रीकृत किया था, जिसमें उसे पहले ही दोषमुक्त कर दिया गया है । प्रस्तुत मामले में, निचले न्यायालय अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा धारा 313 के अधीन किए गए अपने कथन में प्रस्तुत किए गए प्रतिरक्षा वृत्तांत की संवीक्षा करने में असफल रहे हैं । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 का प्रयोजन अभियुक्त को उन प्रतिकूल परिस्थितियों को स्पष्ट करने के लिए एक युक्तियुक्त अवसर प्रदान करना है जो विचारण के दौरान उसके विरुद्ध प्रकट हुई हैं । युक्तियुक्त अवसर में प्रश्नों के रूप में सभी प्रतिकूल साक्ष्यों को बताना सम्मिलित है, जिससे अभियुक्त को अपनी प्रतिरक्षा को व्यक्त करने और अपना स्पष्टीकरण देने का अवसर मिल सके । दांडिक विधिक का यह स्थिर सिद्धांत है कि अभियुक्त की दोषिता को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर होता है । जहां अभियुक्त कोई प्रतिरक्षा प्रस्तुत करता है या स्पष्टीकरण देता है, तो यह सुस्थिर है कि उसके लिए अपनी प्रतिरक्षा को युक्तियुक्ति संदेह के परे साबित करना अपेक्षित नहीं है अपितु केवल अधिसंभाव्यताओं की प्रबलता द्वारा साबित करना अपेक्षित है । इसके अतिरिक्त, अभियुक्त की प्रतिरक्षा पर विचार करना निचले न्यायालयों का पुनीत कर्तव्य है । न्यायाधीश द्वारा इस पर सावधानी से विचार किया जाना चाहिए और मस्तिष्क का प्रयोग करके संवीक्षा की जानी चाहिए । न्यायालय इसे स्वीकार या नामंजूर कर सकता है, तथापि, यह सरसरी तौर पर नहीं किया जा सकता है । इसके लिए कारण और मस्तिष्क का प्रयोग करने की बात लिखित में प्रतिबिंबित होनी चाहिए । तथापि, ऊपर उद्धृत मताभिव्यक्तियों से यह स्पष्ट है कि निचले न्यायालय इस पुनीत कर्तव्य को निभाने में असफल रहे हैं । बल्कि, अभियुक्त के साक्ष्य पर न्यायालय द्वारा एक नैमित्तिक रीति में विचार किया गया है । उपरोक्त परिस्थितियों में, जब शिकायतकर्ता द्वारा किए गए कथनों की संपुष्टि करने के लिए स्वतंत्र साक्ष्य का अभाव है, अभिकथित मोटरसाइकिल और देसी पिस्तौल की बरामदगी के संबंध में

गंभीर संदेह है, अभिकथित बरामद वस्तुओं और अभिकथित घटना के बीच कोई संबंध साबित नहीं किया गया है और अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा धारा 313 के अधीन अपने कथन में प्रस्तुत किए गए सच्चे वृत्तांत पर अभियोजन पक्ष द्वारा समाधानप्रद उत्तर नहीं दिया गया है, तो अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध मामले को संधार्य नहीं रखा जा सकता है । न्यायालय का कर्तव्य भूसे से अनाज को अलग करना और साक्ष्य के ढेर में से सच्चाई को बाहर निकालना है । हमारी राय में, अभियोजन का पक्षकथन मात्र अटकलबाजियों और अनुमानों पर आधारित है । उच्च न्यायालय और विचारण न्यायालय अभियुक्त को दोषसिद्ध करने का निर्णय देते हुए उपर्युक्त परिस्थितियों पर विचार करने में असफल रहे हैं । अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर लाया गया साक्ष्य अपीलार्थी के विरुद्ध मामले को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने के लिए अपर्याप्त है । (पैरा 18, 25, 26, 29, 30, 31 और 32)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2021]	(2021) 6 एस. सी. सी. 1 : **सतबीर सिंह** बनाम **हरियाणा राज्य** ;	20
[2020]	(2020) 8 एस. सी. सी. 811 : **परमिन्दर कौर** बनाम **पंजाब राज्य** ;	29
[2019]	(2019) 13 एस. सी. सी. 289 : **रीना हजारिका** बनाम **असम राज्य** ;	19
[2019]	(2019) 13 एस. सी. सी. 653 : **राजस्थान राज्य** बनाम **मदन** ;	10
[2018]	(2018) 6 एस. सी. सी. 591 : **भास्करराव** बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ;	10
[2008]	(2008) 16 एस. सी. सी. 328 : **असरफ अली** बनाम **असम राज्य** ;	25

[2001] (2001) 10 एस. सी. सी. 103 :
एम. अब्बास बनाम **केरल राज्य** । 29

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2018 की दांडिक अपील सं. 704.

2005 की दांडिक अपील सं. 1870 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के तारीख 26 मई, 2017 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री कौस्तुभ ए., अश्वनी कुमार नायर और विकास उपाध्याय

प्रत्यर्थी की ओर से सर्वश्री पशुपति नाथ राजदान, मिर्जा कायश बेग, प्रखर श्रीवास्तव और (सुश्री) स्नेह बैरवा

न्यायालय का निर्णय मुख्य न्यायमूर्ति एन. वी. रमना ने दिया ।

मु. न्या. रमना – यह अपील 2005 की दांडिक अपील सं. 1870 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा तारीख 26 मई, 2017 को पारित किए गए निर्णय से उद्भूत हुई है । उच्च न्यायालय ने 2003 के सेशन विचारण सं. 119 में प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, सिधी द्वारा तारीख 18 अगस्त, 2005 को पारित किए गए निर्णय के विरुद्ध अपीलार्थी की अपील को उसकी भारतीय दंड संहिता, 1860 ('भारतीय दंड संहिता') की धारा 307 और आयुध अधिनियम, 1959 ('आयुध अधिनियम') की धारा 25 और 27 के अधीन दोषसिद्धि की पुष्टि करते हुए खारिज कर दिया था ।

2. अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अधीन 500/- रुपए के जुर्माने सहित तीन वर्ष का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया था । उसे आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन 1,000/- रुपए के जुर्माने सहित तीन वर्ष का कठोर कारावास भुगतने और आयुध अधिनियम की धारा 25 के अधीन 500/- रुपए के जुर्माने सहित एक वर्ष का कठोर कारावास भुगतने का भी दंडादेश दिया गया था । अपीलार्थी ने अपने दंडादेश का लगभग एक वर्ष 7 माह भुगत लिया है

और उसे इस अपील के लंबित रहने के दौरान इस न्यायालय द्वारा जमानत पर छोड़ा गया था ।

3. अभियोजन के पक्षकथन के अनुसार तथ्यात्मक पृष्ठभूमि यह है कि तारीख 14 मई, 2003 को लगभग 10.30 बजे अपराह्न में अपीलार्थी और सह-अभियुक्त शिकायतकर्ता के मकान पर गए और उसे बाहर बुलाया । जब शिकायतकर्ता बाहर आया तो अपीलार्थी ने उस पर एक देसी पिस्तौल से गोली चला दी । शिकायतकर्ता (अभि. सा. 2) कथित रूप से मकान के अंदर भाग गया और क्षति पहुंचने से बच गया, जबकि अपीलार्थी और सह-अभियुक्त अपनी मोटरसाइकिल पर घटनास्थल से भाग गए । शिकायतकर्ता की माता (अभि. सा. 3) अभिकथित रूप से घटना के समय मकान में मौजूद थी और शिकायतकर्ता के पड़ोसी (अभि. सा. 1, अभि. सा. 10, अभि. सा. 11) बंदूक की गोली चलने की आवाज सुनकर वहां पहुंचे थे । अभिकथित घटना में प्रयुक्त अग्न्यायुध को, एक खाली कारतूस सहित, कथित रूप से अपीलार्थी से बरामद किया गया था ।

4. अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी और सह-अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 307/34 और आयुध अधिनियम की धारा 25(1ख)(क) और धारा 27(1) के अधीन आरोपित किया । विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर के साक्ष्य का परिशीलन और साक्षियों की परीक्षा करने के पश्चात् अपीलार्थी को ऊपर विनिर्दिष्ट अनुसार दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया जबकि सह-अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया गया क्योंकि अभियोजन पक्ष उसके विरुद्ध आरोपों को साबित करने में असफल रहा था । मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने तारीख 26 मई, 2017 के आक्षेपित आदेश द्वारा अपीलार्थी की दोषसिद्धि और दंडादेश की पुष्टि की । व्यथित होकर अपीलार्थी ने विशेष इजाजत लेकर इस न्यायालय में अपील फाइल की है ।

5. अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि अभियोजन का संपूर्ण पक्षकथन शिकायतकर्ता (अभि. सा. 2) के परिसाक्ष्य और उसकी माता (अभि. सा. 3), जो एक हितबद्ध साक्षी है, के अनुश्रुत साक्ष्य पर आधारित है और उनके परिसाक्ष्यों का समर्थन करने

के लिए कोई संपुष्टिकारी साक्ष्य या स्वतंत्र साक्षी नहीं है । उन्होंने यह दलील दी कि घटना तथा अग्न्यायुध की अभिकथित बरामदगी, दोनों के अभियोजन साक्षी पक्षद्रोही हो गए थे । उन्होंने अन्वेषण अधिकारी (अभि. सा. 9) के परिसाक्ष्य का भी यह बताने के लिए अवलंब लिया कि घटनास्थल से कोई खाली कारतूस या छर्रे बरामद नहीं किए गए थे, जिससे अभियोजन के पक्षकथन पर संदेह उत्पन्न होता है । अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि शिकायतकर्ता का पुलिस विभाग से गहरा संबंध है क्योंकि उसका पिता एक सेवानिवृत्त निरीक्षक है और उसका भाई और बहिन भी पुलिस अधिकारी हैं । विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी कि अभियोजन पक्ष द्वारा शिकायतकर्ता के अतिरिक्त किसी साक्षी को पेश नहीं किया गया था जिसने अपीलार्थी को घटनास्थल पर देखा था ।

6. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से विद्वान् काउंसेल ने निचले न्यायालयों द्वारा दिए गए दोषसिद्धि के समवर्ती निर्णयों का समर्थन किया । उन्होंने यह कहा कि शिकायतकर्ता (अभि. सा. 2) और उसकी माता (अभि. सा. 3) के कथनों का अवलंब लेकर कोई गलती नहीं की गई है, जिनके परिसाक्ष्य की संपुष्टि प्राक्षेपिकी साक्ष्य और अपीलार्थी से अभिगृहीत अग्न्यायुध और खाली कारतूस से हुई है ।

7. मामले के गुणागुण पर विद्वान् काउंसेलों को सुना और अभिलेख पर की सामग्री का परिशीलन किया ।

8. अभियोजन पक्ष ने शिकायतकर्ता और उसकी माता के कथन का मजबूती से अवलंब लिया है । शिकायतकर्ता के कथन का परिशीलन करने पर यह प्रकट होता है कि अभियुक्त-अपीलार्थी उसके मकान के सामने आया था और यह पूछने पर कि वे यहां क्यों आए हैं, अभियुक्त-अपीलार्थी और उसका साथी चुप रहे । शिकायतकर्ता ने उन्हें चले जाने के लिए कहा । इसके पश्चात्, अभियुक्त ने अभिकथित रूप से अपनी देशी पिस्तौल निकाली और शिकायतकर्ता पर गोली चला दी । इसके पश्चात् अभियुक्त और उसका साथी अपने दुपहिये पर भाग गए । शिकायतकर्ता पहले ही मकान के अंदर भाग गया था और इसलिए उसे कोई अपहानि कारित नहीं हुई । तत्पश्चात्, शिकायतकर्ता की माता और

उसके तीन पड़ोसी घटनास्थल पर आए ।

9. अभिलेख पर के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता और उसकी माता को छोड़कर अन्य स्वतंत्र साक्षियों अर्थात् रजत शुक्ला (अभि. सा. 1), अमित भसीन (अभि. सा. 10) और विकास शुक्ला (अभि. सा. 11) ने घटना देखे जाने की बात से इनकार किया । यहां तक कि उप निरीक्षक राहुल शर्मा (अभि. सा. 9) ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया कि ऊपर वर्णित साक्षियों ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन पुलिस को कथन करने के दौरान यह उपदर्शित किया था कि उन्होंने अभियुक्त-अपीलार्थी को गोली चलाते हुए नहीं देखा था ।

10. उपरोक्त परिस्थितियों में, घटनास्थल पर अभियुक्त की मौजूदगी को साबित करने के लिए स्वयं शिकायतकर्ता के परिसाक्ष्य के अलावा एकमात्र उपलब्ध साक्ष्य उसकी माता, अभि. सा. 3 का साक्ष्य है । यद्यपि, अभियुक्त की ओर से विद्वान् काउंसेल ने यह तर्क दिया कि पूर्वोक्त साक्षी के परिसाक्ष्य पर विचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वह एक "हितबद्ध" साक्षी है, तो भी विधि का यह एक स्थिर सिद्धांत है कि किसी घनिष्ट नातेदार को स्वयमेव एक "हितबद्ध" साक्षी नहीं कहा जा सकता है । तथापि, यह अति सामान्य बात है कि यहां तक कि नातेदार साक्षियों के कथनों की भी अधिक सावधानीपूर्वक संवीक्षा किए जाने की आवश्यकता होती है । [**भास्करराव** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[1] और **राजस्थान राज्य** बनाम **मदन**[2] वाले मामले देखें] ।

11. उपरोक्त संदर्भ में शिकायतकर्ता (अभि. सा. 2) और शिकायतकर्ता की माता (अभि. सा. 3) के कथन का उल्लेख करना प्रासंगिक है :–

अभि. सा. 2 का अभिसाक्ष्य

अभि. सा. 2 द्वारा मुख्य परीक्षा में यह कहा गया है कि :

"..... तारीख 14 फरवरी, 2003 को 10.30 बजे अपराह्न में

---

[1] (2018) 6 एस. सी. सी. 591.

[2] (2019) 13 एस. सी. सी. 653.

मैं अपने घर पर था । उसी समय जयप्रकाश और पिंटू मोटरसाइकिल पर मेरे मकान के सामने आए और दो बार हॉर्न बजाया, जिसके उपरांत मैं बाहर आया । जब मैं अपने मकान के बाहर आया तो मैंने पिंटू दुबे को मोटरसाइकिल की चालक सीट पर और जयप्रकाश को पीछे बैठे हुए देखा तथा मोटरसाइकिल चालू थी । मैंने पिंटू से पूछा कि किसलिए आए हो, जिस पर उसने उत्तर दिया कि जयप्रकाश मुझे अपने साथ लाया है, इसलिए उसी से पूछो । इसलिए मैंने जयप्रकाश से पूछा किंतु उसने उत्तर नहीं दिया । यह लग रहा था कि जैसे जयप्रकाश नशे में हो इसलिए मैंने उन्हें चले जाने के लिए कहा और मैं उनसे बाद में बात करूंगा । इसके पश्चात् पिंटू ने दुपहिये में रेस दी । जैसे ही पिंटू ने दुपहिये में रेस दी, उसी समय जयप्रकाश ने देसी पिस्तौल निकाली और मेरे ऊपर गोली चला दी और वे गाली देते हुए चले गए । उस समय पर मैं दौड़ कर मकान में घुस गया था ।

उसके पश्चात्, आस-पड़ोस से दो-तीन लोग आए । मेरी माता भी आ गई थी । मेरे पड़ोसी अर्थात् अमित भसीन, विकास शुक्ला, रजत शुक्ला वहां आए । मेरी माता ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है, इसलिए मैंने उसे घटना के बारे में बताया ।"

अभि. सा. 3 का अभिसाक्ष्य

अभि. सा. 3 द्वारा मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया है कि :

"..... घटना तारीख 14 फरवरी, 2003 को लगभग 10.30 बजे अपराह्न की है । मैं अपने घर में था । बाहर से लड़कों की आवाज आई, मोटरसाइकिल की भी आवाज आई । बाहर से आवाज आ रही थी कि – संदीप बाहर आओ, जिसके उपरांत संदीप बाहर गया । **मैं भी उसके पीछे-पीछे गई ।** दो लड़के मोटरसाइकिल पर बैठे हुए थे, मोटरसाइकिल चालू थी । मुझे ऐसी आवाज आ रही थी मानो कोई ऊंची आवाज में गालियां दे रहा हो और उन्होंने बातचीत के दौरान ही गोली चला दी । इसलिए जब गोली चली तो संदीप तुरंत घर के अंदर आ गया ।"

प्रतिपरीक्षा में अभि. सा. 3 द्वारा यह कहा गया है कि :

"मैं पहले बरामदे में थी । **जब मैंने गोली चलने की आवाज सुनी तो मैं बाहर आई** । बरामदा खुला है जहां से बाहर का परिदृश्य दिखाई पड़ता है । यह कहना सही नहीं है कि मैंने मात्र धड़ाम की आवाज सुनी थी ..... और यहां तक कि मैंने इसे देखा भी था ।"

इसके पश्चात् पुन: प्रतिपरीक्षा में यह कहा गया है :

"..... **मैं अभियुक्तों को पहले से नहीं जानती थी** । यह कहना सही नहीं है कि मैंने घटना नहीं देखी थी .....।"

(बल देने के लिए रेखांकन किया गया है)

12. यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि शिकायतकर्ता ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि उसकी माता घटना के पश्चात् घटनास्थल पर आई थी । दूसरी ओर, प्रतिपरीक्षा में उसकी माता ने यह कथन किया है कि वह शिकायतकर्ता के पीछे-पीछे गई थी जब वह बाहर गया था और इसलिए उसने घटना देखी थी । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कहा कि जब उसने गोली चलने की आवाज सुनी थी तो वह बाहर आई थी । तथापि, उसने बरामदे से घटना देखी थी ।

13. विरोधाभासों के अतिरिक्त, यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि घटना रात्रि में लगभग 10.30 बजे घटी थी । यह कहीं भी उल्लिखित नहीं है कि अभियुक्त और अभि. सा. 3 इस सीमा तक परिचित थे कि वह उसे उस समय क्षणभर में पहचान सकती थी जब वह अपने दुपहिये पर तीव्र गति से भाग रहा था । वह अभियुक्त-अपीलार्थी का कोई इंद्रियगोचर नाक-नक्श बताने में भी असफल रही थी । वास्तव में, वह अभियुक्तों से परिचित नहीं थी । यह अत्यंत अनधिसंभाव्य प्रतीत होता है कि शिकायतकर्ता की माता, अभि. सा. 3 ने रात्रि में अपीलार्थी-अभियुक्त को तत्काल पहचान लिया था । अभियुक्त-अपीलार्थी को अभिकथित घटना से संबद्ध करने के लिए शनाख्त परीक्षण करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था । शिकायतकर्ता की माता, अभि. सा. 3 के कथन की सूक्ष्मता से संवीक्षा करने के पश्चात् हमें यह

कहना होगा कि इससे विश्वास प्रेरित नहीं होता है ।

14. उच्च न्यायालय और विचारण न्यायालय ने अभियुक्त-अपीलार्थी के कब्जे से एक मोटरसाइकिल और एक देसी पिस्तौल की बरामदगी की बात पर अत्यधिक जोर दिया है ।

15. इस संदर्भ में, अभिग्रहण के साक्षियों अभि. सा. 5 और अभि. सा. 8 के कथनों का उल्लेख करना आवश्यक है :

अभि. सा. 5 का अभिसाक्ष्य

मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया है कि :

"पुलिस ने जयप्रकाश को पकड़ा था और उसकी तलाशी लेते समय एक देसी पिस्तौल पाई थी .....। मुझे स्मरण नहीं है कि कोई दस्तावेज बनाए गए थे या नहीं । इसके पश्चात् जयप्रकाश को लॉक-अप में रखा गया था और मैं वापस आ गया था । पुलिस ने मेरे समक्ष कोई यान अभिगृहीत नहीं किया था ।

यह उल्लेख करना आवश्यक है कि इस प्रक्रम पर एजीपी ने साक्षी से उसे पक्षद्रोही घोषित करने के लिए मुख्य प्रश्न पूछने की अनुज्ञा मांगी थी .....। मुझे आज स्मरण नहीं है कि अभियुक्त जयप्रकाश से मेरे समक्ष मोटरसाइकिल अभिगृहीत की गई थी या नहीं ।"

प्रतिपरीक्षा में यह कहा गया है कि :

"मैं संदीप उपाध्याय को जानता हूं । मेरे उससे अच्छे संबंध हैं.... । जयप्रकाश के पड़ोसी उस समय मौजूद नहीं थे जब पुलिस ने कार्यवाही की थी, फिर कहा कि लोग वहां थे किंतु वह उन्हें नहीं जानता । जयप्रकाश के किसी भी पड़ोसी ने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर नहीं किए थे । पुलिस ने जयप्रकाश के पड़ोसियों को नहीं बुलाया था ।"

अभि. सा. 8 का अभिसाक्ष्य

मुख्य परीक्षा में :

"पुलिस ने अभियुक्त से एक देसी पिस्तौल अभिगृहीत की थी । **पिस्तौल को छोड़कर कोई अन्य वस्तु मेरे समक्ष अभिगृहीत नहीं की गई थी और न ही अभियुक्त से इसे मेरे समक्ष अभिगृहीत कराने के लिए कहा गया था ।**

यह कहना सही नहीं है कि मेरे समक्ष अभियुक्त जयप्रकाश से एक काले रंग की स्पलेंडर मोटरसाइकिल जिस पर एमपी 17 एमबी 9735 लिखा हुआ था, अभिगृहीत नहीं की गई थी ।"

(बल देने के लिए रेखांकन किया गया है)

16. उक्त निरीक्षक-राहुल शर्मा (अभि. सा. 9) ने अपने साक्ष्य में यह कहा था कि अभिकथित मोटरसाइकिल और देसी पिस्तौल अभियुक्त-अपीलार्थी के प्रकटन कथन के आधार पर शिकायतकर्ता के मकान से अभिगृहीत किए गए थे । तथापि, अभिग्रहण के साक्षियों (अभि. सा. 5 और अभि. सा. 8) ने इस संबंध में भिन्न-भिन्न कथन किए हैं । वास्तव में, अभि. सा. 5 ने स्पष्ट रूप से यह कहा था कि दुपहिये की कोई बरामदगी नहीं की गई थी और इसलिए इस साक्षी को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया था । इसके अतिरिक्त, यद्यपि अभि. सा. 8 ने यह कथन किया था कि पिस्तौल को छोड़कर कोई अन्य वस्तु अभिगृहीत नहीं की गई थी, तो भी उसने यह कहते हुए स्वयं अपनी बात का खंडन किया कि वास्तव में एक काले रंग की स्पलेंडर मोटरसाइकिल अभिगृहीत की गई थी । अभि. सा. 8 के कथन में पूर्वोक्त विरोधाभास को छुटपुट विरोधाभास नहीं कहा जा सकता है । इसलिए इससे विश्वास प्रेरित नहीं होता है ।

17. यह भी उल्लेख किए जाने की आवश्यकता है कि घटनास्थल से किसी छर्रे, खाली कारतूत, या बारुद के किसी अवशेष की बरामदगी नहीं की गई थी । प्राक्षेपिकी रिपोर्ट के अभाव में, अभिगृहीत आयुध और अभिकथित घटना के बीच कोई स्पष्ट संबंध नहीं है । इसके अतिरिक्त, यहां तक कि शिकायतकर्ता ने भी मोटरसाइकिल का एक अस्पष्ट विवरण दिया था । शिकायतकर्ता द्वारा न तो अनुज्ञप्ति संख्यांक, न ही रंग और न ही कोई अन्य सुभेदक विशेषता उपदर्शित की गई थी । इसमें भी, अभिगृहीत यान और अभिकथित घटना के बीच संबंध जोड़ने वाली कोई

बात नहीं है ।

18. एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा जो वर्तमान अपील में विचार किए जाने योग्य है, यह है कि अभियुक्त-अपीलार्थी ने धारा 313 के अधीन अपने कथन में कहा था कि वह और शिकायतकर्ता विरोधी छात्र दलों से संबंध रखते हैं । अभियुक्त-अपीलार्थी ने दावा किया कि निर्वाचनों से संबंधित विद्वेष के कारण उसे (अभियुक्त-अपीलार्थी को) मामले में मिथ्या रूप से फंसाया गया था । उसने अपने अन्यत्र होने के अभिवाक् को साबित करने के लिए दो साक्षी भी पेश किए थे । प्रति. सा. 1 और प्रति. सा. 2 ने कथन किया था कि अभियुक्त-अपीलार्थी अपने गांव में था क्योंकि उसकी माता अस्वस्थ थी । इसके अतिरिक्त, अभियुक्त-अपीलार्थी ने न्यायालय को यह भी बताया था कि शिकायतकर्ता का पिता, बहिन और भाई सभी पुलिस विभाग में हैं । अभियुक्त-अपीलार्थी ने न्यायालय के ध्यान में यह तथ्य भी लाया था कि शिकायतकर्ता ने अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध एक अन्य आपराधिक मामला भी रजिस्ट्रीकृत किया था, जिसमें उसे पहले ही दोषमुक्त कर दिया गया है ।

19. प्रस्तुत मामले में, अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत आनुकल्पिक वृत्तांत की अनदेखी नहीं की जा सकती है । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 अभियुक्त पर उसे अपनी निर्दोषिता सिद्ध करने के लिए एक मूल्यवान अधिकार प्रदत्त करती है और इसे संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन ऋजु विचारण के एक सांविधानिक अधिकार के रूप में एक कानूनी अधिकार से परे समझा जा सकता है । (**रीना हजारिका** बनाम **असम राज्य**[1] वाला मामला देखें) ।

20. **सतबीर सिंह** बनाम **हरियाणा राज्य**[2] वाले मामले में इस न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के महत्व पर जोर देते हुए विचारण न्यायालय के कर्तव्य को वर्णित किया और यह अभिनिर्धारित किया :–

"22. <u>ये गंभीर चिंता का विषय है कि विचारण न्यायालय</u>

[1] (2019) 13 एस. सी. सी. 289.

[2] (2021) 6 एस. सी. सी. 1.

प्राय: दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त के कथन को अत्यंत नैमित्तिक और सरसरी रीति में, अभियुक्त से उसकी प्रतिरक्षा के बारे में विनिर्दिष्ट रूप से प्रश्न किए बिना, अभिलिखित करते हैं । यह ध्यान में रखना चाहिए कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त की परीक्षा को मात्र एक प्रक्रियात्मक औपचारिकता नहीं समझा जा सकता क्योंकि यह ऋजुता के मूलभूत सिद्धांत पर आधारित है । इस उपबंध में नैसर्गिक न्याय का मूल्यवान सिद्धांत – 'दूसरे पक्षकार को भी सुनो' सम्मिलित है, क्योंकि यह अभियुक्त को उसके विरुद्ध प्रकट अपराध में फंसाने वाली सामग्री के लिए स्पष्टीकरण देने के लिए समर्थ बनाता है । अत: यह न्यायालय पर अभियुक्त से ऋजुतापूर्वक, सतर्कता और सावधानी से प्रश्न पूछने की बाध्यता अधिरोपित करता है । न्यायालय को अभियुक्त के समक्ष अवश्य अपराध में फंसाने वाली परिस्थितियों को बताना चाहिए और उसके उत्तर की ईप्सा करनी चाहिए । अभियुक्त के काउंसेल पर भी विचारण के आरंभ से ही सम्यक् सावधानी से उसकी प्रतिरक्षा तैयार करने का कर्तव्य अधिरोपित है..... ।"

(बल देने के लिए रेखांकन किया गया है)

21. उपर्युक्त पूर्व-निर्णयों के संदर्भ में प्रतिरक्षा पक्ष के साक्ष्य पर दृष्टिपात करना अत्यावश्यक है :

"अभियुक्त सं. 1 की परीक्षा

प्र. 3 : तारीख 14 फरवरी, 2003 को लगभग 10.30 बजे रात्रि में आप अभियुक्त और सह-अभियुक्त पिंटू **उर्फ** पदमधर दूबे शिकायतकर्ता संदीप उपाध्याय (अभि. सा. 2) के अर्जुन नगर, उत्तर करोदिया स्थित मकान पर हीरो होंडा मोटरसाइकिल संख्यांक एमपी 17बी/9795 द्वारा आए थे । आपको क्या कहना है ?

उत्तर : **यह असत्य है । मैं गांव गया हुआ था ।**

अभियुक्त का प्रतिरक्षा अभिवाक्

जब अभियुक्त जयप्रकाश तिवारी पुत्र गिरिजा प्रसाद तिवारी

को अपनी प्रतिरक्षा प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था, तब उसने कहा कि –

मैंने महाविद्यालय के निर्वाचन में संदीप के अभ्यर्थी के पक्ष में मत नहीं दिया था । संदीप एन. एस. यू. आई. के पक्ष में था । मैं विद्यार्थी परिषद् (स्टूडेंट कौंसिल) के पक्ष में था । **इस कारण से मुझे मिथ्या रूप से फंसाया गया है ।**

अभियुक्त से यह पूछे जाने पर कि क्या उसे प्रतिरक्षा में साक्ष्य देना है, तब उसने कहा कि – मुझे प्रतिरक्षा में साक्ष्य देना है ।

प्रति. सा. 1 का अभिसाक्ष्य

मुख्य परीक्षा

1. मैं अभियुक्त जयप्रकाश और उसके माता-पिता को जानता हूं । उनका मकान माटा में ; सिधी में करौदिया में ; अमहाटोला गांव और हनुमानगढ़, वेलदाह में भी है । तारीख 14 फरवरी, 2003 को मैं 9-9.15 बजे उत्तर करौदिया स्थित अभियुक्त के मकान पर पहुंचा था और उसे मोटरसाइकिल पर गांव माटा में उसके मकान पर लेकर गया था क्योंकि उसकी माटा गांव माटा में बीमार पड़ी थी । हम 11-11.30 बजे माटा पहुंचें । तब जयप्रकाश तिवारी ने लगभग 12.00 बजे जन स्वास्थ्य रक्षक को बुलाया और अपनी माता का उपचार कराया । उसकी माता को 15 तारीख सवेरे तक ड्रिप लगाई गई थी और उस समय जयप्रकाश के साथ दो से चार लोग थे ।

प्रति. सा. 2 का अभिसाक्ष्य

मुख्य परीक्षा

1. मैं अभियुक्त जयप्रकाश को जानता हूं । उसका मकान सिधी में और माता में भी है । तारीख 14 फरवरी, 2003 को जयप्रकाश गांव माटा में था । जयप्रकाश की माता उल्टी और दस्त से पीड़ित थी और इसलिए मेरी जानकारी के अनुसार

जयप्रकाश तारीख 15 फरवरी, 2003 को 11.00 बजे पूर्वाह्न से अगले दिन 8.00 बजे पूर्वाह्न तक गांव माटा में था ।

2. मैंने स्वयं जयप्रकाश को अपने मकान पर जाते हुए देखा था । मैं जयप्रकाश का पड़ोसी हूं । जयप्रकाश को सिधी से माटा शंकरदयाल द्वारा बुलाया गया था क्योंकि जयप्रकाश की माता ठीक नहीं थी । मैंने 4-6 दिनों के पश्चात् सुना कि जयप्रकाश को उक्त तारीख की किसी घटना के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है ।"

(बल देने के लिए रेखांकन किया गया है)

22. वर्तमान मामले में, अभियुक्त ने, जब उसकी परीक्षा की जा रही थी, स्वयं यह कथन किया था कि वह घटना की तारीख को अपने गांव गया हुआ था । अपने पक्षकथन का समर्थन करने के लिए उसने दो प्रतिरक्षा साक्षियों को प्रस्तुत किया था जिन्होंने गांव में उसकी मौजूदगी की बात की संपुष्टि की थी । इसके अतिरिक्त, अभियुक्त ने राजनैतिक प्रतिद्वन्दिता के कारण मामले में मिथ्या रूप से फंसाए जाने का भी दावा किया था । तथापि, प्रतिरक्षा पक्ष के पूर्वोक्त अभिवाक् की संवीक्षा किए बिना विचारण न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया :–

"10. **अभियुक्त जयप्रकाश तिवारी ने अपनी परीक्षा में ऐसा कुछ नहीं कहा कि उसे अभियोजन साक्षियों द्वारा मिथ्या रूप से फंसाया गया है या उसे मिथ्या फंसाए जाने का कोई अन्य कारण या हेतु है** । शिकायतकर्ता संदीप के साक्ष्य की संपुष्टि अमित भसीन-अभि. सा. 10 और विकास-अभि. सा. 11 के साक्ष्य द्वारा की गई है, जो घटना के तुरंत पश्चात् घटनास्थल पर पहुंचे थे और ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता संदीप उपाध्याय और अन्य अभियोजन साक्षियों का साक्ष्य विश्वसनीय है और उनके साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि घटना की तारीख को अभियुक्त जयप्रकाश तिवारी ने शिकायतकर्ता संदीप उपाध्याय पर अग्न्यायुध कट्टे से ज्ञान और आशय के साथ ऐसी परिस्थितियों में गोली चलाई थी कि यदि शिकायतकर्ता की मृत्यु हो जाती तो अभियुक्त जयप्रकाश तिवारी हत्या का दोषी होता ।"

(बल देने के लिए रेखांकन किया गया है)

23. इसी प्रकार, विचारण न्यायालय ने अन्यत्र उपस्थित होने के साक्ष्य को महत्व देने से इनकार कर दिया था । विचारण न्यायालय ने प्रतिरक्षा पक्ष के साक्षियों पर विश्वास न करते हुए यह मत व्यक्त किया :–

> "14. **ऐसी स्थिति में अभियुक्त का प्रतिरक्षा में किया गया अभिवाक् सोचा-समझा प्रतीत होता है ।** प्रतिरक्षा साक्षियों शंकरदयाल मिश्रा-प्रति. सा. 1 और कृष्ण कुमार तिवारी-अभि. सा. 2 के साक्ष्य के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि दोनों साक्षी अभियुक्त के पड़ोसी और उसी गांव के निवासी हैं । कृषक होने के कारण और दो वर्ष के अंतराल के पश्चात् भी उन्हें घटना की तारीख याद है । **यह प्रतीत होता है कि ये साक्षी अभियुक्त को उनके गांव में उसकी मौजूदगी बताकर उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं ।**"

(बल देने के लिए रेखांकन किया गया है)

24. उच्च न्यायालय ने पूर्वोक्त कथनों और साक्ष्य का स्वतंत्रतापूर्वक विश्लेषण किए बिना विचारण न्यायालय के निष्कर्ष को कायम रखा । उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि :–

> "22. यह न्यायालय विद्वान् विचारण न्यायालय के निष्कर्षों से सहमत है कि अपीलार्थी द्वारा ली गई प्रतिरक्षा में किसी अभियोजन साक्षी से प्रश्न नहीं किया गया है और न ही अपीलार्थी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपने कथन के दौरान कोई उल्लेख किया गया है । अपीलार्थी द्वारा किया गया अन्यत्र उपस्थित होने का अभिवाक् सोचा-समझा है । इसलिए अन्यत्र उपस्थित होने के अभिवाक् की बाबत अपीलार्थी के पक्ष में कोई फायदा प्रदान नहीं किया जाता है । इस प्रकार, अपीलार्थी की भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अधीन दोषसिद्धि को तद्द्वारा कायम रखा जाता है ।"

25. प्रस्तुत मामले में, निचले न्यायालय अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा

धारा 313 के अधीन किए गए अपने कथन में प्रस्तुत किए गए प्रतिरक्षा वृत्तांत की संवीक्षा करने में असफल रहे हैं । संहिता की धारा 313 का उद्देश्य न्यायालय और अभियुक्त के बीच प्रत्यक्ष संवाद स्थापित करना है । (**असरफ अली** बनाम **असम राज्य**[1] वाला मामला देखें) ।

26. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 का प्रयोजन अभियुक्त को उन प्रतिकूल परिस्थितियों को स्पष्ट करने के लिए एक युक्तियुक्त अवसर प्रदान करना है जो विचारण के दौरान उसके विरुद्ध प्रकट हुई हैं । युक्तियुक्त अवसर में प्रश्नों के रूप में सभी प्रतिकूल साक्ष्यों को बताना सम्मिलित है, जिससे अभियुक्त को अपनी प्रतिरक्षा को व्यक्त करने और अपना स्पष्टीकरण देने का अवसर मिल सके ।

27. यदि सभी परिस्थितियों को एक साथ इकट्ठा किया जाता है और अभियुक्त को अपना स्पष्टीकरण देने के लिए एक ही अवसर दिया जाता है, तो हो सकता है वह एक युक्तिसंगत और बोधगम्य स्पष्टीकरण देने में समर्थ न हो सके । ऐसी कवायदें, जिनसे यह उचित अवसर विफल होता है वे और कुछ नहीं अपितु खोखली औपचारिकता है । धारा 313 की सही भावना को पूरा न करने से अंततोगत्वा अभियुक्त पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और हो सकता है न्यायालय को एक उचित निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सभी आवश्यक तथ्यों और परिस्थितियों का फायदा न मिल सके ।

28. ऐसे लोप से विचारण स्वत: दूषित नहीं हो जाता है, जब तक कि अभियुक्त यह साबित करने में असफल नहीं रहता है कि उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । यद्यपि अभियुक्त की ओर से काउंसेल ने अलग-अलग परिस्थितियों को विरचित करने में न्यायालय की असफलता के कारण अभियुक्त पर कोई गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की बात को साबित नहीं किया है, तथापि, मामले के लंबे समय तक लंबित रहने और अभियुक्त का एक ऋजु और त्वरित विचारण का अधिकार होने की बात पर विचार करते हुए हम मामले का इसके स्वयं के गुणागुण के आधार पर विनिश्चय करने के लिए अग्रसर होते हैं ।

---

[1] (2008) 16 एस. सी. सी. 328.

29. दांडिक विधिक का यह स्थिर सिद्धांत है कि अभियुक्त की दोषिता को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर होता है । जहां अभियुक्त कोई प्रतिरक्षा प्रस्तुत करता है या स्पष्टीकरण देता है, तो यह सुस्थिर है कि उसके लिए अपनी प्रतिरक्षा को युक्तियुक्ति संदेह के परे साबित करना अपेक्षित नहीं है अपितु केवल अधिसंभाव्यताओं की प्रबलता द्वारा साबित करना अपेक्षित है । **एम. अब्बास** बनाम **केरल राज्य**[1] वाला मामला देखें) । इसके अतिरिक्त, **परमिन्दर कौर** बनाम **पंजाब राज्य**[2] वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि "जब एक बार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 की परीक्षा के प्रक्रम पर प्रतिरक्षा में एक सच्चा वृत्तांत प्रस्तुत किया गया है, तो यह भार अभियोजन पक्ष पर है कि वह ऐसे प्रतिरक्षा के अभिवाक् का खंडन करे" ।

30. इसके अतिरिक्त, अभियुक्त की प्रतिरक्षा पर विचार करना निचले न्यायालयों का पुनीत कर्तव्य है । न्यायाधीश द्वारा इस पर सावधानी से विचार किया जाना चाहिए और मस्तिष्क का प्रयोग करके संवीक्षा की जानी चाहिए । न्यायालय इसे स्वीकार या नामंजूर कर सकता है, तथापि, यह सरसरी तौर पर नहीं किया जा सकता है । इसके लिए कारण और मस्तिष्क का प्रयोग करने की बात लिखित में प्रतिबिंबित होनी चाहिए । तथापि, ऊपर उद्धृत मताभिव्यक्तियों से यह स्पष्ट है कि निचले न्यायालय इस पुनीत कर्तव्य को निभाने में असफल रहे हैं । बल्कि, अभियुक्त के साक्ष्य पर न्यायालय द्वारा एक नैमित्तिक रीति में विचार किया गया है ।

31. उपरोक्त परिस्थितियों में, जब शिकायतकर्ता द्वारा किए गए कथनों की संपुष्टि करने के लिए स्वतंत्र साक्ष्य का अभाव है, अभिकथित मोटरसाइकिल और देसी पिस्तौल की बरामदगी के संबंध में गंभीर संदेह है, अभिकथित बरामद वस्तुओं और अभिकथित घटना के बीच कोई संबंध साबित नहीं किया गया है और अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा धारा 313 के अधीन अपने कथन में प्रस्तुत किए गए सच्चे वृत्तांत पर

---

[1] (2001) 10 एस. सी. सी. 103.

[2] (2020) 8 एस. सी. सी. 811.

अभियोजन पक्ष द्वारा समाधानप्रद उत्तर नहीं दिया गया है, तो अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध मामले को संधार्य नहीं रखा जा सकता है ।

32. न्यायालय का कर्तव्य भूसे से अनाज को अलग करना और साक्ष्य के ढेर में से सच्चाई को बाहर निकालना है । हमारी राय में, अभियोजन का पक्षकथन मात्र अटकलबाजियों और अनुमानों पर आधारित है । उच्च न्यायालय और विचारण न्यायालय अभियुक्त को दोषसिद्ध करने का निर्णय देते हुए उपर्युक्त परिस्थितियों पर विचार करने में असफल रहे हैं । अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर लाया गया साक्ष्य अपीलार्थी के विरुद्ध मामले को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने के लिए अपर्याप्त है ।

33. अत: इन कारणों से यह अपील मंजूर की जाती है । अपीलार्थी के विरुद्ध पारित दोषसिद्धि और दंडादेश अपास्त किए जाते हैं । अपीलार्थी जमानत पर है । अपीलार्थी को जमानत बंधपत्रों से उन्मोचित किया जाता है ।

अपील मंजूर की गई ।

जस.

[2022] 3 उम. नि. प. 217

खेमा उर्फ **खेम चंद्र आदि**

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

[2022 की दांडिक अपील सं. 1200-1202]

10 अगस्त, 2022

न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302, 307 और 149 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27] – विधिविरुद्ध जमाव करके हत्या और हत्या का प्रयत्न – अभियुक्तों द्वारा अभिकथित रूप से मृतक और उसके परिवार के सदस्यों पर आयुधों से हमला किया जाना – मृतक की मृत्यु हो जाना और उसका भाई क्षतिग्रस्त हो जाना – दोषसिद्धि – नातेदार और क्षतिग्रस्त प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का साक्ष्य – विश्वसनीयता – जहां मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह दर्शित होता हो कि घटना में क्षतिग्रस्त साक्षी के परिसाक्ष्य में उसे क्षतियां पहुंचने के समय के बारे में और चिकित्सीय परीक्षण के संबंध में गंभीर विरोधाभास और असंगतियां हों, डाक्टर द्वारा भी अपनी प्रतिपरीक्षा में कई बार अपनी स्थिति को परिवर्तित किया गया हो, अपराध में प्रयुक्त आयुधों के अभिग्रहण का कोई स्वतंत्र साक्षी न हो और उनकी अभिकथित बरामदगियां संदेहास्पद हो, क्षतिग्रस्त साक्षी द्वारा घटना को अन्य स्थानीय लोगों द्वारा देखे जाने का कथन किया गया हो किंतु ऐसे किसी साक्षी की परीक्षा न की गई हो और इत्तिलाकर्ता की परीक्षा तक न की गई हो, वहां अभियोजन पक्ष द्वारा घटना की सही उत्पत्ति को अभिलेख पर न लाने की संभाव्यता से इनकार नहीं किया जा सकता और क्षतिग्रस्त साक्षी के एकमात्र परिसाक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता और अभियुक्तों को संदेह का फायदा देते हुए दोषमुक्त करना उचित होगा ।

इस मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि मृतक प्रकाश और उसकी

पत्नी अपनी पुत्रियों के विवाह के लिए अपने नातेदारों को निमंत्रण देने जा रहे थे, तब अभियुक्त दीपी के मकान के निकट सभी अभियुक्त, जो मकान के अंदर छिपे हुए थे, आयुध लेकर बाहर आए । उन सभी ने मृतक प्रकाश पर हमला करना आरंभ कर दिया और उसे ईंटों से बनी सड़क पर फेंक दिया । मृतक का भाई इंद्र (अभि. सा. 2), उसकी बहिन ओमवती और पत्नी कृपा मृतक प्रकाश की जान बचाने के लिए आगे आए । तथापि, अभियुक्तों ने उन पर भी हमला कर दिया । उक्त हमले में इंद्र (अभि. सा. 2) को बंदूक की गोली से क्षति पहुंची । मृतक प्रकाश के भाई ओमवीर (अभि. सा. 1) के द्वारा दी गई इत्तिला के आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई । उक्त प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 307, 302 और 506 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए एक अपराध मामला रजिस्ट्रीकृत किया गया । अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात् विचारण न्यायालय में एक आरोप पत्र फाइल किया गया । विद्वान् सेशन न्यायाधीश द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148 और 149 के साथ पठित धारा 302 और धारा 149 के साथ पठित धारा 307 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए आरोप विरचित किए गए । विचारण की समाप्ति पर विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थियों को दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया । इससे व्यथित होकर अपीलार्थियों द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलें फाइल की गईं और उन्हें भी विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय और आदेश की पुष्टि करते हुए खारिज कर दिया गया । अभियुक्तों द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में अपीलें फाइल की गईं । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपीलों को मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – घटना 27 अप्रैल, 2002 को घटी थी । तथापि, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन इंद्र (अभि. सा. 2) का कथन तारीख 21 मई, 2002 को अभिलिखित किया गया था । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया था कि पुलिस ने तारीख 30 अप्रैल, 2002 को परिप्रश्न नहीं किए थे । उसका कथन अभिलिखित करने में न

केवल अत्यधिक विलंब हुआ है अपितु इंद्र (अभि. सा. 2) के चिकित्सीय परीक्षण के विषय में भी गंभीर विसंगतियां हैं । क्षति रिपोर्ट (प्रदर्श पी 7) में परीक्षण करने का समय 10.20 बजे अपराह्न बताया गया है । ओमवीर (अभि. सा. 1) और इंद्र (अभि. सा. 2) के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि घटना घटने के पश्चात् वे पुलिस थाना शेरगढ़ गए थे और वे 10.00 बजे पूर्वाह्न से 11.00 बजे पूर्वाह्न तक पुलिस थाना शेरगढ़ में थे । इंद्र (अभि. सा. 2) ने यह कथन किया है कि वह 12.00 बजे दोपहर अस्पताल पहुंचा था और उसकी चिकित्सीय जांच दिन के समय की गई थी । डा. अनूप कुमार (अभि. सा. 6) ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कहा है कि यह संभाव्यता थी कि क्षतियां तारीख 27 अप्रैल, 2002 को 8.00 बजे पूर्वाह्न में पहुंची थीं । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया कि चिकित्सीय परीक्षण की रिपोर्ट में उसने उल्लेख किया था कि क्षतियां ताजा हैं, जिसका अर्थ यह है कि ये क्षतियां दो से छह घंटे की अवधि के भीतर कारित की गई थीं । उसने यह भी स्वीकार किया कि चिकित्सीय परीक्षण तारीख 27 अप्रैल, 2002 को 10.20 बजे अपराह्न में किया गया था । इसलिए क्षतियां 4.20 बजे अपराह्न के पश्चात् पहुंची होंगीं । उसने यह भी स्वीकार किया कि इंद्र (अभि. सा. 2) को कारित क्षतियों के संबंध में संबंधित रजिस्टर में कोई प्रविष्टि नहीं की गई है । यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि इंद्र (अभि. सा. 2) को पहुंची क्षतियों के समय के विषय में और चिकित्सीय परीक्षण के समय के विषय में ऐसी असंगतियां देखने के पश्चात् डा. अनूप कुमार (अभि. सा. 6) को अपर जिला सरकारी प्लीडर के अनुरोध पर पुन: बुलाया गया था । उसने अपनी पुन:परीक्षा में कहा कि कुछ गलती के कारण चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट में 10.20 बजे अपराह्न का उल्लेख किया गया था और वास्तव में यह परीक्षण तारीख 27 अप्रैल, 2002 को 10.20 बजे पूर्वाह्न में किया गया था । उसने अपनी आगे की प्रतिपरीक्षा में विरोधाभासी उत्तर दिए हैं । उसने यह कथन किया कि उसने कभी भी रात्रि में ड्यूटी नहीं की थी और इसलिए वह कह सकता है कि उसने चिकित्सीय परीक्षा 10.20 बजे अपराह्न में नहीं किया था । उसने यह भी स्वीकार किया कि ड्यूटी रोस्टर के आधार पर नियत की जाती हैं और ड्यूटी नियमित आधार पर नहीं होती हैं । उसने आगे यह

भी स्वीकार किया कि उनसे पारी (शिफ्ट) के आधार पर ड्यूटी करने की अपेक्षा की जाती है । इस प्रकार, स्पष्ट रूप से यह देखा जा सकता है कि इंद्र (अभि. सा. 2) को क्षतियां पहुंचने के समय के विषय में और चिकित्सीय परीक्षण करने के समय के विषय में गंभीर विसंगतियां हैं । डा. अनूप कुमार (अभि. सा. 6) के इस वृत्तांत को कि उसने इंद्र (अभि. सा. 2) का परीक्षण 10.20 बजे पूर्वाह्न में किया था, स्वयं ओमवीर (अभि. सा. 1) और इंद्र (अभि. सा. 2) के साक्ष्य द्वारा झुठलाया गया है । इन दोनों के अनुसार, वे 10.00 बजे पूर्वाह्न से 11.00 बजे पूर्वाह्न तक पुलिस थाना शेरगढ़ में थे और उसके पश्चात् इंद्र (अभि. सा. 2) मथुरा जाने के लिए चला गया था । यहां तक कि इंद्र (अभि. सा. 2) के अनुसार वह मथुरा 12.00 बजे दोपहर बाद पहुंचा था । उसने कथन किया था कि अस्पताल पहुंचने के पश्चात् उसका परीक्षण लगभग 2 घंटे के पश्चात् किया गया था । इसलिए यदि डा. अनूप कुमार (अभि. सा. 6) के पुन:परीक्षा में किए गए इस वृत्तांत को स्वीकार किया जाए कि उसने इंद्र (अभि. सा. 2) का परीक्षण 10.20 बजे पूर्वाह्न में किया था, तो यह बात ओमवीर (अभि. सा. 1) और इंद्र (अभि. सा. 2) के परिसाक्ष्य से पूरी तरह असंगत है । इसलिए क्षति प्रमाणपत्र में कुछ न कुछ गढ़ने की संभाव्यता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है । विचारण न्यायालय ने अभियुक्तों के ज्ञापन के आधार पर अपराध कारित करने में प्रयुक्त अभिकथित आयुधों की बरामदगी का अवलंब लिया था । जहां तक अभियुक्त कन्हैया के बताने पर किए गए अभिग्रहण का संबंध है, उसे तारीख 1 मई, 2002 को गिरफ्तार किया गया था । यह उल्लेखनीय है कि अभिग्रहण ज्ञापन का कोई स्वतंत्र पंच साक्षी नहीं है । इसके अतिरिक्त, अभियुक्त कन्हैया के कथन के ज्ञापन, जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन अभिलिखित किया जाना अपेक्षित है, को भी अभिलेख पर नहीं लाया गया है । जहां तक अभियुक्त दीपी और बलवीर का संबंध है, उक्त अभियुक्तों ने तारीख 7 मई, 2002 को न्यायालय में अभ्यर्पण किया था । निरीक्षक अशोक कुमार सिंह, अन्वेषण अधिकारी (अभि. सा. 7) ने यह कथन किया है कि तारीख 8 मई, 2002 को कोसी रोड पर बुर्जी में आयुधों के लिए तलाशी की गई थी किंतु वह कोई आयुध बरामद नहीं कर सका था । तथापि, तारीख 17 मई, 2002 को

बरामदगियां अभिकथित रूप से अभियुक्त दीपी और बलवीर के बताने पर की गई थीं । यहां तक कि इन दोनों अभियुक्तों से संबंधित बरामदगी के अभिग्रहण ज्ञापन पर किसी स्वतंत्र पंच साक्षी द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं । इन दोनों अभियुक्तों के मामले में, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन अभिलिखित ज्ञापन को भी अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है । इसलिए उक्त बरामदगियों को संदेह से मुक्त नहीं किया जा सकता है । यह भी उल्लेखनीय है कि घटना के तुरंत पश्चात् मृतक प्रकाश के भाई विजय सिंह तथा ओमवीर (अभि. सा. 1) और इंद्र (अभि. सा. 2) ने दूरभाष पर पुलिस थाना शेरगढ़ को घटना के बारे में सूचित किया था और यह तथ्य ओमवीर (अभि. सा. 1) और इंद्र (अभि. सा. 2) के साक्ष्य में अभिलेख पर आया था । न तो विजय की परीक्षा की गई और न ही उक्त दूरभाष पर दिए गए संदेश के विषय में थाना डायरी प्रविष्टि को अभिलेख पर प्रस्तुत किया गया है । यद्यपि इंद्र (अभि. सा. 2) ने यह स्वीकार किया था कि घटना को प्रमाल, राजवीर और अन्य निवासियों द्वारा देखा गया था, तो भी इन में से किसी की परीक्षा नहीं की गई थी । इसलिए अभियोजन पक्ष द्वारा घटना की वास्तविक उत्पत्ति को अभिलेख पर न लाने की संभाव्यता से इनकार नहीं किया जा सकता है । साक्ष्य तथा स्वयं विचारण न्यायालय के निष्कर्षों के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि ओमवीर (अभि. सा. 1) को एक प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं कहा जा सकता है । यद्यपि इंद्र (अभि. सा. 2) एक क्षतिग्रस्त प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, तो भी उसे क्षतियां पहुंचने के समय के विषय में और उसका चिकित्सीय परीक्षण जिस समय किया गया था, उसके विषय में गंभीर विरोधाभास और असंगतियां हैं । डा. अनूप कुमार (अभि. सा. 6) ने अपने साक्ष्य में कई अवसरों पर अपनी स्थिति को परिवर्तित किया है । उसका परिसाक्ष्य ओमवीर (अभि. सा. 1) और इंद्र (अभि. सा. 2) के परिसाक्ष्य के पूर्णत: प्रतिकूल है । जैसा कि अभिनिर्धारित किया गया है, इंद्र (अभि. सा. 2) यद्यपि एक क्षतिग्रस्त साक्षी है, उसके एकमात्र परिसाक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि को आधारित करना सुरक्षित नहीं होगा । अपराध में प्रयुक्त आयुधों की अभिकथित बरामदगियों के विषय में अभियोजन पक्ष द्वारा ईप्सित संपुष्टि भी संदेह से मुक्त नहीं है । न तो विजय सिंह द्वारा 9.05 बजे पूर्वाह्न में दूरभाष

पर दी गई सूचना के विषय में थाना डायरी प्रविष्टि को अभिलेख पर लाया गया है और न ही विजय सिंह की परीक्षा की गई है । यद्यपि स्वतंत्र साक्षी उपलब्ध थे, तो भी अभियोजन पक्ष उनकी परीक्षा करने में असफल रहा था । अत: इस न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि यह ऐसा मामला है जिसमें अपीलार्थी संदेह के फायदे के हकदार हैं । (पैरा 17, 18, 19, 23, 24, 25 और 29)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2019]	(2019) 6 एस. सी. सी. 535 : **अशोक सिंह जयेन्द्र सिंह** बनाम **गुजरात राज्य** ;	27
[2010]	(2010) 10 एस. सी. सी. 259 : **अब्दुल सईद** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** ;	8
[2009]	(2009) 9 एस. सी. सी. 719 : **जरनैल सिंह और अन्य** बनाम **पंजाब राज्य** ;	8
[2005]	(2005) 10 एस. सी. सी. 498 : **रामाशीष राय** बनाम **जगदीश सिंह** ;	20
[2000]	(2000) 2 एस. सी. सी. 185 : **पटाक्कल कुन्हीकोया (मृत) विधिक प्रतिनिधियों की मार्फत** बनाम **थूपियाक्कल कोया और एक अन्य** ;	26
[1994]	(1994) 6 एस. सी. सी. 29 : **उत्तर प्रदेश राज्य** बनाम **बाबुल नाथ** ;	26
[1989]	(1989) 2 एस. सी. सी. 95 : **मिथलेश कुमारी और एक अन्य** बनाम **प्रेम बिहारी खरे** ;	26
[1979]	(1979) 2 एस. सी. सी. 297 : **अरुणाचलम** बनाम **पी. एस. आर. सदानंथम और एक अन्य** ;	26

[1976] (1976) 4 एस. सी. सी. 158 :
श्रीमती दलबीर कौर और अन्य बनाम
पंजाब राज्य ; 9, 26

[1972] (1972) 1 एस. सी. सी. 249 :
हिमाचल प्रदेश प्रशासन बनाम
श्री ओमप्रकाश ; 26

[1957] [1957] एस. सी. आर. 981 :
वाडीवेलु थेवर बनाम **मद्रास राज्य** । 21

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2022 की दांडिक अपील सं. 1200-1202.

2006 की दांडिक अपील सं. 6961, 7260 और 6227 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा तारीख 30 अप्रैल, 2019 को पारित किए गए निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थियों की ओर से सर्वश्री राजुल भार्गव, ज्येष्ठ अधिवक्ता, आशीष गर्ग, राजीव के. गर्ग और टी. एल. गर्ग

प्रत्यर्थी की ओर से सुश्री गरिमा प्रसाद, अपर महाधिवक्ता, सर्वश्री एस. आर. सिंह, ज्येष्ठ अधिवक्ता, विष्णु शंकर जैन, विकास बंसल, अजय यादव, सुशांत कुमार यादव, गौरव लोम्स, पृथ्वी यादव, आदर्श वर्मा और संजीव मल्होत्रा

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति बी. आर. गवई ने दिया ।

न्या. गवई – इजाजत दी गई ।

2. इन अपीलों में 2006 की दांडिक अपील सं. 6961, 7260 और 6227 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा तारीख 30 अप्रैल, 2019 को अपीलार्थियों द्वारा फाइल की गई अपीलों को खारिज करते हुए और 2002 के सेशन विचारण सं. 515 और 655 में अपर सेशन न्यायाधीश,

न्यायालय सं. 4, मथुरा (जिसे इसमें इसके पश्चात् "विचारण न्यायालय" कहा गया है) द्वारा अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में भारतीय दंड संहिता) की धारा 149 के साथ पठित धारा 302, धारा 149 के साथ पठित धारा 307 और धारा 148 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए दोषसिद्ध करते हुए और उनमें से प्रत्येक को पांच हजार रुपए के जुर्माने सहित आजीवन कारावास भुगतने के लिए दंडादिष्ट करते हुए तारीख 28 सितंबर, 2006 को पारित किए गए निर्णय और आदेश की पुष्टि करते हुए पारित किए गए निर्णय और आदेश को चुनौती दी गई है ।

3. अभियोजन का पक्षकथन संक्षेप में इस प्रकार है –

मृतक प्रकाश की दो पुत्रियों का विवाह तारीख 1 मई, 2002 को अनुष्ठापित होना था । तारीख 27 अप्रैल, 2002 को लगभग 8.00 बजे पूर्वाह्न में जब मृतक प्रकाश और उसकी पत्नी कृपा अपने नातेदारों को निमंत्रण देने जा रहे थे, तब अभियुक्त दीपी के मकान के निकट सभी अभियुक्त, जो मकान के अंदर छिपे हुए थे, आयुध लेकर बाहर आए । अभियुक्त दीपी और कन्हैया फरसा लिए हुए थे, जबकि अभियुक्त खेमा **उर्फ** खेम चंद्र के पास एक लाठी थी । अभियुक्त जसराम, बलवीर और महावीर अपने साथ देसी पिस्तौलें लिए हुए थे । उन सभी ने मृतक प्रकाश पर हमला करना आरंभ कर दिया और उसे ईंटों से बनी सड़क पर फेंक दिया । मृतक का भाई इंद्र (अभि. सा. 2), उसकी बहिन ओमवती और पत्नी कृपा मृतक प्रकाश की जान बचाने के लिए आगे आए । तथापि, अभियुक्तों ने उन पर भी हमला कर दिया । उक्त हमले में इंद्र (अभि. सा. 2) को बंदूक की गोली की क्षति पहुंची । मृतक प्रकाश के भाई ओमवीर (अभि. सा. 1) के द्वारा दी गई इत्तिला के आधार पर तारीख 27 अप्रैल, 2002 को 10.10 बजे पूर्वाह्न में एक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई । उक्त प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 307, 302 और 506 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए एक अपराध मामला रजिस्ट्रीकृत किया गया । अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात् विचारण न्यायालय में एक आरोप पत्र फाइल किया गया । चूंकि मामला अनन्य रूप से सेशन न्यायाधीश द्वारा विचारणीय था, इसलिए इसे विद्वान्

सेशन न्यायाधीश को सुपुर्द किया गया । विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148 और 149 के साथ पठित धारा 302 और धारा 149 के साथ पठित धारा 307 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए आरोप विरचित किए । अभियुक्त बलवीर के विरुद्ध आयुध अधिनियम, 1959 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आयुध अधिनियम" कहा गया है) की धारा 25 और अभियुक्त दीपी के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा 4/25 के अधीन भी आरोप विरचित किया गया । अभियुक्तों ने दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया । विचारण की समाप्ति पर विचारण न्यायालय ने अपीलार्थियों को पूर्वोक्त अनुसार दोषसिद्ध किया । इससे व्यथित होकर अपीलार्थियों ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलें फाइल कीं और उन्हें भी विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय और आदेश की पुष्टि करते हुए खारिज कर दिया गया ।

4. हमने अपीलार्थियों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल श्री राहुल भार्गव, राज्य की ओर से सुश्री गरिमा प्रसाद, विद्वान् अपर महाधिवक्ता और प्रथम इत्तिलाकर्ता की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल श्री एस. आर. सिंह को सुना ।

5. श्री भार्गव ने यह दलील दी कि विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों को दोषसिद्ध करने में गंभीर गलती की है । उन्होंने दलील दी कि अपीलार्थियों को मामले में मिथ्या रूप से फंसाया गया है । यह दलील दी कि यद्यपि ओमवीर (अभि. सा. 1) को एक प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में दर्शाया गया है, तो भी उसके परिसाक्ष्य से यह स्पष्ट है कि वह घटना को नहीं देख सकता था । उन्होंने यह दलील दी कि यहां तक कि विचारण न्यायालय ने भी यह अभिनिर्धारित किया है कि ओमवीर (अभि. सा. 1) के अभिसाक्ष्य से यह स्पष्ट है कि उसने घटना को नहीं देखा था । उन्होंने यह भी दलील दी कि इंद्र (अभि. सा. 2) जो कथित रूप से एक क्षतिग्रस्त साक्षी है, भी एक गढ़ा गया साक्षी प्रतीत होता है । यह दलील दी गई कि अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य से उस समय के बारे में गंभीर संदेह है कि कब इंद्र (अभि. सा. 2) को क्षतियां पहुंची थीं और कब उसका चिकित्सीय परीक्षण किया गया था । उन्होंने दलील दी कि इंद्र (अभि. सा. 2) और डा. अनूप कुमार (अभि.

सा. 6) के साक्ष्य में तात्विक विरोधाभास और असंगतियां हैं ।

6. विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल ने आगे यह दलील दी कि अपीलार्थियों के बताने पर की गई तथाकथित बरामदगियां भी मिथ्या हैं और उनका अवलंब नहीं लिया जा सकता था । विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल ने दलील दी कि अभियोजन पक्ष ने मृतक के भाई विजय सिंह की परीक्षा नहीं की थी, जिसने सबसे पहले दूरभाष पर पुलिस थाना शेरगढ़ को घटना की इत्तिला दी थी । यह दलील दी गई कि विजय सिंह द्वारा दूरभाष पर दी गई इत्तिला के आधार पर थाना डायरी प्रविष्टि को भी अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर नहीं लाया गया है । अत: यह दलील दी गई कि अभियोजन पक्ष ने घटना की वास्तविक उत्पत्ति को छिपाने की कोशिश की है । यह भी दलील दी गई कि यद्यपि कृपा और ओमवती, मृतक की पत्नी और बहिन को कथित रूप से क्षतियां पहुंची थीं, तो भी उनकी परीक्षा नहीं की गई थी । यह भी दलील दी गई कि यद्यपि स्वतंत्र साक्षी उपलब्ध थे, तो भी अभियोजन पक्ष उनकी परीक्षा करने में असफल रहा और इसलिए अभियोजन पक्ष के विरुद्ध एक प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए । अत: विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल ने यह दलील दी कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित और उच्च न्यायालय द्वारा कायम रखे गए निर्णय और आदेश को अभिखंडित और अपास्त किया जाना चाहिए ।

7. सुश्री प्रसाद ने दलील दी कि ओमवीर (अभि. सा. 1) और इंद्र (अभि. सा. 2) मृतक के नातेदार हैं, केवल यह कारण उनके परिसाक्ष्यों को त्यक्त करने के लिए आधार नहीं हो सकता है । यह दलील दी गई कि उन दोनों की प्रतिपरीक्षा की गई थी और उनकी प्रतिपरीक्षा से कुछ भी अनिष्टकर बात नहीं निकाली जा सकी थी । उन्होंने यह भी दलील दी कि ओमवीर (अभि. सा. 1) और इंद्र (अभि. सा. 2) के प्रत्यक्षदर्शी परिसाक्ष्यों की संपुष्टि साक्ष्य अधिनियम, 1872 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "साक्ष्य अधिनियम" कहा गया है) की धारा 27 के अधीन ज्ञापन के आधार पर अपराध में आलिप्त करने वाली सामग्री की बरामदगी द्वारा की गई है । अत: विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल ने यह दलील दी कि विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए समवर्ती

आदेशों में कोई हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है ।

8. विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल श्री सिंह ने दलील दी कि इंद्र (अभि. सा. 2) एक क्षतिग्रस्त साक्षी है । अत: उन्होंने यह दलील दी कि **जरनैल सिंह और अन्य** बनाम **पंजाब राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा अधिकथित विधि को ध्यान में रखते हुए क्षतिग्रस्त साक्षी के परिसाक्ष्य को एक विशेष साक्ष्यिक महत्व देना होगा । उन्होंने **अब्दुल सईद** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[2] वाले मामले में इस न्यायालय के निर्णय का भी अपनी दलील पर और अधिक जोर देने के लिए अवलंब लिया ।

9. श्री सिंह ने आगे यह दलील दी कि विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के निष्कर्ष साक्ष्य के मूल्यांकन पर आधारित हैं । उन्होंने दलील दी कि यह न्यायालय प्रसामान्यत: तब तक साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन या पुनर्विलोकन नहीं करेगा जब तक कि उच्च न्यायालय का विनिश्चय विधि या प्रक्रिया की गलती द्वारा दूषित न हो । उन्होंने **श्रीमती दलबीर कौर और अन्य** बनाम **पंजाब राज्य**[3] वाले मामले में इस न्यायालय के निर्णय का अवलंब लिया ।

10. विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के निर्णय का परिशीलन करने पर यह प्रकट होता है कि दोषसिद्धि मूल रूप से ओमवीर (अभि. सा. 1) और इंद्र (अभि. सा. 2) के परिसाक्ष्यों पर आधारित है । न्यायालय ने इन साक्षियों के परिसाक्ष्यों की संपुष्टि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन अभियुक्तों के ज्ञापन के आधार पर की गई बरामदगियों से की थी । विचारण न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया था कि फरसे को अभियुक्त कन्हैया द्वारा की गई शनाख्त के आधार पर अभिगृहीत किया गया था । विचारण न्यायालय ने यह भी मत व्यक्त किया कि आयुध फरसा और राइफल अभियुक्त दीपी और बलवीर के बताने पर अभिगृहीत किए गए थे ।

11. इन निष्कर्षों की शुद्धता की परीक्षा करने के लिए हम पहले

---

[1] (2009) 9 एस. सी. सी. 719.

[2] (2010) 10 एस. सी. सी. 259.

[3] (1976) 4 एस. सी. सी. 158.

ओमवीर (अभि. सा. 1) और इंद्र (अभि. सा. 2) के परिसाक्ष्य का निर्धारण करेंगे । ये दोनों साक्षी मृतक प्रकाश के भाई हैं । इसलिए वे मृतक के नातेदार होने के कारण हितबद्ध साक्षियों के प्रवर्ग में आते हैं । एकमात्र अपेक्षा यह है कि ऐसे साक्षियों के साक्ष्य की संवीक्षा अत्यधिक सतर्कता और सावधानी से की जानी चाहिए ।

12. ओमवीर (अभि. सा. 1) ने यह कथन किया है कि जब उसका मृतक भाई प्रकाश और कृपा (प्रकाश की पत्नी) उनकी बहिन ओमवती के साथ आने वाले दिनों में होने वाले विवाह के लिए निमंत्रण देने के लिए जा रहे थे, तब सभी अभियुक्त दीपी के मकान में छिपे हुए थे । मृतक प्रकाश को देखकर वे सभी बाहर आए । अभियुक्त दीपी और कन्हैया फरसे से लैस थे, अभियुक्त खेमा **उर्फ** खेम चंद्र लाठी से लैस था, अभियुक्त जसराम और महावीर देसी पिस्तौलों से लैस थे तथा अभियुक्त बलवीर राइफल लिए हुए था और उन्होंने उसके मृतक भाई प्रकाश पर हमला किया । उसने यह कथन किया है कि फरसे की उलटी तरफ से प्रहार किए गए थे । उसने यह कथन किया कि शोर-शराबा सुनकर वह और गांव के अन्य निवासी घटनास्थल पर आए और घटना को देखा । ओमवीर (अभि. सा. 1) के अभिसाक्ष्य में बहुत सारे सुधार किए गए हैं । ओमवीर (अभि. सा. 1) की प्रतिपरीक्षा से एक उद्धरण को निर्दिष्ट करना सुसंगत होगा :–

> "जब झगड़ा आरंभ हुआ था तब मैं मकान के अंदर था । मैंने चार-पांच राउंड गोली चलने की आवाज सुनी । मैं गोली चलने की आवाज सुनने के पश्चात् मकान के बाहर आया और घटनास्थल पर पहुंचने के पश्चात् फिर मैंने पाया कि प्रकाश मृत पड़ा हुआ था । जब मैं घटनास्थल पर पहुंचा, इंद्र घटनास्थल पर था । इंद्र क्षति पहुंचने के पश्चात् गिर गया था । वह पूरी तरह होश में नहीं था ।"

13. यह उल्लेख करना सुसंगत होगा कि यहां तक कि इंद्र (अभि. सा. 2) ने भी यह स्वीकार किया है कि ओमवीर (अभि. सा. 1) उस समय मकान के अंदर था जब घटना घटी थी ।

14. केवल यही नहीं, अपितु विचारण न्यायालय ने स्वयं अपने निर्णय में यह मत व्यक्त किया है :–

> "उक्त साक्षी के संपूर्ण परिसाक्ष्य का परिशीलन करने पर यह स्पष्ट है कि उक्त साक्षी पहले से घटनास्थल पर मौजूद नहीं था अपितु वह बंदूक की गोलियों की आवाज सुनने के पश्चात् घटनास्थल पर पहुंचा था । अत: उसने घटना नहीं देखी थी किंतु इस कारण कि वह शोर-शराबा सुनकर घटनास्थल पर पहुंचा था इसलिए घटनास्थल पर अभियुक्तों की मौजूदगी के विषय में उक्त साक्षी का परिसाक्ष्य महतवपूर्ण है और वे बताए गए अनुसार आयुधों से लैस थे और उनके द्वारा यह धमकी दिए जाने पर कि यदि कोई प्रथम इत्तिला दर्ज कराएगा, तो उसे मार दिया जाएगा ।"

15. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यहां तक कि विचारण न्यायालय भी इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि ओमवीर (अभि. सा. 1) घटना को नहीं देख सकता था ।

16. अब इंद्र (अभि. सा. 2) का परिसाक्ष्य रह जाता है । इसमें कोई संदेह नहीं है कि इंद्र (अभि. सा. 2) एक क्षतिग्रस्त साक्षी है और इसलिए उसके परिसाक्ष्य को हल्के से अस्वीकार नहीं किया जा सकता था । श्री सिंह द्वारा **जरनैल सिंह** (उपर्युक्त) और **अब्दुल सईद** (उपर्युक्त) वाले मामलों में इस न्यायालय के निर्णयों का लिया गया अवलंब न्यायोचित है । इस तथ्य से कि इस साक्षी को क्षतियां पहुंची थीं, घटनास्थल पर उसकी मौजूदगी सिद्ध होती है । ऐसे साक्षी के साक्ष्य को तब तक नामंजूर नहीं किया जा सकता है जब तक कि ऐसी नामंजूरी के लिए प्रबल आधार न हों । इंद्र (अभि. सा. 2) ने इस बारे में विस्तारपूर्वक वर्णन किया है कि घटना कैसे घटी थी । उसने यह कथन किया था कि अभियुक्त दीपी और कन्हैया ने फरसे से हमला किया था, अभियुक्त खेमा ने लाठी से हमला किया था और अभियुक्त बलवीर, महावीर और जसराम ने अपनी बंदूकों के कुन्दों से हमला किया था । अभियुक्त बलवीर, महावीर और जसराम ने साथ-साथ गोलियां चलाई थी । उसने यह कथन किया है कि जब ओमवती उसे बचाने के लिए उस पर गिर गई तो अभियुक्तों ने पत्थरों और डंडों से ओमवती पर हमला

किया था ।

17. घटना 27 अप्रैल, 2002 को घटी थी । तथापि, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन इंद्र (अभि. सा. 2) का कथन तारीख 21 मई, 2002 को अभिलिखित किया गया था । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया था कि पुलिस ने तारीख 30 अप्रैल, 2002 को परिप्रश्न नहीं किए थे । उसका कथन अभिलिखित करने में न केवल अत्यधिक विलंब हुआ है अपितु इंद्र (अभि. सा. 2) के चिकित्सीय परीक्षण के विषय में भी गंभीर विसंगतियां हैं । क्षति रिपोर्ट (प्रदर्श पी 7) में परीक्षण करने का समय 10.20 बजे अपराह्न बताया गया है । ओमवीर (अभि. सा. 1) और इंद्र (अभि. सा. 2) के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि घटना घटने के पश्चात् वे पुलिस थाना शेरगढ़ गए थे और वे 10.00 बजे पूर्वाह्न से 11.00 बजे पूर्वाह्न तक पुलिस थाना शेरगढ़ में थे । इंद्र (अभि. सा. 2) ने यह कथन किया है कि वह 12.00 बजे दोपहर अस्पताल पहुंचा था और उसकी चिकित्सीय जांच दिन के समय की गई थी । डा. अनूप कुमार (अभि. सा. 6) ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कहा है कि यह संभाव्यता थी कि क्षतियां तारीख 27 अप्रैल, 2002 को 8.00 बजे पूर्वाह्न में पहुंची थीं । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया कि चिकित्सीय परीक्षण की रिपोर्ट में उसने उल्लेख किया था कि क्षतियां ताजा हैं, जिसका अर्थ यह है कि ये क्षतियां दो से छह घंटे की अवधि के भीतर कारित की गई थीं । उसने यह भी स्वीकार किया कि चिकित्सीय परीक्षण तारीख 27 अप्रैल, 2022 को 10.20 बजे अपराह्न में किया गया था । इसलिए क्षतियां 4.20 बजे अपराह्न के पश्चात् पहुंची होंगी । उसने यह भी स्वीकार किया कि इंद्र (अभि. सा. 2) को कारित क्षतियों के संबंध में संबंधित रजिस्टर में कोई प्रविष्टि नहीं की गई है ।

18. यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि इंद्र (अभि. सा. 2) को पहुंची क्षतियों के समय के विषय में और चिकित्सीय परीक्षण के समय के विषय में ऐसी असंगतियां देखने के पश्चात् डा. अनूप कुमार (अभि. सा. 6) को अपर जिला सरकारी प्लीडर के अनुरोध पर पुन: बुलाया गया था । उसने अपनी पुन:परीक्षा में कहा कि कुछ गलती के कारण चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट में 10.20 बजे अपराह्न का उल्लेख किया

गया था और वास्तव में यह परीक्षण तारीख 27 अप्रैल, 2002 को 10.20 बजे पूर्वाह्न में किया गया था । उसने अपनी आगे की प्रतिपरीक्षा में विरोधाभासी उत्तर दिए हैं । उसने यह कथन किया कि उसने कभी भी रात्रि में ड्यूटी नहीं की थी और इसलिए वह कह सकता है कि उसने चिकित्सीय परीक्षा 10.20 बजे अपराह्न में नहीं किया था । उसने यह भी स्वीकार किया कि ड्यूटी रोस्टर के आधार पर नियत की जाती हैं और ड्यूटी नियमित आधार पर नहीं होती हैं । उसने आगे यह भी स्वीकार किया कि उनसे पारी (शिफ्ट) के आधार पर ड्यूटी करने की अपेक्षा की जाती है । इस प्रकार, स्पष्ट रूप से यह देखा जा सकता है कि इंद्र (अभि. सा. 2) को क्षतियां पहुंचने के समय के विषय में और चिकित्सीय परीक्षण करने के समय के विषय में गंभीर विसंगतियां हैं ।

19. डा. अनूप कुमार (अभि. सा. 6) के इस वृत्तांत को कि उसने इंद्र (अभि. सा. 2) का परीक्षण 10.20 बजे पूर्वाह्न में किया था, स्वयं ओमवीर (अभि. सा. 1) और इंद्र (अभि. सा. 2) के साक्ष्य द्वारा झुठलाया गया है । इन दोनों के अनुसार, वे 10.00 बजे पूर्वाह्न से 11.00 बजे पूर्वाह्न तक पुलिस थाना शेरगढ़ में थे और उसके पश्चात् इंद्र (अभि. सा. 2) मथुरा जाने के लिए चला गया था । यहां तक कि इंद्र (अभि. सा. 2) के अनुसार वह मथुरा 12.00 बजे दोपहर बाद पहुंचा था । उसने कथन किया था कि अस्पताल पहुंचने के पश्चात् उसका परीक्षण लगभग 2 घंटे के पश्चात् किया गया था । इसलिए यदि डा. अनूप कुमार (अभि. सा. 6) के पुन:परीक्षा में किए गए इस वृत्तांत को स्वीकार किया जाए कि उसने इंद्र (अभि. सा. 2) का परीक्षण 10.20 बजे पूर्वाह्न में किया था, तो यह बात ओमवीर (अभि. सा. 1) और इंद्र (अभि. सा. 2) के परिसाक्ष्य से पूरी तरह असंगत है । इसलिए क्षति प्रमाणपत्र में कुछ न कुछ गढ़ने की संभाव्यता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है ।

20. हमें भान है कि छुटपुट असंगतियों के आधार पर इंद्र (अभि. सा. 2) के साक्ष्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है । तथापि, यह उल्लेखनीय है कि उसके साक्ष्य में तात्विक सुधार किए गए हैं । इसलिए उसके साक्ष्य को अधिक सतर्कता और सावधानी से संवीक्षा किए जाने की

आवश्यकता है । यह भी उल्लेखनीय है कि यहां तक कि अभियोजन के पक्षकथन के अनुसार, अभियुक्तों और मृतक के बीच पूर्ववर्ती दुश्मनी है । जैसा कि **रामाशीष राय** बनाम **जगदीश सिंह**[1] वाले मामले में अभिनिर्धारित किया गया है, पूर्ववर्ती दुश्मनी एक दुधारी तलवार की तरह है । एक ओर तो इससे अपराध का हेतु प्राप्त होता है और दूसरी ओर मिथ्या फंसाए जाने की संभावना रहती है ।

21. **वाडीवेलु थेवर** बनाम **मद्रास राज्य**[2] वाले मामले में इस न्यायालय के प्रख्यात निर्णय की निम्नलिखित मताभिव्यक्तियों को निर्दिष्ट करना उपयुक्त होगा :–

> "..... अत: हमारी राय में, यह एक सुदृढ़ और भली-भांति स्थिर विधि का नियम है कि न्यायालय का सरोकार किसी तथ्य को साबित या नासाबित करने के लिए आवश्यक साक्ष्य की गुणवत्ता से है न कि मात्रा से । साधारणतया, इस संदर्भ में मौखिक साक्ष्य को तीन प्रवर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थात् –
>
> (1) पूर्णत: विश्वसनीय ।
>
> (2) पूर्णत: अविश्वसनीय ।
>
> (3) न तो पूर्णत: विश्वसनीय और न ही पूर्णत: अविश्वसनीय ।

सबूत के प्रथम प्रवर्ग में, न्यायालय को दोनों में से किसी प्रकार के अपने निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए – वह किसी एकमात्र साक्षी के परिसाक्ष्य के आधार पर दोषसिद्ध या दोषमुक्त कर सकता है, यदि यह साक्षी भर्त्सना या हितबद्धता, अक्षमता या कूटरचित साक्ष्य के संदेह से ऊपर पाया जाता है । दूसरे प्रवर्ग में, न्यायालय को अपने निष्कर्ष पर पहुंचने में समान रूप से कोई कठिनाई नहीं है । तीसरे प्रवर्ग के मामलों में ही न्यायालय को सतर्क रहना चाहिए और विश्वसनीय परिसाक्ष्य, प्रत्यक्ष या पारिस्थितिक, द्वारा तात्विक विशिष्टियों में संपुष्टि के लिए प्रत्याशा की जानी चाहिए.....।"

---

[1] (2005) 10 एस. सी. सी. 498.

[2] [1957] एस. सी. आर. 981.

22. हम यह पाते हैं कि इंद्र (अभि. सा. 2) का परिसाक्ष्य तीसरे प्रवर्ग के अधीन आएगा अर्थात् उसके साक्ष्य को "न तो पूर्णत: विश्वसनीय और न ही पूर्णत: अविश्वसनीय" कहा जा सकता है । इसलिए यह आवश्यक होगा कि उसके प्रत्यक्षदर्शी परिसाक्ष्य की कुछ संपुष्टि होती हो ।

23. विचारण न्यायालय ने अभियुक्तों के ज्ञापन के आधार पर अपराध कारित करने में प्रयुक्त अभिकथित आयुधों की बरामदगी का अवलंब लिया था । जहां तक अभियुक्त कन्हैया के बताने पर किए गए अभिग्रहण का संबंध है, उसे तारीख 1 मई, 2002 को गिरफ्तार किया गया था । यह उल्लेखनीय है कि अभिग्रहण ज्ञापन का कोई स्वतंत्र पंच साक्षी नहीं है । इसके अतिरिक्त, अभियुक्त कन्हैया के कथन के ज्ञापन, जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन अभिलिखित किया जाना अपेक्षित है, को भी अभिलेख पर नहीं लाया गया है ।

24. जहां तक अभियुक्त दीपी और बलवीर का संबंध है, उक्त अभियुक्तों ने तारीख 7 मई, 2002 को न्यायालय में अभ्यर्पण किया था । निरीक्षक अशोक कुमार सिंह, अन्वेषण अधिकारी (अभि. सा. 7) ने यह कथन किया है कि तारीख 8 मई, 2002 को कोसी रोड पर बुर्जी में आयुधों के लिए तलाशी की गई थी किंतु वह कोई आयुध बरामद नहीं कर सका था । तथापि, तारीख 17 मई, 2002 को बरामदगियां अभिकथित रूप से अभियुक्त दीपी और बलवीर के बताने पर की गई थीं । यहां तक कि इन दोनों अभियुक्तों से संबंधित बरामदगी के अभिग्रहण ज्ञापन पर किसी स्वतंत्र पंच साक्षी द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं । इन दोनों अभियुक्तों के मामले में, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन अभिलिखित ज्ञापन को भी अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है । इसलिए उक्त बरामदगियों को संदेह से मुक्त नहीं कहा जा सकता है ।

25. यह भी उल्लेखनीय है कि घटना के तुरंत पश्चात् मृतक प्रकाश के भाई विजय सिंह तथा ओमवीर (अभि. सा. 1) और इंद्र (अभि. सा. 2) ने दूरभाष पर पुलिस थाना शेरगढ़ को घटना के बारे में सूचित किया था और यह तथ्य ओमवीर (अभि. सा. 1) और इंद्र (अभि. सा. 2) के साक्ष्य

में अभिलेख पर आया था । न तो विजय की परीक्षा की गई और न ही उक्त दूरभाष पर दिए गए संदेश के विषय में थाना डायरी प्रविष्टि को अभिलेख पर प्रस्तुत किया गया है । यद्यपि इंद्र (अभि. सा. 2) ने यह स्वीकार किया था कि घटना को प्रमाल, राजवीर और अन्य निवासियों द्वारा देखा गया था, तो भी इन में से किसी की परीक्षा नहीं की गई थी । इसलिए अभियोजन पक्ष द्वारा घटना की वास्तविक उत्पत्ति को अभिलेख पर न लाने की संभाव्यता से इनकार नहीं किया जा सकता है ।

26. श्री सिंह ने **श्रीमती दलबीर कौर** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय के निर्णय का इस दलील के समर्थन में जोरदार अवलंब लिया कि तथ्य विषयक समवर्ती निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय को साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन नहीं करना चाहिए । इसमें कोई संदेह नहीं है कि श्री सिंह द्वारा **श्रीमती दलबीर कौर** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय के निर्णय का लिया गया अवलंब न्यायोचित है । तथापि, यह उल्लेखनीय है कि इस न्यायालय ने अनेक मामलों में यह अभिनिर्धारित किया है कि यद्यपि तथ्य विषयक समवर्ती निष्कर्षों के मामलों में यह न्यायालय मामूली तौर पर उक्त निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, तो भी आपवादिक परिस्थितियों में यह न्यायालय ऐसा करने के लिए सशक्त है । यदि यह न्यायालय पाता है कि साक्ष्य का मूल्यांकन और निष्कर्ष विधि या प्रक्रिया की किसी गलती द्वारा दूषित है या नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के प्रतिकूल पाया गया है, अभिलेख पर की गलती और साक्ष्य के गलत पठन द्वारा दूषित है, या जहां उच्च न्यायालय के निष्कर्ष स्पष्ट रूप से अनुचित हैं, यह न्यायालय साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए शक्तिहीन नहीं होगा । इस संबंध में **हिमाचल प्रदेश प्रशासन** बनाम **श्री ओमप्रकाश**[1], **अरुणाचलम** बनाम **पी. एस. आर. सदानंथम और एक अन्य**[2], **मिथलेश कुमारी और एक अन्य** बनाम **प्रेम बिहारी खरे**[3], **उत्तर प्रदेश राज्य** बनाम **बाबुल नाथ**[4] और

---

[1] (1972) 1 एस. सी. सी. 249.

[2] (1979) 2 एस. सी. सी. 297.

[3] (1989) 2 एस. सी. सी. 95.

[4] (1994) 6 एस. सी. सी. 29.

पटाक्कल कुन्हीकोया (मृत) विधिक प्रतिनिधियों की मार्फत बनाम **थूपियाक्कल कोया और एक अन्य**[1] वाले मामलों में इस न्यायालय के निर्णयों का अवलंब लिया जा सकता है ।

27. हाल ही में, **अशोक सिंह जयेन्द्र सिंह** बनाम **गुजरात राज्य**[2] वाले मामले में भी इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि जब उच्च न्यायालय मौखिक साक्ष्य का मूल्यांकन करने में असफल रहा है, तो यह न्यायालय साक्ष्य का सही परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन करने के लिए निश्चित रूप से हकदार होगा । उक्त मामले में भी इस न्यायालय ने यह पाए जाने पर कि दोषसिद्धि महत्वपूर्ण साक्ष्य की अनदेखी करके अभिलिखित की गई थी, दोषसिद्धि के आदेश को अपास्त कर दिया और अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया ।

28. प्रस्तुत मामले में, हमने यह पाया है कि विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य में की महत्वपूर्ण विसंगतियों और असंगतियों पर विचार करने में असफल रहे हैं ।

29. साक्ष्य तथा स्वयं विचारण न्यायालय के निष्कर्षों के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि ओमवीर (अभि. सा. 1) को एक प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं कहा जा सकता है । यद्यपि इंद्र (अभि. सा. 2) एक क्षतिग्रस्त प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, तो भी उसे क्षतियां पहुंचने के समय के विषय में और उसका चिकित्सीय परीक्षण जिस समय किया गया था, उसके विषय में गंभीर विरोधाभास और असंगतियां हैं । डा. अनूप कुमार (अभि. सा. 6) ने अपने साक्ष्य में कई अवसरों पर अपनी स्थिति को परिवर्तित किया है । उसका परिसाक्ष्य ओमवीर (अभि. सा. 1) और इंद्र (अभि. सा. 2) के परिसाक्ष्य के पूर्णत: प्रतिकूल है । जैसा कि हमारे द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, इंद्र (अभि. सा. 2) यद्यपि एक क्षतिग्रस्त साक्षी है, उसके एकमात्र परिसाक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि को आधारित करना सुरक्षित नहीं होगा । अपराध में प्रयुक्त आयुधों की अभिकथित बरामदगियों के विषय में अभियोजन पक्ष द्वारा इप्सित संपुष्टि भी संदेह से मुक्त नहीं

---

[1] (2000) 2 एस. सी. सी. 185.

[2] (2019) 6 एस. सी. सी. 535.

है । न तो विजय सिंह द्वारा 9.05 बजे पूर्वाह्न में दूरभाष पर दी गई सूचना के विषय में थाना डायरी प्रविष्टि को अभिलेख पर लाया गया है और न ही विजय सिंह की परीक्षा की गई है । यद्यपि स्वतंत्र साक्षी उपलब्ध थे, तो भी अभियोजन पक्ष उनकी परीक्षा करने में असफल रहा था । अत: हमारा यह निष्कर्ष है कि यह ऐसा मामला है जिसमें अपीलार्थी संदेह के फायदे के हकदार हैं ।

30. परिणामत:, हम निम्नलिखित आदेश पारित करते हैं :–

(i) ये अपीलें मंजूर की जाती हैं ;

(ii) 2006 की दांडिक अपील सं. 6961, 7260 और 6227 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा तारीख 30 अप्रैल, 2019 को पारित निर्णय और आदेश तथा 2002 के सेशन विचारण सं. 515 और 655 में विचारण न्यायालय द्वारा तारीख 28 सितंबर, 2006 को पारित निर्णय और आदेश अभिखंडित और अपास्त किए जाते हैं ; और

(iii) अपीलार्थियों को उन पर आरोपित सभी आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है । दीपी, जिसे जमानत पर छोड़ा गया है, के जमानत बंधपत्र रद्द हो जाएंगे, जबकि शेष अभियुक्तों को, यदि उनकी किसी अन्य मामले में आवश्यकता न हो, तुरंत रिहा किए जाने का निदेश दिया जाता है ।

31. लंबित आवेदन (आवेदनों), यदि कोई है (हैं), जिसमें जमानत के लिए आवेदन भी सम्मिलित है, का उपरोक्त निबंधनों के अनुसार निपटारा हो जाएगा ।

अपीलें मंजूर की गईं ।

जस.

[2022] 3 उम. नि. प. 237

राम निवास

बनाम

हरियाणा राज्य

[2012 की दांडिक अपील सं. 25]

11 अगस्त, 2022

न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302 और 201 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27] – हत्या और साक्ष्य को छिपाया जाना – पारिस्थितिक साक्ष्य – अभियुक्त द्वारा मृतक के साथ कहा-सुनी होने के पश्चात् अभिकथित रूप से उसकी हत्या किया जाना – दोषसिद्धि – संधार्यता – जहां मृतक का शव जली हुई हालत में धान के भूसे में पाया गया हो, अभियुक्त द्वारा पुलिस थाने के लॉक-अप में किए गए प्रकटन कथन के आधार पर अभिकथित रूप से शव की राख और प्लास्टिक की केन की बरामदगी की गई हो, स्वतंत्र साक्षी मौजूद होने के बावजूद पुलिस द्वारा उक्त बरामदगी ज्ञापन के पंच के रूप में किसी व्यक्ति को न बुलाया गया हो, मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट में मानववध मृत्यु की बात सिद्ध न हुई हो और शव के चेहरे को शनाख्त योग्य न पाया गया हो, शिकायतकर्ता द्वारा पुलिस थाना निकट होने के बावजूद तुरंत शिकायत दर्ज न की गई हो और अभियोजन पक्ष द्वारा उसके पक्षकथन पर विश्वास किए जाने के लिए आस-पास निवास करने वाले किसी स्वतंत्र साक्षी की परीक्षा न कराई गई हो, वहां अभियोजन पक्ष द्वारा घटनाओं की श्रृंखला को सिद्ध करने में असफल रहने पर यह नहीं कहा जा सकता है कि अनन्य रूप से केवल और केवल अभियुक्त की दोषिता का निष्कर्ष निकलता है अत: अभियुक्त को संदेह का फायदा देते हुए दोषमुक्त करना उचित होगा ।

इस मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि मृतक दलीप सिंह, भीम सिंह (अभि. सा. 10) और शिकायतकर्ता-दीप चंद (अभि. सा. 9) भाई हैं ।

भीम सिंह (अभि. सा. 10) के पुत्र पाले का विवाह चंद्र सिंह की पुत्री और अभियुक्त/अपीलार्थी-राम निवास की बहिन सुनीता के साथ हुआ था । पाले की मृत्यु के पश्चात्, उसकी पत्नी सुनीता अपने अप्राप्तवय पुत्र के साथ गांव रेवली में अपने पैतृक गृह चली गई । मृतक दलीप सिंह, भीम सिंह और शिकायतकर्ता-दीप चंद सुनीता का विवाह मृतक दलीप सिंह के पुत्र रामपाल के साथ करना चाहते थे । इसलिए तारीख 7 मार्च, 2003 को वे सभी तीनों अभियुक्त/अपीलार्थी-राम निवास के पिता चंद्र सिंह के मकान पर मृतक दलीप सिंह के पुत्र रामपाल के साथ सुनीता के पुनर्विवाह का प्रस्ताव लेकर गए थे । अभियोजन का यह पक्षकथन है कि वे सभी तीनों तारीख 7 मार्च, 2003 को लगभग 5.00 बजे अपराह्न में गांव रेवली पहुंचे और अभियुक्त/अपीलार्थी-राम निवास के पिता चंद्र सिंह के मकान पर गए । लगभग 7.30 बजे अपराह्न में मृतक दलीप सिंह और अभियुक्त/अपीलार्थी-राम निवास शराब पीने लगे और उस समय पर रामपाल के साथ सुनीता के विवाह के प्रस्ताव के बारे में उल्लेख किया गया । यह उल्लेख करने पर अभियुक्त/अपीलार्थी-राम निवास नाराज हो गया और मृतक दलीप सिंह को गाली देने लगा । तथापि, शिकायतकर्ता-दीप चंद और भीम सिंह ने बीच-बचाव किया और अभियुक्त/अपीलार्थी-राम निवास को शांत किया । उसके पश्चात्, वे दोनों भोजन करने के पश्चात् सोने के लिए चले गए । सवेरे लगभग 6.30 बजे जब शिकायतकर्ता-दीप चंद और भीम सिंह (अभि. सा. 10) चंद्र सिंह की बैठक में गए, तो मृतक दलीप सिंह वहां दिखाई नहीं दिया । उन्होंने अभियुक्त/अपीलार्थी-राम निवास से मृतक दलीप सिंह के ठौर-ठिकाने के बारे में पूछा और उसने उन्हें बताया कि वह शौच करने के लिए गया है । उन दोनों ने लगभग आधा घंटा मृतक दलीप सिंह की प्रतीक्षा की किंतु वह वापस नहीं आया । इसलिए उन्होंने अभियुक्त/अपीलार्थी-राम निवास से पुन: मृतक दलीप सिंह के ठौर-ठिकाने के बारे में पूछा किंतु उन्हें संतोषजनक उत्तर नहीं मिला । अभियोजन का यह भी पक्षकथन है कि शिकायतकर्ता-दीप चंद और भीम सिंह के गलियारे में आने के पश्चात् उन्हें मानव शरीर जलने की गंध महसूस हुई । शिकायतकर्ता-दीप चंद ने पुन: अभियुक्त/अपीलार्थी-राम निवास से मृतक दलीप सिंह के बारे में पूछताछ की । इसके पश्चात् अभियुक्त/अपीलार्थी-राम निवास घबरा गया

और उत्तर दिया कि जब मृतक दलीप सिंह ने सुनीता के साथ उसके पुत्र के विवाह का प्रस्ताव किया था तब उसने मृतक दलीप सिंह का गला दबा दिया था और गला घोंटकर उसकी मृत्यु कारित कर दी थी । साक्ष्य नष्ट करने के लिए मृतक दलीप सिंह के शव को जला दिया था किंतु शव पूरी तरह से जल नहीं सका था । मृतक दलीप सिंह के शव को पराल (धान का भूसा) में छिपा दिया था । उसके पश्चात्, शिकायतकर्ता-दीप चंद और भीम सिंह ने धान की पराल को हटाने के पश्चात् मृतक दलीप सिंह के आंशिक रूप से जले हुए शव को प्लास्टिक की एक पल्ली के टुकड़े में लिपटा हुआ पाया । उसके पश्चात्, शिकायतकयर्ता-दीप चंद और भीम सिंह ने अभियुक्त/अपीलार्थी-राम निवास के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की और उनकी नाराजगी सुनने पर अभियुक्त/अपीलार्थी-राम निवास घटनास्थल से भाग गया । शिकायतकर्ता-दीप चंद और भीम सिंह अपने गांव भावड़ गए और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ सांयकाल में गांव रेवली वापस आए । शिकायतकर्ता-दीप चंद (अभि. सा. 9) ने 4.45 बजे अपराह्न में पुलिस थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई । शिकायतकर्ता-दीप चंद (अभि. सा. 9) के कथन के आधार पर 5.00 बजे अपराह्न में एक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की गई । अन्वेषण पूर्ण होने के उपरांत विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, सोनीपत के न्यायालय में एक आरोप पत्र फाइल किया गया । चूंकि मामला अनन्य रूप से सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय था इसलिए इसे विद्वान् सेशन न्यायाधीश, सोनीपत को सुपुर्द किया गया । भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 201 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए आरोप विरचित किए गए । अभियुक्त/अपीलार्थी-राम निवास ने दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया । विचारण की समाप्ति पर विद्वान् सेशन न्यायाधीश, सोनीपत द्वारा दोषसिद्धि और दंडादेश के आदेश पारित किए । अभियुक्त/अपीलार्थी-राम निवास ने व्यथित होकर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ के समक्ष अपील फाइल की । इसे खारिज कर दिया गया । अभियुक्त द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की गई । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – शिकायतकर्ता-दीप चंद (अभि. सा. 9) के साक्ष्य से स्पष्ट रूप से यह देखा जा सकता है कि मृतक दलीप सिंह के शव को देखने के पश्चात् उन्होंने कोई शोर नहीं मचाया था । उसने अपने अभिसाक्ष्य में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था कि अभियुक्त/अपीलार्थी-राम निवास के मकान की एक तरफ आवासीय मकान हैं । उसने यह भी स्वीकार किया था कि वे अपने गांव भावड़ लगभग 9.00 बजे पूर्वाह्न में पहुंचे थे । उन्होंने पुलिस को सूचित करने के लिए 2.30/3.00 बजे अपराह्न तक प्रतीक्षा की थी । उसने यह भी स्वीकार किया है कि गांव रेवली और उसके गांव भावड़ के बीच पुलिस थाना बरोदा, गोहाना, मोहाना, सोनीपत और मुरथल रास्ते में पड़ते हैं । उन्होंने न तो गांव भावड़ के रास्ते में और न ही मुरथल वापस आते समय इन पुलिस थानों में से किसी को भी सूचना नहीं दी थी । शिकायतकर्ता-दीप चंद (अभि. सा. 9) और भीम सिंह (अभि. सा. 10) के प्रत्यक्षदर्शी परिसाक्ष्य के अतिरिक्त अपराध में आलिप्त करने वाली एकमात्र परिस्थिति, जिस पर अभियोजन पक्ष ने अवलंब लिया है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन अभियुक्त/अपीलार्थी-राम निवास के ज्ञापन के आधार पर 'राख' और 'प्लास्टिक की कैन' की बरामदगी है । स्पष्ट रूप से यह देखा जा सकता है कि यहां तक कि शिकायतकर्ता-दीप चंद (अभि. सा. 9) और भीम सिंह (अभि. सा. 10) ने पराल (धान का भूसा) में मृतक दलीप सिंह का शव देखने के पश्चात् उन्होंने गांव में किसी को सूचित नहीं किया था । इसमें कोई संदेह नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी स्थिति के प्रति कैसे प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, यह व्यक्ति-दर-व्यक्ति अलग-अलग होती है । तथापि, गांव रेवली में किसी व्यक्ति को सूचित न करने और उसके पश्चात् सवेरे अपने गांव भावड़ चले जाने, दोपहर बाद वापस आने और पांच पुलिस थानों को, जो गांव भावड़ और गांव रेवली के बीच थे, सूचित न करने से उक्त साक्षियों का आचरण उनके वृत्तांत की सत्यता के बारे में गंभीर संदेह उत्पन्न करता है । इन साक्षियों के इस परिसाक्ष्य पर भी विश्वास करना कठिन है कि रात्रि में मृतक दलीप सिंह की मृत्यु कारित की गई थी, पराल (धान का भूसा) में डालकर आग लगा दी गई थी और उन्हें इसके बारे में अभियुक्त/अपीलार्थी-राम निवास द्वारा अगले दिन सवेरे तक इसके बारे में बताने तक पता नहीं चला था । इन

साक्षियों के साक्ष्य में स्पष्ट रूप से यह निकलकर आया है कि अभियुक्त/अपीलार्थी-राम निवास के मकान के आसपास और मकान हैं । अभियोजन का यह वृत्तांत अनधिसंभाव्य प्रतीत होता है कि यह घटना मकानों से घिरे क्षेत्र में घटी थी । अभियोजन पक्ष ने आसपास रहने वाले किसी स्वतंत्र साक्षी की भी परीक्षा नहीं की थी, जिससे अभियोजन के वृत्तांत पर विश्वास किया जा सके । अत: इस न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि अपीलार्थी द्वारा इन साक्षियों को की गई अभिकथित न्यायिकेतर संस्वीकृति के एकमात्र आधार पर दोषसिद्धि को आधारित करना सुरक्षित नहीं होगा । (पैरा 11, 13, 14 और 16)

एकमात्र अन्य परिस्थिति, जिसका अभियोजन पक्ष ने अवलंब लिया है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन अभियुक्त/अपीलार्थी-राम निवास के ज्ञापन के आधार पर प्लास्टिक की थैली में रखी 'राख' के अभिग्रहण की है । सतीश कुमार (अभि. सा. 11), अन्वेषण अधिकारी ने अपने अभिसाक्ष्य में स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त/अपीलार्थी-रामनिवास द्वारा किया गया प्रकटन कथन पुलिस थाने के लॉक-अप में किया गया था । उसने यह भी स्वीकार किया है कि यद्यपि स्वतंत्र साक्षी उपलब्ध थे, क्योंकि पुलिस थाना शहर के बीचों-बीच है, उसने उक्त ज्ञापन के 'पंच' के रूप में किसी स्वतंत्र साक्षी को नहीं बुलाया था । इसलिए उक्त अभिग्रहण से भी अभियोजन के पक्षकथन को कोई सहायता नहीं मिलती है । यह भी उल्लेखनीय है कि डा. संजीव मल्होत्रा (अभि. सा. 5) ने अपने साक्ष्य में यह स्वीकार किया था कि शव के चेहरे की पहचान करना मुश्किल था । मरणोत्तर परीक्षा से यह भी सिद्ध नहीं होता है कि मृत्यु मानववध थी । यह स्थिर विधि है कि संदेह चाहे कितना भी मजबूत हो, युक्तियुक्ति संदेह के परे सबूत का स्थान नहीं ले सकता है । किसी अभियुक्त को किसी संदेह के आधार पर दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता, भले ही यह कितना भी मजबूत हो । अभियुक्त के तब तक निर्दोष होने की उपधारणा की जाती है जब तक युक्तियुक्त संदेह के परे दोषी साबित नहीं किया जाता है । प्रस्तुत मामले में, इस न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि अभियोजन पक्ष घटनाओं की श्रृंखला को सिद्ध करने में पूरी तरह से असफल रहा है

जिससे यह कहा जा सकता हो कि इसके परिणामस्वरूप अनन्य रूप से केवल और केवल एक निष्कर्ष अर्थात् अभियुक्त की दोषिता का निष्कर्ष निकलता है । (पैरा 17, 20 और 21)

अवलंबित निर्णय

पैरा

[2010] (2010) 8 एस. सी. सी. 233 :
एस. आरुल राजा बनाम **तमिलनाडु राज्य** ; 15

[1985] [1985] 1 उम. नि. प. 995 = (1984) 4 एस. सी. सी. 116 :
शरद बिरधीचंद शारदा बनाम **महाराष्ट्र राज्य** । 18

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2012 की दांडिक अपील सं. 25.

2005 की दांडिक अपील सं. 47-डीबी में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा तारीख 16 मार्च, 2009 को पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री ऋषि मल्होत्रा और जयदीप पाटिल

प्रत्यर्थी की ओर से श्री बिरेन्द्र कुमार चौधरी, अपर महाधिवक्ता, सुश्री पद्मा चौधरी और डा. मोनिका गुसैन

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति बी. आर. गवई ने दिया ।

न्या. गवई – इस अपील में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ द्वारा अभियुक्त/अपीलार्थी-रामनिवास द्वारा फाइल की गई उस अपील को खारिज करते हुए तारीख 16 मार्च, 2009 को पारित किए गए निर्णय और आदेश को चुनौती दी गई है, जो विद्वान् सेशन न्यायाधीश, सोनीपत द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में भारतीय दंड संहिता) की धारा 302 और 201 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए दोषसिद्ध करते हुए और उसे आजीवन कारावास भुगतने तथा 5,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने और जुर्माने के संदाय में

व्यतिक्रम करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दो वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने और धारा 201 के अधीन तीन वर्ष का कठोर कारावास भुगतने तथा 2,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने और जुर्माने के संदाय में व्यक्तिक्रम करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश देते हुए तारीख 11/12 जनवरी, 2005 को पारित किए गए निर्णय और आदेश को चुनौती देते हुए फाइल की गई थी । दोनों दंडादेशों को साथ-साथ चलने का निदेश दिया गया है ।

2. अभियोजन का पक्षकथन संक्षेप में इस प्रकार है :–

2.1 मृतक दलीप सिंह, भीम सिंह (अभि. सा. 10) और शिकायतकर्ता-दीप चंद (अभि. सा. 9) भाई हैं । भीम सिंह (अभि. सा. 10) के पुत्र पाले का विवाह चंद्र सिंह की पुत्री और अभियुक्त/अपीलार्थी-राम निवास की बहिन सुनीता के साथ हुआ था । पाले की मृत्यु के पश्चात्, उसकी पत्नी सुनीता अपने अप्राप्तवय पुत्र के साथ गांव रेवली में अपने पैतृक गृह चली गई । मृतक दलीप सिंह, भीम सिंह (अभि. सा. 10) और शिकायतकर्ता-दीप चंद (अभि. सा. 9) सुनीता का विवाह मृतक दलीप सिंह के पुत्र रामपाल के साथ करना चाहते थे । इसलिए तारीख 7 मार्च, 2003 को वे सभी तीनों अभियुक्त/अपीलार्थी-राम निवास के पिता चंद्र सिंह के मकान पर मृतक दलीप सिंह के पुत्र रामपाल के साथ सुनीता के पुनर्विवाह का प्रस्ताव लेकर गए थे ।

2.2 अभियोजन का यह पक्षकथन है कि वे सभी तीनों तारीख 7 मार्च, 2003 को लगभग 5.00 बजे अपराह्न में गांव रेवली पहुंचे और अभियुक्त/अपीलार्थी-राम निवास के पिता चंद्र सिंह के मकान पर गए । लगभग 7.30 बजे अपराह्न में मृतक दलीप सिंह और अभियुक्त/अपीलार्थी-राम निवास शराब पीने लगे और उस समय पर रामपाल के साथ सुनीता के विवाह के प्रस्ताव के बारे में उल्लेख किया गया । यह उल्लेख करने पर अभियुक्त/अपीलार्थी-राम निवास नाराज हो गया और मृतक दलीप सिंह को गाली देने लगा । तथापि, शिकायतकर्ता-दीप चंद (अभि. सा. 9) और भीम सिंह (अभि. सा. 10) ने बीच-बचाव किया और अभियुक्त/अपीलार्थी-राम निवास को शांत किया । उसके पश्चात्, वे दोनों

भोजन करने के पश्चात् सोने के लिए प्रथम तल पर चले गए ।

2.3 तारीख 8 मार्च, 2003 को सवेरे लगभग 6.30 बजे जब शिकायतकर्ता-दीप चंद (अभि. सा. 9) और भीम सिंह (अभि. सा. 10) चंद्र सिंह की बैठक में गए, तो मृतक दलीप सिंह वहां दिखाई नहीं दिया । उन्होंने अभियुक्त/अपीलार्थी-राम निवास से मृतक दलीप सिंह के ठौर-ठिकाने के बारे में पूछा और उसने उन्हें बताया कि वह शौच करने के लिए गया है । उन दोनों ने लगभग आधा घंटा मृतक दलीप सिंह की प्रतीक्षा की किंतु वह वापस नहीं आया । इसलिए उन्होंने अभियुक्त/ अपीलार्थी-राम निवास से पुन: मृतक दलीप सिंह के ठौर-ठिकाने के बारे में पूछा किंतु उन्हें संतोषजनक उत्तर नहीं मिला ।

2.4 अभियोजन का यह भी पक्षकथन है कि शिकायतकर्ता-दीप चंद (अभि. सा. 9) और भीम सिंह (अभि. सा. 10) के गलियारे में आने के पश्चात् उन्हें मानव शरीर जलने की गंध महसूस हुई । शिकायतकर्ता-दीप चंद (अभि. सा. 9) ने पुन: अभियुक्त/अपीलार्थी-राम निवास से मृतक दलीप सिंह के बारे में पूछताछ की । इसके पश्चात् अभियुक्त/अपीलार्थी-राम निवास घबरा गया और उत्तर दिया कि जब मृतक दलीप सिंह ने सुनीता के साथ उसके पुत्र के विवाह का प्रस्ताव किया था तब उसने मृतक दलीप सिंह का गला दबा दिया था और गला घोंटकर उसकी मृत्यु कारित कर दी थी । साक्ष्य नष्ट करने के लिए मृतक दलीप सिंह के शव को जला दिया था किंतु शव पूरी तरह से जल नहीं सका था । मृतक दलीप सिंह के शव को पराल (धान का भूसा) में छिपा दिया था । उसके पश्चात्, शिकायतकर्ता-दीप चंद (अभि. सा. 9) और भीम सिंह (अभि. सा. 10) ने धान की पराल को हटाने के पश्चात् मृतक दलीप सिंह के आंशिक रूप से जले हुए शव को प्लास्टिक की एक पल्ली के टुकड़े में लिपटा हुआ पाया । उसके पश्चात्, शिकायतकयर्ता-दीप चंद (अभि. सा. 9) और भीम सिंह (अभि. सा. 10) ने अभियुक्त/अपीलार्थी-राम निवास के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की और उनकी नाराजगी सुनने पर अभियुक्त/अपीलार्थी-राम निवास घटनास्थल से भाग गया । शिकायतकर्ता-दीप चंद (अभि. सा. 9) और भीम सिंह (अभि. सा. 10) अपने गांव भावड़ गए और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ सायंकाल में गांव रेवली वापस आए ।

2.5 शिकायतकर्ता-दीप चंद (अभि. सा. 9) ने 4.45 बजे अपराह्न में पुलिस थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई । शिकायतकर्ता-दीप चंद (अभि. सा. 9) के कथन के आधार पर 5.00 बजे अपराह्न में एक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की गई ।

2.6 अन्वेषण पूर्ण होने के उपरांत विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, सोनीपत के न्यायालय में एक आरोप पत्र फाइल किया गया । चूंकि मामला अनन्य रूप से सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय था इसलिए इसे विद्वान् सेशन न्यायाधीश, सोनीपत को सुपुर्द किया गया ।

2.7 भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 201 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए आरोप विरचित किए गए । अभियुक्त/अपीलार्थी-राम निवास ने दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया । विचारण की समाप्ति पर विद्वान् सेशन न्यायाधीश, सोनीपत ने पूर्वोक्त अनुसार दोषसिद्धि और दंडादेश के आदेश पारित किए । अभियुक्त/अपीलार्थी-राम निवास ने व्यथित होकर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ के समक्ष अपील फाइल की । इसे खारिज कर दिया गया । इसलिए यह अपील की गई है ।

3. हमने अभियुक्त/अपीलार्थी-राम निवास की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अभिलेख अधिवक्ता और हरियाणा राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अपर महाधिवक्ता श्री बिरेन्द्र कुमार चौधरी को सुना ।

4. विद्वान् काउंसेल श्री ऋषि मल्होत्रा ने यह दलील दी कि मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि युक्तियुक्त संदेह के परे यह साबित नहीं किया गया है कि जिस शव की मरणोत्तर परीक्षा की गई थी वह शव मृतक दलीप सिंह का था । उन्होंने दलील दी कि डा. संजीव मल्होत्रा (अभि. सा. 5) ने यह स्वीकार किया है कि जिस शव की उसने मरणोत्तर परीक्षा की थी, उसका चेहरा पहचान योग्य नहीं था । अत: उन्होंने यह दलील दी कि अभियोजन पक्ष द्वारा यह साबित करने के अभाव में कि शव मृतक दलीप सिंह का ही था, दोषसिद्धि

संधार्य नहीं थी । उन्होंने यह भी दलील दी कि शिकायतकर्ता-दीप चंद (अभि. सा. 9) और भीम सिंह (अभि. सा. 10) का साक्ष्य, जिसका विद्वान् सेशन न्यायाधीश, सोनीपत तथा उच्च न्यायालय द्वारा अवलंब लिया गया है, पूर्णत: अविश्वसनीय है । उन्होंने दलील दी कि उक्त साक्षियों का आचरण पूर्णत: अस्वाभाविक है । उन्होंने यह दलील दी कि उनके साक्ष्य से यह दिखाई पड़ता है कि उनके द्वारा शव को देखने के पश्चात् वे सीधे अपने गांव भावड़ चले गए थे और सायंकाल में वापस आए । उन्होंने दलील दी कि जब पुलिस थाना घटनास्थल से लगभग डेढ़ किलोमीटर था, तो तुरंत पुलिस थाने न जाने और घटना के बारे में सूचित न करने के उनके आचरण से अभियोजन के पक्षकथन के बारे में गंभीर संदेह उत्पन्न होता है । अत: उन्होंने यह दलील दी कि अभियुक्त/अपीलार्थी-राम निवास उस पर आरोपित सभी आरोपों से दोषमुक्त किए जाने का हकदार है ।

5. इसके विपरीत, विद्वान् अपर महाधिवक्ता श्री बिरेन्द्र कुमार चौधरी ने यह दलील दी कि दोनों निचले न्यायालयों ने साक्ष्य का ठीक प्रकार से मूल्यांकन करने के उपरांत समवर्ती रूप से अभियुक्त/अपीलार्थी-राम निवास को उस पर आरोपित अपराधों का दोषी पाया था । उन्होंने दलील दी कि अभियुक्त/अपीलार्थी-राम निवास ने शिकायतकर्ता-दीप चंद (अभि. सा. 9) और भीम सिंह (अभि. सा. 10) के समक्ष न्यायिकेतर संस्वीकृति की थी । उन्होंने दलील दी कि उक्त न्यायिकेतर संस्वीकृति की संपुष्टि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (संक्षेप में "साक्ष्य अधिनियम") की धारा 27 के अधीन अभियुक्त/अपीलार्थी-राम निवास के ज्ञापन के आधार पर एक प्लास्टिक के लिफाफे में छिपाई गई 'राख' की बरामदगी से होती है । अत: उन्होंने दलील दी कि विद्वान् सेशन न्यायाधीश, सोनीपत तथा उच्च न्यायालय द्वारा अभिलिखित तथ्य विषयक निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने के लिए कोई मामला नहीं बनता है ।

6. उच्च न्यायालय के निष्कर्षों की शुद्धता की परीक्षा करने के लिए अभिलेख पर के साक्ष्य की संवीक्षा करना उपयुक्त होगा ।

7. डा. संजीव मल्होत्रा (अभि. सा. 5) ने मृतक के शव की

मरणोत्तर परीक्षा की थी । उसने अपने साक्ष्य में यह कहा था कि शव नग्न पड़ा हुआ था । संपूर्ण शरीर पर गहरी दाह क्षतियां दर्शित हो रही थीं । इससे मिट्टी के तेल की गंध भी आ रही थी । बाल और खोपड़ी गायब थे । नेत्रगोलक, बरौनियां और दोनों कान जल गए थे । दोनों होंठ और नाक भी जल गए थे । डाक्टर ने अपनी मुख्य परीक्षा में स्पष्ट रूप से यह कथन किया था कि शव के चेहरे को पहचाना नहीं जा सकता था । उसने अपनी मुख्य परीक्षा में यह भी कहा था कि दोनों पैर गायब थे । डा. संजीव मल्होत्रा (अभि. सा. 5) ने अपनी प्रतिपरीक्षा में निम्नलिखित बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है :–

"यह सही है कि शव पहचान करने योग्य नहीं था । ..... ।"

8. शिकायतकर्ता-दीप चंद (अभि. सा. 9) ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया कि तारीख 7 मार्च, 2003 को वह अपने दो भाइयों अर्थात् भीम सिंह (अभि. सा. 10) और मृतक दलीप सिंह के साथ गांव रेवली गया था । उसने यह कथन किया कि सभी तीनों भाई गांव रेवली अपने भाई मृतक दलीप सिंह के पुत्र रामपाल के लिए पुनर्विवाह में सुनीता का हाथ मांगने के लिए गए थे । लगभग 5.00 बजे अपराह्न में गांव रेवली पहुंचने के पश्चात् वे चंद्र सिंह और उसके पुत्र अभियुक्त/अपीलार्थी-राम निवास से मिले । उसने यह भी कथन किया कि कुछ समय के पश्चात् अभियुक्त/अपीलार्थी-राम निवास शराब की एक बोतल लाया और वह अपने पिता चंद्र सिंह और इस साक्षी के भाई मृतक दलीप सिंह के साथ शराब पीने लगा । उसने यह भी कथन किया कि मृतक दलीप सिंह द्वारा अपने पुत्र रामपाल के साथ सुनीता के पुनर्विवाह का प्रस्ताव करने पर उनके बीच छुटपुट कहा-सुनी हुई । उसने यह कथन किया कि उसने और भीम सिंह (अभि. सा. 10) ने दोनों पक्षों को लड़ाई न करने के लिए मनाया । भोजन करने के पश्चात् अभियुक्त/अपीलार्थी-राम निवास ने उसे और भीम सिंह (अभि. सा. 10) को प्रथम तल पर जाकर सोने के लिए कहा, चूंकि अभियुक्त/अपीलार्थी-राम निवास और मृतक दलीप सिंह कुछ बात करना चाहते हैं । उसके पश्चात्, वे प्रथम तल पर सोने के लिए चले गए ।

9. शिकायतकर्ता-दीप चंद (अभि. सा. 9) ने आगे यह भी कथन

किया कि सवेरे जब वे लगभग 6.30 बजे अभियुक्त/अपीलार्थी-राम निवास की बैठक में गए और अपने भाई दलीप सिंह (मृतक) के बारे में पूछा तो अभियुक्त/अपीलार्थी-राम निवास ने उन्हें बताया कि मृतक दलीप सिंह शौच करने के लिए गया है । आधा घंटा प्रतीक्षा करने के पश्चात् जब मृतक दलीप सिंह वापस नहीं आया तो उन्होंने पुन: अभियुक्त/ अपीलार्थी-राम निवास से मृतक दलीप सिंह के बारे में पूछताछ की । उसके पश्चात्, अभियुक्त/अपीलार्थी-राम निवास ने उन्हें बताया कि उसने मृतक दलीप सिंह की हत्या कर दी है । मृतक दलीप सिंह के शव के बारे में पूछताछ करने पर अभियुक्त/अपीलार्थी-राम निवास ने उन्हें बताया कि उसने शव को पराल (धान का भूसा) में छिपाकर रखा है । उन्हें जलने की दुर्गंध भी महसूस हुई । वे वहां गए और मृतक दलीप सिंह के शव को प्लास्टिक की एक पल्ली में लिपटा हुआ और पराल के ढेर में पड़ा हुआ देखा और यह जली हुई हालत में था । उसके पश्चात्, वह और भीम सिंह (अभि. सा. 10) वहां से भाग गए क्योंकि उन्हें आशंका थी कि अभियुक्त/अपीलार्थी-राम निवास उन्हें भी मार सकता है । उसने कथन किया कि वे उसके पश्चात् सीधे अपने गांव भावड़ गए और उसी दिन गांव से चार-पांच व्यक्तियों को लेकर वह मुरथल अड्डे पर आया और इंजीनियरिंग कालेज के मोड़ पर वे पुलिस से मिले और घटना के बारे में सूचित किया ।

10. शिकायतकर्ता-दीप चंद (अभि. सा. 9) ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया कि सुनीता के माता-पिता पाले की छमाही और बरसी की रस्म के समय पर उसके गांव भावड़ आए थे । इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया था कि उन्होंने उन अवसरों पर रामपाल के साथ सुनीता के पुनर्विवाह के संबंध में सुनीता के माता-पिता से बात नहीं की थी । उसने यह भी स्वीकार किया कि उनके समाज में रिवाज के अनुसार किसी विधवा या करेवा का पुनर्विवाह छमाही या बरसी के अवसर पर अनुष्ठापित किया जाना चाहिए । शिकायतकर्ता-दीप चंद (अभि. सा. 9) के साक्ष्य में की निम्नलिखित स्वीकारोक्तियों को निर्दिष्ट करना सुसंगत होगा :–

"शव को देखने के पश्चात् हमने कोई शोर नहीं मचाया और

हमारी मौजूदगी में कोई घटनास्थल पर नहीं आया । उस दिन सुनीता भी गांव रेवली में मौजूद थी । हमने गांव में यहां तक कि सुनीता या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बताया था । हम अपने गांव भावड़ एक जीप और बस से गए थे । पुलिस थाना मुरथल गांव रेवली से डेढ़ किलो मीटर दूर स्थित है । हमने पुलिस थाना मुरथल की पुलिस को सूचित नहीं किया था । हम अपने गांव लगभग 9.00 बजे पूर्वाह्न में पहुंचे थे । हम एक जीप में वापस आए थे । सुभाष, गंगा, प्रेम, राजू, शेर सिंह, पप्पू इत्यादि हमारे साथ गांव रेवली गए थे । हमने किसी पुलिस थाने को सूचना नहीं दी थी जो गांव रेवली से वापस आते हुए रास्ते में पड़ता है । तथापि, पुलिस थाना बरोदा, गोहाना, मोहाना, सोनीपत और मुरथल रास्ते में पड़ते हैं ।"

11. इस प्रकार, शिकायतकर्ता-दीप चंद (अभि. सा. 9) के साक्ष्य से स्पष्ट रूप से यह देखा जा सकता है कि मृतक दलीप सिंह के शव को देखने के पश्चात् उन्होंने कोई शोर नहीं मचाया था । उसने अपने अभिसाक्ष्य में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था कि अभियुक्त/अपीलार्थी-राम निवास के मकान की एक तरफ आवासीय मकान हैं । उसने यह भी स्वीकार किया था कि वे अपने गांव भावड़ लगभग 9.00 बजे पूर्वाह्न में पहुंचे थे । उन्होंने पुलिस को सूचित करने के लिए 2.30/3.00 बजे अपराह्न तक प्रतीक्षा की थी । उसने यह भी स्वीकार किया है कि गांव रेवली और उसके गांव भावड़ के बीच पुलिस थाना बरोदा, गोहाना, मोहाना, सोनीपत और मुरथल रास्ते में पड़ते हैं । उन्होंने न तो गांव भावड़ के रास्ते में और न ही मुरथल वापस आते समय इन पुलिस थानों में से किसी को भी सूचना नहीं दी थी ।

12. भीम सिंह (अभि. सा. 10) का साक्ष्य इसी प्रकार का है ।

13. शिकायतकर्ता-दीप चंद (अभि. सा. 9) और भीम सिंह (अभि. सा. 10) के प्रत्यक्षदर्शी परिसाक्ष्य के अतिरिक्त अपराध में आलिप्त करने वाली एकमात्र परिस्थिति, जिस पर अभियोजन पक्ष ने अवलंब लिया है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन अभियुक्त/अपीलार्थी-राम निवास के ज्ञापन के आधार पर 'राख' और 'प्लास्टिक की कैन' की

बरामदगी है ।

14. स्पष्ट रूप से यह देखा जा सकता है कि यहां तक कि शिकायतकर्ता-दीप चंद (अभि. सा. 9) और भीम सिंह (अभि. सा. 10) ने पराल (धान का भूसा) में मृतक दलीप सिंह का शव देखने के पश्चात् उन्होंने गांव में किसी को सूचित नहीं किया था । इसमें कोई संदेह नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी स्थिति के प्रति कैसे प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, यह व्यक्ति-दर-व्यक्ति अलग-अलग होती है । तथापि, गांव रेवली में किसी व्यक्ति को सूचित न करने और उसके पश्चात् सवेरे अपने गांव भावड़ चले जाने, दोपहर बाद वापस आने और पांच पुलिस थानों को, जो गांव भावड़ और गांव रेवली के बीच थे, सूचित न करने से उक्त साक्षियों का आचरण उनके वृत्तांत की सत्यता के बारे में गंभीर संदेह उत्पन्न करता है । इन साक्षियों के इस परिसाक्ष्य पर भी विश्वास करना कठिन है कि रात्रि में मृतक दलीप सिंह की मृत्यु कारित की गई थी, पराल (धान का भूसा) में डालकर आग लगा दी गई थी और उन्हें इसके बारे में अभियुक्त/अपीलार्थी-राम निवास द्वारा अगले दिन सवेरे तक इसके बारे में बताने तक पता नहीं चला था । इन साक्षियों के साक्ष्य में स्पष्ट रूप से यह निकलकर आया है कि अभियुक्त/अपीलार्थी-राम निवास के मकान के आसपास और मकान हैं । अभियोजन का यह वृत्तांत अनधिसंभाव्य प्रतीत होता है कि यह घटना मकानों से घिरे क्षेत्र में घटी थी । अभियोजन पक्ष ने आसपास रहने वाले किसी स्वतंत्र साक्षी की भी परीक्षा नहीं की थी, जिससे अभियोजन के वृत्तांत पर विश्वास किया जा सके ।

15. अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त/अपीलार्थी-राम निवास द्वारा इन साक्षियों को की गई न्यायिकेतर संस्वीकृति का अवलंब लिया है । इस न्यायालय ने **एस. आरुल राजा** बनाम **तमिलनाडु राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय के पूर्ववर्ती निर्णयों पर विचार करने के पश्चात् यह मत व्यक्त किया है :–

> "48. न्यायिकेतर संस्वीकृति की धारणा प्राथमिक रूप से एक न्यायिक सृजन है और इसका प्रयोग अवश्य निर्बंधित रूप में किया

[1] (2010) 8 एस. सी. सी. 233.

जाना चाहिए । ऐसी संस्वीकृति का प्रयोग केवल सीमित परिस्थितियों में किया जाना चाहिए और अत्यंत सावधानी से इसकी संपुष्टि भी की जानी चाहिए । राम सिंह **बनाम** सोनिया [(2007) 3 एस. सी. सी. 1 = (2007) 2 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 1] वाले मामले में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि पुलिस अभिरक्षा में की गई न्यायिकेतर संस्वीकृति को मंजूर नहीं किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त, जब कोई मामला न्यायिकेतर संस्वीकृति पर निर्भर है और केवल पारिस्थितिक साक्ष्य द्वारा संपुष्टि की गई है, तब न्यायालयों द्वारा इस पर अत्यंत सावधानी से विचार किया जाना चाहिए । इस न्यायालय द्वारा इडिगा अनम्मा **बनाम** आंध्र प्रदेश राज्य [(1974) 4 एस. सी. सी. 443 = 1974 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 479] और महाराष्ट्र राज्य **बनाम** कोंडिबा तुकाराम शिरके [(1976) 3 एस. सी. सी. 775 = 1976 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 514] वाले मामले में इस सिद्धांत की अभिपुष्टि की गई है । यह मत व्यक्त करना महत्वपूर्ण है कि अभियुक्त-1 ने बाद में तमिलनाडु पहुंचने पर इस कथन को मानने से इनकार कर दिया था ।"

16. अत: हमारा यह निष्कर्ष है कि अपीलार्थी द्वारा इन साक्षियों को की गई अभिकथित न्यायिकेतर संस्वीकृति के एकमात्र आधार पर दोषसिद्धि को आधारित करना सुरक्षित नहीं होगा ।

17. एकमात्र अन्य परिस्थिति, जिसका अभियोजन पक्ष ने अवलंब लिया है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन अभियुक्त/अपीलार्थी-राम निवास के ज्ञापन के आधार पर प्लास्टिक की थैली में रखी 'राख' के अभिग्रहण की है । सतीश कुमार (अभि. सा. 11), अन्वेषण अधिकारी ने अपने अभिसाक्ष्य में स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त/अपीलार्थी-राम निवास द्वारा किया गया प्रकटन कथन पुलिस थाने के लॉक-अप में किया गया था । उसने यह भी स्वीकार किया है कि यद्यपि स्वतंत्र साक्षी उपलब्ध थे, क्योंकि पुलिस थाना शहर के बीचों-बीच है, उसने उक्त ज्ञापन के 'पंच' के रूप में किसी स्वतंत्र साक्षी को नहीं बुलाया था । इसलिए उक्त अभिग्रहण से भी अभियोजन के

पक्षकथन को कोई सहायता नहीं मिलती है । यह भी उल्लेखनीय है कि डा. संजीव मल्होत्रा (अभि. सा. 5) ने अपने साक्ष्य में यह स्वीकार किया था कि शव के चेहरे की पहचान करना मुश्किल था । मरणोत्तर परीक्षा से यह भी सिद्ध नहीं होता है कि मृत्यु मानव वध थी ।

18. अभियोजन का पक्षकथन पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है । पारिस्थितिक साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि के विषय में विधि **शरद बिरधीचंद शारदा** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय के निर्णय में भली-भांति स्पष्ट की गई है, जिसमें इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है :–

> "152. उच्च न्यायालय द्वारा अवलंब लिए गए मामलों पर चर्चा करने से पूर्व हम एकमात्र पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित किसी दांडिक मामले की प्रकृति, स्वरूप और अपेक्षित आवश्यक सबूत पर कुछेक विनिश्चयों को उद्धृत करना चाहेंगे । इस न्यायालय का सबसे मौलिक और मूलभूत विनिश्चय हनुमंत **बनाम** मध्य प्रदेश राज्य {ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 343 = [1952] एस. सी. आर. 1091 = 1953 क्रिमिनल ला जर्नल 129} वाला मामला है । इस न्यायालय द्वारा आज तक अनेक विनिश्चयों में इस मामले का बराबर अनुसरण और उपयोग किया गया है । उदाहरण के लिए, तुफेल **उर्फ** सिम्मी **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य [(1969) 3 एस. सी. सी. 198 = 1970 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 55] और रामगोपाल **बनाम** महाराष्ट्र राज्य [(1972) 4 एस. सी. सी. 625 = ए. आई. आर. 1972 एस. सी. 656 वाले मामले] । हनुमंत (उपरोक्त) वाले मामले में न्यायमूर्ति महाजन ने जो कुछ अधिकथित किया है, उसे उद्धृत करना उपयोगी होगा –
>
> > 'यह ध्यान रखना होगा कि जिन मामलों में साक्ष्य पारिस्थितिक साक्ष्य होता है, उनमें वे परिस्थितियां जिनसे दोषिता का निष्कर्ष निकाला जाना है, पहली बार में पूरी तरह

[1] [1985] 1 उम. नि. प. 995 = (1984) 4 एस. सी. सी. 116.

से सिद्ध की जानी चाहिएं और इस प्रकार सिद्ध सभी तथ्य केवल अभियुक्त की दोषिता की कल्पना के अनुरूप होने चाहिए । साथ ही वे परिस्थितियां निश्चायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिएं तथा वे ऐसी होनी चाहिएं कि प्रत्येक कल्पना अपवर्जित हो जाए और वही शेष रहे जो साबित की जानी है । दूसरे शब्दों में, साक्ष्य की श्रृंखला अवश्य इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि जिससे अभियुक्त की निर्दोषिता के अनुरूप किसी निष्कर्ष के लिए कोई भी युक्तियुक्त आधार शेष न बचे और वह ऐसी होनी चाहिएं जिससे यह दर्शित होता हो कि समस्त मानवीय अधिसंभाव्यताओं में वह कार्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया होगा ।'

153. इस विनिश्चय के सूक्ष्म-विश्लेषण से यह दर्शित होता है कि अभियुक्त के प्रतिकूल मामले को पूरी तरह सिद्ध मानने से पहले निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिएं –

(1) वे परिस्थितियां, जिनसे दोषिता का निष्कर्ष निकाला जाना है, पूरी तरह सिद्ध की जानी चाहिएं ।

यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि इस न्यायालय ने यह इंगित किया था कि संबंधित परिस्थितियां 'सिद्ध करनी होंगी' या 'की जानी चाहिएं न कि की जा सकती हैं' । 'साबित की जा सकती हैं' और 'साबित करनी होंगी या की जानी चाहिएं' में केवल व्याकरणिक अंतर ही नहीं है, बल्कि विधिक अंतर है, जैसा कि इस न्यायालय ने शिवाजी साहबराव बोबडे और एक अन्य **बनाम** महाराष्ट्र राज्य {[1973] 3 उम. नि. प. 1011 = (1973) 2 एस. सी. सी. 793} वाले मामले में अभिनिर्धारित किया था । उसमें न्यायालय ने निम्नलिखित मत व्यक्त किया था :–

'निश्चय ही यह एक प्राथमिक सिद्धांत है कि इससे पहले कि न्यायालय अभियुक्त को दोषसिद्ध कर सके, अभियुक्त दोषी 'होना चाहिए' न कि केवल 'दोषी हो सकता है' तथा 'हो

सकता है' और 'होना चाहिए' के बीच मानसिक अंतर बहुत लंबा है, अस्पष्ट अटकलों को निश्चित निष्कर्षों से अलग करता है ।'

(2) इस प्रकार सिद्ध किए गए तथ्य केवल अभियुक्त की दोषिता के कल्पना के अनुरूप होने चाहिएं अर्थात् इस बात के सिवाय कि अभियुक्त दोषी है, किसी अन्य कल्पना के पोषक नहीं होने चाहिएं,

(3) परिस्थितियां निश्चायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिएं,

(4) उन्हें साबित की जाने वाली हर उप-कल्पना के सिवाय हर संभावित उप-कल्पना अपवर्जित करनी चाहिए, और

(5) साक्ष्य की श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त की निर्दोषिता के अनुरूप निष्कर्ष निकालने के लिए कोई भी युक्तियुक्त आधार न बचे और उससे यह दर्शित हो कि संपूर्ण मानवीय अधिसंभावना में वह कार्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया होगा ।

154. ये पांच स्वर्णिम सिद्धांत हैं, यदि हम ऐसा कह सकते हैं । ये पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित किसी पक्षकथन के सबूत के पंचशील सिद्धांत हैं ।"

19. इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि साक्ष्य की श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त की निर्दोषिता के संगत किसी निष्कर्ष के लिए कोई युक्तियुक्त आधार शेष न बचे और अवश्य यह दर्शित होना चाहिए कि सभी मानवीय अधिसंभाव्यता में कृत्य अवश्य अभियुक्त द्वारा किया गया होगा । यह अभिनिर्धारित किया गया है कि परिस्थितियां निश्चायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिएं । इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि परिस्थितियों से प्रत्येक संभाव्य कल्पना अपवर्जित होनी जानी चाहिएं, सिवाय उसके जिसे साबित किया जाना है । यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अभियुक्त को किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करने से पूर्व 'अवश्य' दोषी होना

चाहिए न कि मात्र 'दोषी हो सकता है' ।

20. यह स्थिर विधि है कि संदेह चाहे कितना भी मजबूत हो, युक्तियुक्ति संदेह के परे सबूत का स्थान नहीं ले सकता है । किसी अभियुक्त को किसी संदेह के आधार पर दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता, भले ही यह कितना भी मजबूत हो । अभियुक्त के तब तक निर्दोष होने की उपधारणा की जाती है जब तक युक्तियुक्त संदेह के परे दोषी साबित नहीं किया जाता है ।

21. प्रस्तुत मामले में, हमारा यह निष्कर्ष है कि अभियोजन पक्ष घटनाओं की श्रृंखला को सिद्ध करने में पूरी तरह से असफल रहा है जिससे यह कहा जा सकता हो कि इसके परिणामस्वरूप अनन्य रूप से केवल और केवल एक निष्कर्ष अर्थात् अभियुक्त की दोषिता का निष्कर्ष निकलता है ।

22. अत: यह अपील मंजूर की जाती है । विद्वान् सेशन न्यायाधीश, सोनीपत के तारीख 11/12 जनवरी, 2005 के दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय और आदेश तथा अभियुक्त/अपीलार्थी-राम निवास की अपील को खारिज करते हुए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ के तारीख 16 मार्च, 2009 के निर्णय और आदेश को अभिखंडित और अपास्त किया जाता है ।

23. लंबित आवेदनों का, यदि कोई हैं, निपटारा हो जाएगा ।

अपील मंजूर की गई ।

जस.

[2022] 3 उम. नि. प. 256

मखन सिंह

बनाम

हरियाणा राज्य

[2010 की दांडिक अपील सं. 1290]

16 अगस्त, 2022

न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 304ख [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 32] – दहेज मृत्यु – दोषसिद्धि – मृतका द्वारा अपनी मृत्यु से पूर्व दो अलग-अलग मजिस्ट्रेटों के समक्ष दो अलग-अलग मृत्युकालिक कथन किया जाना – प्रथम कथन में अभियुक्त-अपीलार्थी सहित उसके माता-पिता को निर्दोष बताया जाना और दूसरे कथन में उन्हें अपराध में आलिप्त किया जाना – अभियुक्त-पति को दोषसिद्ध किया जाना और उसके माता-पिता को संदेह का फायदा देते हुए दोषमुक्त किया जाना – दो अलग-अलग मृत्युकालिक कथनों की विश्वसनीयता – जहां मजिस्ट्रेट द्वारा मृतका का प्रथम मृत्युकालिक कथन करने से पूर्व सम्यक् रूप से उसके ठीक मानसिक हालत में होने और स्वेच्छा से कथन करने के लिए अपना समाधान किया गया और डाक्टर द्वारा भी उसके ठीक मानसिक हालत होने का पृष्ठांकन किया गया तथा उस कथन में मृतका द्वारा अभियुक्तों को निर्दोष बताया गया किंतु घटना के तीन दिन पश्चात् अन्य मजिस्ट्रेट द्वारा उसका कथन अभिलिखित करने से पूर्व चिकित्सा अधिकारी से उसके ठीक मानसिक हालत में होने का प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किए बिना उसका दूसरा मृत्युकालिक कथन उस समय अभिलिखित किया जब मृतका का पिता और बहिन भी उस दिन अस्पताल में मौजूद थे और मृतका द्वारा इस कथन में अभियुक्तों को अपराध में आलिप्त किया गया, इसलिए दूसरे कथन को सिखाने-पढ़ाने के पश्चात् किए जाने की संभाव्यता से इनकार नहीं किया जा सकता और इसलिए अभियुक्त को

संदेह के फायदा का हकदार होने के कारण दोषमुक्त करना उचित होगा ।

इस मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि मृतका मंजीत कौर का विवाह अभियुक्त-अपीलार्थी मखन सिंह के साथ हुआ था । अभियोजन के पक्षकथन के अनुसार अभियुक्त-अपीलार्थी मृतका मंजीत कौर के माता-पिता से दहेज की मांग करता रहता था । अभियोजन पक्षकथन के अनुसार मृतका ने इस यातना से परेशान होकर विषैला पदार्थ खा लिया । अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा मृतका को आरंभ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, लाडवा ले जाया गया और उसके पश्चात् उसे एल. एन. जे. पी. अस्पताल कुरुक्षेत्र रेफर किया गया । सुश्री वाणी गोपाल शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, कुरुक्षेत्र ने मृतका मंजीत कौर का मृत्युकालिक कथन अभिलिखित किया, जिसमें मृतका ने यह कथन किया कि वह बुखार से पीड़ित थी और चूंकि अंगीठी पर कई सारी औषधियां रखी हुई थीं, उसने गलती से हरे रंग की औषधि ले ली । यह प्रतीत होता है कि उसके पश्चात् मृतका मंजीत कौर के माता-पिता कमलेश कौर (अभि. सा. 11) और भान सिंह (अभि. सा. 13) अगले दिन सवेरे अस्पताल पहुंचे । तारीख 24 अप्रैल, 1998 को उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन मृतका मंजीत कौर का कथन अभिलिखित करने के लिए अनुरोध किया । यह अनुरोध किए जाने पर सुश्री कंचन नरियाला, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, कुरुक्षेत्र (अभि. सा. 6) ने तारीख 24 अप्रैल, 1998 को मृतका मंजीत कौर का कथन अभिलिखित किया, जिसमें उसने कहा कि उसके पति ने संयुक्त राज्य अमेरिका जाने के लिए छह लाख रुपए की मांग की थी । उक्त मृत्युकालिक कथन के अनुसार, अपीलार्थी तथा उसके माता-पिता ने मृतका मंजीत कौर को उक्त विषैला पदार्थ खिलाया था । द्वितीय मृत्युकालिक कथन के आधार पर तारीख 25 अप्रैल, 1998 को एक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की गई । उक्त मृत्युकालिक कथन अभिलिखित किए जाने के पश्चात् अन्वेषण अधिकारी द्वारा उसका मौखिक कथन अभिलिखित किया गया । तारीख 28 अप्रैल, 1998 को मृतका मंजीत कौर को पीजीआईएमएस, चंडीगढ़ रेफर किया गया, जहां

तारीख 9 मई, 1998 को उसकी मृत्यु हो गई । अन्वेषण पूर्ण होने के उपरांत आरोप पत्र फाइल किया गया । भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन दंडनीय अपराध के लिए आरोप विरचित किए गए । विचारण की समाप्ति पर, विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन दोषसिद्ध किया गया । तथापि, विचारण न्यायालय ने यह पाया कि अन्य दो अभियुक्त अर्थात् अपीलार्थी के माता-पिता संदेह का फायदा प्राप्त करने के हकदार हैं और उन्हें दोषमुक्त कर दिया । अपीलार्थी द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष फाइल की गई । अपील में यद्यपि उच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन दोषसिद्धि की पुष्टि की, किंतु उच्च न्यायालय ने अधिनिर्णीत दंडादेश को कम करके 7 वर्ष कर दिया । अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की गई । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – इस न्यायालय के समक्ष दो मृत्युकालिक कथन हैं, जो पूर्णत: असंगत और परस्पर विरोधाभासी हैं । दोनों कथन न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । एक कठिन प्रश्न, जिसका इस न्यायालय को उत्तर देना है, यह है कि इन मृत्युकालिक कथनों में से किस पर विश्वास किया जाए । प्रथम मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श डीओ/सी) सुश्री वाणी गोपाल शर्मा (प्रति. सा. 1) द्वारा अभिलिखित किया गया है । उक्त कथन के परिशीलन से यह प्रकट होता है कि मृतका मंजीत कौर का कथन अभिलिखित करने से पूर्व डा. सोबती (अभि. सा. 1) ने इस बारे में उसका परीक्षण किया था कि क्या वह कथन करने के लिए ठीक मानसिक हालत में और होश में है या नहीं । इस प्रमाणीकरण के पश्चात् सुश्री वाणी गोपाल शर्मा (प्रति. सा. 1) ने इस बारे में अपना समाधान किया कि क्या मृतका मंजीत कौर स्वेच्छा से कथन कर रही है या नहीं और उसके पश्चात् उसका कथन अभिलिखित किया । उक्त मृत्युकालिक कथन पर डा. सोबती (अभि. सा. 1) द्वारा यह टिप्पणी करते हुए पृष्ठांकन किया गया है कि मृतका मनजीत कौर कथन करते समय शुरू से अंत तक होश में थी । सुश्री वाणी गोपाल शर्मा (प्रति. सा. 1) ने भी यह अभिसाक्ष्य दिया है कि कथन

करने के पश्चात् भी उसने मृतका से इस बारे में पुष्टि की थी कि क्या उसके द्वारा कथन स्वेच्छा से किया गया है । इसके विपरीत, जहां तक द्वितीय मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श पीई), जो तीन दिनों के पश्चात् एक अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री कंचन नरियाला (अभि. सा. 6) द्वारा अभिलिखित किया गया था, का संबंध है, इसे मृतका मंजीत कौर द्वारा कथन करने के लिए आरोग्य होने के विषय में किसी डाक्टर द्वारा परीक्षण किए बिना अभिलिखित किया गया था । यद्यपि यह कथन एल. एन. जे. पी. अस्पताल में अभिलिखित किया गया था और हालांकि डाक्टर उपलब्ध थे तो भी सुश्री कंचन नरियाला (अभि. सा. 6) ने अस्पताल में उपलब्ध डाक्टरों से मृतका की स्वास्थ्य की दशा का परीक्षण कराना आवश्यक नहीं समझा । यह भी उल्लेखनीय है कि सुश्री कंचन नरियाला (अभि. सा. 6) ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि भान सिंह (अभि. सा. 13) और कमलेश कौर (अभि. सा. 11), मृतका मंजीत कौर के पिता और बहिन अस्पताल में मौजूद थे । इसलिए द्वितीय मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श पीई) को उसके नातेदारों द्वारा सिखाने-पढ़ाने के पश्चात् किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है । यह उल्लेख करना भी सुसंगत है कि अभियोजन पक्ष ने सुश्री वाणी गोपाल शर्मा (प्रति. सा. 1) और के. के. राव, पुलिस उप अधीक्षक (प्रति. सा. 2) की परीक्षा नहीं की थी । इसलिए अन्वेषण अधिकारी की ऋजुता और निष्पक्षता के विषय में गंभीर संदेह उत्पन्न होता है । इसके अतिरिक्त, यह उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय ने इसी साक्ष्य के आधार पर ही अपीलार्थी के पिता और माता को संदेह का फायदा देते हुए दोषमुक्त कर दिया था । मामले को इस प्रकार दृष्टिगत करते हुए, उसी साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थी की दोषसिद्धि, इस न्यायालय के मत में, अनुचित थी । अत: इस न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि प्रस्तुत मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में प्रथम मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श डीओ/सी) को द्वितीय मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श पीई) के मुकाबले अधिक विश्वसनीय और भरोसेमंद होना समझा जाएगा । किसी भी दशा में, संदेह का फायदा जो विचारण न्यायालय द्वारा अन्य अभियुक्तों को दिया गया है, समान रूप से वर्तमान अपीलार्थी को दिया जाना चाहिए

जबकि सभी तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध साक्ष्य पूर्णतया समान था । (पैरा 15, 16, 17, 19 और 20)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2022]	(2022) 4 एस. सी. सी. 741 : **उत्तर प्रदेश राज्य** बनाम **वीरपाल** ;	7
[2020]	(2020) 11 एस. सी. सी. 343 : **कश्मीरा देवी** बनाम **उत्तराखंड राज्य** ;	7
[2016]	(2016) 11 एस. सी. सी. 673 : **राजू देवड़े** बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ;	7
[2012]	(2012) 7 एस. सी. सी. 569 : **शुधाकर** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** ;	7
[2010]	(2010) 5 एस. सी. सी. 451 : **मुन्नुवर** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** ;	7
[2010]	(2010) 8 एस. सी. सी. 514 : **लखन** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** ;	7, 8
[2008]	(2008) 4 एस. सी. सी. 265 : **शेर सिंह** बनाम **पंजाब राज्य** ;	7
[2007]	(2007) 12 एस. सी. सी. 562 : **सायराबानो** बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ;	7
[1999]	(1999) 6 एस. सी. सी. 545 : **हरजीत कौर** बनाम **पंजाब राज्य** ।	7

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2010 की दांडिक अपील सं. 1290.

2002 की दांडिक अपील सं. 1189-एस.बी. में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ के तारीख 15 मई, 2009 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री आर. के. राठौर श्री सुदर्शन सिंह रावत और (सुश्री) साक्षी एस. रावत

प्रत्यर्थी की ओर से श्री पीयुष हंस, (सुश्री) अन्नु सिंह श्री नवीन गुप्ता और (सुश्री) डा. मोनिका गुसैन

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति बी. आर. गवई ने दिया ।

न्या. गवई – अपीलार्थी-मखन सिंह ने 2002 की दांडिक अपील सं. 1189-एस. बी. में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ द्वारा तारीख 15 मई, 2009 को पारित किए गए उस निर्णय से व्यथित होकर इस न्यायालय में समावेदन किया है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने यद्यपि 10 वर्ष के दंडादेश को कम करके 7 वर्ष कर दिया था किंतु सेशन न्यायालय द्वारा 1998 के सेशन मामला सं. 55 में भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में "भारतीय दंड संहिता") की धारा 304ख के अधीन दंडनीय अपराध के लिए तारीख 13/16 जुलाई, 2002 को अभिलिखित दोषसिद्धि के निर्णय और आदेश से सहमति व्यक्त की ।

2. मृतका मंजीत कौर का विवाह तारीख 28 जनवरी, 1996 को अपीलार्थी मखन सिंह के साथ हुआ था । अभियोजन का यह पक्षकथन है कि अपीलार्थी मृतका मंजीत कौर के माता-पिता से दहेज की मांग करता रहता था । अभियोजन का यह भी पक्षकथन है कि अपीलार्थी की मांगों से विवश होकर मृतका मंजीत कौर के माता-पिता द्वारा उसे 30,000/- रुपए संदत्त किए गए थे । अपीलार्थी ने पुन: दो लाख रुपए की रकम की मांग की । अभियोजन पक्षकथन के अनुसार, अपीलार्थी ने उक्त रकम का उपयोग मास्को जाने के लिए किया था । तथापि, मार्च, 1998 में मास्को से वापस आने के पश्चात् वह मृतका मंजीत कौर को पुन: यातना देने लगा और उसे छह लाख रुपए लाने के लिए कहा क्योंकि वह संयुक्त राज्य अमेरिका जाना चाहता था । अभियोजन पक्षकथन के अनुसार, मृतका मंजीत कौर इस यातना से परेशान हो गई और उसने तारीख 21 अप्रैल, 1998 को विषैला पदार्थ खा लिया । अपीलार्थी द्वारा मृतका मंजीत कौर को आरंभ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, लाडवा ले जाया गया और उसके पश्चात् उसे एल. एन. जे. पी.

अस्पताल, कुरुक्षेत्र रेफर किया गया । एल. एन. जे. पी. अस्पताल से मृतका मंजीत कौर को कुरुक्षेत्र में डा. एच. के. सोबती (अभि. सा. 1) के प्राइवेट नर्सिंग होम ले जाया गया, जिसमें उसे भर्ती किया गया ।

3. सुश्री वाणी गोपाल शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, कुरुक्षेत्र (प्रति. सा. 1) ने मृतका मंजीत कौर का मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श डीओ/सी) अभिलिखित किया, जिसमें मृतका ने यह कथन किया कि वह बुखार से पीड़ित थी और चूंकि अंगीठी पर कई सारी औषधियां रखी हुई थीं, उसने गलती से हरे रंग की औषधि ले ली । यह प्रतीत होता है कि उसके पश्चात् मृतका मंजीत कौर के माता-पिता कमलेश कौर (अभि. सा. 11) और भान सिंह (अभि. सा. 13) अगले दिन सवेरे अस्पताल पहुंचें । तारीख 24 अप्रैल, 1998 को उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन मृतका मंजीत कौर का कथन अभिलिखित करने के लिए अनुरोध किया । यह अनुरोध किए जाने पर सुश्री कंचन नरियाला, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, कुरुक्षेत्र (अभि. सा. 6) ने तारीख 24 अप्रैल, 1998 को मृतका मंजीत कौर का कथन (प्रदर्श पीई) अभिलिखित किया, जिसमें उसने कहा कि उसके पति ने संयुक्त राज्य अमेरिका जाने के लिए छह लाख रुपए की मांग की थी । उक्त मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श पीई) के अनुसार, अपीलार्थी तथा उसके माता-पिता ने मृतका मंजीत कौर को उक्त विषैला पदार्थ खिलाया था । द्वितीय मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श पीई) के आधार पर तारीख 25 अप्रैल, 1998 को एक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की गई । उक्त मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श पीई) अभिलिखित किए जाने के पश्चात् उप निरीक्षक गुरुदवाया राम (अभि. सा. 14), अन्वेषण अधिकारी ने तारीख 28 अप्रैल, 1998 को उसका मौखिक कथन (प्रदर्श पीवी) अभिलिखित किया । तारीख 28 अप्रैल, 1998 को मृतका मंजीत कौर को पीजीआईएमएस, चंडीगढ़ रेफर किया गया, जहां तारीख 9 मई, 1998 को उसकी मृत्यु हो गई ।

4. अन्वेषण पूर्ण होने के उपरांत, यद्यपि के. के. राव, पुलिस उप अधीक्षक (प्रति. सा. 2), जिसने अभियुक्त को निर्दोष पाया था, द्वारा सत्यापन करने पर उप निरीक्षक गुरुदवाया राम (अभि. सा. 14),

अन्वेषण अधिकारी की यह राय थी कि विचारण करने के लिए पर्याप्त आधार हैं और इसलिए उसने आरोप पत्र फाइल किया । भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन दंडनीय अपराध के लिए आरोप विरचित किए गए । विचारण की समाप्ति पर, विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन दोषसिद्ध किया । तथापि, विचारण न्यायालय ने यह पाया कि अन्य दो अभियुक्त अर्थात् अपीलार्थी के माता-पिता संदेह का फायदा प्राप्त करने के हकदार हैं और उन्हें दोषमुक्त कर दिया । अपीलार्थी को 10 वर्ष का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया । अपीलार्थी द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष फाइल की गई अपील में यद्यपि उच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन दोषसिद्धि की पुष्टि की, किंतु उच्च न्यायालय ने अधिनिर्णीत दंडादेश को कम करके 7 वर्ष कर दिया । इससे व्यथित होकर यह अपील की गई है ।

5. हमने अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री आर. के. राठौर और राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री पीयुष हंस को सुना ।

6. श्री राठौर ने यह दलील दी कि विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय इस बात पर विचार करने में असफल रहे हैं कि सबसे पहले के मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श डीओ/सी) में मृतका मंजीत कौर ने यह कहा था कि उसने गलती से औषधि खा ली थी । अत: उन्होंने यह दलील दी कि मृत्यु दुर्घटनावश हुई थी । उन्होंने यह भी दलील दी कि द्वितीय मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श पीई), जो तीन दिन के पश्चात् अभिलिखित किया गया था, मृतका मंजीत कौर के माता-पिता द्वारा उसे अपीलार्थी को फंसाने के लिए उकसाने के पश्चात् अभिलिखित किया गया था । उन्होंने दलील दी कि परस्पर विरोधी मृत्युकालिक कथनों की दशा में अभियुक्त संदेह का फायदा प्राप्त करने का हकदार है । अत: उन्होंने यह दलील दी कि दोषसिद्धि का आदेश अपास्त किए जाने योग्य है ।

7. श्री हंस ने जोरदार रूप से यह दलील दी कि प्रत्येक मृत्युकालिक कथन का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए । उन्होंने यह दलील दी कि निचले न्यायालयों ने ठीक ही यह पाया था कि मृतका

मंजीत कौर द्वारा प्रथम मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श डीओ/सी) अपने पति के प्रभाव के अधीन किया गया था, जबकि द्वितीय मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श पीई) उसके द्वारा स्वतंत्रतापूर्वक स्वेच्छा से किया गया था । उन्होंने यह भी दलील दी कि तथ्य विषयक समवर्ती निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए । श्री हंस ने अपनी दलील के समर्थन में निम्नलिखित नज़ीरों का अवलंब लिया – **हरजीत कौर** बनाम **पंजाब राज्य**[1], **सायराबानो** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[2], **शेर सिंह** बनाम **पंजाब राज्य**[3], **मुन्नुवर** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[4], **लखन** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[5], **शुधाकर** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[6], **राजू देवड़े** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[7], **कश्मीरा देवी** बनाम **उत्तराखंड राज्य**[8] और **उत्तर प्रदेश राज्य** बनाम **वीरपाल**[9] ।

8. मृत्युकालिक कथन के विषय में विधि को इस न्यायालय द्वारा **लखन** (उपर्युक्त) वाले मामले में सारगर्भित किया गया है, जिसमें इस न्यायालय ने इस विषय पर विभिन्न मौखिक निर्णयों पर विचार किया और यह मत व्यक्त किया :–

> "21. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, मृत्युकालिक कथन के विषय पर विधि का यह सार निकाला जा सकता है कि यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि मृत्युकालिक कथन सत्य और विश्वसनीय है, किसी व्यक्ति द्वारा उस समय अभिलिखित किया गया है जब मृतक कथन करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से ठीक हालत में था और इसे किसी प्रकार के सिखाने-पढ़ाने से/विबाध्यता के अधीन/प्रेरित करके नहीं किया गया

---

1 (1999) 6 एस. सी. सी. 545.
2 (2007) 12 एस. सी. सी. 562.
3 (2008) 4 एस. सी. सी. 265.
4 (2010) 5 एस. सी. सी. 451.
5 (2010) 8 एस. सी. सी. 514.
6 (2012) 7 एस. सी. सी. 569.
7 (2016) 11 एस. सी. सी. 673.
8 (2020) 11 एस. सी. सी. 343.
9 (2022) 4 एस. सी. सी. 741.

है तो यह दोषसिद्धि अभिलिखित करने के लिए एकमात्र आधार हो सकता है । ऐसी स्थिति में किसी संपुष्टि की आवश्यकता नहीं है । यदि कई मृत्युकालिक कथन किए गए हैं और उनके बीच असंगतियां हैं, तो साधारणतया किसी मजिस्ट्रेट जैसे उच्च अधिकारी द्वारा अभिलिखित किए गए मृत्युकालिक कथन का अवलंब लिया जा सकता है, बशर्ते ऐसे मृत्युकालिक कथन की सत्यता के बारे में कोई संदेह उत्पन्न करने वाली कोई परिस्थिति न हो । यदि ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें कथन स्वेच्छा से नहीं किया गया था और अन्यथा भी किसी अन्य साक्ष्य से इसका समर्थन नहीं होता है, तो न्यायालय को हर एक मामले के तथ्यों की संवीक्षा अति सावधानीपूर्वक करनी चाहिए और यह विनिश्चय करना चाहिए कि कथनों में से कौन सा कथन अवलंब लेने योग्य है ।"

9. इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि न्यायालय के लिए यह परीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या मृत्युकालिक कथन सत्य और विश्वसनीय है ; क्या इसे किसी व्यक्ति द्वारा उस समय पर अभिलिखित किया गया है, जब मृतक कथन करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से ठीक हालत में था ; क्या इसे किसी प्रकार के सिखाने-पढ़ाने से/विबाध्यता के अधीन/प्रेरित करके किया गया है । मृत्युकालिक कथन दोषसिद्धि अभिलिखित करने के लिए एकमात्र आधार हो सकता है और यदि यह विश्वसनीय और भरोसेमंद पाया जाता है, तो किसी संपुष्टि की आवश्यकता नहीं है । यदि कई मृत्युकालिक कथन किए गए हैं और उनके बीच असंगतियां हैं, तो किसी मजिस्ट्रेट जैसे उच्च अधिकारी द्वारा अभिलिखित किए गए मृत्युकालिक कथन का अवलंब लिया जा सकता है । तथापि, शर्त यह है कि इसकी सत्यता के बारे में कोई संदेह उत्पन्न होने के लिए कोई परिस्थिति न हो । यदि ऐसी परिस्थितियां हैं, जिनमें कथन को स्वेच्छा से किया गया नहीं पाया गया है और किसी अन्य साक्ष्य द्वारा समर्थन नहीं होता है, तो न्यायालय को हर एक मामले के तथ्यों की संवीक्षा अति सावधानीपूर्वक करनी चाहिए और यह विनिश्चय करना चाहिए कि कथनों में से कौन सा कथन अवलंब लेने योग्य है ।

10. प्रस्तुत मामले में, दो मृत्युकालिक कथन हैं । पहला मृत्युकालिक कथन समय के हिसाब से सुश्री वाणी गोपाल शर्मा (प्रति. सा. 1) द्वारा अभिलिखित किया गया है और दूसरा मृत्युकालिक कथन सुश्री कंचन नरियाला (अभि. सा. 6) द्वारा अभिलिखित किया गया है । मृतका मंजीत कौर ने अपने प्रथम मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श डीओ/सी) में अपीलार्थी और उसके परिवार के सदस्यों को निर्दोष बताया है । द्वितीय मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श पीई) में उसने अपीलार्थी तथा उसके माता-पिता को आलिप्त किया है । प्रथम मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श डीओ/सी) में उसने कहा था कि उसे बुखार था और गलती से उसने हरे रंग की एक अन्य औषधि ले ली थी । सुश्री वाणी गोपाल शर्मा (प्रति. सा. 1) द्वारा उससे यह विनिर्दिष्ट प्रश्न किए जाने पर कि क्या उसे किसी पर संदेह है, तो उसने नकारात्मक उत्तर दिया था । प्रथम मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श डीओ/सी) पर डा. सोबती (अभि. सा. 1) द्वारा भी यह उल्लेख करते हुए पृष्ठांकन किया गया है कि रोगी अपना कथन करते समय शुरू से अंत तक होश में थी ।

11. उसने अपने द्वितीय मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श पीई) में यह कहा कि अपीलार्थी के पिता और माता ने उसे पकड़ लिया था और अपीलार्थी ने बलपूर्वक उसे औषधि खिला दी थी ।

12. यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि अभियोजन पक्ष ने सुश्री वाणी गोपाल शर्मा (प्रति. सा. 1), जिसने प्रथम मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श डीओ/सी) अभिलिखित किया था, की परीक्षा नहीं की थी और इसलिए प्रतिरक्षा पक्ष से उसकी प्रति. सा. 1 के रूप में परीक्षा करने की अपेक्षा की गई थी । उसके साक्ष्य के परिशीलन से यह प्रकट होता है कि सहायक उप निरीक्षक रणजीत सिंह के अनुरोध करने पर वह डा. सोबती (अभि. सा. 1) के अस्पताल में गई थी और उससे पूछा था कि क्या श्रीमती मंजीत कौर कथन करने के लिए ठीक हालत में है और इस पर डाक्टर ने राय व्यक्त की कि वह कथन करने के लिए ठीक हालत में है । उसके पश्चात्, उसने मृतका मंजीत कौर का कथन अभिलिखित किया । उसने कहा कि जब वह कथन अभिलिखित कर रही थी तब वहां डा. सोबती (अभि. सा. 1) के सिवाय कोई नहीं था और सभी को बाहर

जाने के लिए कहा गया था । उसने कहा कि उसे पाया कि मृतका मंजीत कौर कुछ कहने के लिए ठीक मानसिक हालत में थी किंतु फिर भी उसने शांत होने के लिए कुछ समय लिया जिससे कि वह अपने आपको तैयार कर सके और स्वेच्छा से कथन कर सके । उसने कहा कि वह इस बात से संतुष्ट थी कि मृतका मंजीत कौर स्वेच्छा से कथन करने के लिए तैयार थी । उसके पश्चात्, उसका कथन अभिलिखित किया गया । मृतका मंजीत कौर का कथन अभिलिखित करने के पश्चात् उसके दाएं अंगूठे की छाप ली गई । इस साक्षी ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि मृतका मंजीत कौर सारे समय होश में थी और उसने इस आशय का एक प्रमाणपत्र संलग्न किया था । इस साक्षी ने डा. सोबती (अभि. सा. 1) द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्र के विषय में भी अभिसाक्ष्य दिया ।

13. अपर लोक अभियोजक द्वारा सुश्री वाणी गोपाल शर्मा (प्रति. सा. 1) की प्रतिपरीक्षा की गई थी । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह दोहराया था कि उसने अपना यह समाधान किया था कि मृतका मंजीत कौर स्वेच्छा से तो कथन कर रही है और केवल इसके पश्चात् उसने कथन अभिलिखित किया था और यहां तक कि उसका कथन अभिलिखित करने के पश्चात् भी अपना समाधान किया था ।

14. सुश्री कंचन नरियाला (अभि. सा. 6), जिसने द्वितीय मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श पीई) अभिलिखित किया था, ने भी यह कथन किया कि उसने अपना यह समाधान किया था कि मृतका मंजीत कौर स्वेच्छा से कथन कर रही है । उसके पास बैठे परिचारकों को परिसर से बाहर जाने के लिए कहा गया था । इस साक्षी ने यह कथन किया कि जब वह कथन अभिलिखित कर रही थी तब मृतका मंजीत कौर के सिवाय कोई मौजूद नहीं था । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया कि उसने चिकित्सा अधिकारी से इस आशय का स्वास्थ्य प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करने के बारे में नहीं सोचा था कि मृतका मंजीत कौर कथन करने के लिए ठीक हालत में है । उसने स्वीकार किया कि उसने एल. एन. जे. पी. अस्पताल, जहां उसने मृत्युकालिक कथन अभिलिखित किया था, के किसी चिकित्सा अधिकारी से कोई राय अभिप्राप्त नहीं की थी । उसने यह भी स्वीकार किया कि भान सिंह

(अभि. सा. 13) और कमलेश कौर (अभि. सा. 11), मृतका का पिता और बहिन अस्पताल में मौजूद थे ।

15. प्रस्तुत मामले में, हमारे सामने दो मृत्युकालिक कथन हैं, जो पूर्णत: असंगत और परस्पर विरोधाभासी हैं । दोनों कथन न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । एक कठिन प्रश्न, जिसका हमें उत्तर देना है, यह है कि इन मृत्युकालिक कथनों में से किस पर विश्वास किया जाए ।

16. प्रथम मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श डीओ/सी) सुश्री वाणी गोपाल शर्मा (प्रति. सा. 1) द्वारा अभिलिखित किया गया है । उक्त कथन के परिशीलन से यह प्रकट होता है कि मृतका मंजीत कौर का कथन अभिलिखित करने से पूर्व डा. सोबती (अभि. सा. 1) ने इस बारे में उसका परीक्षण किया था कि क्या वह कथन करने के लिए ठीक मानसिक हालत में और होश में है या नहीं । इस प्रमाणीकरण के पश्चात् सुश्री वाणी गोपाल शर्मा (प्रति. सा. 1) ने इस बारे में अपना समाधान किया कि क्या मृतका मंजीत कौर स्वेच्छा से कथन कर रही है या नहीं और उसके पश्चात् उसका कथन अभिलिखित किया । उक्त मृत्युकालिक कथन पर डा. सोबती (अभि. सा. 1) द्वारा यह टिप्पणी करते हुए पृष्ठांकन किया गया है कि मृतका मनजीत कौर कथन करते समय शुरू से अंत तक होश में थी । सुश्री वाणी गोपाल शर्मा (प्रति. सा. 1) ने भी यह अभिसाक्ष्य दिया है कि कथन करने के पश्चात् भी उसने मृतका से इस बारे में पुष्टि की थी कि क्या उसके द्वारा कथन स्वेच्छा से किया गया है ।

17. इसके विपरीत, जहां तक द्वितीय मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श पीई), जो तीन दिनों के पश्चात् एक अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री कंचन नरियाला (अभि. सा. 6) द्वारा अभिलिखित किया गया था, का संबंध है, इसे मृतका मंजीत कौर द्वारा कथन करने के लिए आरोग्य होने के विषय में किसी डाक्टर द्वारा परीक्षण किए बिना अभिलिखित किया गया था । यद्यपि यह कथन एल. एन. जे. पी. अस्पताल में अभिलिखित किया गया था और हालांकि डाक्टर उपलब्ध थे तो भी सुश्री कंचन नरियाला (अभि. सा. 6) ने अस्पताल में उपलब्ध डाक्टरों से

मृतका की स्वास्थ्य की दशा का परीक्षण कराना आवश्यक नहीं समझा । यह भी उल्लेखनीय है कि सुश्री कंचन नरियाला (अभि. सा. 6) ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि भान सिंह (अभि. सा. 13) और कमलेश कौर (अभि. सा. 11), मृतका मंजीत कौर के पिता और बहिन अस्पताल में मौजूद थे । इसलिए द्वितीय मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श पीई) को उसके नातेदारों द्वारा सिखाने-पढ़ाने के पश्चात् किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है ।

18. केवल यही नहीं, के. के. राव (प्रति. सा. 2), जो पुलिस उप अधीक्षक थे, के परिसाक्ष्य को निर्दिष्ट करना भी सुसंगत है । उसने अपने अभिसाक्ष्य में यह कहा है :–

> "तथापि, उस कथन में श्रीमती मंजीत कौर द्वारा दिए गए वृत्तांत का किसी साक्षी ने समर्थन नहीं किया था । मेरे अन्वेषण के अनुसार, तारीख 24 अप्रैल, 1998 को किया गया उक्त कथन श्रीमती मंजीत द्वारा उसके नातेदारों द्वारा सिखाने-पढ़ाने के पश्चात् किया गया था और इसमें घटना का सत्य वृत्तांत अंतर्विष्ट नहीं है ।"

19. यह उल्लेख करना भी सुसंगत है कि अभियोजन पक्ष ने सुश्री वाणी गोपाल शर्मा (प्रति. सा. 1) और के. के. राव, पुलिस उप अधीक्षक (प्रति. सा. 2) की परीक्षा नहीं की थी । इसलिए अन्वेषण अधिकारी की ऋजुता और निष्पक्षता के विषय में गंभीर संदेह उत्पन्न होता है । इसके अतिरिक्त, यह उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय ने इसी साक्ष्य के आधार पर ही अपीलार्थी के पिता और माता को संदेह का फायदा देते हुए दोषमुक्त कर दिया था । मामले को इस प्रकार दृष्टिगत करते हुए, उसी साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थी की दोषसिद्धि, हमारे मत में, अनुचित थी ।

20. अत: हमारा यह निष्कर्ष है कि प्रस्तुत मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में प्रथम मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श डीओ/सी) को द्वितीय मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श पीई) के मुकाबले अधिक विश्वसनीय और भरोसेमंद होना समझा जाएगा । किसी भी दशा में, संदेह का फायदा जो

विचारण न्यायालय द्वारा अन्य अभियुक्तों को दिया गया है, समान रूप से वर्तमान अपीलार्थी को दिया जाना चाहिए जबकि सभी तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध साक्ष्य पूर्णतया समान था ।

21. इस निर्णय से विलग होने से पूर्व, हम राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री पीयुष हंस द्वारा दोषसिद्धि का समर्थन करने के लिए किए गए अथक प्रयासों के लिए अपनी सराहना अभिलिखित करते हैं ।

22. परिणामतः, हम निम्नलिखित आदेश पारित करते हैं :–

(i) यह अपील मंजूर की जाती है ;

(ii) पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ द्वारा 2002 की दांडिक अपील सं. 1189-एस. बी. में तारीख 15 मई, 2009 को पारित किए गए निर्णय और विचारण न्यायालय द्वारा 1998 के सेशन मामला सं. 55 में तारीख 13/16 जुलाई, 2002 को पारित किए गए निर्णय और आदेश को अभिखंडित और अपास्त किया जाता है ;

(iii) अपीलार्थी को उस पर आरोपित सभी आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है और उसके जमानत बंधपत्रों को उन्मोचित किया जाता है ।

23. लंबित आवेदन, यदि कोई है/हैं, का उपरोक्त निबंधनों के अनुसार निपटारा हो जाएगा ।

अपील मंजूर की गई ।

जस.

[2022] 3 उम. नि. प. 271

दिबाकर नुनिया और एक अन्य

बनाम

असम राज्य

[2011 की दांडिक अपील सं. 962]

30 अगस्त, 2022

न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302 और 34 – हत्या – अभियुक्त-अपीलार्थियों द्वारा अभिकथित रूप से मृतक पर घातक आयुध से हमला करके उसकी हत्या कारित किया जाना – मृतक के माता-पिता द्वारा अभिकथित रूप से घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी होने का दावा किया जाना – विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को दोषसिद्ध किया जाना – उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किया जाना – अपील – जहां मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से यह दर्शित होता है कि मृतक के माता-पिता ने अपने पुत्र (मृतक) पर अभिकथित रूप से अभियुक्तों को हमला करते हुए देखा और मृतक का पिता मृतक के शरीर से बहते हुए रक्त को देखकर बेहोश हो गया और फिर दोनों प्रत्यक्षदर्शी साक्षी अपने घर चले गए और भोजन करके सो गए और किसी को घटना के बारे में सूचित नहीं किया तथा घटना की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट अगले दिन मृतक के भाई द्वारा दर्ज की गई, वहां प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों द्वारा अपने पुत्र पर हमला होते हुए देखने के पश्चात् घर चले जाने और भोजन करके सो जाने तथा अपने क्षतिग्रस्त पुत्र के कुशल-क्षेम की कोई परवाह न किए जाने के अस्वाभाविक आचरण से उनके परिसाक्ष्य पर संदेह उत्पन्न होने के कारण इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है और अभियोजन पक्ष द्वारा मामले को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित नहीं करने के कारण अभियुक्तों को संदेह का फायदा देते हुए दोषमुक्त करना उचित होगा ।

इस अपील के तथ्य इस प्रकार हैं अभियुक्त-अपीलार्थियों को

अभिकथित रूप से घातक आयुध से मृतक की हत्या कारित करने के लिए आरोपित किया गया था । मृतक के भाई, इत्तिलाकर्ता द्वारा पुलिस चौकी में एक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट यह उल्लेख करते हुए दर्ज की गई थी कि पूर्ववर्ती दिन लगभग 12.30 बजे अर्द्ध-रात्रि में जब वह अपने घर वापस आ रहा था, तो उसने रास्ते में एक व्यक्ति को पड़े हुए पाया । इत्तिलाकर्ता के अनुसार, वह बिजली के लैंप की रोशनी में जमीन पर पड़े हुए व्यक्ति की शनाख्त अपने छोटे भाई अमर तांती के रूप में कर सका था । वह घर गया और अपने माता-पिता से पता चला कि दो अभियुक्तों दिबाकर और बाबुल (अपीलार्थियों) ने सायंकाल में मृतक पर हमला किया था । अन्वेषण की समाप्ति पर अभियुक्त-अपीलार्थियों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया । अपराध की प्रकृति को देखते हुए मामले को सेशन न्यायालय के सुपुर्द किया गया । भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन अपराध के आरोप के संबंध में अपीलार्थियों ने दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया । अभियोजन का पक्षकथन मुख्य रूप से मृतक के पिता अभि. सा. 2 सुखराम और मृतक की माता अभि. सा. 3 मिनोका तांती के परिसाक्ष्य पर आधारित था, जो कथित रूप से घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी थे । विचारण की समाप्ति पर अभियुक्त अपीलार्थियों को दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया । अभियुक्तों द्वारा विचारण न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर उच्च न्यायालय में अपील फाइल की गई । उच्च न्यायालय द्वारा अपील को खारिज कर दिया गया । अभियुक्तों द्वारा व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की गई । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – सामान्य तौर पर तथ्य विषयक समवर्ती निष्कर्षों के विरुद्ध विशेष इजाजत लेकर फाइल की गई अपील में यह न्यायालय साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन नहीं करेगा । तथापि, यदि विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय का निर्धारण विधि या प्रक्रिया की किसी गलती या साक्ष्य के गलत पठन द्वारा दूषित है या न्यायिक प्रक्रिया के सन्नियमों की कोई उपेक्षा की गई है जिसके परिणामस्वरूप प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है या अन्याय हुआ है, तो यह न्यायालय किसी समुचित मामले में हस्तक्षेप

करने के लिए विचार कर सकता है जिससे न्याय की हानि को निवारित किया जा सके । प्रस्तुत मामले की समग्र रूप से परीक्षा करने के पश्चात् यह न्यायालय इसमें हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित हुआ है क्योंकि विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा जो निष्कर्ष निकाले गए हैं वे स्पष्ट रूप से पूरी तरह से गलत दृष्टिकोण से ग्रसित हैं जिसके परिणामस्वरूप न्याय की हानि हुई है । प्रश्नगत निष्कर्ष आवश्यक रूप से अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3, जो अभिकथित रूप से घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी थे, के परिसाक्ष्य पर आधारित हैं । किसी अन्य स्वतंत्र साक्षी ने अभियोजन के पक्षकथन के समर्थन में साक्ष्य नहीं दिया है । उच्च न्यायालय ने इस तथ्य का उल्लेख किया था कि अभि. सा. 2 ने पुलिस के समक्ष अपने कथन में यह कहा था कि घटना के पश्चात् वह अपनी पत्नी अभि. सा. 3 के साथ घर चला गया था, भोजन किया था और सो गए थे । उच्च न्यायालय ने ठीक ही यह मत व्यक्त किया था कि सामान्य अनुक्रम में ऐसा आचरण अयुक्तियुक्त और अस्वीकार्य होगा, विशिष्ट रूप से जब इन साक्षियों का पुत्र दो व्यक्तियों द्वारा किए गए हमले का सामना कर रहा था । तथापि, उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर प्रकट होने वाले इन तथ्यों पर विचार किया कि मृतक अन्य लोगों के साथ कई झगड़ों में अंतर्ग्रस्त था और इसकी जानकारी उसके माता-पिता को थी । उच्च न्यायालय के अनुसार, मृतक की ऐसी पृष्ठभूमि अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 के घटनास्थल से चले जाने/प्रस्थान कर जाने की बात को स्पष्ट करती है । सादर, यह न्यायालय इस दृष्टिकोण को स्वीकार करने में असमर्थ है । अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 के प्रकथन के अनुसार, उन्होंने दो व्यक्तियों द्वारा आयुध से अपने पुत्र पर हमला करते हुए देखा था । अभि. सा. 2 अपने पुत्र के शरीर से निकलते हुए रक्त को देखने के पश्चात् अभिकथित रूप से बेहोश हो गया था । इस स्थिति और परिदृश्य में यह समझना कठिन है कि ये साक्षी घर चले जाते, भोजन करते और अपने क्षतिग्रस्त पुत्र के कुशल-क्षेम के बारे में चिंता किए बिना सोने चले जाते । इस पहलू के साथ-साथ यह तथ्य है कि उन्होंने घटना के बारे में अभिकथित रूप से अभि. सा. 1 को केवल तब बताया था जब वह अपने भाई के शव को देखने के पश्चात् घर पहुंचा था । इसके पश्चात् अगले दिन सवेरे 10.00 बजे पूर्वाह्न में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई थी । सभी परिस्थितियों पर विचार

करने के पश्चात्, इस न्यायालय के मत में, अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 के परिसाक्ष्य को किसी भी तरीके से घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी होने के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता था । इसके अतिरिक्त, अभि. सा. 4 बिरेन पात्रा, अभि. सा. 5 जॉयनारायण कलेवर, अभि. सा. 8 दिलीप खैरा और अभि. सा. 9 सुदामा बारी ने, जिनको अभियोजन पक्ष द्वारा स्वतंत्र साक्षियों के रूप में प्रदर्शित किया गया था, अभियोजन के पक्षकथन का कतई समर्थन नहीं किया था । पूर्वोक्त स्थिति में, अपीलार्थियों को भले ही प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में नामित किए गए थे, इस मामले में दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता था । यह अति सामान्य बात है कि ऐसे किसी दांडिक मामले में अभियोजन पक्ष से अपने पक्षकथन को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित और सिद्ध करने की प्रत्याशा की जाती है । युक्तियुक्त संदेह मात्र संभाव्य संदेह नहीं है अपितु कारणों और सामान्य बोध में एक उचित संदेह होता है । यह अवश्य मामले में के साक्ष्य से निकलकर आना चाहिए । जब किसी मामले में युक्तियुक्त संदेह उद्भूत होता है, तो संदेह का फायदा अवश्य अभियुक्त को दिया जाना चाहिए । प्रस्तुत मामले में, उच्च न्यायालय द्वारा मामले में युक्तियुक्त रूप से उद्भूत होने वाले संदेह को इस तर्कणा के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया है कि ये संदेह स्वयंमेव अस्वीकार्य हो जाते हैं । विचारण न्यायालय का अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 के परिसाक्ष्य को यह मत व्यक्त करते हुए कि वास्तविक अपराधी को छोड़कर किसी अन्य को फंसाने के लिए उनके पास कोई कारण नहीं था, स्वीकार करने के लिए अपनाया गया दृष्टिकोण, पुन: कल्पना पर आधारित है जो तथ्यों और परिस्थितियों के अनुरूप नहीं है । यह सही है कि मृतक पर बर्बरतापूर्वक हमला किया गया था और मार्मिक अंगों पर बहुत सारी क्षतियां पहुंची थीं किंतु अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर युक्तियुक्त संदेह के परे यह निष्कर्ष निकालना कठिन है कि वे केवल अपीलार्थी ही थे जिन्होंने ऐसी क्षतियां कारित की थीं । उपरोक्त को दृष्टिगत करते हुए, यह न्यायालय विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने के लिए इसे एक उपयुक्त मामला पाता है । (पैरा 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2009] (2009) क्रिमिनल ला जर्नल 2422 (एस. सी.) :
भास्कर रामप्पा मदार और अन्य बनाम
कर्नाटक राज्य । 19

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2011 की दांडिक अपील सं. 962.

2006 की दांडिक अपील सं. 79 में गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा तारीख 17 सितंबर, 2009 को पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थियों की ओर से सर्वश्री बरिन्द्र कुमार शर्मा, पारुल शर्मा और शांतनु शर्मा

प्रत्यर्थी की ओर से श्री देबोजीत बोरकाकटी

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी ने दिया ।

न्या. महेश्वरी – यह अपील 2006 की दांडिक अपील सं. 79 में गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा तारीख 17 सितंबर, 2009 को पारित किए गए उस निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने वर्तमान अपीलार्थियों द्वारा फाइल की गई अपील खारिज कर दी और 2003 के सेशन मामला सं. 37 में सेशन न्यायालय, कचर, सिल्चर, असम द्वारा अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में भारतीय दंड संहिता) की धारा 302/34 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध करते हुए और प्रत्येक को 1,000/- रुपए के जुर्माने सहित कठोर आजीवन कारावास का दंडादेश व्यतिक्रम अनुबंधों सहित अधिनिर्णीत करते हुए तारीख 16 फरवरी, 2006 को पारित किए गए निर्णय और आदेश की अभिपुष्टि की है ।

2. संक्षेप में मामले की सुसंगत पृष्ठभूमि से संबंधित पहलू निम्नलिखित हैं :

2.1 अभि. सा. 1 अमृत तांती ने तारीख 1 अक्तूबर, 1999 को लगभग 10.00 बजे पूर्वाह्न में घुंगूर पुलिस चौकी में एक प्रथम इत्तिला

रिपोर्ट यह उल्लेख करते हुए दर्ज की कि पूर्ववर्ती दिन लगभग 12.30 बजे अर्द्ध-रात्रि में जब वह चुनाव प्रचार के पश्चात् सोनाई से अपने घर वापस आ रहा था, तो उसे अभि. सा. 5 जॉयनारायण की दुकान के निकट कांग्रेस पार्टी के निर्वाचन कार्यालय के सामने एक व्यक्ति को पड़े हुए पाया । इत्तिलाकर्ता के अनुसार, वह बिजली के लैंप की रोशनी में जमीन पर पड़े हुए व्यक्ति की शनाख्त अपने छोटे भाई अमर तांती के रूप में कर सका था । वह घर गया और अपने माता-पिता से पता चला कि दो अभियुक्तों दिबाकर और बाबुल (अपीलार्थियों) ने सायंकाल में मृतक पर हमला किया था । अत: अभि. सा. 1 अमृत तांती ने लिखित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की, जिसके उपरांत घुंगूर पुलिस चौकी में तारीख 1 अक्तूबर, 1999 को साधारण डायरी प्रविष्टि सं. 604 अभिलिखित की गई और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को सिल्चर पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को प्रेषित किया गया । तद्नुसार, भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन 1999 का सिल्चर पुलिस थाना मामला सं. 1362 रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

2.2 मामले का अन्वेषण मुख्य रूप से अभि. सा. 10 दिपेन पॉल द्वारा किया गया । शव की मृत्युसमीक्षा की गई और उसे मरणोत्तर परीक्षा के लिए भेजा गया । घटना से परिचित विभिन्न व्यक्तियों के कथन भी अभिलिखित किए गए । अन्वेषण की समाप्ति पर अभियुक्त-अपीलार्थियों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया ।

2.3 अपराध की प्रकृति को देखते हुए मामले को सेशन न्यायालय के सुपुर्द किया गया । भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन अपराध के आरोप के संबंध में अपीलार्थियों ने दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया । विचारण के अनुक्रम में अभियोजन पक्ष की ओर से 10 साक्षियों की परीक्षा की गई । अपीलार्थियों ने प्रतिरक्षा में किसी साक्षी की परीक्षा नहीं की । तथापि, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन अपीलार्थियों के कथन अभिलिखित किए गए । विचारण की समाप्ति पर अभियुक्त अपीलार्थियों को पूर्वोक्त अनुसार दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया ।

3. अभियोजन का पक्षकथन मुख्य रूप से मृतक के पिता अभि.

सा. 2 सुखराम और मृतक की माता अभि. सा. 3 मिनोका तांती के परिसाक्ष्य पर आधारित है, जो कथित रूप से घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी थे ।

3.1 अभि. सा. 2 सुखराम ने यह कथन किया कि घटना की तारीख को लगभग 8.00 बजे अपराह्न में वह अपनी पत्नी के साथ सिल्चर से घर वापस आ रहा था । शिलकूरी बाजार में उसे अपने पुत्र अमर के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी और दौड़कर घटनास्थल की ओर गया । उसने अपने पुत्र के सिर से अत्यधिक रक्तस्राव होते हुए देखा । उसने पाया कि अभियुक्त बाबुल उसके पुत्र को काबू किए हुए था और अन्य अभियुक्त दिबाकर एक दाव से उस पर हमला कर रहा था । अपने पुत्र की क्षतियों से रक्त बहते हुए देखकर यह साक्षी बेहोश हो गया और उसे रात्रि में होश आया । इस साक्षी ने यह कथन किया कि वह सड़क की रोशनी में दोनों अभियुक्तों की शनाख्त कर सका था । उसने घटना की रात्रि में अपने पुत्र (अभि. सा. 1) को घटना के बारे में बताया । प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी (अभि. सा. 2) ने यह कथन किया कि यद्यपि कुछ व्यक्ति घटनास्थल पर आए थे, तो भी वे तुरंत चले गए थे । उसने कथन किया कि यद्यपि सिल्चर आयुर्विज्ञान महाविद्यालय अस्पताल घटनास्थल से लगभग 5 किलो मीटर की दूरी पर था किंतु वह अपने पुत्र को वहां नहीं ले जा सका था क्योंकि वह बेहोश हो गया था ।

3.2 अभि. सा. 3 मिनोका तांती अभि. सा. 2 की पत्नी और मृतक की सौतेली माता है । उसने यह कथन किया कि घटना के समय वह अपने पति के साथ सिल्चर टाउन से घर आ रही थी । जब वे लगभग 7/8 बजे अपराह्न में शिलकूरी बाजार पहुंचे तो उन्होंने मृतक को सहायता के लिए चिल्लाते हुए सुना । अपने पति के साथ वह घटनास्थल पर गई और अभियुक्त बाबुल को मृतक के हाथों को पकड़े हुए देखा और अन्य अभियुक्त दिबाकर एक दाव से उस पर हमला कर रहा था । उसके पति ने रोकने की कोशिश की किंतु अभियुक्तों ने इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया । इस साक्षी ने यह भी कथन किया कि उसने लगभग 16 फुट की दूरी से घटना देखी थी और बिजली की रोशनी में अभियुक्तों की उचित रूप से शनाख्त कर सकी थी । इस साक्षी ने यह भी कथन किया कि मृतक के शरीर से रक्त बहता हुआ देखकर

उसका पति बेहोश हो गया और वह अपने पति को घर लेकर गई । इस साक्षी ने यह भी कथन किया कि घटना वाली रात को ही उसने लगभग 3.00 बजे पूर्वाह्न में अभि. सा. 1 को घटना के बारे में सूचित किया और फिर अभि. सा. 1 पुलिस के साथ घर वापस आया । इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया कि उसने अभियुक्तों और मृतक के बीच झगड़ा होते हुए देखा था । उसने प्रतिरक्षा पक्ष के इस सुझाव से इनकार किया कि मृतक सदैव नशे में रहता था और अन्य व्यक्तियों के साथ झगड़ा करता रहता था । उसने यह कथन किया कि उसने बिजली की रोशनी में घटनास्थल पर लगभग 100/150 व्यक्तियों को देखा था ।

4. जहां तक मृतक के शरीर पर क्षतियों का संबंध है, उनको अभि. सा. 7 डा. होमेश्वर शर्मा के परिसाक्ष्य द्वारा सिद्ध किया गया था, जिसने मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट को प्रमाणित किया था, जिसमें क्षतियों का निम्नलिखित रीति में उल्लेख किया गया था :–

"क्षतियां :

(1) गरदन पर उपरि भाग में त्वचा से लेकर द्वितीय ग्रीवा कशेरुकी तक, जो दाईं तरफ रक्त वाहिकाओं के साथ-साथ पूरी तरह कटी हुई है, सभी संरचनाओं को काटते हुए 11 × 6 × 6 सें. मी. माप का तिर्यक रूप से स्थित विदीर्ण घाव (रेखाचित्र देखें) ।

(2) बाईं कनपटी पर 5 × .5 × 1 सें. मी. माप के दो विदीर्ण घाव जो एक-दूसरे के समानांतर और 0.5 सें. मी. दूरी पर स्थित हैं ।

(3) वक्ष की बाईं तरफ स्कंधास्थि के अधोवर्ती कोण पर 4 × .5 सें. मी. × वक्षीय गुहिका की गहराई तक अर्द्ध चंद्राकार का वेधित घाव ।

4. दाएं कंधे की केवल अग्रवर्ती सतह पर 4 सें. मी. लंबा त्वचा की गहराई तक विदीर्ण घाव ।

5. बाईं कनपटी क्षेत्र पर कनपटी के बाह्य फलक तक कटा हुआ और कनपटी की हड्डी के बाह्य फलक तक कटा हुआ 5 × .5 × 1.5 आकार का 1 सें. मी. दूर स्थित विदीर्ण घाव और घाव तिर्यक रूप से स्थित हैं । कंठ विदीर्ण पाया गया और क्षति सं. 1

के नीचे से वाक-तंतु बाहर दिखाई दे रहा था ।

शरीर के शेष अंग स्वस्थ थे और पीले पड़े हुए थे ।"

5. अन्य अभिकथित प्राइवेट साक्षियों ने अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन नहीं किया किंतु विचारण न्यायालय अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 के कथनों का, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित मत व्यक्त करते हुए अवलंब लेने के लिए अग्रसर हुआ :–

"22. ..... अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 का यह स्पष्ट साक्ष्य है कि मृतक के शरीर से अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा था जिसे देखकर अभि. सा. 2 बेहोश होकर जमीन पर गिर गया । बहुत से लोग होते हैं जो बहते हुए मानवीय रक्त को नहीं देख सकते और मूर्छित हो जाते हैं । अभि. सा. 2 के मामले में यही हुआ था । किसी तरह उसे घर ले जाया गया और उसे अर्द्ध-रात्रि में होश आया तथा उसने अभि. सा. 1 को घटना के बारे में सूचित किया । अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 के साक्ष्य का सावधानीपूर्वक परिशीलन करने पर मैं उनके परिसाक्ष्य पर अविश्वास न करने का कोई कारण नहीं पाता हूं । प्रत्यक्षदर्शी होने के कारण उनके साक्ष्य को प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा के माध्यम से उचित रूप से स्वीकार किया गया है । अत: स्पष्ट निष्कर्ष यह है कि अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 घटना के वास्तविक प्रत्यक्षदर्शी साक्षी थे ।

23. अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 द्वारा मिथ्या फंसाए जाने का कोई कारण नहीं है । प्रतिरक्षा पक्ष का ऐसा कोई पक्षकथन नहीं है कि दोनों साक्षियों के अभियुक्तों के साथ कोई विद्वेषपूर्ण संबंध था । अभियुक्तों के साथ कोई पूर्ववर्ती वैमनस्य नहीं था । उनका किसी पूर्ववर्ती वैमनस्य से कोई लेना-देना नहीं था । प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 से इस बाबत कोई प्रश्न नहीं किया गया था । मृतक उनका अपना पुत्र था, यद्यपि अभि. सा. 3 सौतेली माता थी । वे वास्तविक अपराधियों को छोड़कर निर्दोष व्यक्तियों को नहीं फंसाएंगे । इस प्रकार, अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 द्वारा मिथ्या साक्ष्य देने का कोई

अभिवाक् नहीं है और मेरा यह निष्कर्ष है कि मृतक के माता-पिता घटना के वास्तविक प्रत्यक्षदर्शी साक्षी होने के कारण वास्तविक अपराधियों और अपने पुत्र के हमलावरों को आलिप्त करने के लिए आगे आए थे ।

24. यह एक तथ्य है कि जब 8.00 बजे अपराह्न में बिजली की रोशनी में घटना घटी थी तब बाजार में बहुत से लोग थे और दुकानदार भी थे । यह दलील दी गई है कि उन व्यक्तियों में से कोई भी अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन करने के लिए नहीं आया । ऐसी दलील के माध्यम से प्रतिरक्षा पक्ष ने यह स्वीकार किया कि घटनास्थल पर अभियुक्तों की स्पष्ट रूप से शनाख्त करने के लिए पर्याप्त रोशनी थी । अत: अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 के द्वारा अभियुक्त व्यक्तियों की शनाख्त करना संदेह या विवाद का विषय नहीं है ।"

6. विचारण न्यायालय ने अपीलार्थियों के विरुद्ध निम्नलिखित रीति में निष्कर्ष निकाला :–

"31. ऊपर जो चर्चा की गई है, उससे मैं यह पाता हूं कि तारीख 30 सितंबर, 1999 की सायंकाल में दो अभियुक्तों दिबाकर और बाबुल ने सिल्चर पुलिस थाने के अधीन शिलकूरी बाजार में मृतक पर घातक आयुध से आक्रमण किया था । इसे मृतक के माता-पिता जो अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 हैं, द्वारा देखा गया था । घटना के तुरंत पश्चात् इन क्षतियों से मृतक की मृत्यु हो गई थी । अभियोजन साक्षियों द्वारा अभियुक्तों की भली-भांति शनाख्त की गई थी । अभियुक्तों ने अपने सामान्य आशय को अग्रसर करते हुए, पूर्ववर्ती विवाद के कारण, मृतक पर उसके मार्मिक अंगों पर घातक आयुध से आक्रमण किया था । अत: उनका स्पष्ट आशय मृतक की मृत्यु कारित करना था । अभियुक्तों में से एक ने मृतक को पकड़ लिया जिससे मृतक के पास घटनास्थल से बचकर जाने की कोई गुंजाइश न रहे और अन्य अभियुक्त ने निर्दयतापूर्वक उस पर आक्रमण किया । प्रतिरक्षा पक्ष अभियोजन साक्षियों, विशिष्ट रूप से अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3, के साक्ष्य को किसी भी

रीति में त्यक्त करने में असफल रहा है । इसलिए यह अभियुक्तों द्वारा मृतक की हत्या करने का एक स्पष्ट मामला है ।

32. तथापि, मैं यह पाता हूं कि अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 के साक्ष्य के अनुसार, पहले मृतक और अभियुक्तों के बीच झगड़ा हुआ था । किंतु मृतक पूरी तरह निहत्था था और अभियुक्त घातक आयुधों से लैस थे । ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि मृतक द्वारा अभियुक्तों पर पहले आक्रमण किया गया था । वे अभियुक्त ही थे, जिन्होंने किसी कारण के बिना मृतक पर आक्रमण किया था । घटनास्थल पर मृतक की ओर से कोई प्रकोपन नहीं दिया गया था । अत: मेरा यह निष्कर्ष है कि यह भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय हत्या का एक स्पष्ट मामला है । प्रतिरक्षा पक्ष मामले को भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अधीन अपवादों में से किसी अपवाद के अधीन लाने में असफल रहा है । अभियुक्तों के पास अपराध कारित करने के लिए कोई बहाना या अपवाद नहीं है । उन्होंने मृतक के शरीर के मार्मिक अंगों पर घातक आयुधों से सार्वजनिक सड़क पर आक्रमण किया था । इस प्रकार, उनका आशय मृतक की मृत्यु कारित करना था और उन्होंने मृत्यु कारित की ।"

7. उच्च न्यायालय के समक्ष अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 की विश्वसनीयता को गंभीर रूप से प्रश्नगत किया गया था । तथापि, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों की ओर से दी गई दलीलों को निम्नलिखित रीति में नामंजूर कर दिया था :–

"जैसी कि अपीलार्थियों की ओर से विद्वान् काउंसेल द्वारा दलील दी गई है, यह सही है कि अभि. सा. 2 ने पुलिस के समक्ष अपने कथन में यह कहा था कि घटना के पश्चात् वह अपनी पत्नी (अभि. सा. 3) के साथ घर चला गया था और भोजन करने के पश्चात् वे सोने चले गए थे । ऐसा आचरण सामान्य अनुक्रम में अयुक्तियुक्त और अस्वीकार्य होगा, विशिष्ट रूप से जब अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 का पुत्र दो अभियुक्त-अपीलार्थियों द्वारा हमले का सामना कर रहा था, जो 'दाव' से लैस थे । तथापि, मामले का

पूर्वोक्त पहलू अभि. सा. 3 की प्रतिपरीक्षा में प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा बताए गए वृत्तांत द्वारा समझने योग्य है, जो इस आशय का है कि मृतक मत्तता की स्थिति में रहता था और वह पहले भी अन्य लोगों के साथ कई झगड़ों में अंतर्ग्रस्त रहा था । ऐसी स्थिति में, अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 का झगड़े के पश्चात् और यहां तक कि हमला देखने के पश्चात् चले जाना/प्रस्थान करना पूरी तरह से समझ में आने वाली बात है । इसके अतिरिक्त, अभि. सा. 3 के साक्ष्य में यह आया है कि मृतक को रक्त से लथपथ देखकर अभि. सा. 2 बेहोश होकर गिर गया था, जिसके पश्चात् उसे घर ले जाया गया था और उसे घर पर होश आया था । अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 का घटनास्थल से प्रस्थान करने और उनके द्वारा सोने चले जाने की बात को भी स्पष्ट किया जा सकता है और अभि. सा. 3 के पूर्वोक्त परिसाक्ष्य के आधार पर युक्तियुक्त से समझा जा सकता है । अत: हमारा यह सुविचारित मत है कि अभियुक्त-अपीलार्थियों की ओर से जो दलील दी गई है, उसके होते हुए भी घटना के सबसे तात्विक भाग पर अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 का साक्ष्य स्वीकार्य है और हम दोनों प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के परिसाक्ष्य के आधार पर कार्य करने के लिए तैयार हैं ।"

8. अपीलार्थियों की ओर से विद्वान् काउंसेल ने जोरदार रूप से यह दलील दी कि सेशन न्यायालय तथा उच्च न्यायालय इस मामले में असंगत बातों के आधार पर अग्रसर हुआ था और अभियोजन के पक्षकथन में की महत्वपूर्ण कमियों की अनदेखी की थी । विद्वान् काउंसेल के अनुसार, अपीलार्थियों की दोषसिद्धि आवश्यक रूप से अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 के परिसाक्ष्य पर आधारित है किंतु उनके कथनों में न केवल गंभीर विरोधाभास हैं अपितु अंतर्निहित अनधिसंभाव्यताएं भी हैं ; और उनका वृत्तांत देखने से ही किसी व्यक्ति के स्वाभाविक और सामान्य आचरण के विरुद्ध है, जो दो व्यक्तियों द्वारा हमला किए जाने के कारण अपने पुत्र को रक्त से लथपथ देखने के पश्चात् भी घर चले गए, भोजन किया और सोने चले गए ।

9. विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि मृतक के माता-पिता के इस अस्वाभाविक आचरण को विद्वान् सेशन न्यायाधीश द्वारा पूरी तरह

से अनदेखा किया गया है । इसके अतिरिक्त, उच्च न्यायालय ने इस अस्वाभाविक आचरण को इस तथ्य के प्रतिनिर्देश करके औचित्यपूर्ण ठहराया था कि मृतक अभिकथित रूप से अन्य लोगों के साथ झगड़ों में अंतर्ग्रस्त रहा था । विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि यदि यह मान लिया जाए कि मृतक झगड़ों में अंतर्ग्रस्त रहता था, तो भी उसके माता-पिता उस समय अपने पुत्र के बारे में इतने उदासीन नहीं होते जब उस पर दो व्यक्तियों द्वारा हमला किया गया था और बुरी तरह से क्षतिग्रस्त था तथा उसके सिर से रक्त बह रहा था ।

10. विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी कि जब अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 के परिसाक्ष्य पर उनका पूरी तरह से अस्वाभाविक आचरण होते हुए विचार नहीं किया गया है, तो भी वास्तविकता यह है कि किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने अभियोजन के वृत्तांत का समर्थन नहीं किया है । मामले को इस प्रकार दृष्टिगत करते हुए, अपीलार्थी दोषमुक्त किए जाने योग्य हैं । विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी कि घटना तारीख 30 सितंबर, 1999 को लगभग 7-8 बजे अपराह्न में घटी थी जबकि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट मृतक के भाई अभि. सा. 1 द्वारा केवल तारीख 1 सितंबर, 1999 को 10.00 बजे पूर्वाह्न में दर्ज की गई थी । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने में इस अत्यधिक विलंब को स्पष्ट नहीं किया गया था और ऐसी प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के आधार पर अभियोजन के पक्षकथन पर विश्वास नहीं किया जा सकता था ।

11. राज्य की ओर से विद्वान् काउंसेल ने आक्षेपित निर्णय और आदेश का सम्यक् रूप से समर्थन किया और यह दलील दी कि जब समग्र परिस्थितियों पर विचार किया जाए, तो अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 के कथनों को पूरी तरह से अविश्वसनीय नहीं कहा जा सकता और उक्त कथनों पर आधारित समवर्ती निष्कर्ष में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है ।

12. हमने पक्षकारों की ओर से विद्वान् काउंसेलों को सुना और अभिलेख पर प्रस्तुत की गई सामग्री की परीक्षा की ।

13. इस मामले में विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय साक्ष्य के अपने-अपने मूल्यांकन में सहमत हुए हैं और तथ्य विषयक समवर्ती

निष्कर्ष निकाले हैं और सामान्य तौर पर तथ्य विषयक समवर्ती निष्कर्षों के विरुद्ध विशेष इजाजत लेकर फाइल की गई अपील में यह न्यायालय साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन नहीं करेगा । तथापि, यदि विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय का निर्धारण विधि या प्रक्रिया की किसी गलती या साक्ष्य के गलत पठन द्वारा दूषित है या न्यायिक प्रक्रिया के सन्नियमों की कोई उपेक्षा की गई है जिसके परिणामस्वरूप प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है या अन्याय हुआ है, तो यह न्यायालय किसी समुचित मामले में हस्तक्षेप करने के लिए विचार कर सकता है जिससे न्याय की हानि को निवारित किया जा सके ।

14. प्रस्तुत मामले की समग्र रूप से परीक्षा करने के पश्चात् हम इसमें हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित हुए हैं क्योंकि विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा जो निष्कर्ष निकाले गए हैं वे स्पष्ट रूप से पूरी तरह से गलत दृष्टिकोण से ग्रसित हैं जिसके परिणामस्वरूप न्याय की हानि हुई है ।

15. जैसा कि उल्लेख किया गया है, प्रश्नगत निष्कर्ष आवश्यक रूप से अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3, जो अभिकथित रूप से घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी थे, के परिसाक्ष्य पर आधारित हैं । किसी अन्य स्वतंत्र साक्षी ने अभियोजन के पक्षकथन के समर्थन में साक्ष्य नहीं दिया है । उच्च न्यायालय ने इस तथ्य का उल्लेख किया था कि अभि. सा. 2 ने पुलिस के समक्ष अपने कथन में यह कहा था कि घटना के पश्चात् वह अपनी पत्नी अभि. सा. 3 के साथ घर चला गया था, भोजन किया था और सो गए थे । उच्च न्यायालय ने ठीक ही यह मत व्यक्त किया था कि सामान्य अनुक्रम में ऐसा आचरण अयुक्तियुक्त और अस्वीकार्य होगा, विशिष्ट रूप से जब इन साक्षियों का पुत्र दो व्यक्तियों द्वारा किए गए हमले का सामना कर रहा था । तथापि, उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर प्रकट होने वाले इन तथ्यों पर विचार किया कि मृतक अन्य लोगों के साथ कई झगड़ों में अंतर्ग्रस्त था और इसकी जानकारी उसके माता-पिता को थी । उच्च न्यायालय के अनुसार, मृतक की ऐसी पृष्ठभूमि अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 के घटनास्थल से चले जाने/प्रस्थान कर जाने की बात को स्पष्ट करती है । सादर, हम इस दृष्टिकोण को स्वीकार

करने में असमर्थ हैं ।

16. अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 के प्रकथन के अनुसार, उन्होंने दो व्यक्तियों द्वारा आयुध से अपने पुत्र पर हमला करते हुए देखा था । अभि. सा. 2 अपने पुत्र के शरीर से निकलते हुए रक्त को देखने के पश्चात् अभिकथित रूप से बेहोश हो गया था । इस स्थिति और परिदृश्य में यह समझना कठिन है कि ये साक्षी घर चले जाते, भोजन करते और अपने क्षतिग्रस्त पुत्र के कुशल-क्षेम के बारे में चिंता किए बिना सोने चले जाते । इस पहलू के साथ-साथ यह तथ्य है कि उन्होंने घटना के बारे में अभिकथित रूप से अभि. सा. 1 को केवल तब बताया था जब वह अपने भाई के शव को देखने के पश्चात् घर पहुंचा था । इसके पश्चात् अगले दिन सवेरे 10.00 बजे पूर्वाह्न में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई थी ।

17. सभी परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात्, हमारे मत में, अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 के परिसाक्ष्य को किसी भी तरीके से घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी होने के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता था । इसके अतिरिक्त, अभि. सा. 4 बिरेन पात्रा, अभि. सा. 5 जॉयनारायण कलेवर, अभि. सा. 8 दिलीप खैरा और अभि. सा. 9 सुदामा बारी ने, जिनको अभियोजन पक्ष द्वारा स्वतंत्र साक्षियों के रूप में प्रदर्शित किया गया था, अभियोजन के पक्षकथन का कतई समर्थन नहीं किया था ।

18. पूर्वोक्त स्थिति में, अपीलार्थियों को भले ही प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में नामित किए गए थे, इस मामले में दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता था ।

19. यह अति सामान्य बात है कि ऐसे किसी दांडिक मामले में अभियोजन पक्ष से अपने पक्षकथन को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित और सिद्ध करने की प्रत्याशा की जाती है । युक्तियुक्त संदेह मात्र संभाव्य संदेह नहीं है अपितु कारणों और सामान्य बोध में एक उचित संदेह होता है । यह अवश्य मामले में के साक्ष्य से निकलकर आना चाहिए । (**भास्कर रामप्पा मदार और अन्य** बनाम **कर्नाटक राज्य**[1] वाला

[1] (2009) क्रिमिनल ला जर्नल 2422 (एस. सी.).

मामला देखें) । जब किसी मामले में युक्तियुक्त संदेह उद्भूत होता है, तो संदेह का फायदा अवश्य अभियुक्त को दिया जाना चाहिए । प्रस्तुत मामले में, उच्च न्यायालय द्वारा मामले में युक्तियुक्त रूप से उद्भूत होने वाले संदेह को इस तर्कणा के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया है कि ये संदेह स्वयमेव अस्वीकार्य हो जाते हैं । विचारण न्यायालय का अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 के परिसाक्ष्य को यह मत व्यक्त करते हुए कि वास्तविक अपराधी को छोड़कर किसी अन्य को फंसाने के लिए उनके पास कोई कारण नहीं था, स्वीकार करने के लिए अपनाया गया दृष्टिकोण, पुन: कल्पना पर आधारित है जो तथ्यों और परिस्थितियों के अनुरूप नहीं है ।

20. यह सही है कि मृतक पर बर्बरतापूर्वक हमला किया गया था और मार्मिक अंगों पर बहुत सारी क्षतियां पहुंची थीं किंतु अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर युक्तियुक्त संदेह के परे यह निष्कर्ष निकालना कठिन है कि वे केवल अपीलार्थी ही थे जिन्होंने ऐसी क्षतियां कारित की थीं । उपरोक्त को दृष्टिगत करते हुए, हम विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने के लिए इसे एक उपयुक्त मामला पाते हैं ।

21. तद्नुसार और उपरोक्त को दृष्टिगत करते हुए, यह अपील सफल होती है और मंजूर की जाती है ।

22. गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा 2006 की दांडिक अपील सं. 79 में तारीख 17 सितंबर, 2009 को पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश तथा सेशन न्यायाधीश, कचर, सिल्चर द्वारा 2003 के सेशन मामला सं. 37 में तारीख 16 फरवरी, 2006 को पारित निर्णय और आदेश अपास्त किए जाते हैं और अपीलार्थियों को दोषमुक्त किया जाता है । यदि अपीलार्थी अभिरक्षा में हैं, तो उन्हें तुरंत छोड़ दिया जाए ।

अपील मंजूर की गई ।

जस.

[2022] 3 उम. नि. प. 287

संजीत कुमार सिंह उर्फ मुन्ना कुमार सिंह

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

[2021 की दांडिक अपील सं. 871]

30 अगस्त, 2022

न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यन

स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) – धारा 20(ख)(ii)(ग) और धारा 54 – पुलिस द्वारा मुखबिर सूचना के आधार पर अभियुक्त और सह-अभियुक्त की कार से अभिकथित रूप से विनिषिद्ध पदार्थ 'गांजा' बरामद किया जाना – पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी और अभिग्रहण की कार्यवाहियां स्वतंत्र साक्षियों की मौजूदगी में किए जाने का दावा किया जाना – स्वतंत्र साक्षियों द्वारा न केवल घटनास्थल पर अपनी मौजूदगी की बात से इनकार किया जाना अपितु कोरे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर पुलिस थाने में कराए जाने के बारे में भी स्पष्टीकरण दिया जाना – उपधारणा – विशेष न्यायालय द्वारा अन्वेषण अधिकारी के परिसाक्ष्य के आधार पर अभियुक्त-अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया जाना और सह-अभियुक्त को संदेह का फायदा देते हुए दोषमुक्त किया जाना – उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि की पुष्टि किया जाना – अपील – यह सही है कि अधिनियम की धारा 54 के अधीन एक उपधारणा उद्भूत होती है और यह स्पष्ट करने का भार अभियुक्त पर स्थानांतरित हो जाता है कि विनिषिद्ध पदार्थ कैसे उसके कब्जे में आया किंतु इस धारा के अधीन उपधारणा करने के लिए पहले यह सिद्ध किया जाना चाहिए कि विनिषिद्ध पदार्थ की बरामदगी अभियुक्त से की गई थी और जहां तलाशी और अभिग्रहण के सबसे महत्वपूर्ण पहलू के बारे में संदेह उत्पन्न होता हो और स्वतंत्र साक्षियों द्वारा अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन न किया गया हो, वहां अभियुक्त को संदेह का फायदा देते हुए दोषमुक्त करना उचित होगा ।

इस मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि चाकरभाटा पुलिस थाने के थानाधिकारी को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि अपीलार्थी और उसकी मित्र रीना दास एक कार की डिक्की में गांजा लिए हुए हैं और रायपुर से पेंडरा रोड पर यात्रा कर रहे हैं ; थानाधिकारी ने इस सूचना को रोजनामचा सन्हा में अभिलिखित किया, मुखबिर सूचना तैयार की, उक्त सूचना को उच्च अधिकारी को प्रेषित किया, घटनास्थल के लिए रवाना हुआ, कार को रुकवाया, अधिनियम की धारा 50 के अधीन एक सूचना तामील की, तलाशी ली और कार की डिक्की में 3 थैलों में रखा 47.370 किलो ग्राम गांजा पाया ; विनिषिद्ध पदार्थ को तोलने और पंचनामा तैयार करने के पश्चात् थानाधिकारी ने तीनों थैलों से नमूने लिए, उन्हें न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजा और रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् अपीलार्थी तथा उसके मित्र रीना दास के विरुद्ध अधिनियम की धारा 20(ख) के अधीन दंडनीय अपराध के लिए आरोप पत्र फाइल किया । विशेष न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को अधिनियम की धारा 20(ख)(ii)(ग) के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया और 10 वर्ष के कठोर कारावास का दंडादेश अधिरोपित किया । विशेष न्यायालय ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि अपीलार्थी अपराध का दोषी है, व्यापक रूप से उप पुलिस अधीक्षक के परिसाक्ष्य का अवलंब लिया, जिसने इत्तिलाकर्ता और अन्वेषण अधिकारी दोनों के रूप में कार्य किया था और जिसकी अभि. सा. 7 के रूप में परीक्षा की गई थी । विशेष न्यायालय ने पाया कि अभि. सा. 7 ने अधिनियम की धारा 43 और 49 में विहित प्रक्रिया का अनुसरण किया था और यह कि उसका परिसाक्ष्य अडिग रहा था । यद्यपि अभि. सा. 7 ने दावा किया कि न्या. सा. 1 और न्या. सा. 2 के रूप में परीक्षा किए गए दो स्वतंत्र साक्षियों की मौजूदगी में तलाशी ली गई थी और अभिग्रहण किया गया था, किंतु इन दोनों साक्षियों ने संपूर्ण कार्यवाही से अनभिज्ञ होने का दावा किया । इसलिए विशेष न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अभि. सा. 7 के परिसाक्ष्य की संपुष्टि स्वतंत्र साक्षियों के साक्ष्य द्वारा नहीं की गई है । तथापि, विशेष न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अभि. सा. 7 द्वारा तलाशी और अभिग्रहण से पूर्व और पश्चात् की गई प्रविष्टियां और उसके द्वारा तैयार किए गए दस्तावेजों से उसके मौखिक परिसाक्ष्य की संपुष्टि हुई है और

इसलिए अभियुक्त की दोषिता संपुष्टि के बिना भी युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध हो जाती है । तथापि, विशेष न्यायालय द्वारा सह-अभियुक्त रीना दास को संदेह का फायदा देते हुए दोषमुक्त कर दिया गया । राज्य ने रीना दास, जो अभियुक्त-2 थी, की दोषमुक्ति के विरुद्ध कोई अपील फाइल नहीं की । किंतु अपीलार्थी ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर में अपील फाइल की । उच्च न्यायालय द्वारा इस अपील को खारिज कर दिया गया । अपीलार्थी द्वारा व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की गई । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – स्वतंत्र साक्षियों ने, जो पक्षद्रोही हो गए थे, न केवल कुछ भी देखे जाने से इनकार किया था अपितु यह युक्तियुक्त स्पष्टीकरण भी दिया था कि अभि. सा. 7 द्वारा उल्लिखित दस्तावेजों पर कैसे उनके हस्ताक्षर पाए गए थे । दोनों स्वतंत्र साक्षियों के अनुसार वे सिंधी समुदाय के सदस्यों से संबंधित कुछ अन्य विवाद के संबंध में पुलिस थाने गए थे । इन दोनों साक्षियों ने स्थानीय पंचायत के निर्वाचित पार्षद होने का दावा किया था और इस दावे को अपर लोक अभियोजक द्वारा प्रतिपरीक्षा में चुनौती नहीं दी गई थी । इसलिए प्रस्तुत मामला एक नैमित्तिक, चलता-फिरता मामला नहीं है, जहां स्वतंत्र साक्षी अपने पक्ष में कर लिए गए हैं और पंचनामा में उनके हस्ताक्षरों के बारे में देने के लिए कोई स्पष्टीकरण न हो । इन दोनों स्वतंत्र साक्षियों के कथनों का कतिपय अन्य तथ्यों को ध्यान में रखते हुए भी महत्व हो जाता है । वे तथ्य हैं :–

- अभि. सा. 7 के अनुसार, उसे एक मुखबिर से तारीख 31 मई, 2014 को 4.50 बजे अपराह्न में सूचना प्राप्त हुई थी ;
- अभि. सा. 7 ने दावा किया है कि सूचना प्राप्त होने के उपरांत उसने प्रदर्श पी-5 तैयार किया और अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कीं । उसके पश्चात् अभि. सा. 7 ने 5.10 बजे अपराह्न में स्वतंत्र साक्षियों को सूचनाएं भेजीं ;

- अभि. सा. 7 का यह भी दावा है कि उसने पुलिस थाने से 5.10 बजे अपराह्न में घटनास्थल के लिए प्रस्थान किया था और घटनास्थल और पुलिस थाने के बीच की दूरी लगभग 7-8 किलोमीटर है ;
- अभि. सा. 7 ने यह कथन किया था कि स्वतंत्र साक्षियों सुनील कुमार मघलानी और फिरतूराम बनवारे के मकान पुलिस थाने से लगभग एक किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित थे ;
- रोचक बात यह है कि विद्वान् विशेष न्यायाधीश ने अभि. सा. 7 के अभिसाक्ष्य के पैरा 24 में यह अभिलिखित किया है कि जब स्वतंत्र साक्षियों के पुलिस थाने में पहुंचने के समय के बारे में पूछा गया, तो साक्षी (अभि. सा. 7) चुप रहा ;
- अभि. सा. 7 के परिसाक्ष्य (प्रतिपरीक्षा में) के पैरा 25 में यह अभिलिखित है कि अभि. सा. 7 लगभग 5-7 मिनट में घटनास्थल पर पहुंचा था । यह इस तथ्य के बावजूद है कि यहां तक कि अभि. सा. 7 के अनुसार पुलिस थाने और घटनास्थल के बीच की दूरी लगभग 7-8 किलोमीटर है ; और
- अभि. सा. 7 ने यह भी दावा किया था कि उसके दल ने घटनास्थल पर 40 मिनट तक प्रतीक्षा की थी और उसके पश्चात् अभियुक्त घटनास्थल पर पहुंचे थे ।

अत: यदि अभि. सा. 7 द्वारा प्रस्तुत की गई कहानी पर विश्वास किया जाए, तो (i) उसे सूचना लगभग 4.50 बजे अपराह्न में प्राप्त हुई थी ; (ii) उसने औपचारिकताएं पूर्ण की थीं और स्वतंत्र साक्षियों को 5.10 बजे अपराह्न में सूचनाएं भेजी थीं ; (iii) वह पुलिस थाने से 5.10 बजे अपराह्न में चला था और 5-7 मिनट में घटनास्थल पर पहुंचा था ; और (iv) उसके दल ने अभियुक्तों के पहुंचने के लिए 40 मिनट तक घटनास्थल पर प्रतीक्षा की थी । किंतु उपरोक्त घटनाक्रम में अभि. सा.

7 उस समय के बारे में पूर्णत: मौन रहा है जब साक्षी पुलिस थाने या घटनास्थल पर पहुंचे थे । अत: यह स्पष्ट है कि अभि. सा. 7 के रूप में परीक्षा किए गए अन्वेषण अधिकारी ने संपूर्ण कार्यवाही केवल स्वतंत्र साक्षियों की मौजूदगी में किए जाने का दावा किया है । किंतु इन स्वतंत्र साक्षियों ने न केवल अपनी मौजूदगी और सहभागीदारी की बात से इनकार किया है अपितु यह स्पष्टीकरण भी दिया है कि कैसे उन दस्तावेजों पर उनके हस्ताक्षर कराए गए थे । ऐसी परिस्थितियों में, अभि. सा. 7 द्वारा अभिकथित रूप से ली गई तलाशी और अभिग्रहण की बात पर ही गंभीर संदेह उत्पन्न होता है । किंतु दुर्भाग्यवश विशेष न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ने सिद्धांत रूप में विधि का उल्लेख तो किया किंतु इसे मामले के तथ्यों को लागू नहीं किया । आरंभ से ही सह-अभियुक्त रीना दास (अभियुक्त 2) को प्रत्येक प्रक्रम पर आलिप्त किया गया था । स्वीकृत रूप से, अभि. सा. 7 द्वारा तारीख 31 मई, 2014 को 4.50 बजे प्राप्त हुई सूचना में अपीलार्थी के साथ-साथ सह-अभियुक्त रीना दास का भी जिक्र था । किंतु कुछ आश्चर्यजनक कारणों से अभि. सा. 7 ने अधिनियम की धारा 50 के अधीन सूचना केवल अपीलार्थी को तामील की और सह-अभियुक्त को तामील नहीं की । अभि. सा. 7 ने जान-बूझकर या अन्यथा (i) सह-अभियुक्त का सहमति पंचनामा ; (ii) सह-अभियुक्त का तलाशी पंचनामा ; और (iii) सह-अभियुक्त के संबंध में बरामदगी पंचनामा अभिलिखित करने में भी लोप किया था । इसके परिणामस्वरूप विशेष न्यायालय ने सह-अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया था । यह अत्यंत आश्चर्यजनक है कि (i) अभि. सा. 7 द्वारा प्राप्त की गई सूचना ; (ii) प्रथम इत्तिला रिपोर्ट ; और (iii) आरोप पत्र में सह-अभियुक्त को आलिप्त किया गया है, किंतु अभियोजन पक्ष ने विशेष न्यायालय के इस निष्कर्ष को स्वीकार किया कि सह-अभियुक्त से इस तथ्य के बावजूद कोई बरामदगी नहीं की जा सकी थी कि वह भी उसी कार में यात्रा कर रही थी । यह सही है कि अधिनियम की धारा 54 से एक उपधारणा उद्भूत होती है और यह स्पष्ट करने का भार अभियुक्त पर स्थानांतरित हो जाता है कि विनिषिद्ध पदार्थ कैसे उसके कब्जे में आया था । किंतु अधिनियम की धारा 54 के अधीन

उपधारणा करने के लिए अवश्य यह सिद्ध किया जाना चाहिए कि बरामदगी अभियुक्त से की गई थी । जिस क्षण इस मूलभूत पहलू अर्थात् तलाशी और अभिग्रहण के बारे में संदेह उत्पन्न होता है, तो हमारी सुविचारित राय में, अपीलार्थी भी उसी फायदे का हकदार हो जाएगा जो विशेष न्यायालय द्वारा सह-अभियुक्त को दिया गया था । उपरोक्त को दृष्टिगत करते हुए, इस न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि अपीलार्थी भी संदेह के फायदे का हकदार है । (पैरा 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 33क और 34)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2020]	(2020) 10 एस. सी. सी. 120 : **मुकेश सिंह** बनाम **राज्य (दिल्ली की स्वापक पदार्थ शाखा)** ;	15, 17
[2020]	(2020) 9 एस. सी. सी. 627 : **रिजवान खान** बनाम **छत्तीसगढ़ राज्य** ;	15, 17
[2019]	(2019) 10 एस. सी. सी. 473 : **पंजाब राज्य** बनाम **बलजिन्द्र सिंह और अन्य** ;	15
[2018]	(2018) 11 एस. सी. सी. 570 : **मोहिन्द्र सिंह** बनाम **पंजाब राज्य** ;	12
[2010]	(2010) 3 एस. सी. सी. 746 : **अजमेर सिंह** बनाम **हरियाणा राज्य** ;	12
[2010]	(2010) 9 एस. सी. सी. 608 : **धर्मपाल सिंह** बनाम **पंजाब राज्य** ।	15, 17

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2021 की दांडिक अपील सं. 871.

2017 की दांडिक अपील सं. 790 में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा तारीख 1 अक्तूबर, 2019 को पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री सोमनाथ पधान, अभास परिमल, अशोक आनंद, राकेश कुमार सिंह, आकाश काकडे, मुकुल देव मिश्रा और (सुश्री) सुजाता कुमारी मुनि

प्रत्यर्थी की ओर से सर्वश्री सौरव राय, उप महाधिवक्ता, महेश कुमार, प्रबुद्ध सिंह, जाकिर हुसैन, (सुश्री) देविका खन्ना, (श्रीमती) वी. डी. खन्ना वी. एंड जेड चेम्बर्स की ओर से

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यन ने दिया ।

न्या. रामसुब्रमण्यन – अभियुक्त सं. 1 ने विशेष न्यायाधीश द्वारा स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 20(ख)(ii)(ग) के अधीन दंडनीय अपराध के लिए की गई उसकी दोषसिद्धि और उस पर अधिरोपित एक लाख रुपए के जुर्माने के साथ 10 वर्ष के कठोर कारावास के दंडादेश, जिसकी पुष्टि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा की गई है, को चुनौती देते हुए उपरोक्त अपील फाइल की है ।

2. हमने अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल श्री सोमनाथ पधान और प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से विद्वान् उप महाधिवक्ता श्री सौरव राय को सुना ।

3. अभियोजन का यह पक्षकथन था कि चाकरभाटा पुलिस थाने के थानाधिकारी को तारीख 31 मई, 2014 को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि अपीलार्थी और उसकी मित्र रीना दास एक कार, जिसका पंजीकरण सं. सीजी-04एचए-4850 है, की डिक्की में गांजा लिए हुए हैं और रायपुर से पेंडरा रोड पर यात्रा कर रहे हैं ; थानाधिकारी ने इस सूचना को रोजनामचा सन्हा में अभिलिखित किया, मुखबिर सूचना तैयार की, उक्त सूचना को उच्च अधिकारी को प्रेषित किया, घटनास्थल के लिए रवाना हुआ, कार को रुकवाया, अधिनियम की धारा 50 के अधीन एक सूचना तामील की, तलाशी ली और कार की डिक्की में 3 थैलों में रखा 47.370

किलो ग्राम गांजा पाया ; विनिषिद्ध पदार्थ को तोलने और पंचनामा तैयार करने के पश्चात् थानाधिकारी ने तीनों थैलों से नमूने लिए, उन्हें न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजा और रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् अपीलार्थी तथा उसके मित्र रीना दास के विरुद्ध अधिनियम की धारा 20(ख) के अधीन दंडनीय अपराध के लिए आरोप पत्र फाइल किया ।

4. अभियोजन पक्ष ने सात साक्षियों की परीक्षा की । दो स्वतंत्र साक्षियों की न्यायालय साक्षी सीडब्ल्यू-1 और 2 के रूप में परीक्षा की गई ।

5. विशेष न्यायालय ने तारीख 10 मई, 2017 के निर्णय द्वारा अपीलार्थी को अधिनियम की धारा 20(ख)(ii)(ग) के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया और 10 वर्ष के कठोर कारावास का दंडादेश अधिरोपित किया । तथापि, विशेष न्यायालय द्वारा सह-अभियुक्त रीना दास को दोषमुक्त कर दिया गया ।

6. राज्य ने रीना दास, जो अभियुक्त-2 थी, की दोषमुक्ति के विरुद्ध कोई अपील फाइल नहीं की । किंतु अपीलार्थी ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर में अपील फाइल की । इस अपील को तारीख 1 अक्तूबर, 2019 के निर्णय द्वारा खारिज कर दिया गया । इसलिए अभियुक्त-1, जिसकी समवर्ती रूप से दोषसिद्धि की गई है, उपरोक्त अपील के साथ आया है ।

7. विशेष न्यायालय ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि अपीलार्थी अपराध का दोषी है, व्यापक रूप से श्री एन. एल. धृतलहरे, उप पुलिस अधीक्षक के परिसाक्ष्य का अवलंब लिया, जिसने इत्तिलाकर्ता और अन्वेषण अधिकारी दोनों के रूप में कार्य किया था और जिसकी अभि. सा. 7 के रूप में परीक्षा की गई थी । विशेष न्यायालय ने पाया कि अभि. सा. 7 ने अधिनियम की धारा 43 और 49 में विहित प्रक्रिया का अनुसरण किया था और यह कि उसका परिसाक्ष्य अडिग रहा था ।

8. यद्यपि अभि. सा. 7 ने दावा किया कि न्या. सा. 1 और न्या. सा. 2 के रूप में परीक्षा किए गए दो स्वतंत्र साक्षियों की मौजूदगी में तलाशी ली गई थी और अभिग्रहण किया गया था, किंतु इन दोनों

साक्षियों ने संपूर्ण कार्यवाही से अनभिज्ञ होने का दावा किया । इसलिए विशेष न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अभि. सा. 7 के परिसाक्ष्य की संपुष्टि स्वतंत्र साक्षियों के साक्ष्य द्वारा नहीं की गई है ।

9. तथापि, विशेष न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अभि. सा. 7 द्वारा तलाशी और अभिग्रहण से पूर्व और पश्चात् की गई प्रविष्टियां और उसके द्वारा तैयार किए गए दस्तावेजों से उसके मौखिक परिसाक्ष्य की संपुष्टि हुई है और इसलिए अभियुक्त की दोषिता संपुष्टि के बिना भी युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध हो जाती है ।

10. किंतु दिलचस्प बात यह है कि विशेष न्यायालय ने अभियुक्त-2 अर्थात् रीना दास को इस आधार पर दोषमुक्त कर दिया कि (i) यद्यपि दैनिक रजिस्टर, प्रदर्श पी-12 और सूचना के ज्ञापन में अभियुक्त-2 का नाम उल्लिखित था, तो भी अभि. सा. 7 ने अपने परिसाक्ष्य में उसके नाम का उल्लेख नहीं किया था ; (ii) अभियुक्त-2 को धारा 50 के अधीन सूचना तामील नहीं की गई थी ; और (iii) यह दर्शित करने के लिए संदेह के परे कोई सबूत नहीं है कि अभिगृहीत विनिषिद्ध पदार्थ अभियुक्त-2 के कब्जे में था और उसकी जानकारी में था ।

11. जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है, राज्य ने अभियुक्त-2 की दोषमुक्ति के विरुद्ध कोई अपील फाइल नहीं की थी । किंतु उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अभि. सा. 7 का साक्ष्य यहां तक कि प्रतिपरीक्षा के दौरान भी अडिग रहा था और उसके वृत्तांत पर विश्वास न करने का कोई कारण नहीं था । उच्च न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 के रूप में परीक्षा किए गए हैड कांस्टेबल और कांस्टेबल ने अधिनियम की धारा 42 और 57 की अपेक्षाओं के अनुपालन के विषय में अभि. सा. 7 के कथन की संपुष्टि की थी । यद्यपि अपीलार्थी की ओर से उच्च न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया था कि न्यायालयिक प्रयोगशाला भेजे गए नमूने अभिगृहीत किए गए विनिषिद्ध पदार्थ का भाग नहीं थे, तो भी उच्च न्यायालय द्वारा इस तर्क को अभि. सा. 7 के सटीक परिसाक्ष्य के आधार पर नामंजूर कर दिया था । यही कारण है कि उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी की दोषसिद्धि तथा उस पर अधिरोपित दंडादेश की पुष्टि की

थी ।

12. विशेष न्यायालय और उच्च न्यायालय के समवर्ती निर्णयों को प्रश्नगत करते हुए अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल द्वारा यह दलील दी गई कि (i) इत्तिलाकर्ता और अन्वेषण अधिकारी एक ही व्यक्ति था ; (ii) स्वतंत्र साक्षियों अर्थात् न्या. सा. 1 और न्या. सा. 2 ने अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन नहीं किया था और अभि. सा. 7 के परिसाक्ष्य की संपुष्टि नहीं की गई थी ; (iii) जब आरोप पत्र में यह अभिकथन किया गया था कि अपीलार्थी और सह-अभियुक्त एक ही कार में यात्रा कर रहे थे जिससे गांजा अभिगृहीत किया गया था, तो अभि. सा. 7 के उसी साक्ष्य के आधार पर उनमें से एक की दोषमुक्ति और दूसरे की दोषमुक्ति को कायम नहीं किया जा सकता है ; और (iv) विशेष न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा इस न्यायालय के अनेक निर्णयों में अधिकथित किए गए सिद्धांतों का अनुसरण नहीं किया गया है । अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल ने विशिष्ट रूप से **अजमेर सिंह** बनाम **हरियाणा राज्य**[1] और **मोहिन्द्र सिंह** बनाम **पंजाब राज्य**[2] वाले मामलों में इस न्यायालय के विनिश्चयों का अवलंब लिया ।

13. अभि. सा. 7 के परिसाक्ष्य, जिसका विशेष न्यायालय और उच्च न्यायालय ने अत्यधिक अवलंब लिया है और जिस पर पूर्ण विश्वास किया है, के संबंध में अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल ने निम्नलिखित दलीलें दीं :–

- उसके साक्ष्य में कई सारे लोप हैं ;

- उसने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था और उन्हें आरोप-पत्रित भी किया था किंतु उसने स्वीकार किया कि कोई तलाशी वारंट नहीं था ;

- उसने यह भी उल्लेख किया था कि यान का फोटोग्राफ अंतिम रिपोर्ट की सूची में नहीं था और कार के फोटोग्राफ में अपराध संख्यांक का उल्लेख नहीं था ;

---

[1] (2010) 3 एस. सी. सी. 746.

[2] (2018) 11 एस. सी. सी. 570.

• वह न्यायालय साक्षियों अर्थात् स्वतंत्र साक्षियों की मौजूदगी के बारे में मौन था और उन स्वतंत्र साक्षियों ने अनभिज्ञ होने का अभिवाक् किया था ;

• यहां तक कि अभियुक्त और साक्षियों द्वारा संपत्ति अभिग्रहण ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे और कोई मुहर भी नहीं लगाई गई थी । यह बात भी उसके द्वारा स्वीकार की गई है ;

• उसने स्वीकार किया था कि उसने यान के वास्तविक स्वामी का कथन अभिलिखित नहीं किया था, जो कि अन्वेषण में एक मूलभूत त्रुटि है ;

• रीना दास (अभियुक्त-2) को स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 50 के अधीन कोई सूचना नहीं दी गई थी । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट और आरोप पत्र के सिवाय रीना दास का नाम कहीं भी अर्थात् सहमति पत्र, सहमति ज्ञापन, तलाशी ज्ञापन, विनिषिद्ध पदार्थ के अभिग्रहण/बरामदगी के ज्ञापन, सामग्री की शनाख्त के ज्ञापन, तोलने वाली मशीन के वस्तुगत सत्यापन के ज्ञापन, मादक पदार्थ इत्यादि के तोले गए नमूने के ज्ञापन में वर्णित नहीं था ;

• किंतु उसने प्रतिपरीक्षा में इस सुझाव से इनकार किया कि महिला यान में नहीं बैठी थी ; और

• अलग-अलग दस्तावेज में वर्णित समय अलग-अलग था ।

14. अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल ने कार के स्वामित्व के बारे में भी एक प्रश्न उठाया और इस तथ्य को उजागर किया कि स्वामिनी अर्थात् भूमिका पटेल (अभि. सा. 4) से परिप्रश्न तक नहीं किए गए थे । किंतु हम नहीं समझते कि कार के स्वामित्व का कोई तात्विक महत्व था । इसलिए हम इस पर विस्तारपूर्वक विचार नहीं करते हैं ।

15. अपीलार्थी की ओर से दी गई दलीलों के उत्तर में राज्य की ओर से विद्वान् उप महाधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि :–

• स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम स्वयंमेव एक पूर्ण संहिता है ;

• जब एक बार धारा 42, 43, 49 और 50 में प्रगणित प्रक्रिया का सावधानीपूर्वक अनुसरण किया गया है, तो अभियुक्त को, जिसके कब्जे से विनिषिद्ध पदार्थ बरामद किया गया है, यह स्पष्ट करना चाहिए कि यह कैसे उसके कब्जे में आया था ;

• जैसा कि **मुकेश सिंह** बनाम **राज्य (दिल्ली की स्वापक पदार्थ शाखा)**[1] वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, सदैव यह आवश्यक नहीं है कि पुलिस पदधारियों के परिसाक्ष्य की स्वतंत्र साक्षियों के परिसाक्ष्य के माध्यम से संपुष्टि की जाए ;

• जैसा कि **धर्मपाल सिंह** बनाम **पंजाब राज्य**[2] वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, स्वतंत्र साक्षी का अभाव अभियोजन के पक्षकथन के लिए घातक नहीं है ;

• इसी अनुरूप **रिजवान खान** बनाम **छत्तीसगढ़ राज्य**[3] वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि स्वतंत्र साक्षियों का पक्षद्रोही हो जाना स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अधीन दोषमुक्ति के लिए आधार नहीं हो सकता है ;

• जैसा कि **पंजाब राज्य** बनाम **बलजिन्द्र सिंह और अन्य**[4] वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, अधिनियम की धारा 50 के अधीन संरक्षण केवल किसी व्यक्ति के शरीर की तलाशी के लिए उपलब्ध है न कि किसी यान या स्थान की तलाशी के लिए ;

• चूंकि इस मामले में बरामदगी कार की डिक्की से हुई थी, इसलिए धारा 50 लागू नहीं होती है और इसलिए सह-अभियुक्त की दोषमुक्ति का भी कोई सरोकार नहीं है ।

• यह प्रश्न कि क्या इत्तिलाकर्ता अन्वेषण अधिकारी हो सकता है, अब **मुकेश सिंह** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय को ध्यान में रखते हुए अनिर्णीत विषय नहीं है ;

---

[1] (2020) 10 एस. सी. सी. 120.

[2] (2010) 9 एस. सी. सी. 608.

[3] (2020) 9 एस. सी. सी. 627.

[4] (2019) 10 एस. सी. सी. 473.

• जब एक बार धारा 54 के अधीन कब्जे की बात साबित हो जाती है, तो अधिनियम की धारा 54 के अधीन उपधारणा को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त के बारे में अपराध का दोषी होने की उपधारणा की जाती है ; और

• इसलिए निचले न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है ।

16. हमने परस्पर-विरोधी दलीलों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है । हमने साक्षियों के परिसाक्ष्य सहित विशेष न्यायालय के अभिलेख का भी परिशीलन किया ।

17. प्रारंभ में, हम विधि की कुछ प्रतिपादनाओं का उल्लेख करेंगे जिन पर कोई संविवाद नहीं किया जा सकता है । वे हैं, (i) **मुकेश सिंह** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय की संविधान न्यायपीठ के विनिश्चय के अनुसार इस तथ्य से कि इत्तिलाकर्ता अन्वेषक भी था, अन्वेषण अनुचित या पक्षपातपूर्ण होने के रूप में स्वयमेव दूषित नहीं हो सकता ; (ii) सदैव यह आवश्यक नहीं है कि पुलिस साक्षियों के साक्ष्य की स्वतंत्र साक्षियों द्वारा संपुष्टि की जानी चाहिए, जैसा कि **धर्मपाल सिंह** और **मुकेश सिंह** (उपर्युक्त) वाले मामलों में अभिनिर्धारित किया गया है ; (iii) स्वतंत्र साक्षियों के पक्षद्रोही हो जाने पर आवश्यक रूप से अभियुक्त की दोषमुक्ति किए जाने की आवश्यकता नहीं है, जब आज्ञापक प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है और अन्य पुलिस साक्षियों ने एक सुर में साक्ष्य दिया है, जैसा कि **रिजवान खान** (उपर्युक्त) वाले मामले में अभिनिर्धारित किया गया है ; और (iv) जब एक बार यह सिद्ध हो जाता है कि विनिषिद्ध पदार्थ अभियुक्त के कब्जे से बरामद किया गया था, तो धारा 54 के अधीन एक उपधारणा उद्भूत होती है ।

18. किंतु यदि न्यायालय को (i) स्वतंत्र साक्षियों द्वारा पुलिस साक्षियों के परिसाक्ष्य की संपुष्टि के अभाव की पूरी तरह अनदेखी करनी है ; और (ii) पक्षद्रोही हो गए स्वतंत्र साक्षियों को नेल्सन की दृष्टि से देखना है, तो अभियोजन का वृत्तांत अत्यंत विश्वसनीय होना चाहिए और शासकीय साक्षियों का परिसाक्ष्य महत्वपूर्ण रूप से भरोसेमंद होना

चाहिए । यदि स्वतंत्र साक्षी ऐसा वृत्तांत देते हैं जिससे तलाशी और अभिग्रहण के बारे में ही दरार पैदा होती है, तो अभियोजन का पक्षकथन ताश के पत्तों की तरह बिखर जाना चाहिए । निस्संदेह यह सही है कि स्वतंत्र साक्षियों द्वारा संपुष्टि सदैव आवश्यक नहीं है । किंतु जब एक बार अभियोजन पक्ष इस वृत्तांत के साथ आता है कि तलाशी और अभिग्रहण स्वतंत्र साक्षियों की मौजूदगी में किया गया था और उनकी भी न्यायालय के समक्ष परीक्षा की गई थी, तब न्यायालय को यह देखना चाहिए कि क्या स्वतंत्र साक्षियों का वृत्तांत, जो पक्षद्रोही हो गए हैं, अविश्वसनीय है या नहीं और क्या यह संभाव्यता है कि वे दलबदलू बन गए थे ।

19. प्रस्तुत मामले में हम इस बात पर विचार करेंगे कि अभि. सा. 7 ने उस रीति के बारे में क्या कथन किया था, जिस रीति में साक्षियों को लुभाया गया था । अभि. सा. 7 के परिसाक्ष्य (मुख्य परीक्षा) का सुसंगत भाग, जहां स्वतंत्र साक्षियों के प्रति निर्देश किया गया है, नीचे उद्धृत किया जाता है :–

> "(5) मुझे तारीख 31 मई, 2014 को 4.50 बजे अपराह्न में इत्तिलाकर्ता से सूचना मिली कि एक रूपहले रंग की हुंडई वर्ना कार, जिसका पंजीकरण सं. सीजी-04-एचए-4850 है, जिसमें संजीत कुमार सिंह **उर्फ** मुन्ना सिंह, निवासी कबीर नगर, रायपुर और उसकी महिला मित्र अर्थात् रीना दास **उर्फ** मनाली दास, निवासी कबीर नगर, रायपुर कार के ट्रक (डिक्की) में कैनेबिस की बहुत बड़ी मात्रा लेकर बेचने के प्रयोजन के लिए रायपुर से पेंडरा रोड की ओर मुड़े हैं, जो पेंडीडिह बाईपास रोड से होकर जाएंगे । मैंने पुलिस थाने में बनाए रखे गए थाना डायरी रजिस्टर के क्र. सं. 1283 पर उपरोक्त रिपोर्ट दर्ज की । आज मैं दैनिक रजिस्टर को अपने साथ लाया हूं । दैनिक रजिस्टर में प्रविष्ट क्र. सं. 1283 प्रदर्श पी-12 है और इसकी सत्यापित प्रति प्रदर्श पी-12 'सी' है । मैंने इत्तिलाकर्ता की सूचना का ज्ञापन (पंचनामा) साक्षी विरेन्द्र कुमार साहू और बलदेव सिंह राजपूत की मौजूदगी में तैयार किया था । इत्तिलाकर्ता की सूचना का ज्ञापन (पंचनामा) प्रदर्श पी-13 है और ए से ए भाग

पर मैंने हस्ताक्षर किए हैं । मैंने साक्षियों को बुलाने के प्रयोजनार्थ सूचना तामील की थी । साक्षी सुनील मघलानी को दी गई सूचना प्रदर्श सी-14 है, जिस पर बी से बी भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं और साक्षी फिरतूराम बनवारे को कार्यवाहियों के समय पर उपसंजात/ मौजूद होने के लिए भेजी गई सूचना प्रदर्श सी-1 है, जिस पर बी से बी भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं ।

* * *

(7) उसके पश्चात्, मैंने कांस्टेबल सं. 444, 672 और महिला कांस्टेबल सं. 981 के साथ सरकारी यान से मोर्चाबंदी करने के प्रयोजन के लिए बाइपास रोड तिवारीपाड़ा प्रस्थान करने के समय अर्थात् 5.10 बजे अपराह्न के बारे में पुलिस थाने में बनाए रखे गए दैनिक रजिस्टर में क्र. स. 1286 पर प्रविष्टि की । मैंने अपने साथ दस्तावेज और मुहर भी लिए । पुलिस सहायता केंद्र, सांकरी के भारसाधक अर्थात् सहायक उप निरीक्षक, शर्मा को सूचित किया और साक्षियों अर्थात् कट्टी सुनील मघलानी और फिरतूराम बनवारे को भी कार्यवाहियों के प्रयोजन के लिए ले जाया गया था और इस संबंध में मैंने दैनिक रजिस्टर में क्र. सं. 1286 पर प्रविष्टि की, जो प्रदर्श पी-17 है और इसकी सत्यापित प्रति प्रदर्श पी-17 'सी' है ।

(8) मैंने साक्षियों अर्थात् सुनील मघलानी और फिरतूराम बनवारे की मौजूदगी में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 के अधीन ज्ञापन (पंचनामा) तैयार किया था, जो प्रदर्श सी-2 है और जिस पर सी से सी भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं ।

(9) संजीत कुमार सिंह के कब्जे में की पंजीकरण सं. सीजी-04-एचए-4850 वाली कार की डिक्की से प्लास्टिक के तीन थैलों में रखा विनिषिद्ध पदार्थ बरामद किया गया था, अभिग्रहण प्रदर्श सी-5 है, जिस पर डी से डी भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं । मैंने सुनील मघलानी और फिरतूराम बनवारे की मौजूदगी में कार में रखे थैलों के टांके खोलकर देखा था ।"

20. अभि. सा. 7 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में निम्नलिखित कथन किया था :–

"(22) दोनों साक्षी चाकरभाटा के हैं । मैं पहले से ही दोनों साक्षियों को जानता हूं । मैंने दोनों साक्षियों को उनके नाम पर सूचनाएं भेजी थीं । यह कहना सही है कि आज मैं स्मरण नहीं कर सकता कि किसके माध्यम से उपरोक्त सूचना भेजी गई थी । यह कहना भी सही है कि मैंने उपरोक्त सूचना 5.10 बजे अपराह्न में भेजी थी । मैं स्मरण नहीं कर सकता कि उपरोक्त साक्षी किस समय पर पुलिस थाने में थे ।

* * *

(24) साक्षियों अर्थात् सुनील मघलानी और फिरतूराम के मकान पुलिस थाने से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं । यह कहना सही है कि तलाशी लेने और साक्षियों के पहुंचने में समय लगा था । जब यह प्रश्न पूछा गया कि स्वतंत्र साक्षी किस समय उपस्थित हुए थे, तो यह साक्षी मौन रहा । यह कहना सही नहीं है कि इत्तिलाकर्ता से प्राप्त सूचना के ज्ञापन पर मैंने संबंधित साक्षियों के हस्ताक्षर घटनास्थल से पुलिस थाने में वापस आने के पश्चात् कराए थे ।

* * *

(29) मैंने साक्षियों से विनिषिद्ध पदार्थ की शनाख्त कराई थी । यह कहना सही है कि मैंने यह उल्लेख नहीं किया है कि मैंने साक्षियों द्वारा शनाख्त किए गए उस विनिषिद्ध पदार्थ का उल्लेख शनाख्त के ज्ञापन प्रदर्श सी-7 में नहीं किया था ।

* * *

(38) यह कहना भी सही नहीं है कि साक्षी अक्सर पुलिस थाने आते रहते थे । आज मैं स्मरण नहीं कर सकता कि घटना की तारीख को साक्षी अर्थात् सुनील मघलानी और फिरतूराम बनवारे अपने किसी विवाद के संबंध में पुलिस थाने आए थे । यह कहना भी सही नहीं है कि मैंने दस्तावेजों पर उपरोक्त दोनों साक्षियों के हस्ताक्षर पुलिस थाने में कराए थे ।"

21. यह देखने के पश्चात् कि अभि. सा. 7 ने स्वतंत्र साक्षियों की

मौजूदगी के बारे में क्या कहा है, अब हम देखेंगे कि इन स्वतंत्र साक्षियों ने क्या कहा था । न्या. सा.-1 के रूप में परीक्षा किए गए श्री फिरतूराम बनवारे के परिसाक्ष्य का सुसंगत भाग निम्नलिखित है :–

"1. मैं सुनील मघलानी को जानता हूं । मैं और सुनील मघलानी दोनों बोदरी पंचायत के पार्षद थे । मैं यहां न्यायालय में मौजूद अभियुक्तों को नहीं जानता । मैं आज उन्हें पहली बार देख रहा हूं ।

2. मुझे वर्ष 2014 में या किसी अन्य समय पर गांजा की मुखबिर सूचना के संबंध में पुलिस थाना चाकरभाटा की पुलिस द्वारा नहीं बुलाया गया था, मुझे कभी भी पुलिस थाने नहीं बुलाया गया था, मैं कभी भी पुलिस के साथ पेंडीडिह बाइपास रोड नहीं गया था । पुलिस ने मेरी मौजूदगी में कभी कोई कार नहीं रुकवाई थी । मैंने यहां न्यायालय में मौजूद अभियुक्तों को कार में बैठे हुए नहीं देखा था, पुलिस ने मेरी मौजूदगी में किसी कार से कभी कोई गांजा अभिगृहीत नहीं किया था । पुलिस ने मेरी मौजूदगी में गांजे की कोई तोलने की कार्यवाही या नमूने लेने की कार्यवाहियां नहीं की थी ।

3. वर्ष 2014 में मैं कुछ सिंधी लोगों के बीच विवाद के संबंध में पुलिस थाना चाकरभाटा गया था और उस समय पुलिस ने कुछ दस्तावेजों पर मेरे हस्ताक्षर कराए थे । मैंने यह नहीं पढ़ा था कि वे दस्तावेज किस संबंध में हैं और मुझे उन दस्तावेजों की अंतर्वस्तुओं के बारे में भी नहीं बताया गया था क्योंकि उस समय पर कोई प्रलेखन नहीं किया गया था । प्रदर्श सी.1, सी.2, सी.3, सी.4, सी. 5, सी.6, सी.7, सी.8 सी.9 और सी.10, जो तीन पृष्ठों में हैं, सी.11, सी.12, सी.13 के ए से ए भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं । प्रदर्श पी/9 के बी से बी भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं । पुलिस ने मेरा कथन नहीं लिया था ।

अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक श्री कुंदन सिंह द्वारा प्रतिपरीक्षा

4. मैंने आठवीं कक्षा तक पढ़ाई की है । यह कहना सही है

कि चूंकि मैं पार्षद हूं इसलिए पुलिस की सहायता करना मेरा कर्तव्य है । पूर्व में मैं पांच वर्षों के लिए दो बार नगर पंचायत बोदरी का पार्षद था । यह कहना सही है कि पार्षद होने के कारण मैं पुलिस के पास जाना पड़ता है जब कभी मुझे बुलाया जाता है । यह कहना सही है कि अपराध का अन्वेषण करने के दौरान लोक प्रतिनिधियों को बुलाया जाता है, इस साक्षी ने स्वयं यह कहा कि एक बार उसे बुलाया गया था । यह कहना सही नहीं है कि तारीख 31 मई, 2014 को लगभग 5.00 बजे अपराह्न में मुझे पुलिस थाने बुलाया गया था, इस साक्षी ने स्वयं यह कहा कि क्योंकि सिंधी लोगों के बीच विवाद था इसलिए वह पुलिस थाने गया था । यह कहना सही है कि उस दिन सुनील मघलानी भी मेरे साथ वहां गया था । यह कहना सही है कि बिना पढ़े किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं करने चाहिए .....।

* * *

7. यह कहना सही नहीं है कि तोलने वाला पंचनामा मेरी मौजूदगी में बनाया गया था । यह कहना सही नहीं है कि अभियुक्त से बरामद गांजा मेरी और सुनील मघलानी की मौजूदगी में तोला गया था और उस समय पर एक थैले में 20 किलो 370 ग्राम, दूसरे थैले में 20 किलो ग्राम और तीसरे थैले में 7 किलो ग्राम पाया गया था ।"

22. श्री सुनील कुमार मघलानी, जिसकी न्या. सा.-2 के रूप में परीक्षा की गई थी, के साक्ष्य का सुसंगत भाग निम्नलिखित है :–

"1. मैं यहां न्यायालय में मौजूद अभियुक्तों को नहीं जानता हूं । वर्ष 2014 में मैं बोदरी नगर पंचायत के वार्ड सं. 7 का पार्षद था । ढाई वर्ष पहले मैं और फिरतूराम बनवारे पुलिस थाना चकरभटा गए थे । हम वहां हमारे लोगों के बीच विवाद के समझौते के लिए गए थे । पुलिस ने 4-5 दस्तावेजों पर हमारे हस्ताक्षर कराए थे । पुलिस द्वारा मेरी मौजूदगी में कोई कार्यवाहियां नहीं की गई थीं । पुलिस ने अभियुक्तों से मेरी मौजूदगी में कोई वस्तु नहीं पकड़ी थी । पुलिस ने मुझे कोई सूचना

नहीं दी थी ।

2. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 के अधीन सूचना प्रदर्श पी/14 के द्वारा ए से ए भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं । सी.1, सी.2, सी.3, सी.4, सी. 5, सी.6, सी.7, सी.8 सी.9 और सी.10, जो तीन पृष्ठों में हैं, सी.11, सी.12, सी.13 के बी से बी भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं ।

अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक, श्री कुंदन सिंह द्वारा प्रतिपरीक्षा

3. यह कहना सही है कि मैं और फिरतूराम बनवारे तारीख 31 मई, 2014 को 5.00 बजे सायंकाल में पुलिस थाना चाकरभाटा गए थे । यह कहना सही नहीं है कि पुलिस थाना चाकरभाटा द्वारा मुझे गांजा मामले के अन्वेषण के लिए उपस्थित होने के लिए सूचना दी गई थी । यह कहना सही नहीं है कि पुलिस के साथ मैं और फिरतूराम बनवारे पेंडीडिह बाइपास रोड गए थे ।

4. यह कहना सही नहीं है कि कार संख्या सीजी04-एचए-4850, जो अभियुक्त संजीत के कब्जे में थी, को रुकवाया गया था और तलाशी ली गई थी और उस समय पर कार की पीछे की तरफ डिक्की से सफेद रंग के तीन प्लास्टिक के थैलों के अंदर मन:प्रभावी पदार्थ गांजा पाया गया था और इसका पंचनामा मेरी मौजूदगी में बनाया गया था ।"

23. अपर लोक अभियोजक द्वारा न्या. सा. 1 और 2 की प्रतिपरीक्षा की गई थी । इन दोनों साक्षियों से यह प्रश्न किया गया था कि अभियुक्तों के परिवार उनसे मिले थे और वे प्रभावित हो गए थे । इस संबंध में न्या. सा. 1 ने लोक अभियोजन के सुझाव से निम्नलिखित शब्दों में इनकार किया था :–

"10. यह कहना सही नहीं है कि अभियुक्तों के परिवार मुझसे मिले थे और इस लालच में मैं मिथ्या कथन कर रहा हूं । इस साक्षी ने स्वयं यह कहा कि वह अभियुक्तों के परिवार को नहीं जानता है । यह कहना सही नहीं है कि आज अभियुक्तों का परिवार न्यायालय में आया था और मुझसे मिला था ।"

24. इसी प्रकार, न्या. सा. 2 ने लोक अभियोजक के इस सुझाव से इनकार किया कि वह अभियुक्तों के परिवार के सदस्यों के प्रभाव में आ गया था । सुसंगत भाग निम्नलिखित है :–

> "4. यह कहना सही नहीं है कि अभियुक्तों का परिवार मुझसे मिला था । यह कहना भी सही नहीं है कि आज मैं अभियुक्तों के माता-पिता के प्रभाव के कारण मिथ्या कथन कर रहा हूं । यह कहना सही है कि हस्ताक्षर करने से पहले व्यक्ति को दस्तावेज को पढ़ लेना चाहिए । यह कहना सही नहीं है कि कार्यवाहियां मेरी मौजूदगी में की गई थी और इसी कारण से मैंने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे ।
>
> **अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक, श्री कुंदन सिंह द्वारा प्रतिपरीक्षा**
>
> 5. यह कहना सही है कि जब मैंने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे उस समय पर दस्तावेजों पर कुछ नहीं लिखा था । यह कहना सही है कि मेरे हस्ताक्षर कोरे दस्तावेजों पर कराए गए थे । यह कहना सही है कि जिन दस्तावेजों पर मेरे हस्ताक्षर कराए गए थे, उन्हें मुझे पढ़कर नहीं सुनाया गया था ।"

25. स्वतंत्र साक्षियों ने, जो पक्षद्रोही हो गए थे, न केवल कुछ भी देखे जाने से इनकार किया था अपितु यह युक्तियुक्त स्पष्टीकरण भी दिया था कि अभि. सा. 7 द्वारा उल्लिखित दस्तावेजों पर कैसे उनके हस्ताक्षर पाए गए थे । दोनों स्वतंत्र साक्षियों के अनुसार वे सिंधी समुदाय के सदस्यों से संबंधित कुछ अन्य विवाद के संबंध में पुलिस थाने गए थे । इन दोनों साक्षियों ने स्थानीय पंचायत के निर्वाचित पार्षद होने का दावा किया था और इस दावे को अपर लोक अभियोजक द्वारा प्रतिपरीक्षा में चुनौती नहीं दी गई थी । इसलिए प्रस्तुत मामला एक नैमित्तिक, चलता-फिरता मामला नहीं है, जहां स्वतंत्र साक्षी अपने पक्ष में कर लिए गए हैं और पंचनामा में उनके हस्ताक्षरों के बारे में देने के लिए कोई स्पष्टीकरण न हो ।

26. इन दोनों स्वतंत्र साक्षियों के कथनों का कतिपय अन्य तथ्यों को ध्यान में रखते हुए भी महत्व हो जाता है । वे तथ्य हैं :–

- अभि. सा. 7 के अनुसार, उसे एक मुखबिर से तारीख 31 मई, 2014 को 4.50 बजे अपराह्न में सूचना प्राप्त हुई थी ;
- अभि. सा. 7 ने दावा किया है कि सूचना प्राप्त होने के उपरांत उसने प्रदर्श पी-5 तैयार किया और अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कीं । उसके पश्चात् अभि. सा. 7 ने 5.10 बजे अपराह्न में स्वतंत्र साक्षियों को सूचनाएं भेजीं ;
- अभि. सा. 7 का यह भी दावा है कि उसने पुलिस थाने से 5.10 बजे अपराह्न में घटनास्थल के लिए प्रस्थान किया था और घटनास्थल और पुलिस थाने के बीच की दूरी लगभग 7-8 किलोमीटर है ;
- अभि. सा. 7 ने यह कथन किया था कि स्वतंत्र साक्षियों सुनील कुमार मघलानी और फिरतूराम बनवारे के मकान पुलिस थाने से लगभग एक किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित थे ;
- रोचक बात यह है कि विद्वान् विशेष न्यायाधीश ने अभि. सा. 7 के अभिसाक्ष्य के पैरा 24 में यह अभिलिखित किया है कि जब स्वतंत्र साक्षियों के पुलिस थाने में पहुंचने के समय के बारे में पूछा गया, तो साक्षी (अभि. सा. 7) चुप रहा ;
- अभि. सा. 7 के परिसाक्ष्य (प्रतिपरीक्षा में) के पैराग्राफ 25 में यह अभिलिखित है कि अभि. सा. 7 लगभग 5-7 मिनट में घटनास्थल पर पहुंचा था । यह इस तथ्य के बावजूद है कि यहां तक कि अभि. सा. 7 के अनुसार पुलिस थाने और घटनास्थल के बीच की दूरी लगभग 7-8 किलोमीटर है ; और
- अभि. सा. 7 ने यह भी दावा किया था कि उसके दल ने घटनास्थल पर 40 मिनट तक प्रतीक्षा की थी और उसके पश्चात् अभियुक्त घटनास्थल पर पहुंचे थे ।

27. अत: यदि अभि. सा. 7 द्वारा प्रस्तुत की गई कहानी पर विश्वास किया जाए, तो (i) उसे सूचना लगभग 4.50 बजे अपराह्न में प्राप्त हुई थी ; (ii) उसने औपचारिकताएं पूर्ण की थीं और स्वतंत्र साक्षियों को 5.10 बजे अपराह्न में सूचनाएं भेजी थी ; (iii) वह पुलिस थाने से 5.10 बजे अपराह्न में चला था और 5-7 मिनट में घटनास्थल पर पहुंचा था ; और (iv) उसके दल ने अभियुक्तों के पहुंचने के लिए 40 मिनट तक घटनास्थल पर प्रतीक्षा की थी ।

28. किंतु उपरोक्त घटनाक्रम में अभि. सा. 7 उस समय के बारे में पूर्णत: मौन रहा है जब साक्षी पुलिस थाने या घटनास्थल पर पहुंचे थे ।

29. प्रदर्श सी-1 वह सूचना है जो तात्पर्यित रूप से स्वतंत्र साक्षी फिरतूराम बनवारे को तामील की गई थी । इस सूचना में उक्त साक्षी को इसमें उपदर्शित स्थान अर्थात् "सैदा तिवारी पाड़ा बाईपास मेन रोड" पर 5.10 बजे हाजिर होने का निदेश दिया गया था । यहां तक कि अभि. सा. 7 के अनुसार इस साक्षी को यह सूचना उसके एक किलोमीटर दूर अवस्थित निवास पर तामील किए जाने के लिए केवल 5.10 बजे अपराह्न में भेजी गई थी । इसलिए ऐसा कोई तरीका नहीं था कि अभि. सा. 7 इस साक्षी से 5.10 बजे अपराह्न में घटनास्थल पर उपलब्ध हो जाने की प्रत्याशा कर सकता था ।

30. प्रदर्श सी-2 अधिनियम की धारा 50 के अधीन इस अपील में अपीलार्थी (अभियुक्त-1) को तामील की गई सूचना है । इसमें दर्शाया गया समय 6.00 बजे अपराह्न है । इस सूचना में अपीलार्थी से यह उपदर्शित करने की अपेक्षा की गई है कि क्या वह मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी में तलाशी दिए जाने का इच्छुक है । सूचना में यह भी उल्लेख किया गया है कि इसकी अंतर्वस्तुओं को साक्षियों की मौजूदगी में पढ़कर सुनाया गया था । प्रदर्श सी-3 अपीलार्थी का वह सहमति पंचनामा है, जिसमें पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी लिए जाने की सहमति दी गई है । इस पंचनामा में सुनील मघलानी और फिरतूराम बनवारे (न्या. सा. 1 और 2) के नाम हैं । यहां तक कि प्रदर्श सी-4 के रूप में चिह्नित अभियुक्त के पंचनामे में भी तलाशी के समय न्या. सा. 1 और 2 की मौजूदगी का उल्लेख है ।

31. अत: यह स्पष्ट है कि अभि. सा. 7 के रूप में परीक्षा किए गए अन्वेषण अधिकारी ने संपूर्ण कार्यवाही केवल स्वतंत्र साक्षियों की मौजूदगी में किए जाने का दावा किया है । किंतु इन स्वतंत्र साक्षियों ने न केवल अपनी मौजूदगी और सहभागीदारी की बात से इनकार किया है अपितु यह स्पष्टीकरण भी दिया है कि कैसे उन दस्तावेजों पर उनके हस्ताक्षर कराए गए थे ।

32. ऐसी परिस्थितियों में, अभि. सा. 7 द्वारा अभिकथित रूप से ली गई तलाशी और अभिग्रहण की बात पर ही गंभीर संदेह उत्पन्न होता है । किंतु दुर्भाग्यवश विशेष न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ने सिद्धांत रूप में विधि का उल्लेख तो किया किंतु इसे मामले के तथ्यों को लागू नहीं किया ।

33. आरंभ से ही सह-अभियुक्त रीना दास (अभियुक्त 2) को प्रत्येक प्रक्रम पर आलिप्त किया गया था । स्वीकृत रूप से, अभि. सा. 7 द्वारा तारीख 31 मई, 2014 को 4.50 बजे प्राप्त हुई सूचना में अपीलार्थी के साथ-साथ सह-अभियुक्त रीना दास का भी जिक्र था । किंतु कुछ आश्चर्यजनक कारणों से अभि. सा. 7 ने अधिनियम की धारा 50 के अधीन सूचना केवल अपीलार्थी को तामील की और सह-अभियुक्त को तामील नहीं की । अभि. सा. 7 ने जान-बूझकर या अन्यथा (i) सह-अभियुक्त का सहमति पंचनामा ; (ii) सह-अभियुक्त का तलाशी पंचनामा ; और (iii) सह-अभियुक्त के संबंध में बरामदगी पंचनामा अभिलिखित करने में भी लोप किया था । इसके परिणामस्वरूप विशेष न्यायालय ने सह-अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया था । यह अत्यंत आश्चर्यजनक है कि (i) अभि. सा. 7 द्वारा प्राप्त की गई सूचना ; (ii) प्रथम इत्तिला रिपोर्ट ; और (iii) आरोप पत्र में सह-अभियुक्त को आलिप्त किया गया है, किंतु अभियोजन पक्ष ने विशेष न्यायालय के इस निष्कर्ष को स्वीकार किया कि सह-अभियुक्त से इस तथ्य के बावजूद कोई बरामदगी नहीं की जा सकी थी कि वह भी उसी कार में यात्रा कर रही थी ।

33-क. यह सही है कि अधिनियम की धारा 54 से एक उपधारणा उद्भूत होती है और यह स्पष्ट करने का भार अभियुक्त पर स्थानांतरित हो जाता है कि विनिषिद्ध पदार्थ कैसे उसके कब्जे में आया था । किंतु अधिनियम की धारा 54 के अधीन उपधारणा करने के लिए अवश्य यह

सिद्ध किया जाना चाहिए कि बरामदगी अभियुक्त से की गई थी । जिस क्षण इस मूलभूत पहलू अर्थात् तलाशी और अभिग्रहण के बारे में संदेह उत्पन्न होता है, तो हमारी सुविचारित राय में, अपीलार्थी भी उसी फायदे का हकदार हो जाएगा जो विशेष न्यायालय द्वारा सह-अभियुक्त को दिया गया था ।

34. उपरोक्त को दृष्टिगत करते हुए, हमारा यह सुविचारित मत है कि अपीलार्थी भी संदेह के फायदे का हकदार है । अत: यह अपील मंजूर की जाती है । विशेष न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के निर्णय, जहां तक इनका संबंध अपीलार्थी की दोषसिद्धि से है, अपास्त किए जाते हैं । अपीलार्थी को जब तक कि वह किसी अन्य मामले के संबंध में अभिरक्षा में न हो, तुरंत छोड़ दिया जाएगा । खर्चे के लिए कोई आदेश नहीं किया जाता है ।

अपील मंजूर की गई ।

जस.

संसद् के अधिनियम

पशुओं में संक्रामक और सांसर्गिक रोगों का निवारण और नियंत्रण अधिनियम, 2009

(2009 का अधिनियम संख्यांक 27)

[20 मार्च, 2009]

पशुओं को प्रभावित करने वाले संक्रामक और सांसर्गिक रोगों के निवारण, नियंत्रण और उन्मूलन के लिए, एक राज्य से दूसरे राज्य में ऐसे रोगों के प्रादुर्भाव या फैलने को रोकने और पशुओं तथा पशु उत्पादों के आयात और निर्यात को सुकर बनाने के लिए भारत भी अन्तरराष्ट्रीय बाध्यताओं को पूरा करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

पशुओं के संक्रामक और सांसर्गिक रोगों के कारण देश में बहुत आर्थिक हानि हुई है, इनमें से कुछ रोग, जनता के लिए गंभीर संकट का रूप ले रहे हैं ;

और ऐसे अनेक पशु रोगों का टीकाकरण कार्यक्रमों के न्यायवत् कार्यान्वयन द्वारा या वैज्ञानिक आधारों पर अन्य समुचित और समय पर उपाय करके बड़े पैमाने पर निवारण किया जा सकता है ;

और ऐसे उपाय, पशुओं और पशु उत्पादों के आयात और निर्यात को सुकर बनाने और उन्हें अन्तरराष्ट्रीय पद्धतियों के अनुरूप रखने के लिए आवश्यक हैं ;

और यह अनुभव किया गया है कि भारत से पशुओं के संक्रामक और सांसर्गिक रोगों का निवारण, नियंत्रण और उन्मूलन राष्ट्रीय स्तर पर करना होगा जिससे ऐसे रोगों से देश की अर्थव्यवस्था पर होने वाले

प्रतिकूल प्रभाव से बचा सके और इस प्रयोजन के लिए नियंत्रण प्रक्रियाओं में सामंजस्य बिठाना होगा और पशु रोगों के अन्तरराज्यीय संचरण को रोकना होगा ;

और राष्ट्रीय स्तर पर इसकी व्यवस्था राज्य सरकारों को सक्रिय रूप से सम्मिलित करते हुए, विशिष्टतया उन ऐहतियाती उपायों के संबंध में जिनका कतिपय संक्रामक और सांसर्गिक रोगों की बाबत उनकी अधिकारिता के भीतर किया जाना अपेक्षित है और समय पर समुचित उपायों को अपनाते हुए उनके अपने-अपने क्षेत्रों के बाहर पशुओं के आने-जाने का विनियमन करते हुए की जानी है ;

और भारत, आफिस इन्टरनेशनल डेस एपिजूटीस, पेरिस का सदस्य देश है और उक्त संगठन की सामान्य बाध्यताओं, विनिश्चयों और सिफारिशों को लागू करना तथा उक्त संगठन द्वारा नियत की गई अन्तरराष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संहिता का पालन करना आवश्यक है ;

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

अध्याय 1
प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ – (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पशुओं में संक्रामक और सांसर्गिक रोगों का निवारण और नियंत्रण अधिनियम, 2009 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे ; और भिन्न-भिन्न राज्यों के लिए या उसमें के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिए और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और इस अधिनियम के ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारम्भ के प्रति किसी प्रतिनिर्देश का किसी राज्य या क्षेत्र या उपबंध के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह, ऐसे राज्य या क्षेत्र में, यथास्थिति, इस अधिनियम या उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रतिनिर्देश है ।

2. परिभाषाएं – इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) "पशु" से अभिप्रेत है, –

(i) ढोर, भैंस, भेड़, बकरी, याक, मिथुन ;

(ii) कुत्ता, बिल्ली, सुअर, घोड़ा, ऊंट, गधा, खच्चर, कुक्कुट, मधुमक्खी ; और

(iii) ऐसा कोई अन्य पशु या पक्षी जिसे केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे ;

(ख) "जांच पड़ताल चौकी" से इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए पशुओं की जांच पड़ताल करने के लिए निदेशक द्वारा उस रूप में स्थापित कोई स्थान अभिप्रेत है ;

(ग) "सक्षम अधिकारी" से धारा 17 के अधीन सक्षम अधिकारी के रूप में अधिसूचित कोई व्यक्ति या सरकार का अधिकारी अभिप्रेत है ;

(घ) "अनिवार्य टीकाकरण" से अभिप्रेत है किसी पशु को किसी ऐसे अनुसूचित रोग का कोई टीका लगाना जिसकी बाबत इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन टीका आज्ञापक बनाया गया है ;

(ङ) "नियंत्रित क्षेत्र" से ऐसा कोई स्थानीय क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसे धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा उस रूप में घोषित किया गया है ;

(च) "त्रुटिपूर्ण वैक्सीन" से ऐसा कोई वैक्सीन अभिप्रेत है, जिसकी अवधि समाप्त हो गई है, सील टूटी हुई है, जो संदूषित, अनुपयुक्त रूप से भंडारित, लेबल रहित या विकृत लेबल के साथ है ;

(छ) राज्य के संबंध में "निदेशक" से पशुपालन विभाग या पशु चिकित्सा सेवा या दोनों का ऐसा भारसाधक अधिकारी अभिप्रेत है जिसे इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा उस रूप में अधिसूचित किया गया है ;

(ज) "मुक्त क्षेत्र" से ऐसा कोई नियंत्रित क्षेत्र अभिप्रेत है जिसे धारा 6 की उपधारा (5) के अधीन उस रूप में घोषित किया गया है ;

(झ) "संक्रामित पशु" से ऐसा पशु अभिप्रेत है जो किसी अनुसूचित रोग से संक्रामित है ;

(ञ) "संक्रामित क्षेत्र" से धारा 20 के अधीन उस रूप में घोषित क्षेत्र अभिप्रेत है ;

(ट) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है ;

(ठ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ड) "प्रकाशन" के अंतर्गत मीडिया या समाचारपत्र या किसी अन्य जन संपर्क मीडिया और किसी क्षेत्र में ऊंची आवाज में तथा ढोल पीट कर की गई घोषणा जैसे स्थानीय संचार माध्यमों से सूचना का प्रचार-प्रसार है ;

(ढ) "करंतीन कैम्प" से ऐसा स्थान अभिप्रेत है जो इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए पशुओं और पक्षियों को करंतीन करने के लिए घोषित किया गया है ;

(ण) "अनुसूचित रोग" से ऐसा कोई रोग अभिप्रेत है जो अनुसूची में सम्मिलित है ;

(त) "पशु चिकित्सक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पास मान्यताप्राप्त पशु चिकित्सा अर्हता है और जिसे तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन पशु रोगों का उपचार करने के लिए अनुज्ञात किया गया है ;

(थ) "पशु चिकित्सा अधिकारी" से कोई ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जिसे धारा 3 के खंड (ख) के अधीन राज्य सरकार द्वारा उस रूप में नियुक्त किया गया है ;

(द) किसी ग्राम के संबंध में "ग्राम अधिकारी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे राज्य सरकार द्वारा विहित अर्हताओं के अनुसार उस रूप में प्राधिकृत या अभिहित किया गया है ।

अध्याय 2
अनुसूचित रोगों का नियंत्रण

3. पशु चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति – राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, –

(क) उतने व्यक्तियों को, जितने वह उचित समझे, निरीक्षण करने के लिए और उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं को विनिर्दिष्ट करते हुए पशु चिकित्सकों के रूप में नियुक्त कर सकेगी ; और

(ख) उतने पशु चिकित्सकों को, जितने वह उचित समझे, पशु चिकित्सा अधिकारियों के रूप में नियुक्त कर सकेगी, जो अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर अपनी शक्तियों का प्रयोग और अपने ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

4. अनुसूचित रोगों की रिपोर्ट करने की बाध्यता – (1) किसी ऐसे पशु का जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह किसी अनुसूचित रोग से संक्रामित है, प्रत्येक स्वामी या उस पशु का भारसाधक कोई अन्य व्यक्ति, गैर सरकारी संगठन, लोक निकाय या ग्राम पंचायत, इस तथ्य की ग्राम अधिकारी या ग्राम पंचायत प्रभारी को रिपोर्ट करेगा, जो निकटतम उपलब्ध पशु चिकित्सक को लिखित में उसकी रिपोर्ट कर सकेगा ।

(2) ग्राम अधिकारी किसी रोग के फैलने की रिपोर्ट करने के लिए अपनी अधिकारिता के भीतर आने वाले क्षेत्र का दौरा करेगा ।

(3) प्रत्येक पशु चिकित्सक, उपधारा (1) के अधीन किसी रिपोर्ट की प्राप्ति पर या अन्यथा, यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई पशु किसी अनुसूचित रोग से संक्रामित है, मामले की रिपोर्ट पशु चिकित्सा अधिकारी को करेगा ।

(4) जहां किसी राज्य में किसी पशु के संबंध में अनुसूचित रोग की कोई घटना हुई है वहां निदेशक, ऐसे राज्यों के, जो उस स्थान के ठीक

पड़ोसी हैं, जहां ऐसी घटना हुई है, निदेशकों को रोग को फैलने से रोकने के लिए समुचित निवारक उपाय करने के लिए सूचना भेजेगा ।

5. संक्रामित पशुओं को अलग रखने का कर्तव्य – (1) किसी ऐसे पशु का प्रत्येक स्वामी या भारसाधक व्यक्ति, जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है, कि वह किसी अनुसूचित रोग से संक्रामित है, ऐसे पशु को अलग रखेगा और उसे ऐसे सभी अन्य पशुओं से, जो स्वस्थ हैं, दूर स्थान पर रखेगा और संक्रामित पशु को किसी अन्य पशु के संपर्क में आने से रोकने के लिए सभी संभव उपाय करेगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी पशु का स्वामी या भारसाधक या उस पर नियंत्रण रखने वाला अन्य व्यक्ति उस पशु को परिरुद्ध करेगा और उसे सामान्य स्थान पर चरने या किसी सामान्य स्रोत से, जिसके अन्तर्गत पात्र, तालाब, झील या नदी भी है, पानी पाने से निवारित करेगा ।

(3) नगरपालिका, पंचायत या अन्य स्थानीय प्रशासन द्वारा सभी अन्य संक्रामित पशुओं को अलग रखा जाएगा ।

6. नियंत्रित क्षेत्रों और मुक्त क्षेत्रों की अधिसूचना – (1) राज्य सरकार, किसी अनुसूचित रोग को निवारित, नियंत्रित या उन्मूलन करने के उद्देश्य से, अधिसूचना द्वारा, किसी क्षेत्र को, किसी ऐसे अधिसूचित रोग की बाबत, जो पशु की किन्हीं जातियों और किन्हीं ऐसी अन्य जातियों को प्रभावित कर रहा है, जिन्हें उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रोग होने की संभावना है, नियंत्रित क्षेत्र के रूप में घोषित कर सकेगी ।

(2) राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना का सार देशी भाषा में किसी स्थानीय समाचारपत्र में तथा उस क्षेत्र में ऊंची आवाज में और ढोल पीटकर घोषणा द्वारा प्रकाशित करवाएगी ।

(3) जहां कोई अधिसूचना उपधारा (1) के अधीन जारी की गई है वहां नियंत्रित क्षेत्र में उक्त जातियों के सभी पशुओं को, उस रोग के लिए अनिवार्य टीका लगाया जाएगा और उस रोग के लिए ऐसे अन्य उपाय ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर किए जाएंगे जो राज्य सरकार लोक सूचना द्वारा निदेश दे ।

(4) राज्य सरकार आवश्यक वैक्सीन उपलब्ध कराएगी और किसी ऐसे पशु के लिए जिसे उपधारा (3) के अधीन टीका लगाया जाना अपेक्षित है, प्रत्येक स्वामी या भारसाधक व्यक्ति के लिए, यह आबद्धकर होगा कि वह उस पशु को अनिवार्य रूप से टीका लगवाए ।

(5) जहां निदेशक से प्राप्त रिपोर्ट पर या अन्यथा, राज्य सरकार का यह सामाधान हो जाता है कि किसी नियंत्रित क्षेत्र में ऐसा कोई अनुसूचित रोग, जो पशु की किसी जाति को प्रभावित कर रहा है, अब नहीं रह गया है, वहां वह, अधिसूचना द्वारा, उस क्षेत्र को पशु की विशिष्ट जातियों के संबंध में उस रोग की बाबत मुक्त क्षेत्र के रूप में घोषित कर सकेगी ।

(6) जहां उपधारा (5) के अधीन कोई अधिसूचना जारी की गई है, वहां उन जातियों के किसी पशु या अन्य संकटग्रस्त जातियों के किसी पशु को, जिसके संबंध में वह मुक्त क्षेत्र है, तब तक मुक्त क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा जब तक कि उस विशिष्ट रोग के लिए उसे टीके द्वारा सम्यक् रूप से असंक्रामित न कर दिया गया हो ।

7. नियंत्रित क्षेत्र से पशुओं के आने-जाने पर प्रतिषेध – (1) जहां धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन किसी क्षेत्र को पशुओं की किन्हीं जातियों को प्रभावित करने वाले किसी रोग के संबंध में नियंत्रित क्षेत्र के रूप में घोषित करने वाली अधिसूचना जारी की गई है, वहां उन जातियों का कोई पशु उस स्थान से नहीं ले जाया जाएगा, जहां उसे रखा गया है ।

(2) निदेशक, किसी क्षेत्र की बाबत किसी अनुसूचित रोग के नियंत्रण, निवारण या उन्मूलन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, उसमें विनिर्दिष्ट किन्हीं जातियों के सभी पशुओं के उस स्थान से, जहां उन्हें रखा गया है किसी अन्य स्थान पर आने-जाने को प्रतिषिद्ध कर सकेगा ।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) की कोई बात, निम्नलिखित को प्रतिषिद्ध करने वाली नहीं समझी जाएगी –

(क) उसमें निर्दिष्ट किसी पशु का उस स्थान से, जहां उसे रखा गया है, उस निकटतम स्थान को ले जाना, जहां उसको टीका

लगाया जा सकेगा जब तक पशु को टीका लगाकर असंक्रमीकरण के प्रयोजन के लिए ले जाया जा रहा है ; या

(ख) किसी ऐसे पशु को ले जाना जहां तक वह टीकाकरण के विधिमान्य प्रमाणपत्र के साथ है जिसमें यह उपदर्शित किया गया है कि पशु को विशिष्ट रोग से सम्यक् रूप से असंक्रामित कर दिया गया है और उस पर ऐसे टीकाकरण का उचित चिह्न लगा हुआ है ।

8. टीकाकरण चिह्नांकन करना और टीका प्रमाणपत्र जारी किया जाना – (1) किसी पशु को ऐसे व्यक्ति द्वारा टीका लगाया जा सकेगा, जो तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन टीका लगाने और टीका प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम है ।

(2) जहां किसी पशु को उपधारा (1) के उपबंधों के अनुपालन में किसी अनुसूचित रोग के लिए टीका लगाया गया है वहां पशु को टीका लगाने वाला व्यक्ति छाप लगाकर, टेटू लगाकर या कर्ण टैगिंग द्वारा या किसी ऐसी अन्य रीति में जो निदेशक, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, निदेश करे, चिह्न लगवाएगा और जब तक निदेशक द्वारा अन्यथा रूप में विनिर्दिष्ट न किया जाए, उसे हटाया नहीं जाएगा ।

(3) टीका प्रमाणपत्र जारी करने वाला प्राधिकारी टीका लगाने की तारीख, वैक्सीन के विनिर्माण और उसकी अवधि के अवसान की तारीख और वह तारीख, जिस तक पशु का टीका, विशिष्ट वैक्सीन के साथ मान्य होगा, विनिर्दिष्ट करेगा ।

9. टीका प्रमाणपत्र की अंतर्वस्तु – इस अधिनियम के अधीन जारी प्रत्येक टीक प्रमाणपत्र ऐसे प्ररूप में होगा और उसमें ऐसी विशिष्टियां होंगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं ।

10. नियंत्रित क्षेत्र और मुक्त क्षेत्र में पशुओं का प्रवेश और उससे निकासी – (1) जहां कोई क्षेत्र, धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन पशुओं की किन्हीं जातियों को प्रभावित करने वाले किसी रोग की बाबत नियंत्रित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है, वहां उन जातियों का कोई पशु धारा 16 में यथा उपबंधित के सिवाय, उस क्षेत्र से न तो बाहर भेजा जाएगा और न ही उसमें लाया जाएगा ।

(2) निदेशक, राजपत्र में और देशी भाषा में कम से कम एक दैनिक स्थानीय समाचारपत्र में सम्यक् रूप से प्रकाशित सूचना द्वारा उपधारा (1) में अंतर्विष्ट प्रतिषेध को पशुओं की किन्हीं अन्य जातियों तक विस्तारित कर सकेगा, यदि उन जातियों के पशुओं के भी उस रोग से संक्रामित होने की संभावना है ।

(3) माल या पशुओं का कोई वाहक, धारा 16 के उपबंधों का अनुपालन किए बिना भू-मार्ग, समुद्र मार्ग या वायु मार्ग से किसी पशु को नियंत्रित क्षेत्र, मुक्त क्षेत्र या संक्रामित क्षेत्र से बाहर नहीं ले जाएगा ।

(4) उपधारा (1) से उपधारा (3) की कोई बात उन उपधाराओं में निर्दिष्ट किसी पशु के, रेल द्वारा ऐसे क्षेत्र से जिसे, तत्समय नियंत्रित क्षेत्र या संक्रामित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है, होकर वहन को तब तक लागू नहीं होगी जब तक पशु की उस क्षेत्र के भीतर किसी स्थान पर उतराई (चाहे वह किसी भी प्रयोजन या अवधि के लिए हो) न की गई हो :

परन्तु राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, यह घोषणा कर सकेगी कि राज्य के भीतर किसी स्थानीय क्षेत्र में से इस प्रकार वहन किए जाने वाले पशु की कोई जातियां ऐसे अनुसूचित रोग से ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, सम्यक् रूप से असंक्रामित की जाएंगी और उस क्षेत्र में होकर रेल द्वारा पशुओं के परिवहन के लिए टीका प्रमाणपत्र एक पूर्वापेक्षा होगी :

परन्तु यह और कि जहां पहले परन्तुक में निर्दिष्ट कोई अधिसूचना जारी की गई है वहां राज्य सरकार का यह दायित्व होगा कि वह उस तथ्य को संबद्ध रेल प्राधिकारियों को सूचित करे, जिससे वे राज्य के उस स्थानीय क्षेत्र से होकर पशु का परिवहन करने के पूर्व उसके असंक्रामण के बारे में अपना समाधान कर सकें ।

11. नियंत्रित क्षेत्रों के संबंध में ऐहतियाती उपाय – कोई व्यक्ति –

(क) धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित किसी अनुसूचित रोग से संक्रामित या संक्रामित होने की युक्तियुक्त संभावना वाले किसी जीवित या मृत पशु को,

(ख) ऐसे किसी भी प्रकार के चारे, बिछौने या अन्य सामग्री को जो ऐसे रोग से संक्रामित किसी पशु के संसर्ग में रही है या किसी रीति में अधिसूचित रोग से प्रभावित हो सकती है, या

(ग) पशु शव, खाल या ऐसे पशु के किसी अन्य भाग या उत्पाद को,

नियंत्रित क्षेत्र से बाहर नहीं ले जाएगा ।

12. नियंत्रित क्षेत्रों में बाजारों, मेलों, प्रदर्शनी आदि का प्रतिषेध – कोई व्यक्ति, संगठन या संस्था, नियंत्रित क्षेत्र के भीतर कोई पशु बाजार, पशु मेला, पशु प्रदर्शनी नहीं लगाएगी और ऐसा कोई अन्य क्रियाकलाप नहीं करेगी जिसमें पशुओं की किन्हीं जातियों का समूह में सम्मिलित या इकट्ठा होना अंतर्वलित है :

परन्तु सक्षम अधिकारी स्वप्रेरणा से या इस निमित्त उसे किए गए आवेदन पर, ऐसे मामले में पशुओं की किन्हीं जातियों के संबंध में प्रतिषेध को शिथिल कर सकेगी, जहां उन जातियों के पशुओं को अनुसूचित रोग होने की संभावना नहीं है और उनमें उस रोग को ग्रहण करने की क्षमता नहीं है, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि लोकहित में ऐसी शिथिलता प्रदान करना आवश्यक है ।

13. बाजार और अन्य स्थानों में संक्रामित पशुओं को लाने का प्रतिषेध – कोई व्यक्ति किसी ऐसे पशु को, जिसके बारे में उसका अनुसूचित रोग से संक्रामित होना ज्ञात है, बाजार, मेले, प्रदर्शनी या पशुओं के अन्य जमाव या किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं लाएगा या लाने का प्रयास नहीं करेगा ।

14. जांच पड़ताल चौकी और करंतीन कैम्प – (1) निदेशक राज्य के भीतर उतने करंतीन कैम्प और जांच पड़ताल चौकियां स्थापित कर सकेगा, जितने –

(क) ऐसे पशुओं के निरोध के लिए जो किसी अनुसूचित रोग से ग्रस्त हैं या ऐसे पशुओं के निरोध के लिए अपेक्षित हैं, जो ऐसे किसी संक्रामित पशु के संसर्ग में आ चुके हैं या उसके सामीप्य में रखे गए हैं ;

(ख) ऐसे पशुओं की जातियों से संबंधित किसी पशु के, जिसके बारे में धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना या धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन किया गया आदेश प्रवर्तन में है, किसी नियंत्रित क्षेत्र या संक्रामित क्षेत्र या मुक्त क्षेत्र में प्रवेश या उससे निकासी को रोकने को सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित हैं ।

(2) किसी ऐसे पशु जिसे निरुद्ध करना, जिसका निरीक्षण करना, टीका लगाना या चिह्नांकित करना अपेक्षित है, ऐसी अवधि के लिए करंतीन कैम्प में रखा जा सकेगा जो सक्षम अधिकारी निदेश दे ।

(3) प्रत्येक ऐसा पशु, जो करंतीन कैम्प में निरुद्ध है, कैम्प के भारसाधक व्यक्ति की अभिरक्षा में होगा और उसे टीका लगाया जाएगा तथा चिह्नांकित किया जाएगा ।

(4) करंतीन कैम्प का भारसाधक अधिकारी किसी पशु की केन्द्र से निर्मुक्ति के समय ऐसे प्ररूप में, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए, पशु को भारसाधन में लेने वाले व्यक्ति को एक अनुज्ञापत्र देगा और प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, किसी सक्षम अधिकारी द्वारा जब कभी ऐसा करने की अपेक्षा की जाए, अनुज्ञापत्र पेश करने के लिए आबद्ध होगा ।

15. जांच पड़ताल चौकी और करंतीन कैम्पों में पशुओं का निरीक्षण और निरोध – (1) किसी जांच पड़ताल चौकी या करंतीन कैम्प का प्रत्येक भारसाधक व्यक्ति जांच पड़ताल चौकी पर या करंतीन कैम्प में रोके गए या उसमें निरुद्ध किसी पशु का निरीक्षण करेगा ।

(2) जांच पड़ताल चौकी या करंतीन कैम्प में निरीक्षण के प्रयोजन के लिए या अनिवार्य टीकाकरण पशुओं का चिह्नांकन करने के लिए पशु के निरीक्षण की रीति और निरोध की अवधि और वह प्ररूप और रीति, जिसमें किसी पशु की बाबत प्रवेश के लिए अनुज्ञापत्र जारी किया जा सकेगा वह होगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए ।

16. नियंत्रित और मुक्त क्षेत्रों में टीका लगे पशुओं का प्रवेश और उनसे उनकी निकासी – धारा 10 में किसी बात के होते हुए भी, पशुओं की ऐसी जातियों से संबंधित किसी पशु को, जिसकी बाबत कोई क्षेत्र किसी अनुसूचित रोग के संबंध में नियंत्रित या मुक्त क्षेत्र के रूप में

घोषित किया गया है, जिसे उस रोग के लिए सम्यक् रूप से टीका लगाया जा चुका है, नियंत्रित क्षेत्र या मुक्त क्षेत्र में प्रवेश करने या वहां से बाहर ले जाने के लिए या किसी अन्य स्थान से बाहर ले जाने के लिए, इस आशय का प्रमाणपत्र पेश किए जाने पर अनुज्ञात किया जाएगा कि उस रोग के लिए टीका लगाया जा चुका है और उसके पश्चात् कम से कम इक्कीस दिन की अवधि व्यपगत हो चुकी है ।

17. सक्षम अधिकारियों की नियुक्ति – राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों के उचित कार्यान्वयन के लिए, अधिसूचना द्वारा, किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग या किसी कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए सक्षम अधिकारी के रूप में प्राधिकृत कर सकेगी जो अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

18. वाहकों की सफाई और विसंक्रामण – (1) प्रत्येक सामान्य वाहक चाहे वह जलयान है या यान, उस जलयान या यान में किसी पशु के परिवहन के ठीक पूर्व और पश्चात् और इस प्रकार किसी स्थान को भी, जहां पशु अभिवहन में रखा गया है, साफ और विसंक्रामित किया जाएगा ।

(2) जहां पशु की किन्हीं जातियों को प्रभावित करने वाले किसी ऐसे अनुसूचित रोग की बाबत किसी क्षेत्र को नियंत्रित क्षेत्र या मुक्त क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है वहां निदेशक, राजपत्र में और देशी भाषा में एक स्थानीय समाचारपत्र में सम्यक् रूप से प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे प्रत्येक यान के स्वामी को, जिसमें उन जातियों से संबंधित कोई पशु वहन किया गया, उस यान को उचित रूप में स्वच्छ और विसंक्रामित करने का निदेश दे सकेगा ।

19. प्रवेश और निरीक्षण की शक्तियां – कोई पशु चिकित्सा अधिकारी या अन्य सक्षम अधिकारी इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों या किए गए आदेशों के उपबंधों का ऐसे अनुपालन के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रयोजन के

लिए, किसी भूमि या भवन या स्थान, जलयान या यान में प्रवेश कर सकेगा और उसका निरीक्षण कर सकेगा ।

अध्याय 3
संक्रामित क्षेत्र

20. संक्रामित क्षेत्रों की घोषणा – यदि पशु चिकित्सा अधिकारी का, किसी पशु चिकित्सक से रिपोर्ट की प्राप्ति पर या अन्यथा, यह समाधान हो जाता है कि उसकी अधिकारिता के भीतर आने वाले किसी स्थान या परिसर में कोई पशु किसी अनुसूचित रोग से संक्रामित हो गया है या किसी ऐसे पशु को, जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह इस प्रकार संक्रामित है, वहां रखा गया है तो वह अधिसूचना द्वारा और देशी भाषा में कम से कम एक स्थानीय समाचारपत्र में प्रकाशन द्वारा तथा ऊंची आवाज में और ढोल पीटकर घोषणा द्वारा ऐसे क्षेत्र को, जिसे वह उचित समझे (जिसके अंतर्गत पूर्वोक्त स्थान या परिसर भी है) संक्रामित क्षेत्र घोषित कर सकेगा ।

21. संक्रामित क्षेत्रों की घोषणा का प्रभाव – (1) जहां किसी क्षेत्र को धारा 20 के अधीन संक्रामित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है, वहां इस अधिनियम के सभी उपबंध, जो नियंत्रित क्षेत्र के संबंध में लागू होते हैं, उसके संबंध में यथा आवश्यक परिवर्तन सहित इस प्रकार लागू होंगे मानो "नियंत्रित क्षेत्र" शब्दों के स्थान पर "संक्रामित क्षेत्र" शब्द रखे गए हों ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित और उपबंध संक्रामित क्षेत्र के संबंध में लागू होंगे, अर्थात् :–

(क) उस क्षेत्र में प्रत्येक ऐसे पशु के संबंध में, जो किसी अनुसूचित रोग से संक्रामित है या जिसके संक्रामित होने का युक्तियुक्त विश्वास है, पशु का स्वामी या भारसाधक अन्य व्यक्ति तुरन्त पशु चिकित्सक से उसका उपचार करवाएगा ;

(ख) सभी वस्तुओं को, जिनके खंड (क) में निर्दिष्ट किसी पशु के संसर्ग में आने की संभावना है, उपचारित किया जाएगा या ऐसी रीति में व्ययनित किया जाएगा, जो पशु चिकित्सक निदेश दे ;

(ग) प्रत्येक पशु चिकित्सक को निरीक्षण के प्रयोजन के लिए किसी ऐसे स्थान या परिसर में प्रवेश करने की शक्ति होगी, जहां कोई पशु रखा गया है या उसके रखे जाने की संभावना है ;

(घ) खंड (क) में निर्दिष्ट पशु का स्वामी या भारसाधक कोई अन्य व्यक्ति तुरन्त पशु को अलग करेगा और ऐसे अन्य उपाय भी करेगा, जो रोग के निवारण, उपचार या नियंत्रण के लिए आवश्यक हो, जो पशु चिकित्सक निदेश दे ।

22. संक्रामित क्षेत्र की अधिसूचना को वापस लेना – यदि पशु चिकित्सा अधिकारी का, ऐसी जांच के पश्चात्, जो वह ठीक समझे, यह समाधान हो जाता है कि किसी संक्रामित क्षेत्र में अनुसूचित रोग से किसी पशु के संक्रामित होने के बारे में अब कोई आशंका या खतरा नहीं है तो वह, अधिसूचना द्वारा, और देशी भाषा में स्थानीय समाचारपत्र में प्रकाशन द्वारा घोषित कर सकेगा कि वह क्षेत्र पूर्वोक्त के अनुसार संक्रामित क्षेत्र नहीं रह गया है, तत्पश्चात् धारा 21 में निर्दिष्ट सभी निर्बंधन लागू नहीं होंगे ।

अध्याय 4
संक्रामित पशु

23. संक्रामित पशुओं का अलग रखा जाना, उनका परीक्षण और उपचार – (1) जहां पशु चिकित्सक के पास, किसी रिपोर्ट की प्राप्ति पर या अन्यथा, यह विश्वास करने का कारण है कि कोई पशु अनुसूचित रोग से संक्रामित है, वहां वह लिखित में आदेश द्वारा ऐसे पशु के स्वामी या ऐसे अन्य व्यक्ति को, जिसके भारसाधन में ऐसा पशु है, –

(क) उसे अन्य स्पष्ट रूप से स्वस्थ पशुओं से अलग रखने ; या

(ख) ऐसा उपचार कराने के लिए, जो उन परिस्थितियों में अपेक्षित हो, निदेश दे सकेगा ।

(2) जहां उपधारा (1) के अनुसरण में ऐसी कोई कार्रवाई की गई है, वहां पशु चिकित्सक, तुरन्तु ऐसे रोग की घटना की विस्तृत रिपोर्ट पशु चिकित्सा अधिकारी को देगा ।

(3) पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सक से ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर, यथासंभव शीघ्र, उस पशु की तथा साथ ही किसी ऐसे अन्य पशु की, जो उसके सम्पर्क में आया हो, जांच करेगा और उस प्रयोजन के लिए, उस पशु को ऐसी जांच और चिकित्सीय परीक्षा के लिए भेजेगा, जो उन परिस्थितियों के अधीन अपेक्षित हो ।

(4) यदि ऐसी जांच और परीक्षण के पश्चात्, पशु चिकित्सा अधिकारी की यह राय हो कि ऐसा पशु किसी अनुसूचित रोग से संक्रामित नहीं है, तो वह लिखित में एक प्रमाणपत्र जारी करेगा कि पशु किसी ऐसे रोग से संक्रामित नहीं है ।

24. पशुओं से नमूनों का लिया जाना – (1) जहां पशु चिकित्सा अधिकारी यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए कि वह पशु, जिसके किसी अनुसूचित रोग से संक्रामित होने का संदेह है या ऐसे संक्रामण का खतरा है, वास्तव में संक्रामित है या उस अनुसूचित रोग की, जिससे पशु संक्रामित है, प्रकृति अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझता है, वहां वह ऐसे अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए, जिन्हें वह उन परिस्थितियों के अधीन आवश्यक समझे, पशु से ऐसे नमूने ले सकेगा, जो अपेक्षित हों ।

(2) पशु चिकित्सा अधिकारी या कोई अन्य सक्षम अधिकारी ऐसे पशु से यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजन से कि क्या पशु को किसी रोग का टीका लगाया गया है या क्या पशु को टीका लगाया जाना उसे असंक्रामित करने में प्रभावी हो गया है, नमूने ले सकेगा और ऐसे नमूनों की ऐसी रीति में परीक्षा करेगा, जो वह आवश्यक समझे ।

25. संक्रामित पशु के लिए सहज मृत्यु का आश्रय लेना – यदि पशु चिकित्सा अधिकारी यह आवश्यक समझता है कि किसी पशु की, जो अनुसूचित रोग से संक्रामित है, क्षेत्र के अन्य पशुओं में रोग को फैलने से रोकने के लिए या यदि रोग पशु संबंधी महत्व का है तो लोक स्वास्थ्य की संरक्षा करने के लिए सहज मृत्यु का आश्रय लेना आवश्यक होगा, तो वह तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, लिखित में आदेश द्वारा, पशु की सहज मृत्यु के लिए और

अपने समाधानप्रद रूप में तत्काल उसके शव की अंत्येष्टि करने का निदेश दे सकेगा ।

26. शव का निपटारा – प्रत्येक व्यक्ति, जिसके कब्जे में किसी पशु का शव (या उसका कोई भाग) है, जो उसकी मृत्यु के समय किसी अनुसूचति रोग से संक्रामित था या उसके संक्रामित होने का संदेह था, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, उसका निपटारा करेगा ।

27. पशु चिकित्सा अधिकारी और पशु चिकित्सक की शव परीक्षा करने की शक्तियां – (1) जहां पशु चिकित्सा अधिकारी या किसी पशु चिकित्सक के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी पशु की मृत्यु किसी अनुसूचित रोग के संक्रामण द्वारा हुई है, वहां वह पशु की शव परीक्षा करेगा या कराएगा और उस प्रयोजन के लिए वह जहां अपेक्षित हो, किसी ऐसे पशु के शव को खोदकर भूमि से बाहर निकलवाएगा, तत्पश्चात् शव की आवश्यक परीक्षा और शव परीक्षण के पश्चात् समुचित अंत्येष्टि कराएगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक परीक्षा और शव परीक्षा ऐसी रीति से की जाएगी और शव परीक्षण की रिपोर्ट ऐसे प्ररूप में होगी, जो विहित की जाए ।

28. कतिपय पशुओं का अभिग्रहण और उनको हटाना – जहां ऐसा कोई पशु, जो संक्रामित है या जिसके संक्रामित होने का संदेह है जिसका कोई भी व्यक्ति स्वामी होने का दावा नहीं करता है, या जहां ऐसे पशु के संबंध में दिए गए किसी विधिमान्य आदेश या निदेश का, स्वामी या अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसके नियंत्रण में ऐसा कोई पशु है, तत्परता से अनुपालन नहीं किया जाता है, वहां पशु चिकित्सा अधिकारी या किसी अन्य सक्षम अधिकारी को, ऐसे पशु को अभिग्रहण करने, और उसे एकांत या अलग स्थान पर हटाने का, जो वह उचित समझे, विकल्प होगा ।

अध्याय 5
प्रवर्तन और शास्तियां

29. आदेशों का प्रवर्तन और खर्चों की वसूली – (1) जहां इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी नियम, अधिसूचना, सूचना,

अध्यपेक्षा, आदेश या निदेश द्वारा किसी व्यक्ति से, –

(क) किसी पशु, किसी पशु के शव या ऐसी अन्य वस्तु के संबंध में, जो उसकी अभिरक्षा या भारसाधन में है, कोई उपाय या किसी बात को करने की अपेक्षा की जाती है तो उस व्यक्ति द्वारा तत्परता से कार्रवाई की जाएगी ;

(ख) कोई ऐसा पशु जो भटका हुआ है या जिसका कोई स्वामी नहीं है, ऐसे पशु शव या उसके भाग की दशा में, कोई उपाय या किसी बात को करने की अपेक्षा की जाती है, यथास्थिति, नगरपालिका या पंचायत द्वारा अपने खर्चे पर तत्परता से कार्रवाई की जाएगी ।

(2) यदि उपधारा (1) में यथानिर्दिष्ट उपाय ऐसे समय के भीतर नहीं किए जाते हैं, जो इस प्रयोजन के लिए अनुज्ञात किया जाए, तो सूचना, अध्यपेक्षा, आदेश या निदेश जारी करने वाला प्राधिकारी, यथास्थिति, ऐसे व्यक्ति या नगरपालिका या पंचायत के खर्चे पर, जिससे या जिनसे ऐसे उपाय करने की अपेक्षा थी, उपायों को करवाएगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन किए गए किन्हीं उपायों के खर्चे, यथास्थिति, संबद्ध व्यक्ति या नगरपालिका या पंचायत से किसी न्यायालय द्वारा अधिरोपित जुर्माने की वसूली के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) द्वारा उपबंधित रीति में इस प्रकार वसूलनीय होंगे, मानो ऐसे खर्चे किसी न्यायालय द्वारा अधिरोपित जुर्माने हों ।

30. ग्राम अधिकारी, आदि द्वारा सहायता करना – सभी नगरपालिका, पंचायत या ग्राम अधिकारी और राज्य सरकार के ग्रामीण और डेयरी विकास, राजस्व, कृषि, पशुपालन और पशु चिकित्सा विभागों के सभी अधिकारी –

(क) ऐसे पशु चिकित्सा अधिकारी और ऐसे पशु चिकित्सक को, जिसकी अधिकारिता उस क्षेत्र में है, उक्त क्षेत्र में, किसी पशु या पशुओं की किसी जाति में किसी अनुसूचित रोग के होने की तत्काल सूचना देने ;

(ख) किसी अनुसूचित रोग के होने या फैलने को रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने ; और

(ग) पशु चिकित्सा अधिकारी और पशु चिकित्सक को इस अधिनियम के अधीन उनके कर्तव्यों के निर्वहन में या उनकी शक्तियों के प्रयोग में सहायता करने,

के लिए आबद्ध होंगे ।

31. प्राधिकार के बिना टीका प्रमाणपत्र जारी करने या त्रुटिपूर्ण टीका लगाने के लिए शास्ति – यदि कोई व्यक्ति –

(क) उस निमित्त किसी प्राधिकार या सक्षमता के बिना, या

(ख) ऐसा टीका लगाने के पश्चात् जिसका किसी रीति में दोषपूर्ण होना ज्ञात है,

कोई टीका प्रमाणपत्र जारी करता है, तो वह ऐसे अपराध का दोषी होगा, जो पांच हजार रुपए के जुर्माने से या जुर्माने का संदाय न किए जाने की दशा में, कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, और किसी पश्चात्वर्ती अपराध की दशा में, दस हजार रुपए के जुर्माने से या ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा ।

32. शास्तियां – कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करता है या सक्षम अधिकारी को उसके कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा पहुंचाता है ऐसे किसी अपराध का दोषी होगा, जो जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा और शास्ति का संदाय करने में असफल रहने की दशा में, कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी ; और किसी पश्चात्वर्ती अपराध की दशा में (चाहे वह उसी उपबंध या इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों के अधीन है, धारा 31 और धारा 33 के मामले के सिवाय) दो हजार रुपए के जुर्माने से या शास्ति का संदाय न किए जाने की दशा में, कारावास से, जिसकी अवधि दो मास तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा ।

33. संक्रामित पशु या शव को नदी, आदि में फेंकने के लिए शास्ति – जो कोई, किसी पशु शव या शव के किसी भाग को, जिसका

मृत्यु के समय उसे संक्रामित होना ज्ञात था, किसी नदी, झील, नहर या किसी अन्य जलाशय में डालता है, डलवाता है या डलवाने को अनुज्ञात करता है तो वह ऐसे किसी अपराध का दोषी होगा और दोषसिद्धि पर, पहले अपराध की दशा में, दो हजार रुपए के जुर्माने से या जुर्माने का संदाय न करने की दशा में, एक मास के कारावास से और पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में पांच हजार रुपए के जुर्माने से या कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

34. कम्पनियों द्वारा अपराध – (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी कम्पनी द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए उस कम्पनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कम्पनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजनों के लिए, –

(क) "कम्पनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और

इसके अन्तर्गत तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझी गई कोई सहकारी सोसाइटी, फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है ; और

(ख) फर्म के संबंध में, "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है ।

अध्याय 6

रोगकारक जीव, आदि के संबंध में एहतियाती उपाय

35. रोगकारक जीव के बच निकलने का निवारण – (1) ऐसी प्रत्येक संस्था, प्रयोगशाला या क्लीनिक में, जो वैक्सीन, सीरा, निदान या रसोचिकित्सा ओषधियों से संबंधित विनिर्माण, परीक्षण या अनुसंधान में लगे हैं और जिनका उद्देश्य किसी अनुसूचित रोग का निवारण या उपचार करना है, निम्नलिखित के लिए पर्याप्त एहतियाती उपाय किए जाएंगे –

(क) यह सुनिश्चित करना कि किसी अनुसूचित रोग के रोगकारक जीव बच निकल न पाएं या अन्यथा निर्मुक्त न हो पाएं ;

(ख) किसी ऐसे बच निकलने या निर्मुक्त होने से संरक्षा करना ; और

(ग) ऐसे बच निकलने की दशा में प्रत्येक संबद्ध व्यक्ति को चेतावनी देना और उसे सुरक्षित करना ।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे प्रत्येक पशु की –

(क) जिसका उपधारा (1) में यथानिर्दिष्ट विनिर्माण, परीक्षण या अनुसंधान के लिए उपयोग किया गया है ; या

(ख) जिससे किसी अनुसूचित रोग के होने या उसके संचरित होने की संभावना है,

तुरन्त सहज मृत्यु कारित की जाएगी और उसे उस उपधारा में निर्दिष्ट, यथास्थिति, संस्था, प्रयोगशाला या क्लीनिक के भारसाधक या उन पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति द्वारा व्ययन किया जाएगा ।

(3) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी संस्था, प्रयोगशाला या क्लीनिक का भारसाधक है या उन पर नियंत्रण रखता है, उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबंधों का अनुपालन करेगा ; और अननुपालन की दशा में, वह ऐसे अपराध का दोषी होगा, जो जुर्माने से, जो बीस हजार रुपए तक का हो सकेगा या कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या दोनों से, दंडनीय होगा और यदि स्थापन टीका या ओषधि का वाणिज्यिक रूप से विनिर्माण कर रहा है तो एक वर्ष की अवधि तक अनुज्ञप्ति के अस्थायी निलम्बन की शास्ति भी अधिरोपित की जा सकेगी ।

अध्याय 7
प्रकीर्ण

36. प्रत्यायोजन की शक्ति – राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी या प्राधिकारी को, धारा 42 की उपधारा (2) के अधीन नियम बनाने की शक्तियों के सिवाय, इस अधिनियम द्वारा या तद्धीन उसे प्रदत्त सभी या किन्हीं शक्तियों को, प्रत्यायोजित कर सकेगी ।

37. अधिकारियों और प्राधिकारियों का सरकार के नियंत्रण के अधीन कृत्य करना – इस अधिनियम के अधीन सभी अधिकारी और प्राधिकारी अपनी ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन, जो इस अधिनियम द्वारा या तद्धीन उनको प्रदत्त या उन पर अधिरोपित किए गए हैं ऐसे आदेशों के अनुसार करेंगे, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो, समय-समय पर केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा किए जाएं ।

38. अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति – (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, अनुसूची में किसी पशु रोग को जोड़ सकेगी या उसमें से उसका लोप कर सकेगी और उक्त रोग को अधिसूचना की तारीख से, अनुसूची में जोड़ा गया या उससे लोप किया गया समझा जाएगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, जारी किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी ।

39. निदेश जारी करने की शक्ति – केन्द्रीय सरकार, पशुओं के किसी संक्रामक या सांसर्गिक रोग के निवारण, नियंत्रण और उन्मूलन के उद्देश्य से, राज्य सरकार या इस अधिनियम के अधीन अन्य प्राधिकारियों को, समय-समय पर, ऐसे निदेश जारी कर सकेगी, जिनके अंतर्गत अनुसूचित रोगों और टीकाकरण के संबंध में ऐसी विवरणी और आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए निदेश भी हैं, जो वह ठीक समझे और प्रत्येक ऐसे निदेश का अनुपालन किया जाएगा ।

40. कतिपय व्यक्तियों का लोक सेवक होना – प्रत्येक सक्षम अधिकारी, निदेशक और पशु चिकित्सा अधिकारी को, जब वे इस अधिनियम के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग या किसी कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हों, भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा ।

41. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति – (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, और जो उसे उक्त कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश इसके किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

42. नियम बनाने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति – (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए, नियम अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :–

(क) धारा 9 के अधीन टीका प्रमाणपत्र का प्ररूप और वे विशिष्टियां, जो ऐसे प्रमाणपत्र में अंतर्विष्ट होंगी ;

(ख) धारा 26 के अधीन शवों के निपटान की रीति ;

(ग) धारा 27 की उपधारा (1) के अधीन परीक्षा और शव-परीक्षा करने की रीति तथा उपधारा (2) के अधीन शव-परीक्षा की रिपोर्ट का प्ररूप ;

(घ) ऐसा कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए या जिसकी बाबत केन्द्रीय सरकार द्वारा नियम बनाना अपेक्षित हो ।

43. नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति – (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से, नियम अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :–

(क) धारा 14 की उपधारा (4) के अधीन किसी करंतीन कैंप के भारसाधक अधिकारी द्वारा अनुदत्त किए जाने वाले अनुज्ञापत्र का प्ररूप ;

(ख) किसी जांच पड़ताल चौकी या किसी करंतीन कैंप में अनिवार्य टीका लगाने और पशुओं का चिह्नांकन करने के लिए किसी पशु के निरीक्षण की रीति तथा निरोध की अवधि और धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन प्रवेश अनुज्ञापत्र का प्ररूप और उसके जारी करने की रीति ;

(ग) कोई अन्य विषय, जिसकी बाबत राज्य सरकार द्वारा नियम बनाए जाने हैं या बनाए जाएं ।

44. विनियमों का सदनों के समक्ष रखा जाना – (1) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह

अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभावी होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(2) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखा जाएगा ।

45. निरसन और व्यावृत्ति – इस अधिनियम के प्रारम्भ पर, –

(i) ग्लैण्डर और फार्सी अधिनियम, 1899 (1899 का 13) ;

(ii) डूरीन अधिनियम, 1910 (1910 का 5) ; और

(iii) किसी राज्य की कोई अन्य तत्स्थानी विधि, जहां तक वह इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत है,

निरसित हो जाएगी :

परन्तु इस धारा की कोई बात –

(क) विधि के किसी ऐसे उपबंध के पहले से प्रवर्तन या तद्धीन सम्यक् रूप से की गई या सहन की गई किसी बात पर प्रभाव नहीं डालेगी ;

(ख) विधि के किसी ऐसे उपबंध के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व पर प्रभाव नहीं डालेगी ;

(ग) विधि के किसी ऐसे उपबंध के विरुद्ध किए गए किसी अपराध के संबंध में उपगत किसी शास्ति, समपहरण या दंड पर प्रभाव नहीं डालेगी ; या

(घ) यथापूर्वोक्त किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण या दंड के संबंध में किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार पर प्रभाव नहीं डालेगी ; और प्रत्येक ऐसा अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार जारी रह सकेंगे, संस्थित या प्रवृत्त रह सकेंगे और कोई ऐसी शास्ति, समपहरण और दंड इस प्रकार अधिरोपित किए जा सकेंगे मानो विधि के पूर्वोक्त उपबंध जारी रहे थे :

परन्तु यह और कि विधि के किसी ऐसे उपबंध के अधीन की गई कोई बात या कोई कार्रवाई, जिसके अंतर्गत निकाली गई कोई अधिसूचना, किया गया आदेश, जारी की गई सूचना या रसीद या की गई घोषणा भी है, जहां तक वह इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं है, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई, किया गया, निकाली गई, किया गया, जारी की गई या की गई समझी जाएगी और तद्नुसार तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक कि इस अधिनियम के अधीन की गई किसी बात या की गई किसी कार्रवाई द्वारा उसे अधिक्रान्त न कर दिया गया हो ।

अनुसूची

[धारा 2(ण) और धारा 38 देखिए]

(क) बहु जातीय रोग

1. एंथ्रेक्स ।
2. ओजेस्की रोग ।
3. ब्लूटंग ।
4. ब्रसेलोसिस ।
5. क्राइमीन कांगो हैमरेज ज्वर ।
6. एकीनोकोकोसिस/हाईडेटिडोसिस ।
7. खुरपका और मुंहपका रोग ।
8. हर्टवाटर ।
9. जापानी एनसीफैलीटिस ।
10. लैप्टोस्पाइरोसिस ।
11. नई वर्ल्ड स्क्रूवर्म (कोचलियोंमाईया होमिनीवोरेक्स) ।
12. पुरानी वर्ल्ड स्क्रूवर्म (चैरीसोमिया बैजीआना) ।
13. पैराट्यूबरक्यूलोसिस ।
14. क्यू फीवर ।
15. रैबीज ।
16. रिफ्ट वैली ज्वर ।
17. पशुप्लेग ।
18. ट्राइकीनैलोसिस ।
19. टुलारेमिया ।
20. वैसीकुलर स्टोमैटीटिस ।
21. वेस्ट नाईल ज्वर ।

(ख) पशु रोग

1. बोवाईन अनाप्लास्मोसिस ।
2. बोवाईन बेबीसिओसिस ।
3. बोवाईन जैनीटल कैम्पीलोबैक्टीरियोसिस ।
4. बोवाईन स्पोंगिफार्म एनसीफालोपैथी ।
5. बोवाईन ट्यूबरक्यूलोसिस ।
6. बोवाईन वायरल डायरिया ।
7. संसर्गजन्य बोवाईन फ्लूरोन्यूमोनिया ।
8. एनजूटिक बोवाईन ल्यूकोसिस ।
9. हीमोरैजिक सैस्टीसीमिया ।
10. संक्रामक बोवाईन राइनोट्रेचिटिस/संक्रामक पस्टूलर वलवोवेजीनिटिस ।
11. लम्पी स्किन रोग ।
12. मालीगनेंट कैटराहल ज्वर ।
13. थाईलीरिओसिस ।
14. ट्राइकोमोनोसिस ।
15. ट्रायपानोसीमोसिस ।

(ग) भेड़ और बकरी रोग

1. कैपरीन आर्थराईटिस/एनसीफेलिटिस ।
2. संसर्गजन्य अगलाकटिया ।
3. संसर्गजन्य कैपरीन प्लूरोनिमोनिया ।
4. एनजूटिक अबार्शन आफ ऐवीस (ओवाईन क्लामाईडियोसिस) ।
5. मैदी-विसना ।
6. नाईरोबी भेड़ रोग ।

7. ओवाईन एपीडीडायमिटिस (ब्रूसेला ओवीस) ।

8. पेस्टे डेस पेटीट्स रूमिनेंट्स ।

9. सालमोनेलोसिस (एस. एबोर्टयूसोविस) ।

10. स्क्रेपी ।

11. भेड़ पाक्स और बकरी पाक्स ।

(घ) अश्व रोग

1. अफ्रीकन मेट्रीटिस बीमारी ।

2. संसर्गजन्य मेट्रीटिस मैटरीटिस ।

3. डूरीन ।

4. अश्व एनसीफालोमाईलिटिस (पूर्वी) ।

5. अश्व एनसीफालोमाईलिटिस (पश्चिमी) ।

6. अश्व संक्रामक एनीमिया ।

7. अश्व इंफ्लूएंजा ।

8. अश्व पाइरोप्लासमोसिस ।

9. अश्व रायनोन्यूमोनिटिस ।

10. अश्व वायरल आरटेरिटस ।

11. ग्लैंडर्स ।

12. सूरा (ट्राइपानोसोमा ईवानसी) ।

13. वेनीजूएलन अश्व एनसीफालोमाईलिटिस ।

(ङ) स्वाइन रोग

1. अफ्रीकन स्वाईन ज्वर ।

2. क्लासीकल स्वाईन ज्वर ।

3. निपाह वायरस एनसीफालीटिस ।

4. पोरसिन सिसटीसरकोसिस ।

5. पोरसिन रिपरोडक्टिव और रेस्पिरेटरी सिंड्रोम ।

6. स्वाइन वेसीकुलर रोग ।

7. ट्रांसमिसिबल गैस्ट्राइनटेरीटिस ।

(च) एवीयन रोग

1. एवीयन क्लेमाइडियोसिस ।

2. एवीयन संक्रामक ब्रोंकाइटिस ।

3. एवीयन संक्रामक लैरिंगोट्राचीटिस ।

4. एवीयन माईकोप्लासमोसिस (एम. गालीसेप्टीकम) ।

5. एवीयन माईकोप्लासमोसिस (एम. सायनोवि) ।

6. डक वायरस हैपेटाइटिस ।

7. फाउल कोलेरा ।

8. फाउल टाइफाइड ।

9. उच्च पैथोंजनिक एवीयन इंफ्लूएंजा और कुक्कुट में निम्न पैथोजनिक एवीयन इंफ्लूएंजा ।

10. संक्रामक सर्ल रोग (गंबोरो रोग) ।

11. मारेक रोग ।

12. न्यूकैसल रोग ।

13. पुलोरम रोग ।

14. टर्की रिनोट्राचीटिस ।

(छ) लैगोमोर्फ रोग

1. मायोक्सोमाटोसिस ।

2. रैबीट हेमरेजिक रोग ।

(ज) मधुमक्खी रोग

1. मधुमक्खी की अकारापीसोसिस ।
2. मधुमक्खी का अमेरिकन फाउलब्रूड ।
3. मधुमक्खी का यूरोपियन फाउलब्रूड ।
4. स्माल हाइव बीटल इनफेस्टेशन (एथीना ट्यूमीडा) ।
5. मधुमक्खी का ट्रोपिलाएलप्स इनफैस्टेशन ।
6. मधुमक्खी का वारूसिस ।

(झ) मछली रोग

1. एपीजूटिक हैमाटोपोयटिक नैकरोसिस ।
2. संक्रामक हैमाटोपोयटिक नैकरोसिस ।
3. स्प्रिंग वायमिया आफ कार्प ।
4. वायरल हैमोरहैजिक सैप्टीसीमिया ।
5. संक्रामक पैनाक्रिएटिक नैकरोसिस ।
6. संक्रामक सालमन एनीमिया ।
7. एपीजूटिक अल्सरएटिव सिंड्रोम ।
8. बैक्टीरियल किडनी रोग (रैनीबैक्टीरियम सालमोनीनरम) ।
9. गायरोडेक्टाईलोसिस (गायरोडेक्टाइलोसिस सालारिस) ।
10. रैड सी ब्रीम इरीडोवायरल रोग ।

(ञ) मौलक्स रोग

1. बोनामिया ओस्ट्रिया से संक्रमण ।
2. बोनामिया एक्सीटिओसा से संक्रमण ।
3. मार्टलिया रेफ्रीनजैंस से संक्रमण ।
4. माइक्रोसायटोस मैकीनी से संक्रमण ।
5. पर्किनसस मैरीनस से संक्रमण ।

6. पर्किनसस आलसेनी से संक्रमण ।

7. एक्सनोहालीयोटिस कालीफोर्निनसिस से संक्रमण ।

(ट) क्रसटेशियन रोग

1. तौरा सिंड्रोम ।

2. व्हाईट स्पॉट रोग ।

3. येलोहेड रोग ।

4. टेट्राहीड्रल बाक्यूलोवायरोसिस (बाकलोवायरस पीनियल) ।

5. स्फैरीकल बाक्यूलोवायरोसिस (पैनासिस मोनोडोन-टाइप बाक्लोवायरस) ।

6. संक्रामक हाइपोडर्मल और हाइमैटोपायोटिक नैक्रोसिस ।

7. क्रायफिश प्लेग (एपहैनोमायसिस एसटासी) ।

(ठ) अन्य रोग

1. कैमलपाक्स ।

2. लैशमानियोसिस ।

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित और विक्रयार्थ उपलब्ध पाठ्य पुस्तकों की सूची

क्रम सं.	पुस्तक का नाम, लेखक का नाम एवं प्रकाशन वर्ष (संस्करण)	पृष्ठ सं.	पुस्तक की मूल मुद्रित कीमत (रुपयों में)	विशेष छूट के पश्चात् पुस्तक की कीमत (रुपयों में)
1.	अन्तर्राष्ट्रीय विधि के प्रमुख निर्णय (द्वितीय संस्करण) – डा. एस. सी. खरे – 1996	273	115	29.00
2.	भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम (कालजयी निर्णय) – विधि साहित्य प्रकाशन – 2000	209	225	57.00
3.	विधि शास्त्र – डा. शिवदत्त शर्मा – 2004	501	580	145.00
4.	निर्णय लेखन – न्या. भगवती प्रसाद बेरी – 2019	190	175	–
5.	भारत का सांविधानिक इतिहास - (103वां संशोधन तक) - श्री चन्द्रशेखर मिश्र	340	325	–
6.	भारतीय संविधान के प्रमुख तत्व - डा. प्रद्युम्न कुमार त्रिपाठी	906	750	–

अन्य महत्वपूर्ण प्रकाशन

1. विधि शब्दावली	सातवां संस्करण, 2015	कीमत रु. 375/-
2. निर्वाचन विधि निर्देशिका (भाग-1 तथा भाग-2)	नवीनतम संस्करण, 2019	कीमत रु. 1,900/-
3. भारत का संविधान	2021	कीमत रु. 300/-

विधि साहित्य प्रकाशन
(विधायी विभाग)
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार
भारतीय विधि संस्थान भवन,
भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001
Website : www.lawmin.nic.in
Email : am.vsp-molj@gov.in

भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत रजि. सं. 16288/68

सादर

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा तीन मासिक निर्णय पत्रिकाओं - **उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका** और **उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका** का प्रकाशन किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका में उच्चतम न्यायालय के चयनित महत्वपूर्ण निर्णयों को और उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका तथा उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका में देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के क्रमशः सिविल और दांडिक के चयनित महत्वपूर्ण निर्णयों को हिन्दी में प्रकाशित किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत क्रमशः ₹ 2,100/-, ₹ 1,300/- और ₹ 1,300/- है । तीनों मासिक निर्णय पत्रिकाओं के नियमित ग्राहक बनकर हिन्दी के प्रचार-प्रसार के इस महान यज्ञ के भागी बन कर अनुगृहीत करें । साथ ही यह भी अवगत कराया जाता है कि केन्द्रीय अधिनियमों, विधि शब्दावली, विधि पत्रिकाओं और अन्य विधि प्रकाशनों को ऑन लाइन **https://bharatkosh.gov.in/product/product** पर प्राप्त किया जा सकता है ।

विधि साहित्य प्रकाशन
(विधायी विभाग)
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार
भारतीय विधि संस्थान भवन,
भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001
दूरभाष : 011-23387589, 23385259, 23382105

विक्रेता : सहायक प्रबंधक, कारबार अनुभाग, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, आई. एल. आई. बिल्डिंग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 । दूरभाष **:** 011-23385259, 23387589, फैक्स **:** 011-23387589, ई-मेल **:** am.vsp-molj@gov.in